

DUE DATE SLIP

GOVT COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

फिरा है। इसी कारण उनमें जानिमत सर्वोच्चता का अहंकार जागा और यही अहंकार उन्हें काफी महंगा पड़ा और 1945 में उन्हें भारी पराजय का सामना करना पड़ा।

जमनी के इतिहास में दूसरी महत्वपूर्ण घटना वृत्ताय शताब्दी के मध्य घटी। इस समय जमनी के विविध कबीराने निम्न गीथ वृत्तान वर्गेणियन नाम्बा विसीगोथ-प्रमुख है महान् प्रागय या प्रस्थान (Voelker wanderungen) आरम्भ किया। अपने मूल प्रदेश से वे मुख्यतया पश्चिम की ओर बढ़ने लगे। कुछ जागान पूर्व की ओर भी प्रस्थान किया। जमन कबीरान का यह महा प्रस्थान रोमन साम्राज्य को महंगा पड़ा और ये कबीरान रोमन साम्राज्य के सीमाता का दरवाजा छटखटाने लगे। अही वर्षों में जनन ग्रीला के नेताओं ने वीरगा और साहस के व काय किए जिससे जमन महाकाय का जन्म हुआ। इन महाकाव्यों में वियोल्फ (Beowulf) तथा फाल सुग सागा (Volusungsaga) तथा फाल ग्राफ दी नीबलुंगन (Fall of the Nieblungen) नामक मह काय प्रमुख हैं।

500 ईस्वी सन् के आने पान राम के साम्राज्य का पश्चिमी क्षेत्र बबर जागा (बबर लाग व योग माने जात थे जा गर-रामत धी के आरम्भ से जनरित हो गया और उनमें ध्वनावापा पर नय रागो का उदय हुआ। इन रागो में कॅल्ग साम्राज्य प्रमुख था। फ्रिंश के अन्तगत जमन योगा के दो वश-मेरोविंजियन वश तथा करोन्गियन वश-आत हैं। इन दो वशा में 481 ईस्वी में लर 987 ईस्वी तक राग किया। 481 में क्वाविम I कॅल्ग योगा का राजा बना। 500 ई में जमन वसा धम स्वीकार किया परिणामत पश्चिमी क्षेत्र के इसके धनुयाणियों ने भी वसा धम स्वीकार कर लिया। लकिन पूर्व की जनता ने काफी देर बाद वगनग सातवा व आठवा शताब्दी में इसा धम को अपनाया वह भी काफी जोर जबस्ती के वात। करोविम I के शासन के 100 वर्ष बाद मराविंजियन वश का पतन आरम्भ हुआ और सौ वर्ष बाद उसका स्थान छोट छोट सामन्तो व राजाशा ल गया। आठवी शताब्दी के मध्य में वरालिगियन वश का शासक पपिन (Pepin the Short) गद्दी पर बना। वसन 741 से 768 ईस्वी तक शासन किया। इस समय इटली में स्टाफन II (752-757) पोप के पद पर विद्यमान था। जमन नवीन शासक का भारी समयन किया क्योंकि स्वयं पोप का उस शासक से मल की आवश्यकता थी।

पपिन का यच्छ पुत्र चाम महान् (फामिसा भाषा में जे शानमन तथा जमन भाषा में कान डर ग्रास कहा जाता है) तीन वर्ष अपने माता के साथ समुक्त रूप से राग करता रहा और 771 में वसन मम्पूण सत्ता पर अधिकार जमा लिया तथा 814 तक (अपनी मृत्यु पतन) शासन करता रहा। वसका साम्राज्य अधिक विस्तार था और मध्य काल तक यूरोप के किसी भी एक शासक ने वन विरतुत मत्र

पश्चिमी जर्मनी की राजनीति एवं प्रशासन

रचयक

डा० दवनारायण आसापा



राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
जयपुर

महत्त्व है। जहाँ राजनीतिक दृष्टि से जर्मनी में सच्चाट व क्षेत्राधिकारिता में भारी सघन चल रहा था वहाँ सामाज्य जनता पार्लियामेंट के विलामिता मय जीवन धर्या चार व पाखण्ड स तम आ चुकी था। उन्हें एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो पार्लियामेंट व अत्याचार व शोषण से उन्हें मुक्ति दिना सके। मार्टिन लूथर मुक्तिदाता के रूप में सामने आया। लूथर का जन्म 1483 में साइजनेन नामक नगर में हुआ। उसका पिता एक कापला खाना का मालिक था और एक समृद्ध परिवार में जन्म लेने के कारण लूथर का उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएँ मिली। 1501 में उसने एरफुट विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। चार वर्ष बाद और 22 वर्ष की उम्र में उसने विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त की। उसी वर्ष उसके जीवन में एक महान परिवर्तन आया। कुछ वर्षों से वह धार्मिक प्रश्नों पर विचार कर रहा था। अभी बीच उसके एक मित्र की मृत्यु हो गई और वह नाव बिहल हो उठा।

1505 में उसने एरफुट के स्टीफन मठ में प्रवेश किया तथा दो वर्षों बाद वह पादरी बना। लेकिन उसके वादजूत उस आत्मिक शान्ति नहीं मिली। 1508 में वह विटनबर्ग नगर में दशनशास्त्र का प्राध्यापक बना। उस दृष्टि से नगर में वह अत्यधिक लोकप्रिय प्राध्यापक व उपदेशक बन बैठे। 1510 में लूथर को रोम भेजा गया। वहाँ उसने निकट से पाप व उसके पादरीव्य का दस्ता तथा उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार और पाखण्ड के कारण उसकी आत्मा विद्रोह कर उठी। पाप द्वारा जनता में वितरित क्षमापत्र (पाप के लिए) को उसने कभी पसन्द नहीं किया। रोम से लौटने पर उसका यह विचार और माहूल्य हा गया कि व्यक्ति ईश्वर का अनुकम्पा से मुक्ति प्राप्त करता है न कि उसके भूमि पर उपस्थित प्रतिनिधि की कृपा से। यहाँ तक कि पाप के क्षमापत्र से भी नहीं। क्षमापत्र वितरण का यह आधार था कि ईश्वर ने इतना पुण्य संचित किया था कि वह उसके अनुपायियों के काम आ सके। वह पुण्य चक्र के पास सुरक्षित है और पार्लियामेंट व पाप क्षमापत्र के रूप में वह पुण्य सामाज्य उपाई माणा को सन्तत है। 1516 में जर्मनी में नये क्षमापत्र वितरण के लिए आय। तत्कालीन पाप विरोधी दशन का राम स्थित सेंट पीटर के चर्च के पुनर्निर्माण के लिए धन का आवश्यकता थी। उसके लिए धन जमा करने के लिए क्षमापत्र भेजे गए।

जर्मनी में पाप का प्रातिनिधि टर्जिन क्षमापत्र वच रहा था। लेकिन मार्टिन लूथर का यह पाखण्ड सहन नहीं हुआ और उसने उसका धोर विरोध किया। 1517 में विटनबर्ग के प्रमुख गिरजाघर के बाहर लूथर द्वारा प्रनिर्माण 95 मिट्टान धारा पाव गये। अपने मिट्टानों का प्रनिर्माण करने के लिए उसने कई उद्धरणों का लक्षण मापा में जर्मन भाषा में अनुसूचित किया था। शीघ्र ही यह तक जनता के मा में पर कर गये।

लूथर ने मानवतावादी कृत्रण नारायण तथा सामाज्य जनता के रूप में वचन वितरण के रूप में पार्लियामेंट व नगर का पत्र किया। क्योंकि पार्लियामेंट न लूथर के रूप

यह पुस्तक मन्त्रालय-कलकत्ता, भारत सरकार की निवृत्तिप्राप्त स्तरीय
एन. विद्यालयालय के अन्तर्गत प्रकाशित है। यह अन्तर्गत एन. विद्यालय द्वारा प्रकाशित

©

प्रथम संस्करण 1978

Pashchimi Germany Ki Rajneeti Avam Prasa hana

भारत सरकार द्वारा विद्यार्थी मन्त्रालय
द्वारा प्रकाशित एवं प्रकाशित है।

मूल्य 15 00

© सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

प्रकाशक

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थालय

ए-26/2 विद्यालय मान विमल नगर

जयपुर-302 004

द्वारा

नूतनान प्रिन्टिंग प्रेस

चाहता था। इस पर ब्राउनबर्ग व पलेटोन्ट व शामक न सयुक्त रूप से उस राज्य पर कब्जा कर लिया। इस पर जर्मन सम्राट रुडोल्फ द्वितीय ने शीघ्रता से कदम उठाया। प्रोटस्टेंट लोग ने सवाय हालिण्ड व इंग्लैंड तथा फ्रांस से सहायता मांगी। सहायता मिल भी गई। इस पर जर्मन सम्राट ने वह क्षेत्र सक्सनी के ड्यूक को प्रदान किया। लेकिन शीघ्र ही ब्राउनबर्ग तथा पलेटोन्ट के शासक ने पुनः उक्त क्षेत्र पर कब्जा कर लिया।

जर्मन हाप्सबर्ग वंश के सम्राट तथा जर्मनी के प्रोटेस्टेंट ड्यूक के मध्य संधि ने शीघ्र ही अन्तराष्ट्रीय संधि का रूप धारण कर लिया। युद्ध में लगभग सभी यूरोपीय देश ने भाग लिया और यह 1618 से 1648 तक चला। बीच-बीच में कुछ समय शांति रही। युद्ध को चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहले चरण में बोहेमिया ने जर्मन सम्राट के विरुद्ध संधि किया दूसरे चरण में डेनमार्क ने तीसरे चरण में स्वीडन ने तथा चौथे चरण में फ्रांस ने। इंग्लैंड ने कभी एक राज्य का साथ दिया तो कभी दूसरे का। स्वाडन हान्ड व इंग्लैंड प्रोटस्टेंट राज्य थे।

युद्ध के तीसरे वर्ष वाग्नो संधि हुई जेथा स्प्रुमटर का संधि तथा मोस्ताक की संधि। दानो संधि वा वेस्टफालिया की संधि का नाम से जानी जाती है। इस संधि के दूरगामी परिणाम हुए। धार्मिक विवाद में पड़ गए लेकिन जर्मन साम्राज्य को भारी क्षति पहुँची। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि तीसरे वर्षीय युद्ध में जर्मनी की आधी जनसंख्या समाप्त हो गई। कई इतिहासकारों के अनुसार समाप्ति की बात कहते हैं। दश की अन्त्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और जर्मनी में जनतंत्र के सिद्धान्त को भारी धक्का लगा। सामंत तथा ड्यूक लोग पुनः शक्तिशाली बनने लगे। वेस्टफालिया की संधि के बाद जर्मनी 300 से अधिक राज्यों में बंट गया। इसके अलावा सम्राट के अन्तर्गत 1400 छोटी-छोटी क्षेत्रीय इकाईयाँ थीं। कुछ राज्य तो इतने छोटे थे कि यह कहा जाता है कि उसका शासक जब घूम जाता था तो घोड़ी दूर जान पर उसे घुमा रखना पड़ता था कि कहा वह अपने साम्राज्य का ध्वजारोपण करे या राज्य की भीमा में प्रवेश न करे।

ब्राउनबर्ग-प्रशास्य राज्य का उदय

17 वीं व 18 वां शताब्दी में जर्मनी के इतिहास में एक नवीन शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ यह था ब्राउनबर्ग प्रशास्य राज्य। 1618 से 1660 तक यह प्रथम प्रलय राज्य था। 1660 में दानो राज्य एवं हास्य नया नाम का नाम से जाने गये। नयी प्रशासनिक व्यवस्था जाकर जर्मनी में प्रान्शिया के सम्राट व नरुय का चुनौती दी तथा जर्मनी के एकीकरण के सपने को पूरा किया।

फ्रांसिसी क्रांति तथा नपोलियन और जर्मन राज्य

1789 में पेरिस की जनता ने फ्रांसिसी क्रांति का सूत्रपात किया तथा स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के धारण सामने रखे। जर्मन बुद्धिजीवियों ने इस

प्राक्कथन

हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि इस भाषा में विश्व के विविध देशों के सम्बन्ध में अधिकाधिक जानकारी उपलब्ध हो। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर पश्चिमी जर्मनी की राजनीति एवं प्रशासन नामक पुस्तक पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है। अर्पण शास्त्रिकाय के मिलसिन नामक काष्ठ दल पश्चिमी जर्मनी में रहने का अवसर मिला। उन्हीं दिनों इस पुस्तक के लिए अग्रिकाश सामग्री एकत्रित की गई। हिन्दी भाषा में पश्चिमी जर्मनी का शासन पद्धति पर यह पहली पुस्तक है। इस दृष्टि से राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की पहल के लिए मैं उसका प्रति आभारी हूँ।

कवियों एवं दार्शनिकों का देश जर्मनी भारतीय जनता के लिए एक सुपरिचित राष्ट्र है। लेकिन दोनो देशों के परिचय सांस्कृतिक पक्ष की दृष्टि में ही अधिक रहा है। राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से यह सम्पर्क नया ही है। आज फ्रान्स जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों में से एक है सिर्फ अमेरिका ही औद्योगिक दृष्टि से जर्मनी में कुछ आगे है। भारत का अर्थ-आर्थिक विकास के लिए न केवल जर्मनी का ज्ञान है बल्कि उसमें भी अधिक उसकी तकनीकी मान्यता का आवश्यकता है। पिछले 20-22 वर्षों में जर्मनी ने भारत के औद्योगिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाई है जिससे भारत काफी लाभान्वित हुआ है।

फ्रान्स जर्मनी के आर्थिक पक्ष और उसकी अर्थ-व्यवस्था से ही भारतीय जनता परिचित है लेकिन उसके राजनीतिक तथा शासन-पद्धति के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान काफी सीमित है। लक्ष्य के रूप में हमें इस अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि में एक प्रयास किया है।

प्रस्तुत पुस्तक में जर्मनी का सामान्य परिचय ऐतिहासिक परम्परा व जन-सांस्कृतिक भावना का विकास वर्तमान संविधान (जिसके अन्तर्गत लोक-शासन नाम से पुकारा जाता है) राजनीतिक संस्थाएँ प्रशासन तथा प्रमुख राजनीतिक दलों की परिचय का परिचय एवं विवरण प्रस्तुत किया गया है। फ्रान्स जर्मनी का विद्यमान भाषा का संक्षिप्त परिचय भी अन्त में सम्मिलित किया गया है। परिचय में बसिन्ना (संविधान) का अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत आने का विवरण भी समाहित किया गया है।

समझौता मग करने का आरोप लगाया। तबना तबान फौजी तयारिया आत्मन की। 14 जून 1866 को युद्ध आरम्भ हो गया। सिर्फ बामार मेकतनबुग तथा कुछ छोटे प्राय जम नरायो न युद्ध म प्रपा का साथ दिया। 20 जून को आस्ट्रिया का दो मोर्चों पर लडना पडा तब विजना अपनी पूरी ताकत के साथ प्रशा का मुकाबला न कर सका। उधर प्रशा की सेना ने एक के बाद एक स्थानों पर आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छे दिया। यद्यपि टली की जन सेना पराजित हु फिर भी विस्माक का यह उद्देश्य पूरा हो गया आस्ट्रिया परास्त हुमा और 3 जनवई 1866 म तावा क युद्ध म आस्ट्रिया को पराजय हु। बाद म प्रशा की सेना ने आस्ट्रिया और हंगरी की ओर प्रस्थान किया। 26 जुलाई को युद्ध समाप्त हो गया। इतिहास म यह युद्ध सात मनाह का युद्ध कहलाता है। एक माह बाद प्राय की सधि हुई और आस्ट्रिया ने जमन परिसर न निबलना स्वीकार किया तथा प्रशा को कुछ युद्ध हर्जाना देना स्वीकार किया। इतना ही नहा आस्ट्रिया ने इटला का वनिजिया का प्रदेश भी देना स्वीकार किया। प्राय की सधि के अनुसार प्रशा का लपविग हासटार्न हनोर विस्माक हेस तथा प्राक फुट नगर भी अपने राज्य म मिलान तथा मन नदी के उत्तर म स्थित राया को एक नवीन सध म पुनर्गठित करन का अधिकार भी दिया गया। विस्माक ने 12 जमन राया के उत्तर जमन परिसर का निर्माण किया। इस प्रकार जमनी के एकीकरण का एक और कदम पूरा हुआ। लेकिन दक्षिण जमनी क राय अभी भी स्वतंत्र थे तथा उन्हें फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। इन जमन राया की कभर ताडने के लिए फ्रांस को परास्त करना जरूरी था। शीघ्र ही फ्रांस न एक क बाद एक माग प्रस्तुत करना आरम्भ कर दिया।

अगस्त 1866 म नेपोलियन ने राइनलण्ड म प्रदेश का माग की। लेकिन विस्माक ने उसे ठकरा दिया। नेपोलियन न अब प्राय क्षेत्र पर नजर डाली। अगस्त क अन्त मे प्रशा स्थित फ्रांस क राजदूत बनेन्ति ने विस्माक म कहा कि यदि फ्रांस द्वारा वतिजयम व लुक्जेमबुग पर कब्जा करने पर विस्माक विरोध न कर ता नेपोलियन समस्त जमनी क एकीकरण की स्वीकृति दे देगा। विस्माक न सारा बात निमित्त रूप म देने को कहा और प्राय ने मह भी कहा कि लुक्जेमबुग जमन परिसर क सदस्य है। अतः जनमत विरोध कर सकता है। लुक्जेमबुग के प्रश्न पर 1867 तक तनाव बना। बाद म जमन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन न उत्त एक सन्धय पालन दकी बना दिया।

सितम्बर 1868 म प्रशा व फ्रांस क बीच तनाव का एक प्राय मामला सामने आया और वह था स्पेन क सिहासन क उत्तराधिकार का मामला। 1868 म स्पेन की जनता ने अपनी महारानी इजाबेला त्तीय के विरुद्ध विद्रोह कर उम स्पेन सत्ता लिया। 1869 म स्पेन का अस्थायी सरकार न यूरोपीय राजकुमार म म किरा व्यक्ति की अपना दासक बनाने का प्रयास किया। जमनी क हाइदरमानन त्तीय

जहाँ तक सम्भव हो सका है पुस्तक को सरल सरम व वाचगम्य भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । आशा है यह पुस्तक विद्यार्थियों एव सामान्य पाठकों के लिए उपादेय व हचिकर सिद्ध हागी । पुस्तक का अधिक उपयोग बनाने के लिए विद्वानों की सम्मति एव समालोचना का स्वागत है ।

—देवनारायण आसापा

इतिहास विभाग
जोधपुर विश्वविद्यालय
जोधपुर

14 जुलाई 1945 को चार जर्मन राजनीतिक दलों का निमाण हुआ जिनके नाम इस प्रकार हैं —

- (1) सामान्य आक्रामक पार्टी
- (2) साम्यवादी दल
- (3) क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा
- (4) निबरन पार्टी या उत्तर दल ।

इन राजनीतिक दलों में फासिस्ट विरागी जनतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना कर जर्मन राष्ट्र की सुरक्षा करने की घोषणा की । अमेरिका द्वारा अंग्रेजों के जर्मन प्रान्तों में फरवरी 1946 में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों का कार्य करने का अनुमति पत्र प्राप्त हुआ उसका फलस्वरूप उपरि लिखित चार राजनीतिक दलों में अपनी प्रतिनिधित्व आरम्भ का । ब्रिटन तथा फ्रांस ने अपने अपने प्रान्तों में दिसम्बर 1945 में राजनीतिक दलों का निमाण का अनुमति दी । इस प्रकार जर्मन जर्मन प्रान्तों में चार राजनीतिक दलों का कार्य आरम्भ किया जाने में अद्य दलों का भी स्थापना हुई । यह उल्लेखनीय है कि इन चार जर्मन राजनीतिक दलों को चार राष्ट्रों का समर्थन व आशावात् प्राप्त था । कम ही जर्मन साम्यवादी दल को समर्थन प्रदान किया अमेरिका ने क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा निबरन पार्टी को ब्रिटन ने सामान्य आक्रामक पार्टी का साथ सहायता किया तो फ्रांस ने निबरन पार्टी को आशीर्वाद प्रदान किया ।

द्वि क्षेत्रीय ढांचे का निर्माण

वद्यपि जर्मनी चार भागों में विभाजित था फिर भी पोटस्डम-सम्मेलन ने आधिकारिक ढंग से चारों क्षेत्रों का एक आधिकारिक इकाई मानने की व्यवस्था की थी । लेकिन शीघ्र ही साविधत संधि में जर्मन जर्मन प्रान्तों में कठोर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया । उनका प्रत्युत्तर में अमेरिका तथा ब्रिटन ने जर्मन अधिकृत क्षेत्रों को प्राप्त में मिलान की घोषणा की और इन प्रकार 1947 का आरम्भ में द्वि-क्षेत्रीय ढांचे का निमाण हुआ । फ्रांस प्रभा में स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्र पर प्रशासन कर रहा था लेकिन जर्मन देश का पुनर्निमाण के लिए उस अमेरिका महायुद्ध की आवश्यकता थी उसपर शांतपद्धति आ आरम्भ हो गया था और जर्मन देश की सुरक्षा के लिए भा परिषद का वाणिज्यिक का कार्य देखना पड़ा । एमो स्पिनिस में फ्रांस ने अमेरिका का वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि अमेरिका ब्रिटन व फ्रांस के प्रान्तों को मित्राकर एक कर लिया जाए । इस प्रकार द्वि क्षेत्रीय ढांचे का निर्माण हुआ ।

जसा कि पहले ही सचन लिया जा चुका है 20 मार्च 1948 में कम ने मित्र राष्ट्र नियंत्रण आयोग में अपनी सम्मति वापस ले ली थी जिन यह स्पष्ट हो गया

विषय-सूची

1	जमनी भौगोलिक व ऐतिहासिक परिचय	1
2	जनतांत्रिक परम्परा	29
3	वेसिक ला का जन्म और विकास	48
4	राष्ट्रपति का पद और उसकी सीमाएँ	77
5	मन्त्रिमण्डल व चांसलर का पद	91
6	संघीय संसद्	113
7	राज्यपालिका	139
8	राजनीतिक दल	156
9	विदेश नीति	199
10	अनुसूच (पोस्ट लिस्ट)	228
11	वेसिक ला का हिन्दी अनुवाद	231
12	संक्षेप ग्रन्थ-सूची	313

संविधान निर्मात्री सभा का गठन कर सम्पूर्ण जमनी के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। यह प्रस्ताव पश्चिमी राष्ट्रीय के सचिव गवन्दरो के पास भेजा गया वहाँ के मंत्रिपरिषद् को स्वीकार कर दिया।

संसदीय परिषद् का गठन

अगस्त 1948 में सभा (राज्य) की सरकार ने संसदीय परिषद् को चुनाव करवाए। कुल 65 प्रतिनिधियों का चुनाव था। इनके अलावा पश्चिमी बर्मा के 25 प्रतिनिधि आए जिन्हें मन्त्राधिकार प्राप्त न था। त्रिचिचयन डेमाक्रैटिक पार्टी के भी 27 सदस्य साक्षर डेमाक्रैटिक पार्टी के भी 27 सदस्यों के अलावा फ्री डेमाक्रैटिक पार्टी तथा जमन पार्टी के 5-5 सदस्य और सत्तर पार्टी तथा साम्यवादी दल के 2-2 सदस्यों ने संसदीय परिषद् का निर्माण किया। बर्मा से साक्षर डेमाक्रैटिक त्रिचिचयन डेमाक्रैटिक तथा फ्री डेमाक्रैटिक प्रतिनिधि आए। संसदीय परिषद् के अध्यक्ष पद पर त्रिचिचयन डेमाक्रैटिक पार्टी के कानारा अरुणदास का चुनाव हुआ। वसिष्ठ ला के निर्माण के लिए एक प्रमोडियम तथा फार्जिसल ऑफ एंडस का भी निर्माण किया गया। साथ ही मूल अधिकारों सभ राज्य के संसदीय राज्य के बीच अधिकार विभाजन वित्त सरकार के स्वरूप के गठन पारिषद् के संवैधानिक प्रावधान तथा कार्यविधि के नियम (rules of procedure) प्राप्ति विषयों पर समितियों का निर्माण किया गया। सबसे महत्वपूर्ण समिति पांच सदस्यों की समिति था जिसमें 2 त्रिचिचयन डेमाक्रैटिक 2 साक्षर डेमाक्रैटिक तथा 1 फ्री डेमाक्रैटिक थे। बाएं में जमन अरुणदा के दाएं में सत्स्य भा सम्मिलित किए गए।

उपर हरेनशियामिज नामक नगर में संविधान के विशेष वैश्विक ला का प्राप्ति बनाने में व्यस्त थे। 10 अगस्त को उन्होंने कार्य आरम्भ किया और दो सप्ताह में उन्होंने पश्चिमी जमनी के लिए समिति का एक विस्तृत प्रारूप तैयार कर दिया। संसदीय निर्माण प्रक्रिया के इतिहास में यह एक अनोखी घटना है। 1 सितम्बर 19 8 को संसदीय परिषद् ने उन प्रस्तावों पर विचार आरम्भ किया तथा 8 मई 1949 में वसिष्ठ ला स्वीकृत हो गया। उसके पक्ष में 53 तथा विरोध में 12 मत आए। 12 मई को पश्चिमी जमनी के सचिव गवन्दरो ने उस पर सहमति दी। वसिष्ठ ला की स्वीकृति के लिए यह बात रखी गई कि जब 11 अक्टूबर (राज्य) में स 2/3 अंशों पर स्वीकार कर लेंगे तभी वह माय होगा। सब अंशों ने उस स्वीकृति को सिर्फ बवरिया नामक राज्य (राज्य) में ही उस स्वीकृति नहीं ला तबिन सब राज्य में प्रवेश करना स्वीकार कर लिया।

वसिष्ठ ला के निर्माण पर विविध प्रभाव

ज्या कि पहल ही कहा जा चुका है कि पश्चिमी जमन राजनेताओं ने संविधान के स्थान पर वसिष्ठ ला के निर्माण को पसन्द किया ताकि जमनी के

(1) डाक तथा दूर संचार की गणनायता अनुसंधनाय हागी ।

(2) नम अधिकांश पर कानून द्वारा रोक लगाई जा सकता है ।

(अ) विधरण की स्वतंत्रता—यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय व्यापार शिक्षा मानवजन तथा सामाजिक दायित्व का निवाह करने के लिए विचरण या यात्रा करना अनिवार्य हो जाता है । विचरण का अधिकार सम्भवतः वृद्धि करता है राजनातिक विचार के आदान प्रदान के प्रसार में सहायता करता है । भारतीय मन्त्रिमन्त्री भी नागरिक को यह अधिकार प्रदान करता है । वसिष्ठ का अनुच्छेद 11 में कहा गया है—

(1) समग्र राष्ट्रीय प्रवेश में सभी जन्मों का विचरण की स्वतंत्रता हागी ।

उक्ति यन्त्रि किमी व्यक्ति की यात्रा से आधारभूत जननातिक व्यवस्था का नम उगती है ता उस पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है । इसी प्रकार मन्त्रिमन्त्री के खतर या प्राकृतिक विनाश का स्थिति में तथा नवयुवकों का सुरक्षण रखने तथा अपराध को रोकने के लिए विचरण के अधिकार को सीमित किया जा सकता है ।

(अ) पणा व्यवसाय व उद्योग करने का अधिकार—सम्बन्धी एक कर्त्तव्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि सम्मान या मुक्तान्ति मिलना है । अपने सम्मान या पण के आधार पर ही व्यक्ति अपना पणा या व्यवसाय चुनता है । यदि उस जन्मस्त्री दूरतर काय में लगाया जाय तो उसके अधिकार के विनाश में बाधा आता है तथा अधिकार काय में हानि पर न वह अपना अधिकार सही ढंग में निभा पाता है और न राज्याय उपयुक्त में सहयोग कर सकता है । यहाँ कारण है कि अनुच्छेद 12 में कहा गया है—

(1) सम्बन्धी जन्मों का यह अधिकार हागी कि वे निवाह रूप से अपना पणा व्यवसाय व उद्योग नौकरी का स्थान प्रशिक्षण का स्थान चुन सकें ।

(2) सिर्फ अनिवार्य मावनातिक सेवा का जो सभी पर समान रूप से लागू हाती है छोड़कर व्यक्ति पर कोई निश्चित व्यवसाय नहीं थोपा जा सकता ।

(3) यात्रा तथा जिस व्यक्ति का स्वतंत्रता से वंचित किया गया है उसी व्यक्ति पर जबरन श्रम थोपा जा सकता है ।

(क) सैनिक व श्रम सदाश्री सम्बन्धी दायित्व—अधिकांश यूरोपीय देशों में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था रही है । द्वितीय महायुद्ध से पहले जर्मनी में भी यहाँ व्यवस्था थी किन्तु द्वितीय महायुद्ध के अन्तर्गत विनाश के पश्चात् जर्मनी में युद्ध विरोधी भावना फैली और वे अनिवार्य सैनिक सेवा का विरोध करने लगे । जन भावना का ध्यान करने के लिये वसिष्ठ का अनुच्छेद 13 में कहा गया है—

(1) जिन व्यक्तियों में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ता है उन्हें सैनिक सेना में भाग्य सीमा सुरक्षा तथा नागरिक प्रतिरक्षा-संरक्षण में भाग लेने का कहा जा सकता है ।

भौगोलिक स्थिति

मध्य समुद्र इतिहास के दौरान जर्मनी की साम्राज्य धरती-वन्ती रही है। एना ना वक्त था जब जर्मनी एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मान ही था क्योंकि वह मध्य ट्रांस-वुड राज्या में बना हुआ था। 1871 के बाद ही जर्मनी एक राजनीतिक इकाई के रूप में सामने आया था। प्रथम तथा द्वितीय महायुद्धों के बाद जर्मनी की सीमा में कमी हुई या वह विभाजित हुआ। यदि हम 1871 के जर्मनी को इकाई मान कर उसकी भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करें तो उस में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे

प्रथम पश्चिमी जर्मन — इसका राजकीय नाम है संधीय जर्मन गणराज्य (The Federal Republic of Germany)। द्वितीय महायुद्ध के बाद इस क्षेत्र पर अमेरिकी ब्रिटिश व फ्रांसिसी भागों का अधिकार था तथा 1949 में इस एक राज्य का दर्जा दिया गया। यह 1871 के जर्मनी का सबसे बड़ा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है पूर्व जर्मनी। इसका राजकीय नाम है जर्मन जनवादी गणराज्य (German Democratic Republic)। द्वितीय महायुद्ध के बाद इस क्षेत्र पर रूसी आधिपत्य स्थापित हुआ। बाद में यह जर्मन साम्यवादी राज्य के रूप में उभर कर सामने आया।

एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में जर्मनी आज के पूर्वी जर्मनी की पूर्वी सीमा पर ही समाप्त नहीं होता है। इसका एक तानरा हिस्सा भी है जिसमें पोमरेनिया पूर्वी प्रशासनिक क्षेत्र तथा ब्राउनवुड का पूर्वी प्रदेश सम्मिलित हैं। यह क्षेत्र 1945 के बाद से पोलिश व सोवियत संघ के अधिकार में है। इस प्रकार भौगोलिक जर्मनी तीन भागों में विभाजित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन भी 1945 के बाद चार मित्र राष्ट्रों में बाँटी गई। बाद में अमेरिका ब्रिटिश व फ्रांस के हिस्से को मिलाकर पश्चिमी बर्लिन का निर्माण हुआ जो पश्चिमी जर्मनी के साथ है। पूर्वी बर्लिन सोवियत संघ — चीन था जो बाद में उसने पूर्वी जर्मन सरकार का स्थापित किया। यह उच्चतम तथै कि बर्लिन आज के पूर्वी जर्मन राज्य के बीच में स्थित है।

पश्चिमी जर्मनी की भौगोलिक स्थिति

प्रस्तुत पुस्तक में हम पश्चिमी जर्मनी की राजनीति और प्रशासन पर प्रकाश डालेंगे अतः हम उसकी भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होना जरूरी है। गणराज्य जर्मन गणराज्य (पश्चिमी जर्मनी) पुराण के रूप में 47° तथा 55° उत्तरी अक्षांश रेखा तथा 6° से 23° पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। उत्तर में नीदरलैंड में गड्डेचन के लिए 83° किलोमीटर (517) मानचित्र पर बरना पत्थरी तथा पूर्व में पश्चिम तक पट्टेचन के त्रिये 453 किलोमीटर (281 मील) की दूरी पर बरनी पत्थरी। वायुमयन में सफर करते समय एक घण्टी 50 से 55 मिनट में उत्तर में दक्षिण का दूरी तथा 30 से 35 मिनट में पूर्व में पश्चिम की दूरी पार कर सकता है।

वा । उसी तब न समाचारण पर वन लिया त्रिमक परिणाम स्वरूप रसिक ना के 15व अनुच्छेद म यह उक्त्या का ग कि— भूमि प्राकृतिक स्यात् तदा उत्पन्न क साधना का कानून तारा समाचारण क उत्पन्न क लिए सावधानिक स्वामित्व या सावधानिक निवृत्ति तत्र व्यवस्था का हस्तातर्गित किया जा सकता है । वह कानून मुद्रावत् स्वयं व मामा का व्यवस्था कगा । इन मुद्रावत् क सम्पत्ति म 14व अनुच्छेद का परिच्छेद (2) का व्यवस्था पत्राचित परिवर्तन समाप्त जागू होगी ।


इस प्रकार रसिक ना म समावधानी समाप्त का रचना क लिए वा प्रावधान मौजूद है ।

(अ) नागरिकता क वचन प्रत्यक्ष तया शरण का अधिकार—रक्षण गणा क उत्पन्न क माय नी माय नागरिकता का महत्व त्र गया है । नागरिकता क अभाव म प्रति ग्राहीन हो जाता है । इसी तथ्य का इच्छित रक्त त्र रसिक ना क 16व अनुच्छेद म यह अधिकार दिया गया है कि— किसी ना व्यक्ति का उसकी जन्म नागरिकता म वचन नहीं किया जाएगा । नागरिकता का समाप्ति कानून क अन्तर्गत तया उन व्यक्ति की उच्छेद क विच्छेद तमी हो सकता है तब नागरिकता क अन्त हान म वह ग्राह्यन नहो हा जाता । तना ही नहो माय हा यह व्यवस्था भा का गइ है कि किसी ना जन्म का विच्छेद म प्रत्यापित नया किया जाएगा । साथ हा यह व्यवस्था भा क गजनातिक कारणों स पान्ति व्यक्ति का शरण प्राप्ति का अधिकार है चाहे वह व्यक्ति किसी भी देश का निवासी ना ।

(ब) याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार—अपना विवायता तथा अनुविद्या का त्र करन क लिए प्रत्येक जन्म का अधिकार है कि वह सम्बद्ध अधिकारियों तया समाप्त समाप्त क समाप्त याचिका प्रस्तुत कर सक । अनुच्छेद 18 म कहा गया है—प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप म या दूसरा क मान मुक्त रूप म विहित प्रावधान या विवायन प्रस्तुत करन का अधिकार है । याचिक सम्बद्ध अधिकारियों तथा मंगनीय अथवा सम्मुख पण किया जा सकता है ।

(घ) मूल अधिकार छीनना उच्छेद विनाय दगाथा म व्यक्ति का मूल अधिकार म वचन किया जा सकता है । अनुच्छेद 18 म कहा गया है कि—जा का व्यक्ति स्वतंत्र जनताधिक व्यवस्था म मध्य करन क लिए मन चेत करन का स्वतंत्रता— स्वयं क समाचार पत्र की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 5 का परिच्छेद 1) करन है अन्वयन का स्वतंत्रता (अनुच्छेद 5 का 3) समाप्त का स्वतंत्रता (अनुच्छेद 8) मध्य निमाग का स्वतंत्रता (अनुच्छेद 9) हाक व दूर संचार का साधनायता की स्वतंत्रता अनुच्छेद 10) सम्पत्ति (अनुच्छेद 14) या शरण प्राप्ति क अधिकार (अनुच्छेद 16 का परिच्छेद (1))—ना दृ पयाग करना म मध्य क अधिकार तान लिए जायेंग । समाप्ति तथा किसी मामा क बार म मध्य समाधानिक याचिक निगम का समाप्त करण ।

1937 को जर्मन राज्य-सीमा तथा 1949 में जर्मनी का विभाजन



ह्यान का सम्मति ता द दन हैं किन उसके स्थान पर कौन चासलर वन वम पर पनभन तात्र हा उठने हैं । पनभदरन राजनीतिक प्रस्थिरता का जन्म होता है । राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रामान का पनाघात हो जाता है और जन-कल्याण का याचनाया पर समुचित अमन नहीं हा पाता । एमी स्थिति वन-वपल का भी प्राप्तामन देनी है । राजनीतिक अस्थिरता की रस महाभारी म वचन क लिए वसिक ना क 67वें अनुच्छेद म व्यवस्था है कि —

युत्सनाग सिफ चान्तर क उत्तराधिकारी क चुनाव क बाद ही वसमान चा सनर के प्रति अपना अविश्वाम प्रकट कर सकता है तथा राष्ट्रपति से प्राथना कर सकता है कि वह उस पदच्युत कर दे । यह अनुच्छेद वसिक ला की मौलिकता का प्रतीक ह ।

(9) युद्ध विरोधी तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति का समर्थक—युद्ध की विनाशिका त जमन नाग जनीमार्ति परिचित है । जमनी म ऐसा काइ परिवार नहीं है जिनन मन्मयुद्ध म अपना को पुन पति या भाग न । खाया हा । ममस्त जमनी घुनि घुनरित हा गया था । 3 म 1945 की युवाक हरान् निरून क मवादाता ने वनिन म प्रवा रन क बाग को विवरण प्रस्तन किया व इ प्रकार है—

वलिन म कुछ नहा दचा था । वट्टा न कां घर है न दुकान न यातायात के साधन न सरकारी भवन सिफ कुछ दीवारें बच गईं वलिन को अब एक भौगोलिक स्थिति कहा जा सकता है जो लह हुए मकाना के कू का ढर है ।

एमी ममाचार-पत्र प्रादरा के सवालताता ने लिखा— अलकित गृहिणिया वचों खुची टाना को लट रही हैं । वनिन निराशा व दून सपना का नगर रह गया है ।

जद जमनी की राजधानी की यह अवस्था थी तो समस्त देश की ववानी व विकास का सामानी स अन्तज नपाया जा सकता है । एमी स्थिति म जमन जनता क मन म युद्ध क प्रति घणा होना स्वाभाविक था । युद्ध से छुटकारा पान क लिए अन्तर्राष्ट्रीय शांति की और ध्यान दना आवश्यक था अत वसिक ला का धारा 24 म कहा गया है—

- (1) सध शासन कानून तारा मावमौम शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय सपठना को सोंप सकता है ।
- (2) शांति की स्थापना क लिए सध शासन पारस्परिक सुरक्षा का व्यवस्था म प्रवा कर सकता है ऐमा करन समय वह अपन मावमौम अविचारा का मामिन करने की सहमति दगा कयाकि उनमे यूरोप तथा विव क राष्ट्र क मध्य गानिपूण एव स्याधी व्यत्रस्था की स्थापना हागा ।
- (3) राष्ट्रा क मध्य विवाग क समाधान क लिए सब शासन नामाय जिगन तथा वाच्यकारी सिन्म क अन्तर्राष्ट्रीय पच निएय न सम्बद्ध सममौना की स्वाकार करगा ।

पश्चिमी जर्मनी के उत्तर में उत्तरी समुद्र (North Sea) डेन्मार्क तथा बाल्टिक समुद्र पूर्व में पोलैंड व चेकोस्लोवाकिया दक्षिण में ऑस्ट्रिया तथा स्विट्जरलैंड तथा पश्चिम में फ्रांस लुक्जेम्बर्ग बेल्जियम व हॉलैंड राज्य स्थित हैं।

क्षेत्रफल व जनसंख्या

पश्चिमी जर्मनी का कुल क्षेत्रफल 95 959 वर्गमील (248 534 वर्ग किलोमीटर) तथा पश्चिमी बर्लिन का क्षेत्रफल 184 वर्गमील (479 वर्ग किलोमीटर) है। दोनों मिलकर 1937 की जर्मन साम्राज्य की भौगोलिक सीमा के 53 प्रतिशत क्षेत्र का निमाण करत हैं। उस समय जर्मन साम्राज्य का क्षेत्र 181 815 वर्ग मील (470 900 वर्ग किलोमीटर) था। पूर्वी जर्मनी का आज का क्षेत्रफल 41 610 वर्ग मील (107 771 वर्ग किलोमीटर) है तथा पूर्वी बर्लिन का क्षेत्रफल 150 वर्ग मील (400 वर्ग किलोमीटर) है। दोनों मिलाकर 1937 के जर्मन साम्राज्य के 23% क्षेत्र का निमाण करत हैं। 1945 के पोर्टस्मथ सम्मेलन में जर्मन अमेरिका रूस ब्रिटेन तथा फ्रांस में भाग लिया था लगभग 24 प्रतिशत जर्मन क्षेत्र पोलैंड व रूस प्रशासन के अन्तर्गत रखा था। पोलैंड व रूस के पास प्रोडर-नाइस नदियाँ के पूर्व में स्थित क्षेत्र है। यह क्षेत्र 41 133 वर्ग मील (114 300 वर्ग किलोमीटर) है।

निम्नलिखित घाट से पश्चिमी जर्मनी व उत्तर राइन के क्षेत्रफल व जनसंख्या का सन्त मिलता है।

क्षेत्रफल तथा जनसंख्या

(दिसम्बर 1969)

नाम	राजधानी	क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या (10,000)	राजधानी की जनसंख्या (1000)
सम्पूर्ण पश्चिमी जर्मनी	बर्लिन	248 534	61 508	299 4
डनमविग हा नस्टाइन	वीन	15 676	2 557	276 6
हाम्बुर्ग (नगर राज्य)	हाम्बुर्ग	753	1 817	1 817
साक्षर सक्सेनी	हनावर	47 408	7 100	517 3
बर्मेन (नगर राज्य)	बर्मेन	404	756	756
नायरान बस्-कारिया	डुनरबर्ग	340 9	171 0	680 3
हम्	बोन्न	21 110	5 423	260 6
राइनलैण्ड पल्टान	माय	19 837	3 671	176 7
बार्मेन ग्रेटमार्ग	एन्फर्ट	35 750	8 910	628 4
बेवेरिया	मुनिख	70 550	10 569	1326 3
भारलैंड	मार्डरबर्ग	2 568	1 127	130 3
पश्चिमी बर्लिन	पश्चिमी बर्लिन	479	2 134	213 4

लम्बी अवधि तक सुधारवादी या मध्यममार्गी तथा माक्सवादी 'योग एक ही दल में बने रहे।

फ़ोनगर तथा बनस्टाइन ने सुधारवादी विचारधारा का नेतृत्व किया। बनस्टाइन में बौद्धिक प्रणिमा थी। साम्यवादी लोग उसे सशोधनवाद के स्थापक की संज्ञा देते हैं। इसने क्रांतिकारी कर्मों का विरोध किया तथा धीरे-धीरे सुधारों की वकालत की। दल के भीतर सुधारवादीयों का हमेशा काफी प्रभाव रहा। जो लोग साम्यवादी विचारधारा के हैं वे उहाँ न केवल क्रांतिकारी सिद्धान्तों की वकालत की बल्कि हड़ताल आदि हथियारों के अस्तेमाल की भी बात की। इस प्रकार दल में बनी 'क्रांति-योग्य' साम्यवादी विचारधारा के समर्थकों का जोर होता तो कभी सुधारवादीयों का।

सुधारवादीयों तथा साम्यवादीयों के बीच एक मध्यममार्गी गुण भी था। सुधारवादी एरफ़ु-कार्यक्रम में सशोधन चाहते थे साम्यवादी उसका विरोध करते तथा साथ ही क्रांतिकारी तरीक़े अपनाने की मांग करते। लेकिन मध्यममार्गी लोग यह मानते थे कि दल के हित में एरफ़ु कार्यक्रम को उसके समन्वित रूप में ही स्वीकार किया जाए।

1909 में दल में उपक्रांतियों (साम्यवादीयों) का प्रभाव बढ़ा तथा 1912 में सुधारवादी पुनः ताकतवर हो उठे। 1914 तक घाते घाते यह स्पष्ट हो गया कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का विभाजन निश्चित है। जब प्रथम महायुद्ध आरम्भ हुआ और जर्मनी ने उच्च प्रवेश किया और सरकार ने युद्ध क्रम की व्यवस्था की मांग की तो कांफ़ेरेन्स ने जो 'विहेम-नीक्नेर' का पुत्र था संसद में युद्ध खरों के विरोध में मतदान किया। 1915 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अर्थ 19 सम-संस्था ने उसका अनुसरण करते हुए युद्ध का विरोध किया। 1916 का वर्ष इन दलों के लिए काफी कठिन वर्ष था। उपक्रादी दल व अनुशासन में रह कर युद्ध के समय के लिए तैयार न थे। फ़रवरी 1917 में दल दो भागों में विभाजित हो गया जिनके नाम इस प्रकार हैं—

- (1) सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (बहुमत वाले साथ था) अतः यह मेजोरिटी सोशलिस्ट कहलाता है।
- (2) इंडिपेंडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी।

शीघ्र ही दूसरे वर्ग के दल का फिर विभाजन हुआ और एक नए दल जर्मन साम्यवादी दल का उदय हुआ। इस प्रकार जर्मन समाजवादी आंदोलन तीन भागों में बंट गया लेकिन शीघ्र ही इंडिपेंडेंट सोशल डेमोक्रेटिक दल समाप्त हो गया और पुनः दो दल रह गए।

वार्डमार-मण्डतन (1919-1933) के निर्माण में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का निर्णायक योगदान था। जर्मन केजर (सम्राट) के गद्दी त्यागने के पश्चात् समाजवादी नेता फीररिच एबर्ट ने सत्ता सम्भली। बाद में वह राष्ट्रपति पद पर धारण किया।

राज्य का राजधानियाँ व अन्तर्गत पश्चिमी जमनी व कुछ प्रमुख नगरों का विवरण तथा उनकी जनसंख्या 1970 में इस प्रकार था —

काठमान्डू (866 303) एमन (704 769) प्राङ्गुल (660 410) डामुण (648 883) लुङ्गुल (457 891) परमब्रह्म (477 108) कुम्भार (414 728) गन्धन विमान (348 620) बाब्रम (346 886) तथा मानहाम (330 920)

1973 में पश्चिमी जमनी का कुल जनसंख्या 61800000 था ।

जमनी के आर्थिक विकास का संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि विश्व के कुछ प्रमुख देशों के साथ जमनी तुलना का जाए —

तुलनात्मक अन्तरराष्ट्रीय आकृत

सं	देश का नाम	क्षेत्र व्यक्ति घण्टा (100)	जनसंख्या	निवासी	
			(1 000)	व्यक्ति घण्टा	प्रतिव्यक्ति माल
1970	पश्चिमी जमनी	248	61800	248	641
1970	पूर्वी जमनी	108	17075	158	409
1970	मार्शियन महा	8650	241748	11	28
1970	अमेरिका	3615	205395	22	57
1970	जापान	143	103540	280	726
1970	ब्रिटेन	94	55711	228	591
1970	रूस	116	54459	181	468
1970	फ्रान्स	211	50770	93	240
1970	स्पेन	195	33290	66	171
1970	कनाडा	3852	21406	2	6
1970	स्वीडन	174	8046	18	46
1971	भारत	—	5400	—	—

जमनी भौगोलिक क्षेत्र में अल्प व उष्ण जमनी जमनी का प्राकृतिक स्थिति उपरोक्त ही जानी है । अल्प जमनी में जमनी का भूमि तथा क्षेत्र विविध प्रकार का है । प्राकृतिक स्थिति की दृष्टि में उत्तर में उत्तर भाग में स्थिति में अल्प जमनी में उत्तर पश्चिम में रनिंग पहाड़ियाँ में पूर्व में जमनी का भाग और भारतीयों के पर्वतों तक के जमनी का पाच भागों में बाटा जा सकता है । ये भाग इस प्रकार है —

1 उत्तर जमनी का तराई क्षेत्र

- 2 मध्य क्षेत्र व पवतीय क्षेत्र तथा गुराड वाय प्रदेश
- 3 दक्षिण-पश्चिमी चारस भूमि तथा पवत-श्रेणी
- 4 दक्षिण जमन आल्पस की नाचा पवत-श्रेणी
- 5 बवरिया स्थित आल्पस पवतीय पत्र ।

पश्चिम से पूर्व जिशा में भूमि की बनावट के आधार पर जमनी का तीन भाग में विभाजित किया जा सकता है—

- 1 मध्य पत्र में ऊंची भूमि
- 2 दक्षिण में आल्पस का पवतीय प्रदेश
- 3 उत्तर की समतल भूमि

जलवायु

जमनी सम शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है जहाँ मौसम पश्चिमी (पहाड़ी) हवाओं से संचालित होता है । मौसम अक्सर परिवर्तित होता रहता है । जनवायु के अन्तर्गत ताप व्रम तथा वर्षा प्रमुख तत्व हैं । पश्चिमी हवाओं के कारण वर्षा सभी समयों में होना रहती है । उत्तरी जमनी के समतल भूमि में वर्षा का वार्षिक औसत 20 से 28 इंच रहता है जबकि मध्य क्षेत्र के पवतीय क्षेत्र में 39 इंच से अधिक तथा दक्षिण स्थित आल्पस पवत के क्षेत्र में 80 इंच के आसपास वर्षा होना है ।

ताप व्रम का विवरण इस प्रकार है—ताप व्रम विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है । जनवरी के सबसे ठंडे महान में समुद्री तल पर यह 34 डिग्री फारेनहाइट में ठंढकर 27 डिग्री फारेनहाइट (— 15 डिग्री सेंटीग्रेड से—3 डिग्री सेंटीग्रेड तक) पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्यतः 21 डिग्री फारेनहाइट (— 6 डिग्री सेंटीग्रेड) रहता है । जुलाई के मध्य में—जा सबसे अधिक गर्म महाना है—उत्तर जमनी तथा पूर्व जमनी समतल भूमि वाय क्षेत्र में 61 डिग्री फारेनहाइट से 66 डिग्री फारेनहाइट (16 डिग्री सेंटीग्रेड से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक) रहता है । वन प्रदेश में यह 68 डिग्री फारेनहाइट (20 डिग्री सेंटीग्रेड) तक हा जाता है । उपरी रॉर्न की घाटी में सर्वाधिक ताप व्रम तथा आल्पस प्रदेश में सबसे कम तापमान रहता है । जनवरी में माच तक आल्पस प्रदेश वर्ष से ठंढा रहता है । पवत की ऊंचाई के अनुसार शीत वायु में वहां 3 से 6 फीट वर्ष जम जाती है ।

प्राकृतिक साधन

पश्चिमी जमनी का मुख्य खनिज सम्पदा में लौह खनिजों का खनिज कायता है । अन्य प्राथमिक वस्तुएं इस प्रकार हैं—पत्थर पोटेश लाहा ताप तथा जस्ता । जन द्वारा विद्युत निर्माण की बढ़ती है । पश्चिमी जमनी के मुख्य खनिजों में लौह खनिजों तथा लौह खनिजों तथा लौह खनिजों तथा लौह खनिजों का खनिज कायता है । अन्य उद्योग हैं—मृत्ता वस्तु तथा लौह खनिजों का खनिज कायता है ।

नागव निमाण ि वा वर खाद्य पदार्थों का निमाण सू मयत्रा का निमाण आदि । अधिकश उद्योग र तथा मार प्रदेश म स्थित है । यह क्षेत्र पश्चिमी जमनी की पश्चिमी सीमा उत्तरी सीमा तथा रार्न की तराई क म य म स्थित है ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वर्तमान जमनी के राजनीतिक आर्थिक सामाजिक एवं धार्मिक विकास का मी मूल्यांकन करने के लिए यह अनिवार्य है कि जमनी के इतिहास पर एक विश्लेषण प्रस्तुत करें । एम एच स्टार्नवेग के अनुसार जमनी इतिहास का मवाधिक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि एक राजनीतिक धर्म अर्थात् एक राष्ट्र के रूप में 1871 तक जमनी का धर्म अस्तित्व नहीं था ।¹ जान ई रोम की मायता है कि पूर्ण राष्ट्र राष्ट्र के रूप में जमनी काफी दूरी से रग-मच पर उनका 2 तर्क एक महान् साम्राज्य के रूप में जमनी सन्ध्या तक यूरोप के राजनीतिक नितित्ज पर छाया हुआ रहा है । जमनी साम्राज्य का कर्नामी मे पूव हम जमनी शर का अर्थ और उसका प्रचलन ह्यगन करना हांगा ।

रोमन लोग न सवप्रथम जर्मनिया मेग्ना (महान जमनी) शर का प्रयोग किया । एक आधुनिक जमनी इतिहास के अनुसार जमनिया केरिच भापा का शर था जिसका अर्थ होता है पत्थरी । वाक में जमनी के लिए डाइच तथा जमनी के लिए डाइचलाण्ड शर का प्रयोग प्रचलित हुआ और आज भी जमनी नाग अपने देश का डाइचलाण्ड ही कहते हैं । प्राचीन जमनी भापा में डाइच शर का अर्थ होता है जनता या जन । जमनी नाग ट्यूटोनिक् जाति के रूप में भी जान जाते हैं । यह उल्लेखनाय है कि सरकारी बागजाता में सवप्रथम 1442 में जमनी-भू-प्रदेश शर का प्रयोग किया गया । 1486 में ग्रांस पवत के उत्तर में स्थित क्षेत्र का रोम साम्राज्य का जमनी सविभाग नाम दिया गया ।

सवप्रथम रोम के सम्राट गनियस मीजर ने जमनी लोगो के वार में विवरण प्रस्तुत किया है । मीजर को इस जाति से छा । माटी मुग्ध करना पनी तर्कित प्रिस्तृत विवरण के लिए हम एक अर्थ रामन इतिहासकार व नवक र्मीटस (55-117 ई) का मन्ारा जना पन्ता है । र्मीटस ने 3 पुस्तक लिखा उनका नाम था De Situ Moribus et Populis Germaniae अर्थात् भौगोलिक क्षेत्र व आचार व्यवहार तथा जमनी जनता के सवध में । यह उल्लेखनाय है कि तृतीय युद्ध व दौरान तथा बाद में जब जर्म यूरोप व अमरिका के नागा न जमनी की तथा जमनी जनता की वुर्न व आनाचना की तो उन्हान टसीटम का पुस्तक का उद्धृत किया । जर्मि वन्तुन्धिति यह है कि उम रोमन लखक ने जमनी जनता का प्रशासा अधिक व आनाचना कम की । उसने कहा कि रोम साम्राज्य के नाग इनके आन्त चरित्र का

1 एम एच स्टार्नवेग का रिप्ता वाक जमनी (कॉप्टर 1944) वधिपे भूमिका ।

2 जान ई राइस जमनी ऐ इतिहास (ग्वार्ड 1964) पृ 20

अनुमरण करें ऐसा करक ही व अपने साम्राज्य व सस्कृति की रक्षा कर सकन हैं। टेसीटस लिखता है कि जमन नाग स्वतन्त्रता तथा युद्धप्रमी हैं। जमन लोग नीला आखी और सुनहले रक्तिम बानो से युक्त हैं जमन युवतिया अत्यधिक सुन्दर होती हैं। इस रोमन लेखक का मत था कि उनका पारिवारिक जीवन नतिकनापूण था यद्यपि स्त्रिया सभी दुस्तर और भारी काम करती था तथा पुरुष शराब पीत जघ्रा मलन तथा युद्ध करत थे। समाज म अपेक्षाकृत कम मतभेद था तथा दासप्रथा जगमग नहा व समान थी।

टेसीटस जमन नागा की राजनीतिक समाज के जनतन्त्रावादी रूप स बहुत प्रभावित था। वह लिखता है — वे (जमन लोग) सस्कृत कालीन म्थिनिया का छोड़कर कुछ निश्चित दिनो-या नव चन्द्रोत्थ या पूर्णिमा के दिन एकत्रित होत हैं जब जनता उचित ममभती है वह बठ जाती है पास म हथियार हात ह। पादरी या पुरोहित शात रहने को कहता है। पादरी ही ऐसे अवसर पर अनुशासन स्थापित करन का अधिकार रखता है तब राजा या मुखिया (नेता) की बात सुनी जाता है। उसकी बात इसलिए अधिक मुी जाती है कि वह सम्भा-बुभा सकता है न कि इसलिए कि उसक पास आदेश देने की शक्ति है। यदि उसक विचार तथा भावनाओं से नाग असतुष्ट होते हैं तो वे मद ध्वनि म अमताप ध्यन्त करते है यदि सतुष्ट होत हैं तो वे अपने मान उठाकर समथन करत हैं।

सामाजिक मतिक व कानूनी मामलो म जमन लोग शपथ वचन या प्रतिपा को कमी नही ताडत थ। यह गुण पर्याप्त रूप म धाज भा जमन नागा में पाया जाता है। उनके धार्मिक जीवन क वार म टेसीटस लिखता है कि व वसत ऋतु में प्रजनन विषयक शास्त्रोक्त क्रिया का समारोह या त्योहार मनान हैं। कुछ जमन देवताओं के नाम म प्रकार हैं — धोर जो तूफान व विजयी का देवता था मी म ईसाई दिन गुरुवार (Thur day) का नाम प्रचलित हुआ। वह योत्न नामक देवता की पत्नी क्रिया का उल्लेख करता है जिसम शुभवार (Friday) का नाम पडा। यह उल्लेखनीय है कि ईसाई मत क प्रचलन स पूर्व जमन-सोगा के धम न ईसाई धम का भी कुछ सीमा तक प्रभावित किया। उदाहरण के लिए प्रजनन विषयक धार्मिक क्रिया-समारोह म ही ईसाईया का ईस्टर त्योहार बना जिस दिन ईसा न पुनर्जीवन प्राप्त किया ऐसा विश्वास प्रचलित है। इसी प्रकार यह भी स्मरणीय है कि प्राचीन जमन देवताओं और भारत क बहिन कानोन देवताओं में भी काफी साम्य है।

जमना के इतिहास म सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 9 ईस्वी मन् म घटा। यह वय रोमन सनापति वारुस न राइन नदी पार की। सम्भवत वह राइन तथा एल्ब नदी क याव का पक्ष जीतना चाहता था। हरिन उरुस नामक जमन कवीन क नेता ह्यमन न रोमन सनापति का पराजित करन म सफलता प्राप्त की। जमन सोगा न 20वा मन् के पारम तक इस घटना का अपना इतिहास म नाग महत्त्व

पर शासन नही किया था। जर्मन नाग एम महान् शासक का अपन इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करत हैं। फ्रांसीसी नाग भी उस अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मानत हैं क्योंकि इसन जर्मनी और फ्रांस दोनों पर शासन किया था। उसकी मृत्यु के सौ वर्ष बाद उसके साम्राज्य का विभाजन हो गया और जर्मनी और फ्रांस में अलग अलग सत्ताएँ स्थापित हो गईं।

चार्ल्स महान् या काल डेर ग्रेसे ने न केवल अपन साम्राज्य को सुसंगठित किया वरन् 800 ई. में रोम में प्रवेश कर तत्कालीन पोप लियो III (795-816) से अपना राज्याधिकार भी करवाया। राम में यह राजतन्त्र यूरोपीय इतिहास की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। और यहाँ से सम्राट बड़ा फ्रिडो यह सत्य धारण होता है। बाद में पाप बनाम सम्राट के संघर्ष के कारण ही जर्मन सम्राट जेरी चतुर्थ को 1077 में हनरी द्वितीय स्थित मोडना के निकट कानोसा नामक स्थान पर जाकर तत्कालीन पाप प्रगरी से क्षमा मागनी पनी क्योंकि पोप ने उन धर्म-वहिष्कृत कर दिया था और हनरी चतुर्थ की अंतता व सरदारान उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। सम्राट तथा पोप के बीच सर्वोच्च पक्ष के लिए 1056 से 1200 ईस्वी तक संघर्ष चलता रहा। बाद में पाप की सर्वोच्चता स्वीकार कर ला गन्।

प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य ऐतिहासिक विस्तार में जाना नहीं है। अतः यहाँ उन शासकों की नातिका ही जा रही है जिन्होंने जर्मनी के सम्राट के रूप में तथा प्रशासक के रूप में जर्मन इतिहास के निमाण में योगदान दिया था।

पश्चिम रोमन साम्राज्य व आस्ट्रिया प्रशासक के राजा तथा आधुनिक जर्मनी के सम्राट

राजा का नाम	सन जिनमें शासक बना
चार्ल्स महान	५००
लुविग ग्यायम	६१४
नेथार प्रथम	५४०
रविस् त्रितीय	८५५
चार्ल्स तीसरा	८७५

1 962 में जर्मन सम्राट फ्रांको प्रथम ने रोम में सम्राट पद धारण किया था अतः साम्राज्य को पश्चिम रोमन साम्राज्य का नाम मिला। यह महत्वपूर्ण बात है कि जर्मन सम्राट न केवल आर्य रोमन सम्राट बल्कि फ्रांसीसी सम्राट भी थे। 1508 के बाद रोम में विश्वमनासेन का सम्राटत्व समाप्त हो गया और जर्मन सम्राट अपना सम्राट पद बना रोमन सम्राट के रूप में ले। रोमन सम्राट का पद 1806 में जाकर समाप्त हुआ जबकि 16वाँ जगदीश्वर का कई प्रथमराज पर रोमन सम्राट नाम मात्र के सम्राट ही रखा गया।

राजा का नाम	सन जिसमें शासन बना	
चाम ती फट	894	
अनु लफ	896	
बरेनार	915	
हनरी ती फावण	919	
आनोप्रथम ती ब्रट नामक बना	936	
आटा प्रथम दी ब्रट		
राम म रायामिफर	962	सबमन सम्राट
आटा त्तिनाथ	973	
आटा तृतीय	983	
हनरी त्तितीय (तीमट)	1002	
कानराट ती तीय	1024	
हनरी तृतीय	1039	मेरियन बश क सम्राट
हनरी चतुथ	1059	
हनरी पचम	1106	
लोथार फान सम्तीतुग	1125	
कानराट तृतीय	1138	
फ डरिक I (बारबरासा)	1152	हाहनमताउफन वशीय सम्राट
हनरी षष्ठम	1191	
पवित्र रोमन सम्राट व आस्ट्रिया क सम्राट		
फिलिफ आफ म्यासिया	1198	
आटा चतुथ (एटीकिग)	1198	
फ डरिक II आक		
हाहनमताउफन	1220	
कानराट IV	1250	
फ डरिक आफ हाप्सबुग	1273	
एबट प्रथम आफ हाप्सबुग	1298	
हनरी षष्ठम आफ बुवामबुग	1308	
सविन आफ बर्बिया	1314	
चाम चतुथ आफ बुवामबुग	1347	
बुवाम	1378	
मिमासुल आक बुवामबुग	1410	

ग्युल्फ तथा धिवेलीस वर्गों के मध्य गृह युद्ध 1198-1214

इस काल में ग्युल्फ व धिवेलीस वर्ग के बीच में चले आ रहे संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप धारण कर लिया। धिवेलीस वर्गों की एक नेता की आवश्यकता थी और उलान हनरा प्लू के मार्शल फिनिप आफ म्बाविया को अपना राजा चुना यद्यपि उस समय तक जो वर्षीय फेडरिक का आधिकारिक लोग पर राजा बना लिया गया था। ग्युल्फ वर्ग के लोग ने फिलिप के चुनाव का मान्यता देने से इंकार कर लिया तथा वादान नगर के आकविषय तथा ग्लण्ड के राजा रिचार्ड की सहायता से उन्होंने आटा चतुर्थ का अपना राजा चुना। इस सहारे चुनाव से 20 वर्ष तक साम्राज्य की शांति भंग रही। इस गृहयुद्ध में धिवेलीस वर्ग को फ्रान्स का सहयोग मिला और इस प्रकार संघर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो गया। अंत में पाप तथा धिवेलीस वर्ग ने मित्रता के फेडरिक का राजा बनाया। इस घटना का बल्लन करने का तात्पर्य यह सकारण करना है कि किस प्रकार जर्मन लोग समय समय पर विभाजित रहे और विदेशी शक्तियां ने जर्मनी में हस्तक्षेप किया।

13वीं शताब्दी में नगरों का विकास

जर्मन इतिहास का एक महत्वपूर्ण तथ्य है नगरों का विकास। क्योंकि जर्मनी यूरोप के हृदय में स्थित है अतः व्यापारिक आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्टि से यहाँ के नगरों का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। मध्यकाल में जर्मनी में विभिन्न प्रकार के 2000 से अधिक नगर बने। इनमें आगमबुर्ग फ्रांफुर्ट कालोन यूबेक हाम्बुर्ग ब्रमन गसलार बान आदि प्रमुख नगरों में से कुछ हैं।

ट्यूटोनिक नाइट्स (Teutonic Knights)

1190 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई और वह थी ट्यूटोनिक नाइट्स (संरक्षक या राज-सुत्र) का उत्पन्न। इस संगठन का जन्म यद्यपि यरुशलम में हुआ लेकिन शीघ्र ही 13वां सदी के आरम्भ में आने वाले यूरोप में प्रवेश किया। नाइट्स वर्ग का संदक्ष बनने के लिए शक्ति का शपथ लेनी पड़ी थी कि वह ब्रह्मचारी तथा अलग व्यक्ति हैं और रहना तथा मरना उस किताबी काय के लिए प्रयुक्त कर सकता है। उन उदात्त नाइट्स वर्ग प्रांतीय व क्षेत्रीय अधिकारी या अन्य राजनातिक वितीय या मठा में नियुक्त किया जा सकता था। धीरे धीरे यह वर्ग अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और जमा करी तो जमीन पौनपुत्र के राजा की मार करने लगा। पौनपुत्र स्थित मामाविया के एक कानरा न प्रशा के कबीला के उद्घाटन व्यवहार का समाप्त करने के लिए नाइट्स से मार मांगी तथा यह स्वीकार किया कि ट्यूटोनिक नाइट्स के प्राण मारने या प्रमुख नेता हरमन फान साजा प्रशा के लागा से जाती हुई भूमि का अपने कब्जे में रख सकता है। साल्जा (1167-1239) ने तत्काल जर्मन सम्राट फेडरिक द्वितीय से इसकी अनुमति मांगा जो उस मंत्रण। नाइट्स साजा की अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में चुगी चौकियां बाजार व टंकाल स्थापित

करने का अधिकार दिया गया। सम्राट के आदेश व अज्ञान में कहा गया कि साम्राज्य के उत्तराधिकारी काग को वही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो साम्राज्य के राजकुमारों का हाते हैं। शासक ही नावट्ट लोगो न दुर्गों का निर्माण किया। नगर बसाये तथा नये भू प्रदण प्राप्त। इहा ट्यूटानिक नावट्टस न आग जाकर प्रशासक व निर्माण का माग प्रशस्त किया।

साम्राज्य का विघटन व नवीन शक्तियों का उदय (1250-1410)

तरहवी शताब्दी स पन्द्रहवा शताब्दी के मध्य जर्मन साम्राज्य में विघटन की प्रक्रिया जारी रहा। प्रारम्भिक शताब्दी की मृत्यु व पश्चात् साम्राज्य की समृद्धि व विकास तथा प्रतिष्ठा में कमी हो चली यद्यपि उसके 550 साल बाद तक साम्राज्य एक राजनातिक इकाई के रूप में किसी तरह चलता रहा। 1250 में सम्राट का मृत्यु के बाद 23 वर्ष का समय साम्राज्य का अंतराल (Interregnum) कहा जाता है। 1291 में स्विटजरलैंड जर्मन साम्राज्य से अलग हो गया। 1257 में पूर्व जर्मन सम्राट के चुनाव में समस्त जर्मन सामंत तथा प्रमुख बिशप भाग लेते थे किन्तु 1257 में अज्ञान अज्ञान चुनाव करने वाले बिशपों ने व्यक्ति रह गये जिनमें मार्शल ट्रायर तथा कारोलिन नगर के बिशप भी शामिल थे तथा चार वर्ष सामंत होते थे। इन सात व्यक्तियों को घूस प्रदान करने व लान्च देकर खरीटा जा सकता था।

ऐस्टेट्स व क्षेत्राधिपतियों का उदय (Rise of Territorial Lords)

हाब्सबर्ग वंश के काल में ही विभिन्न क्षत्रियों व अधिपतियों सामंतात्मक शक्ति में वृद्धि आरम्भ कर दी थी। 14वां सदी में जब साम्राज्य की नाव कमजोर पड़ी तो सम्राट को समय-समय पर उनसे सहायता लेने का मजबूर होना पड़ा। समस्त क्षेत्राधिपतियों की सत्ता गान और बमब में वृद्धि हुई और शटली के नगर राज्य का अनुसरण करने हुए क्षेत्राधिपतियों द्वारा अपने-अपने ऐस्टेट्स (Estates) में राज का निर्माण हुआ। इन ऐस्टेट्स में एक नवीन व्यवस्था का उदय हुआ। ऐस्टेट्स में राजा व पादरी बुजुर्ग कुतान सामंत तथा कमी-कमी किसान भी शामिल होते थे—क्षेत्राधिपतियों का चुनाव का सामंता बनना तथा जनता का अधिकारों की प्राप्ति हुई। ऐस्टेट्स के प्रतिनिधि समय-समय पर सब बैठक करते तथा शासक का अपने-अपने क्षेत्रों में वर निर्धारण सम्बन्धी निर्णय लेते। ऐस्टेट्स भी एक प्रकार से राज्य जनतंत्र के आधार बन गए। ऐस्टेट्स की सत्ता का मना भी दी गई है।

नगर राज्यों व संघों का उदय

नगरों की स्थापना का अधिकतम वर्गन ऊपर प्रभावित किया जा चुका है। शटली के नगर राज्य का अन्तिम जमाना में भी जनतंत्र का कार्यात्मक प्रयोग नगर राज्यों में ही हुआ। 1000 के बाद में जर्मनी में 250 नगर थे 1300 में 811 तथा 1450 में 3000 नगर। जनतंत्र नगरों में ही बना। न केवल नगर राज्यों का साम्राज्य प्रतिनिधि

मन्ना (Imperial D: 1) म श्री प्रतिनिधित्व किया।¹ य नगर व्यापार वाणिज्य तथा शिक्षा के केंद्र थे। यहाँ पर सबसेप्रथम शिक्षित बुजुर्गा वर्ग का उदय हुआ और उनके विचार स्वतंत्र्य म म्बानीय मामला का प्रर पना हुआ। नगर अपने अधिकारा न प्रति सजग थे। नरिन अरुन शक्तिशाली मामला म अपना नहीं कर सकते थे। अत उन्मान नगर मधो का निमाण किया जिमम स्वाबिधन योग तथा रेनिश योग प्रमुख हैं। चौथवा नमान म य नगर सघ इतन अधिक शक्तिशाली हा उठ कि नगर विराय करन व निण मामला न भा योग द्वारा नावन नानस नामक म न का निमाण किया।

दुनी प्रकार नगर राज्य व प्रमुख नगर न मिनकर हासियाटिक लोग नामक व्यापारी सघ का निमाण किया। इस का अर्थ होता है व्यापारी-सघ। इस व्यापार सघ ने विश्वाम व्यापार क विकास व सुरक्षा के लिए अपने व्यापारिक प्रतिनिधि भेजे। चौथवी शताब्दी क मध्य म 71 नगर म व्यापारी सघ के सदस्य थे। य सघ मुख्यत आर्थिक शक्ति की सुरक्षा क लिए उभाया गया। उकिन जब जब नर आर्थिक शक्ति का आच आरंभ हुआ तबत तिक कर्म भा उठाये और अन्ततः ज्ञान पर बुद्ध भा क्रिय। नन्माक श्री म जमन व्यापार सघ क बीच 1362-60 तक युद्ध बना लानि सघ की सफलता न मित। पर नन्माक पर व्यापारिक दबाव बना और 1370 म उम हासियाटिक लोग क साथ सधि करना पना जा म्बानुष की सधि कर्तनी है। उ सधि जग की भारी विजय था।

दुन नगर राज्य न मधो तथा व्यापारिक मधो न जमनी म शिक्षा व्यापार व मन्वृति तथा राजनीतिक चेतना का पाग प्राप्त किया। आज भी जमन योग न नगर राज्य का जमनातिक यन्म्या का गव म यान करत है। नतना ही नही चतमान पश्चिमी जमनी क सघ राज्य न मन्स्य आज भी नगर राज्य ही है। नन्ने नाम है म्बुग तथा व मन।

साम्राज्य तथा क्षेत्राधिपतियों क मध्य सघ 1450-1648

1452 म जमन मन्ना का राम म पविन रोमन साम्राज्यिक शक्ति का प्रतिम राजाभिषेक म। लेकिन नन्क पाव नी साम्राज्य का विघटन तेजा स धारम्भ म गया। विघटन का कारण मन्ना तथा क्षेत्राधिपतिया (Territorial Lords) क मध्य सघ का आरम्भ था। 10 वा शताब्दी के मन्म म जमन साम्राज्य नाम मात्र हा साम्राज्य रह गया था। अधिकांश मन्ना व क्षेत्राधिपतिया क पाग कर्तित थी। उन्मान नन्मय म्बुग मावनाम मन्ना म्बुग क नी थी।

घनमुधार आन्दोलन 1517-1550

जमनी क एतिहासिक विशाल क यन्म न म्बुगार पान्तरन का भारी

काय को जहर फनान की सत्ता दी । जब पोप न नरर का आदेश लिया कि वह रोम में उपस्थित हो ना नूथर ने आदेश को खदेहलना की । उसके वजाय उसन 1518 में आगुमबुग की सभा में पोप के प्रतिनिधि से मिलना स्वीकार किया । आगुमबुग में नरर व पोप के प्रतिनिधि के बीच वादविवाद से का समझौता न हो सका । इस वाच जमनी में नूथर के नातिकारी विचारों का प्रसार होन गया । जन 1520 में पोप न नरर को घम वहिष्कृत कर दिया । उसी वष नूथर न जमन राष्ट्र के इमा सामन्ता व कुताना के नाम एक पत्र (Letter to the Christian nobles of the German nation) प्रकाशित किया तथा उसन अपीन की कि वह "साईं घम की पाप व पादरिया के भ्रष्ट पत्र से मुक्त कर । उसी प्रकार पाप नरर वहिष्कृत करन के उत्तर में उसन "सा की स्वतन्त्रता के बारे में (on the freedom of a christian) नामक तेष भजा जिसमें सभी ईसाइया के ममान होने का मिद्दान "तिल्लित्ति विद्य "य" श" । अतः में उसन वव की समग्र मन्त्र पर कटु प्रहार कर्त हुए चर्च के देवीनानियन वकाकरण के बारे में (on the babylonian captivity of the Church) नामक पुस्तिका प्रकाशित की । ये सब पुस्तकें एक नये घम का आधार बनी तथा "म प्रकार प्रोटेस्टंट सम्प्रदाय का उदय हुआ ।

सामान्यतया पोप द्वारा घम वहिष्कृत करन के तत्काल बाद सम्बद्ध व्यक्ति को साम्राज्य से बाहर निकाल दिया जाता था । लेकिन नूथर के बारे में ऐसा नहीं हुआ । बड़ सामन्त तत्कालीन जमन सम्राट चार्ल्स पंचम तथा पोप से नाराज थे । अतः नूथर के धार्मिक विचारों से सहमत न हान पर भी सामन्ता न लूथर का पत्र लिया । 1520 में वाम सभा (Diet of Worm) में नूथर को बुलाकर उसव तक सुन गये । सम्राट पाररिया विजया राजकुमारा सामन्ता तथा बुनगा नागा के समग्र नूथर न कहा कि वह अपन विचारों पर दृढ है तथा यदि मूक ईसाइया मवधी उसके विचारों को समझन में भून हूँ हो ता वह उन मुनारने का तयार है । अतः में उसन अपी आत्मा तथा ईश्वर में श्रद्धा की घोषणा की और परवात्ताप प्रकट करन से इन्कार किया । विज्ञान बुजगा तथा छात्र छोट मामन्त लूथर की दृढता से बड़ प्रभावित हुए । छात्र हूँ उनक अनुयायियों की सख्या वृद्धन गयी । हास्य जादक नामक लेखक न नरर का चिन्तनवग की बुनबुल'—जिसन इमा मय के गीत गाये—की सत्ता दी ।

इस सभा के बाद सकमनी में नूथर को गिरफ्तार कर चार्ल्सबुग के कित्त में नजरबन्द कर लिया गया । वहा उसन चार्चबिन का नवीन जमन पाया में अनुवात्त किया । "म काय से धार्मिक शान्ति का "ा नरर नहा बुना वरन् आधुनिक जमन माया का विकास भी शरम्भ हुआ ।

नाइट वग द्वारा विन्नेह—1552 में नाइट्स नागो न विन्नेह किया जा अग्रय । रूप से लूथर की विन्नेह का परिणाम था । व नाइट्स (नररारा) न नूथर

के उपदेश को स्वीकार किया। इनमें से एक फ्रांज फान मिर्किंगन (1481-1523) ने राष्ट्र में वृत्तवै असन्तोष से फायदा उठाना चाहा। नाइट्स लोग क्षेत्राधिपतियों से नाराज थे। अतः उन्होंने नवीन आघार पर राष्ट्र के मगडन के नाम पर विद्रोह किया। पर लूथर ने नाइट्स लोग का समयन नहीं किया।

किसान विद्रोह — लूथर के आतिकारी विचारों से प्रेरणा प्राप्त कर किसानों ने भी विद्रोह (1524-25) कर दिया। विद्रोह पश्चिम में आरम्भ हुआ। शीघ्र ही उन्होंने सामन्तों के किले व महल लूटने व जलाने आरम्भ किये तथा एक बारह सूत्री सिद्धांत सम्मुख रख कर अपना शोषण वृत्त करने की मांग की। किसानों के विद्रोह और हिंसा के प्रापक रूप से लूथर घबरा गया। यद्यपि किसानों का आशा थी कि लूथर उनका समयन करेगा। लेकिन व्यापक हिंसा का देखत हुए उसने उनका भी विरोध किया। इस प्रकार नाइट्स तथा किसानों के विद्रोह में उत्तम क्षत्राधिपतियों व राजकुमारों का साथ दिया। इनका लाभ भी हुआ। अनाधिपतियों व कई राजाओं ने प्रोटेस्टेंट मत का स्वीकार कर लिया।

कथोलिक व प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय में संघर्ष

लूथर न चर्च की संपत्ति को भी जनता व सावजनिक प्रयोग में लाने की वकालत की। कई राजा व नगर राज्य उस तक से आकर्षित हुए। क्योंकि यदि चर्च की सम्पदा राज्य या नगर के हाथ में आ जाय तो उनमें राज्य की आमदनी बढ़ेगी। इस कारण भी कई सामन्तों राजाओं और नगर पिताओं ने प्रोटेस्टेंट धर्म स्वीकार कर उसकी वकालत की। शीघ्र ही इन लोगों ने मिलकर एक प्रोटेस्टेंट संघ का निर्माण किया जिसका उद्देश्य जर्मन सम्राट पाप तथा जर्मनी के कथोलिक क्षेत्रों—जैसे वेवेरिया का विरोध करना था। इस संघ का निर्माण (1526) में हुआ और उसकी स्थापना में मेक्सनी व हमे राज्य के शासक तथा दक्षिण जर्मनी के कुछ नगरों का न महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाया। जर्मनी में गृह युद्ध छिड़ने की आशंका हो गई। स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए 1526 में स्पायर नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया गया ताकि प्रोटेस्टेंट राजाओं व अन्य अनाधिपतियों व बीच धार्मिक सह-प्रतिस्वत्त्व कायम किया जा सके। लेकिन विघ्न संभवता प्राप्त नहीं हुई। लूथर तथा पाप दोनों उस धार्मिक सह-प्रतिस्वत्त्व व सिद्धान्त के विरोधी थे। 1540 में यह सह-प्रतिस्वत्त्व असमर्थ हो चला। क्योंकि 'लोग प्रोटेस्टेंट धर्म के वृत्त प्रभाव से प्रभु हो उठे। स्वयं जर्मन सम्राट चांसलर तैप किया कि व प्रोटेस्टेंट शासकों का कुचन देगा। सभी बीच उस मनचाह संस्मरण भी प्राप्त हुआ गया। 1545 में सक्मनी के शासक फ्रेडरिक तथा हेस राज्य के शासक विन्डिच न धार्मिक के कथोलिक राज्य पर हमला कर उस अस्पृश्य प्रोटेस्टेंट बना दिया। जर्मन सम्राट ने इन दोनों प्रोटेस्टेंट राजाओं पर हमला कर दिया। उस वर्ष तक (1545-1555) तक युद्ध चला। प्रोटेस्टेंट पक्ष को पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय का मानप्रियता में बढाव हुआ। 1555 में

गना सम्प्रदायो के मध्य प्रागुत्सवुग की सधि हुई तथा यह स्वीकार किया कि यथा स्थिति बनी रहे याना जा राज्य प्रोटेस्ट है व बने रह तन्नि व वन पुवक डूगरे राया न हस्तक्षेप न कर साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि शासक ही अपने राज्य के धर्म का निश्चय करगा।

प्रति-धर्मसुधार

उपर कथोलिका न भी अनुमत्त किया कि यदि धर्म के क्षेत्र में उद्दान सुधार साम्प्रभ नही किया तो अर्थिकात्मिक योग प्रोटेस्ट धर्म स्वीकार कर जगे। पोप पाव नृतीय (1522-49) न कथानिक सुधार का सूत्रपात किया। साथ ही इंग्लियस ग्राफ नोयाना न जीयम समाज (The Society of Jeaskus) की स्थापना कर कथोलिक सिद्धांता की पुनर्थापना का प्रयास किया। जीयम समाज ने मठा में पवित्रता प्रहाचय व मात्मी क वातावरण का निमाण किया तथा चर्च की सम्पत्ति की स्था क लिए कर्म उपाये तथा र्था व पाप की निरन्तर सेवा करते हुए ईसाई धर्म क भण क नाच सघष करन की प्रतिपा की।

जमनी के मामलो पर विदेशी प्रभाव

धर्म युग में जमनी के इतिहास का निशाचक तत्व था जमनी का राजनीति धर्म व सांस्कृतिक जीवन पर विदेशी राज्यों का उत्तरात्तर करना प्रभाव। जमनी के कुनीन वग न विदेशी वस्तुग्रा व सिद्धांता का ग्रपमान का होड की। इसी क परिणाम स्वरूप जमनी का वात् न तीम वर्षीय युद्ध में भाग लन का बाध्य होना पडा जो मुख्यत जमनी की धरता पर ही बना गया।

1555 क बाद ग्रयोग्य जमन नेतृत्व इस युग की एक विशेषता था कमी था जमनी में सुशास्य सम्राटा का अभाव। सम्राट मक्सिमिलियन II (1564-1576) पत्यधिक अस्थिर व समभौनावादी स्वभाव का था ता क्राफ जिनिय (1576-1612) तथा फर्डिनें जित्तोय (161-1637) अत्यधिक जिद्दी कठोर तथा राजनातिक पयाथ के प्रति घ न थ।

तीस वर्षीय युद्ध (1618-1648)—1608 में जमनी क प्रोटेस्ट राया में एक प्रोटेस्ट लाग की स्थापना की तथा प्रावश्यकता तथा सकट का घना में एक हमरे का प्राथमिक स्वतंत्रता का मुर न का वचन दिया। उनका प्रतिनिया स्वरूप कथानिक धर्म क अनुयायिया न कथोलिक लोग का निमाण किया। इस प्रकार जमना का सभ्रान्ध गुना में बट गया। प्रयत्न गु न कुद्ध विन्गी राया के साथ साठ साल की र्मी बाच बनावम क्षय के कथानिक डपूक की मयु नो र्म्। उसका अधिकां प्रजा प्रोटेस्ट धर्म की अनुयायी था। अत बनावम राय का गुना में बट गया उनम एक वत् गु था जो कथानिक युवक को बाहूता था। उस महा क क दावकार उत लड हुए। उनम गान वग का र्नकर जान मिगिम गुण पवटीनट का काष्ट वांन्याय विनियम तथा मकतनी का डपूक जान क डरिक् प्रमुख थ। प सीना शय्यत थ। अति नयन मगाट क राय विनी कथानिक क हाथ म र्चना

शक्ति व आदर्शों का स्वागत किया। जमनी के कविता इतिहासकारों पत्रकाग्राफमगे न पुस्तकों नेवा व कविताग्रा क मायम से प्रामिता शक्ति व सिद्धान्तों को लोकप्रिय बनाया। लेकिन जमनी के छाट व शासक इससे घबरा उठे। 1799 में फाम में नपोनियन का उदय हुआ। उनकी सेना ने सारे यूरोप में तहकवा मचा दिया तथा जमनी का रौं उठा।

नपोनियन ने 1801 में ग्रास्ट्रिया को पराजित किया जिसके फलस्वरूप ग्रास्ट्रिया के सम्राट ने जमनी स्थित अपने साम्राज्य के पुनगठन की स्वीकृति दी। लेकिन जमनी शासक आपस में झगड़ने लगे। उन्होंने रूस तथा फ्रांस से पंचनिरणय दन का कहा। फ्रांस ने रवि ती तथा धारमिक पुनगठन में 300 जमनी राज्यों में कमी कर घाव में अधिक राज्य समाप्त कर दिए गए। 45 स्वतंत्र नगर राज्य जो साम्राज्य के अंतर्गत थे समाप्त कर लिए गए तथा सिर्फ छह नगर राज्य हाम्बुर्ग ब्रमन यूबक फ्रांकफुट यूरेमबर्ग तथा ग्रागमजुग का ही अस्तित्व बना रहा। 70 धार्मिक राज्य में से—इनमें आकशिणप राज्य तथा विशेष गरीय ग्राति शामिन थ—सिर्फ मात्र के भूतपूर्व आकशिणप का राज्य बचा गया। उम भी रसेम बुग का क्षेत्र लिया गया। 112 अन्य नगर व क्षेत्रों को मिलाकर अन्य राज्यों में मिला लिया गया। टायर व कोनोन क्षेत्र फाम से लिए गए। 1803 में रोगस बुग समा में जमनी साम्राज्य के नम पुनगठन की स्वीकार किया। 1806 में रार्न राज्यों का परिमघ (Confederation of Rhine) बनाकर नपोनियन ने जमनी के पवित्र रोमन साम्राज्य का खात्मा कर लिया। फ्रांकफुट व यूरेमबर्ग नगर राज्य समाप्त कर लिए गए। इसी वर्ष नपोनियन ने प्रशा राज्यों का पराजित कर लिया। नपोनियन ने अग्रत्यन्त रूप से जमनी के एकीकरण व जननीकरण की निशा में काय किया।

प्रशा में सुधार

1806 की पराजय के बाद प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम III ने शासन सेना व अर्थव्यवस्था में सुधार की आवश्यकता का अनुभव किया तथा बरन पान स्टार्न का राज्य का मुख्य मंत्री नियुक्त किया। 1807 में स्टार्न ने सुधार आदेश (Reform Edict) की घोषणा की। इसके अनुसार कुलीना व गर बुलीना के मध्य वग विभेत् समाप्त कर समानता की स्थापना की गई। 1810 में स्टार्न ने कृषक दासा (Serf) को मुक्ति प्रदान की। इससे पूर्व 1808 में नगर पालिका प्रशासन में सुधार किए गए तथा नगरवासियों का अपनी नगर परिषद चुनने का अधिकार दिए गए। स्टार्न ने गणतन्त्र जमीन सवधानिक व्यवस्था की स्थापना के पक्ष में था। स्टार्न के सुधारों ने प्रशा का आधुनिक स्वरूप प्राप्त हुआ।

विपना कांग्रेस व जमनी

1814 में नपोलियन की पराजय व पश्चात् पिजना राष्ट्र ग्रास्ट्रिया प्रशा प्रगल्भ रूस तथा अन्य राज्य विपना में एकत्रित हुए। जमनी की जनता को प्रशा को कि 1815 की विपना कांग्रेस जमनी के एकीकरण का माय प्रशस्त करेगी किन ग्रास्ट्रिया का चान्सलर मेटर्निख अपनी भी जमनी प्रवेश पर अपनी प्रभाव

बनाय रखना चाहता था। वियना व्यवस्था द्वारा एक जर्मन परिषद का निर्माण किया गया जिसमें 35 राजनीतिक राज्य तथा 4 नगर राज्य सदस्य बनाए गए। वियना व्यवस्था से जर्मन दशनक्त व एकता प्रमिया का प्राप्ताए पूरी नही हुई।

आर्थिक संघ या त्सोलवेराईन (Zollverein)

इसी बीच आर्थिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जो आग चलकर जर्मनी की एकीकरण की ओर सुदृढ़ कदम मानिये हुई। 1820 के बाद जर्मन राज्यों ने अनुभव किया कि हर राज्य में कड़े व गी शीकियो के कारण उनके व्यापार का भारी हानि होता है। अतः उन्होंने निगमय लिया कि एक आर्थिक संघ या त्सोलवेराइन द्वारा इस समस्या को हल किया जा सकता है। प्रशा का त्मालवेराइन में भारी प्रतिबन्ध थी क्योंकि उसका व्यापार काफी विशाल था। 1828 में प्रशा तथा सात अन्य जर्मन राज्यों ने त्सोलवेराइन की सन्स्थिता प्रहण की। 1842 में सभी जर्मन राज्यों ने त्सोलवेराइन की सन्स्थिता प्रहण कर ली।

1848 की क्रांति

1815 से 1848 तक जर्मनी के बुद्धिजीवी व जनता देश के एकीकरण की शिक्षा में बाध कर रहे। यद्यपि माग सरल न था अनुसार निरकुश मत्ता व राजनीतिक स्वतंत्रता के समर्थक उदारवातियों के बीच निरन्तर संघर्ष चलता रहा। जनता प्रतिनिधि सभा के निर्माण की माग करता रहा। कुछ जर्मन शासकों ने 1830 की क्रांति के बाद जनता का स्वतंत्रता प्रदान की लेकिन आस्टिया व अन्य शासकों ने जर्मनी विरोध किया। 1832 में जर्मनी के पत्रपोस्ट क्षेत्र में स्थित हाम्बाल नामक नगर में जर्मनी के बुद्धिजीवी विचारक नगर प्रतिनिधि व पत्रकार सम्मिलित हुए तथा हाम्बाल में एकत्रित जर्मन जनता की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबन्धित किया। स्वाविया क्षेत्र के प्रसिद्ध कवि तुन्विग उद्घोषण न घाषणा की जब तक जनतांत्रिक क कुन से राजकुमार के माये पर नियंत्रण न लगाया जाय वह जर्मनी में राज्य नहीं करेगा।

1848 के प्रथम चार महीनों में क्रांति एक महामारी की भांति समस्त यूरोप में फैलने लगी। शीघ्र ही क्रांति ने बर्लिन और वियना के द्वार खटखटाने प्रारम्भ कर दिए। सब प्रथम प्रशा के गवर्नर जॉर्ज साईनसिया तथा पूर्वी प्रशा में विन्हा के भावना फरी। 3 मार्च 1848 में कायान नगर में जनता की भीड़ ने नगर हॉल में प्रवेश कर नगरपालिका सदस्यों के सम्मुख छ मांगें प्रस्तुत की। इन मांगों में मताधिकार नागरिक स्वतंत्रता नागरिक सैनिक (Popular Militia) के साथ ही माय श्रमिकों की सुरक्षा युनतम जीवन मापन स्तर तथा सभी के लिए राज्य का धारण शिक्षा का व्यवस्था की मांगें का गत एक सप्ताह बाद प्रशा की राजधानी बर्लिन में मध्यम वर्ग के लोग ने राजनीतिक धामनमा का आयोजन किया तथा मधुन प्रतिनिधि सभा बुनान तथा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की मांग की। एक माय ही निम्न वर्गीय लोग ने भी अपनी मांग रखी। बर्लिन के 4000 मद्रुग ने राजा के

मामने अपनी याचना प्रस्तुत का तथा उनकी की दशा में सुधार करने की प्रार्थना की।

13 मार्च को बर्लिन में भीड़ तथा पुलिस व सेना में मुठभेड़ हो गई। अगले चार दिन बर्लिन में बराबर प्रदर्शन हुए दिनांतिन भीड़ की संख्या बढ़ी। कुछ लोगों ने आमक क्रूरिक विनियम तृतीय के मूल पर पत्थर भी फेंके। 18 मार्च का प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने उग्र रूप ले लिया। 19 मार्च का शासक ने अपने प्रिय पत्निले घोषणा के नाम एक पत्र लिखा। आगामी महीना में राजा को बर्लिन छोड़ कर पार्लामेंट जाना पड़ेगा। धीरे धीरे नातिकारियों का जोश ठण्डा पड़ने लगा। उधर वियना में भी निर्याह को दबाने के समाचार मिले। इनमें प्रेरणा पाकर प्रशा के शासक ने भी नातिकारियों का दमन कर दिया। 1848 की आति से समस्त जमनी के एकीकरण तथा जनतंत्र की स्थापना का सपना पूरा नहीं आया। बर्लिन राजा भी समझ गया कि समय के बलवत् रख की अपना नाम की जा सकती। उसने ऊपरी तौर पर जनता का एक सविधान प्रणय किया और उपसिधान के अन्तगत जनवरी 1849 में चुनाव कराये गये।

फ्रांकफुट राष्ट्रीय सभा 1848

जब प्रशा में जनता विर्याह कर रही थी उसी समय समस्त जमनी की जनता के प्रतिनिधि फ्रांकफुट में एकत्रित हुए और उन्होंने समस्त जमनी के लिए एक सविधान तयार करने की िशा में कार्य आरम्भ किया। 18 मई 1848 में फ्रांकफुट नगर के सत्पान गिरजाघर में 830 चुने हुए प्रतिनिधियों ने सविधान निर्माण का कार्य किया। प्रतिनिधियों में अधिकांशतः प्रोफेसर वकील व्यापारी टाक्टर पादरी मनुक अधिकाारी तथा राज्या की विधान सभाओं के सभ्य और पत्रकार तथा साहित्यकार आगे थे। यद्यपि उस समय कोई स्पष्ट एक संगठित राजनीतिक दल नहीं था फिर भी प्रतिनिधियों को विचारों व सिद्धांतों की दृष्टि से निम्नलिखित भागों में बाटा जा सकता है। अनुत्तरवादी दक्षिणपंथी जिसमें दो बग थे एक बग में प्रशा के प्रतिनिधि थे तथा प्रशा के राजा का जमनी का सम्राट बनाकर वधानिक राजतंत्र की स्थापना चाहते थे। उनका नेता रायबिटज तथा बटन ग्याग फाने विक थे। दूसरा बग अथवा राजा का प्रतिनिधित्व करता था व प्रशा का मन्तृत्व स्वीकार करने को तयार न थे।

एक बग सविधानवाधियों तथा जनतंत्रवाधियों का था। उनमें प्रतिनिधियों में अल्पधिक विद्वान्ग प्रनिमावान लोग मौजूद थे। हांनरिक फाने गार्गेन कवि घाट इतिहासकार साहजमान पत्रकार ग्याग गर्वीनस तथा नाउक्या लखक जकत्र प्रिम ग्ये बग में शामिल थे। ये लोग सम्राट का पद लेना या न लेना विषय में एक मत नहीं थे। अन्तिम बग उग्र गणतंत्रवाधियों का था। उनका नेता कुान नायण कता राबर्ट वनम (1807-1848) था। ये सम्राट के पद को किसी भी णत पर स्वीकार करने को तयार न थे। उनका प्रान्त समानवाध के निकट था।

19 मई 1848 को फ्रांक्फुट स्थित जर्मन राष्ट्रीय समाज हांनरिक फन गार्गेन को अपना अध्यक्ष चुना। मार्च 1849 में राष्ट्रीय समाज प्रशासक शासक फर्डरिक विलियम तृतीय को जर्मनी का नया सम्राट चुना और एक प्रतिनिधि मण्डल बर्लिन भेजा ताकि वह प्रशासक शासक से इसकी स्वीकृति ले। फर्डरिक विलियम तृतीय ने प्रतिनिधि मण्डल का उत्तर दिया: 'मंजूर है यह न भूलो कि जर्मनी में और भी राजा हैं और मैं उनमें से एक हूँ। प्रशासक शासक ने अपना मित्र स कहा मैं गटर में से उठाया हुआ लाल फीते (क्रान्ति) से युक्त मुकुट को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। फ्रांक्फुट में क्या भी मुकुट तयार होगा उसमें क्रान्ति की वू आएगी।'

इस प्रकार 1848 की क्रान्ति जो सफलता के निकट पहुँच चुका थी अक्षय हो गई। यह जर्मन जनतंत्र का दुर्भाग्य था कि उस समय प्रशासक शासक ने सम्राट को स्वीकार नहीं किया। तब 1848 की क्रान्ति अपना प्रभाव छोड़ बिना न रही। समस्त जर्मनी के शासकों को किसी न किसी रूप में जनभावनाओं का आग्रह करते हुए जनता को अधिकार देने पड़े।

विस्माक और जर्मनी का एकीकरण

प्रशासक शासक विलियम फर्डरिक ने गार्गेन से कहा था 'जा काइ जर्मनी का शासन चाहता है तो उसे जर्मनी का जीतना चाहिए दूसरे शब्दों में शक्ति और तनवार के माध्यम से ही सम्राट पद धारण किया जा सकता है। 1862 में विस्माक प्रशासक शासक बन गया। उसी वर्ष उसने संसदीय समिति के समक्ष घोषणा की थी— 'महान् प्रश्नों का हल भाषणा के बहुमता से नहीं होता—यह 1848 व 1849 की भूल थी—वरन् रक्त और लाश से होता है। इस मापण का आशय यह नहीं कि जर्मन रक्त पिपासु थे वरन् विस्माक एकीकरण की अपनी आत्मीय योजना में शक्ति के प्रयोग का औचित्य सम्मुख रखना चाहता था।

विस्माक ने तीन चरणों में जर्मनी का एकीकरण सम्पन्न किया —

- (1) डेनमार्क से युद्ध
- (2) आस्ट्रिया से युद्ध
- (3) फ्रांस से युद्ध

डेनमार्क के राजा के पास दो जर्मन डचिया (गन्ध) थीं। उनका नाम थे श्वेडरिंग तथा हांसटार्डेन। डेनमार्क का राजा इन डचियों का अपने राज्य में नहीं मिला सकता था तथा अलग से इन पर शासन करता था। हांसटार्डेन नामक डची ता जर्मन परिसरों की सम्म्य भी थी। 1863 में डेनमार्क के राजा फर्डरिक म्प्लम ने डेनमार्क के राष्ट्रवादियों के दबाव में आकर अपना समझौता यह बिना प्रस्तुत किया कि श्वेडरिंग तथा हांसटार्डेन की डचिया में भी डेनमार्क का सविधान लागू किया जाए। प्रशासक शासक आस्ट्रिया ने डेनमार्क के इस कृत्य का विरोध किया। इन दोनों डेनमार्क के शासक की भृषु हा गई और त्रिग्विचयन नवम गटा पर बटा। जर्मन श्वेडरिंग का

अपन राय म मिनाना चाहा । इन्ही बीचप्रशा और आस्ट्रिया ने मिलकर इनमाक के विरुद्ध कर्म उठान का निश्चय किया । जनवरी 1864 म दोनो राया ने इनमाक के शासक से माग की कि वह डचिया को अपन राय म न मिनाने । त्रिश्चिन नवम ने उनकी माग की और ध्यान नही दिया । फरवरी 1864 को 37000 प्रशा तथा 23000 आस्ट्रियाया सैनिको न इनमाक पर हमला कर दिया । 12 मई 1864 का युद्ध विराम समझौते पर अस्ताक्षर ए । अक्टुबर 1864 म वियना म संधि हुई जिसके अंतगत इनसविग हॉल्मटाइन तथा लाउनबुर्ग का प्रदेश आस्ट्रिया व प्रशा को सौंप लिय गय । 1865 क अगस्त माह म आस्ट्रिया और प्रशा क बीच गस्टार्न समझौता हुआ जिसके अंतगत प्रशा का इनसविग तथा आस्ट्रिया को हॉल्मटाइन का प्रदेश प्राप्त ए । प्रशा का इनसविग म सना भजन क लिए हॉल्मटाइन प्रदेश से गुजरन की अनुमति ली ग तथा हॉल्मटाइन क बीच वॉदरगाह का प्रशासन प्रशा को सौंपा गया । प्रशा ने आस्ट्रिया को 25 लाख डनिश सिक्के (घोतर) देकर लाउनबुर्ग का प्रदेश खरीद लिया । गेस्टार्न क इस समझौते म ही भावी आस्ट्रिया प्रशा युद्ध के बाज निहित थ ।

आस्ट्रिया व प्रशा मे संधि

प्रशा आरम्भ से ही इस बात के लिए हट प्रतिन था कि आस्ट्रिया को जमनी से बाहर निकाल फरगा । अब उमने अपनी शक्ति अजित करली थी कि वह अपने उध्य को पूरा कर सक । तकिन आस्ट्रिया से युद्ध आरम्भ करन से पूव यह आवश्यक था कि कोई विदेशी राष्ट्र उसकी मदद को न आये । रूम और प्रशा के सम्बन्ध अत्यन्त मधुर थे । विस्माक को फ्रांस से ही खतरा था अत उम मनाना जरूरी था । अक्तूबर 1865 म विस्माक वियारिटज मे छुट्टी मनाने पहुँचा । वही उसने फ्रांस के मन्त्रि नेपोलियन ततीय से जमन समझ्या पर विचार विमर्श किया तथा यह पता लगाने का प्रयास किया कि यदि प्रशा व आस्ट्रिया म युद्ध छिड़ जाए तो क्या फ्रांस तटस्थ रहेगा । नेपोलियन का उत्तर था—यदि उमे जमनी के रॉनलण्ड प्रदेश का कुछ भाग मिले तो यह सम्भव है । यद्यपि विस्माक ने इस विषय म कोई स्पष्ट आश्वामन नही लिया तकिन उमने नेपोलियन को यह महसूस करा दिया कि एसा हा सकता है ।

प्रि माक बहुत सावधानी बरतना चाहता था । अत उसने अटनी के सार्डिनिया राय के साथ भी संधि करनी चाही । अग्रत 1866 म प्रशा व सार्डिनिया के बीच संधि हुई जिसके अंतगत सार्डिनिया क शासक ने स्वीकार किया कि यदि तान माह की अवधि क भीतर प्रशा व आस्ट्रिया क बीच युद्ध हो तो वह प्रशा का साथ देगा । उधर फ्रांस ने सार्डिनिया को वनशिया देने का वादा किया । अत प्रकार विस्माक ने युद्ध की तयारिया पूरी कर ली । एसी बीच आस्ट्रिया व प्रशा के बीच तनाव म बढि हुई । आस्ट्रिया ने प्राग्लानबुर्ग नामक राजकुमार की अध्यक्षता म इनसविग व हॉल्मटाइन का एक संयुक्त राय बनाने का प्रयास किया ता विस्माक ने वियना पर गेस्टार्न

रिगन वशीय राजकुमार त्रियोपोड को भी मही पर बठन को कहा गया। फ्रांस ने इसका विरोध किया क्योंकि प्रशा का राजवंश भी हाउसहोल्डन वंश से सम्बद्ध था और इससे उनकी शक्ति व प्रतिष्ठा में वृद्धि होती। 2 जून का सन्धि में घोषणा की गई कि त्रियोपोड ने विलियम स्वीकार कर लिया है। इस पर फ्रांस ने प्रशा के राजा विलियम प्रथम से मांग की कि वह त्रियोपोड की उम्मीदवारी वापस ले। फ्रान्सीसी राजपूत बन्दिता बाइ एम्स नामक स्थान पर प्रशा के राजा से मिले। राजा ने अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए उमम इन्वार कर दिया परन्तु चुपचाप त्रियोपोड से कहा कि वह ऐसा करे। त्रियोपोड ने स्पष्ट कह दिया कि प्रत्याशी व रूप में अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन नवोलियन का डर था कि त्रियोपोड अपना विचार बदल सकता है। अतः उसने अपना राजदूत को एक तार भेजा जिसमें लिखा कि प्रशा के सम्राट से मिलकर यह लिखित वचन ले कि भविष्य में हाउसहोल्डन वंश का व्यक्ति स्पष्ट वा उत्तराधिकारी न हो सकेगा। एम्स में फ्रान्सीसी राजदूत ने प्रशा के राजा से भेट की तथा नवोलियन को मांग सामने रखी। प्रशा के शासक ने गारंटी या वचन देने से इंकार किया। यह तार बिस्मार्क के पास भेजा गया जिसने उस इम प्रकार सत्यापित किया कि ऐसा नहीं हुआ कि फ्रान्सीसी राजदूत ने जर्मन शासक का अपमान किया है तथा जर्मन शासक ने फ्रान्सीसी दूत को बुरा मला कहा। एम्स के इस तार की समाचार पत्रों में छपवाया गया जिससे प्रशा की जनता का लगा कि उनके शासक का अपमान हुआ है तथा फ्रांस के योग्य न उस अपमान राष्ट्रीय अपमान समझा। बिस्मार्क ने तार को पढ़े ताल कपड की सजा दी जिसे देखकर फ्रान्सीसी साइ भूक उठे। दाना देशों में युद्ध की मांग का गया। 19 जून 1870 को फ्रांस ने युद्ध की घोषणा कर दी। 10 दिन में प्रशा की सेना को 300000 में बढ़ा कर 9 लाख कर दिया गया। अर्थात् जर्मन राज्या न भी राष्ट्रीय सर्वट का घटा में अपना लिये बिभया। अर्थात् जर्मन सेना न अल्मास व सारन में प्रवेश किया। 1 सितम्बर को स डान के मैदान में फ्रांस की भारी पराजय हुई। 2 सितम्बर का नवोलियन ने अपने 40 मनापत्रियों व 83000 सैनिकों सहित समरपण कर दिया। सीजन का पराजय के बाद उत्तरी फ्रांस में फ्रांस की सेना का प्रवेश सहज हो गया। 19 सितम्बर का जर्मन सेना का एक टुकड़ा पेरिस नगर के समीप जा पहुँचा। फ्रांस का समरण का तयारी करना पड़ा। 18 जनवरी 1871 में फ्रांस के वर्मांड के महान में स्थित गार्गुहल में विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। बिस्मार्क ने जर्मनी की जनता के राष्ट्रीय एकता के सपने को पूरा किया।

विलियम द्वितीय तथा प्रथम महायुद्ध

बिस्मार्क ने 1871 में जर्मनी के सामन्त का पद ग्रहण किया तथा 1871 से 1890 तक वह जर्मनी का चांसर नियुक्त बना रहा। 1888 में विलियम द्वितीय जर्मनी का सम्राट बना। विलियम द्वितीय जर्मनी का विश्व की शक्ति बनाने

चाहता था। उसकी मायता थी जर्मनी का भविष्य सहरो पर निर्भर करता है अर्थात् वल समुन्नी सेना की दृष्टि से जर्मनी को विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था। वह जर्मनी के लिए उर्ध्वनिवेश प्राप्त करना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षी नीति के कारण यूरोप में तनाव बना और अंत में प्रथम महायुद्ध (1914-1919) हुआ। जिसमें जर्मनी व आस्ट्रिया एक ओर थे तथा इंग्लैंड फ्रांस रूस व इटली दूसरी ओर। युद्ध में जर्मनी परास्त हुआ और इसके साथ ही जर्मनी में राजतंत्र खत्म हो गया। 1919 में जर्मनी में जनतंत्र की स्थापना हुई।

हिटलर का उत्कष और द्वितीय महायुद्ध

1920 में जर्मनी में वाईमर गणराज्य की स्थापना हुई। वाईमर नगर में संविधान का निर्माण हुआ। इसीलिए जर्मन गणराज्य को वाईमर गणराज्य कहते हैं। 1920 से 1933 तक वहाँ जनतांत्रिक शासन रहा। बाद में हिटलर सत्ता में आया। उसने विश्व पर प्रभुत्व जमान का सपना देखा और 1938 में आस्ट्रिया पर प्रभुत्व जमाया 1939 में चेकोस्लावाकिया हड़प लिया। 1939 में उसने पोलण्ड पर हमला किया और द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हो गया। 1945 में युद्ध समाप्त हुआ और उसके साथ ही जर्मनी की एकता भी समाप्त हो गई। मित्र राष्ट्रों—अमेरिका रूस ब्रिटेन व फ्रांस—ने उस चार भागों में विभाजित कर दिया तथा प्रत्येक राष्ट्र के पास उसका प्रशासन रहा। 1949 में आते-आते जर्मनी में दो राज्य बने पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। आज भी जर्मनी एक विभाजित राष्ट्र है।



जनतान्त्रिक परम्परा

यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जमनी के बारे में उनके विरोधियों ने विनापकर ब्रिटेन तथा अमेरिका ने यह प्रचार किया कि जमन चांग युद्धप्रिय बबर जनतन्त्र विरोधी दूसरे राष्ट्रों को गुनाह बनाने वाले तथा निरक्षुधना तथा तानाशाही के ममयक हैं। दा महापुद्दा की छाया में आग्ल अमेरिकी सत्तकों विनाना तथा प्राप्तरा तथा पत्रकारों ने जमना की निंदा की जा उनके राष्ट्रीय हित में थी। लेकिन 1949 के बाद अन्ही दशा ने पश्चिमी जमनी की ताराफ आरम्भ कर दी। साथ ही यह उल्लेखनीय है कि प्रथम महापुद्द में पन्च ब्रिटिश विनाना ने हमशा जमन सस्थाओं की ताराफ के पुन वाध तथा अमेरिका ने ता जमन चांगा के चरित्र का अनुकरणाद्य माना। निष्पन्न भूयाकन के लिए राजनीति तथा इतिहास के छात्र को कम निंदा तथा ताराफ सत्तर रहे कर जमनी के इतिहास तथा राजनीति का अध्ययन करना होगा तभी वह सहा निष्पत्ति पर पन्च सकता है।

जमनी के इतिहास के अहन अध्ययन से एक निष्पत्ति निकलना है कि यूरोप के अन्ध देशों की भांति जमना में भी दा विचारधारण प्रवाहित रही हैं। एक राजतान्त्रिक सैनिक विचारधारा ने राष्ट्र की समस्त शक्तियाँ का कुछ मुठामर लोग के हाथ में रखना चाहती थी दूसरी उदारवादी जनतान्त्रिक विचारधारा जो जनता के अधिकार का पन्धर था। यह जमना का दुभाग्य था कि दूसरी विचारधारा को वहाँ मुख्य रूप से पाव जमान के कम अवसर प्राप्त हुए। इसका कारण जमना का विमानित होना तथा दर से राष्ट्रीय एकता प्राप्त करना था। अतः लिए जमना से अधिक यूरोप के समर अंश और उनकी शक्ति का राजनीति निम्नगार था। लेकिन अन्ध वादज्ज जमना के बहिर्जीविया उत्पन्नवा। विचारका तथा राजनताप्रा ने वहाँ जनतन्त्र का स्थापना के लिए सतत प्रयास किया।

सामायनया यह माना जाना है कि ब्रिटिश सत्त सत्तीय जनतन्त्र की जननी है लेकिन यदि सत्तीय जनतन्त्र की इस जननी के उत्पन्न के वार में जानकारों प्राप्त की जाए ता उनका उत्तर हम प्रसिद्ध फ्रांसिसी विचारक मान्स्वू से प्राप्त होता है। मान्स्वू के अन्ध में ब्रिटिश समर का जन्म जमनी के अंध में आद्यान्त्रिक बना में हुआ। उन्नीसवीं सदी के ब्रिटेन के एक उदारवादी विचारक चांस जम्स फावम के अनुसार यूरोप में सिर्फ ही सविधान के एक ब्रिटेन का समरा व्यूरोमवुण (जमना स्थित) का। उक्त दो विचारों का भा मापता के आधार पर यह निष्पत्ति निकलता

जा सकता है कि जर्मनी में प्रतिनिधि समाज तथा ससदीय विचार किसी विदेशी भूमि से नहीं आया वरन् स्वयं जर्मनी में जन महयोग के आधार पर प्रजातांत्रिक प्रणाली सविधान निर्माण तथा मुक्त सस्थापनों के सज्जन में रूचि प्रदर्शित की।

सब प्रथम रोमन इतिहासकार टेसीटस ने जर्मन लोगों का जनतांत्रिक प्रवृत्ति का संकेत दिया है जिसका उल्लेख प्रथम अध्याय में किया जा चुका है। मध्य-काल में टोला की भाँति जर्मनी में भी नगर राज्यों का निर्माण हुआ जो अपने आंतरिक स्वायत्तता में पूर्णतया स्वतंत्र थे। जर्मनी के सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता स्वर्गीय फ्रिजटलर ने लिखा है — जर्मनी सम्मानजनक जनतांत्रिक परम्परा से रहित नहीं है। जर्मनी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित यूस्टमबुर्ग राज्य में 7 नवम्बर 1457 में जा विधान सभा बुनाई गई उस प्रथम विधान-सभा की सजा दा जा सकती है।

साम्राज्य में जनतांत्रिक तत्त्व

नवीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक जर्मनी में सम्राट का शासन रहा जो स्वभावतः ही निरंकुश शासन होता है लेकिन जर्मन साम्राज्य की यह विशेषता रहा है कि यहाँ सम्राट का भी चुनाव होता था। यद्यपि अधिकांशतः सम्राट वंशानुगत ही होते थे। लेकिन उन्हें चुनाव मण्डल से अपना चुनाव करवाना आवश्यक था। यह चुनाव मण्डल चाहता तो अल्प व्यक्तियों को राजा चुन सकता था। चुनाव मण्डल में कुछ स्थानीय राजा तथा धार्मिक वर्ग के आर्कबिशप आदि शामिल होते थे। विभिन्न समयों में चुनाव मण्डल के सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होती थी। जब तेरहवीं शताब्दी में हन्ड के राजा ने अपने सामन्तों का मैग्नाकार्टा प्रदान किया उसके सिर्फ पाँच वर्ष बाद होहेनस्टाउफन वंश के जर्मन सम्राट ने धार्मिक विभागों को एक चार्टर प्रदान किया तथा उसके 12 वर्ष बाद अपने राजाओं सामन्तों व कुलीनों को भी चार्टर प्रदान किया। हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्राट शक्ति का समर्थन नहीं करता था वरन् सामन्तों की धर्म-पुरुषा तथा कुलीनों को भी अधिकार प्राप्त थे। उन निरंकुश युग में इतना वायं मां काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

नगर राज्यों में जनतंत्र

यूरोप के जनतंत्र के इतिहास में नगर राज्यों का प्रमुख स्थान है और इस सम्बन्ध में जर्मनी के नगर राज्यों में महत्वपूर्ण योगदान किया है। जर्मनी के नगर राज्यों का नागरिक स्वतंत्रता के संज्ञक प्रस्ताव 1200 में मध्य काल में जर्मनी में 2000 में अधिक नगर राज्यों स्थापित हुए। उनमें से कुछ नगर राज्यों ने जनतंत्र के क्षेत्र में महान् प्रयोग किया। मध्य काल में यह धारणा प्रचलित थी कि नगर की वास्तु मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है। यहाँ नगर राज्यों में मध्यम वर्ग के उत्थान के कारण दिन-जिहाने नागरिक परम्पराओं, संस्कृतियों तथा संभ्रमों का निर्माण किया। जर्मनी के एक प्रमुख पत्रकार डॉ. फ्रेडरिक गेबेल्स का अनुवाद — स्ट्राम्बुर्ग उन तथा फ्रागुम्बुर्ग नगर की नगरपालिकाओं के उत्थान साधारण कारीगर तथा धर्म लागू थे। ये नगर राज्यों यूरोप के

नगर राया में सबसे पहले नगर राया में मधु और य युग के इतिहास में प्रथम संसदाय गणतंत्र के प्रतीक थे। उस समय दण्ड या प्राप्ति में इस प्रकार का कार्य जनतांत्रिक सभा नहीं था।

सांसद नगर राया का बण्डन करने आए वहाँ तक आगे निकला है — 'द्वितीय नगरपालिका का प्रशासन दण्ड के नाम आगे बढाने से अधिक महत्त्व प्राप्त गणतंत्रिक था। कां राजा यह बटन नया बुलाता था न उन भग कर नकता था। कां ना ताड या सामन कां दखानाजा नया कर सकता था। नागरिक स्वयं अपना प्रशासन करते थे। जिगहान व उनमान नामके अग्र जो नकता का मायता है कि 10वां स 12वां शताब्दी के मध्य के क्षत्राय राजों के राज्य स हा कइ नगरा न भाग मन्व प्राप्त किया तथा इस मा का नगर राया का निमाण था। कइ 'नगर राया की सभा पूणत जनतांत्रिक था आर समस्त गति नगर-सभाया तथा बु रमास्टर (नगरपिता) के पास थी। अधिकांश नगर राय बुदानत राय-जनतंत्र थे नहापात्री सामंत तथा मध्यमवर्ग के नाय मिलकर नगर सभा का निमाण करते थे। उदाहरणार्थ 'दूरमवर्ग में बुदानत राय नगर था ता म्मानबुग में जनतांत्रिक व्यवस्था फास्टु नगर में उन दाना के दाव का व्यवस्था था ३।

इस प्रकार नगर राया में प्रशासन मूलतः जनतंत्र पर आधारित था। सभी नागरिक स्वतंत्र थे और यदि किसी राज्य का कार्य किञ्चन (प्रशासन) भाग कर नगर में आ जाता तथा एक वष और एक दिन रह जाता तो वह स्वतंत्र हो जाता था और उसका भूतपूर्व मानिस उस वापस न जान सम्बन्धा दावा पना नहा कर सकता था। व नगर राय पूणत स्वतंत्र मान जात थे जिहें जमन साम्राज्य के प्रतिनिधि-सभा (Diet) का सम्बन्धा प्राप्त जाता था। नगर का प्रशासन नगर-सभा या स्टारान के हाथ में होता था जिसका अध्यक्ष बुगरमार्स्टर या नगरपिता होता था। सभा निम्न नगरपालिका या गवर्नर द्वारा नियंत्रित थी। प्रशासन का समुचित रूप से संचालित करने के लिए सबतनिक पदाधिकारी व क्लक नियुक्त कि जात थे। नगर क्लक सार नवागार का ध्यान तथा नगर-सभा को कार्यवाही का नवा-जावा रखता था। नगर-सभा नवाना तथा फौजदारा कानूना का निमाण तथा सना तथा प्रविक्षा के समठना का निक्षण करता था।

राया जमन मग्रा व इतियों का पन हथा त्या-त्या सामन्त तथा राजा साग शक्तिपानी बन और उहाने का नगर राया का पराजित कर अपने राया में मिता दिया। लिन प्रतिकृत परिधितिया में भी का नगर राया न अपना अन्तिव

1 दक्षिण बाल्कन स्टार (सम्पादक) की पार्लिमेन्टरी क्लक पाल्मवार जमनी (नवम्बर 1963) में क्लक करण का लक्ष्य का अन्तर्निर्दिष्ट पृ 139।

2 का पृ 139।

3 स्टारान विमलाय व रिफाट के दसमान जमन पार्लिमेन्टम (सन् 1954) पृ 36।

बनाये रखा इनमें फ्रांक्फुट ब्रमेन ल्यूबेक हाम्बुग आदि प्रमुख थे। आज भी पश्चिमी जर्मन संघ राज्य के दो सदस्य हाम्बुग तथा ब्रमेन नगर राज्य हैं। ये नगर राज्य जर्मनी के जनतांत्रिक आंदोलन का प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। उन्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दी की जर्मन नगरपालिकाओं के लिए ये नगर राज्य आदर्श रहे हैं।

जर्मन एस्टेट्स या क्षेत्रीय ससदें

नगर राज्या की जनतांत्रिक परम्परा को जर्मन एस्टेट्स ने आगे बढ़ाया। जर्मन सम्राट की शक्ति में कमी आने का कारण 15वां तथा 16वीं शताब्दी में नये क्षेत्रीय राज्यों (एस्टेट्स) की उभर आना या क्षेत्रीय ससदों की स्थापना की जा सकती है। सर्वप्रथम हम एस्टेट्स शब्द का अर्थ समझना चाहिए। एस्टेट्स पादरियों मामलों व कुलीन वर्गीय लोग तथा नागरिकों की एक प्रतिनिधि सभा थी जो एक राज्य विशेष या क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करती थी। एस्टेट्स जर्मन राजाओं के विरुद्ध जनता के अधिकारों की रक्षा करती थी। इनमें सुदृढ़ समदीय एवं उदार परम्पराएँ विकसित हुईं। इन्होंने न केवल राजाओं व निरंकुश अधिकारों को नियंत्रित किया बल्कि प्रशासन तथा नागरिक स्वतंत्रताओं का संचालन भी किया। राज्य के वित्त पर उनका नियंत्रण होता था। यही कारण है कि राजा उनकी बात सुनने का बाध्य था।

जर्मनी की यूरोटमबुग-एस्टेट्स एक आदर्श एस्टेट्स मानी जाती थी। इस एस्टेट्स का संविधान तत्कालीन यूरोप का सबसे अधिक उदार संविधान था। इसी से प्रभावित होकर चांस जेम्स फोक्स ने कहा — यूरोप में केवल दो ही संविधान हैं एक ब्रिटेन का संविधान और दूसरा यूरोटमबुग का। एफ एन कास्टन ने मत व्यक्त किया है कि निरंकुश राजतंत्र के युग में इन क्षेत्रीय ससदों ने स्वतंत्रता व संवैधानिक सरकार की भावना का प्रतिनिधित्व किया।¹

ये एस्टेट्स दैनिक कार्यों व साधारण मामलों में स्वयं कदम उठाते थे। यदि किसी महत्वपूर्ण मामले में एस्टेट्स का काउण्ट या ड्यूक सलाह देने से इंकार करता तो ऐसी स्थिति में वह कोई भी कदम उठा सकता था। विदेशी मामलों में भी एस्टेट्स का भारी प्रभाव था। जब यूरोटमबुग का ड्यूक एबरहार्ड ने स्वेरिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ना चाहा तो एस्टेट्स ने कहा कि पहले उन लोगों की (जनता की) सम्मति लेनी जाए तो अपने जीवन को खतरे में डालेंगे। 1514 में एस्टेट्स ने अपने ड्यूक व साथ समझौता किया जिससे एस्टेट्स को और अधिक अधिकार मिले। ट्यूबिंगन का इस समझौते का जर्मनी के संसदीय इतिहास में भारी महत्त्व है। यह तय किया गया कि सभी नियुक्तियाँ—राज्य व प्रशासनिक या धार्मिक—में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोई भी महत्वपूर्ण युद्ध उठने से पहले एस्टेट्स की स्वीकृति जरूरी है। यूरोटमबुग एस्टेट्स व ट्यूबिंगन समझौते को जर्मनी का मोना फार्सो कहा जाता है।

1 एफ एन कास्टन वि रोड एण्ड पार्लियामेंट इन जर्मनी (आक्सफोर्ड 1959) पृ 444

मध्य वर्ग तथा निचले वर्ग। तीनों वर्गों के त्रुमश 1/3 सदस्य चुने जाते थे। सत्तारूढ़ वर्ग दाना मदन राजा के साथ विभिन्न विभागों का कार्य करते थे। वज्र निर्माण में भी दाना मदन की स्वीकृति जरूरी थी। वज्र पारण सम्प्रदायी समस्या को लेकर राजा तथा प्रतिनिधि सभा में अक्सर मतभेद होता था। 1860 के शासनकाल में जब प्रशासनिक कार्य न अपनी सेना में वृद्धि के लिए अधिक वज्र की मांग की तो प्रतिनिधि सभा ने उनका विरोध किया। यह उल्लेखनीय है कि 1858 में प्रशासनिक प्रतिनिधि सभा के चुनावों में 210 उम्मीदवारों में से 59 अनुसूचित वर्गों के लोग जीते जबकि पिछले प्रतिनिधि सभा में अनुसूचित वर्गों की संख्या 236 थी।

1871 का संविधान

1862 में विस्माक प्रशासनिक कार्य (प्रधान मंत्री) बना 1866 में आस्ट्रिया की पराजित करने के बाद उसने उत्तर जर्मन परिषद का निर्माण किया जिसके लिए संविधान तैयार किया गया। यही संविधान 1871 के संविधान का आधार बना। 1871 में जर्मनी के एकीकरण के पश्चात् नवीन संविधान लागू हुआ। 1871 के संविधान के अन्तर्गत संसद के दो सदनों की व्यवस्था की गई। राज्य सभा को बुन्देसराट्ट के नाम से पुकारा गया तथा नक्सला की संरक्षण कहा गया।

संविधान में सम्राट का पद वंशानुगत रखा गया। उसके अधिनियमों का प्रभाव था। वह शासन की नियुक्ति करता तथा सामंत सम्राट के प्रति उत्तरदायी था। बुन्देसराट्ट में जर्मन संघ के सम्पूर्ण राज्यों के प्रतिनिधि थे। ये प्रतिनिधि अपनी राज्य सरकारों के निर्देशों के अनुसार मतदान करते थे। बुन्देसराट्ट का न सिर्फ प्रशासनिक व विधायी अधिकार प्राप्त थे वरन् सत्ताहीन सम्बन्धी याचिका तथा राजनयिक (Diplomati) अधिकार भी प्राप्त थे। राजदूतों की चुनना में बुन्देसराट्ट का अधिकार प्राप्त था।

1871 के जर्मन संविधान के 7 वें अनुच्छेद के अनुसार—बुन्देसराट्ट—

(1) राजदूतों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को निरूपण

(2) सामान्य प्रशासनिक कदम उठाने तथा

(3) साम्राज्य के कानूनों के पारित करने में ही निर्णयों का दूर करने के सम्बन्ध में निरूपण लेगी

अनुच्छेद 8 के अनुसार बुन्देसराट्ट का (1) स्वयं सत्ता (2) जन सत्ता (3) सीमा सुरक्षा व (4) व्यापार व परिवहन (5) रेल मार्ग डाक व तारघर (6) याचिका सम्बन्धी तथा (7) लेखा जांच के कार्य में समिति का नियुक्त करने का अधिकार था।

अनुच्छेद 9 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि बुन्देसराट्ट के प्रत्येक सदस्य का अधिकार है कि वह राजदूतों की कार्य में भाग ले सकें हर समय उसका दावत मुनी जानी चाहिए ताकि वह अपने राज्य के विचारों का प्रतिनिधित्व कर सकें।

अनुच्छेद 10 में बुन्देसराट्ट के सम्पूर्ण राज्यों की सुरक्षा की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। यह कहा गया कि सम्राट का यह दायित्व होता है कि वह बुन्देसराट्ट

क सम्पत्ति का साधारण राजनयिक मूल्य मान कर। राष्ट्रियता के द्वार में 1871 के जमान सविधान में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ थी। अनुच्छेद 20 के अनुसार जमान राष्ट्रियता का चुनाव समस्त वारिग मन्त्रिकार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा समान रूप से गुप्त मतदान द्वारा होगा।

अनुच्छेद 21 में यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी सरकार नीकर को राष्ट्रियता में जान के लिए सरकारों द्वारा नहीं बनायी जाएगी। अनुच्छेद 22 में यह व्यवस्था थी कि राष्ट्रियता का वस्तु मातृत्वनिक होगा। अनुच्छेद 23 के अनुसार राष्ट्रियता का यह अधिकार दिया गया कि वह जनता द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं का बुनियादी तत्त्व के तहत मजबूत है। अनुच्छेद 25 में राष्ट्रियता के कार्य के लिए उचित किया गया। अनुच्छेद 25 के अनुसार वह कार्य के लिए 5 वर्ष का था। राष्ट्रियता का मजबूत के लिए बुनियादी के अनुसार निर्धारित था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1919 के आत्म-शासन अधिनियम में मन्त्रिकार द्वारा निर्धारित तत्त्व के लिए उचित जमान मातृत्व में समस्त वारिग जनता का मन्त्रिकार प्राप्त था।

बार्मर सविधान 1919

प्रथम महायुद्ध में जमान की पराजय के बाद मन्त्रिकार ने राष्ट्रियता के लिए मजबूत की तथा जमान में जनता का घोषणा की। बार्मर नगर में जमान सविधान तैयार हुआ तथा 1919 में उसे लागू किया गया। इस सविधान में 1848 के सविधान की बाकी महत्व दिया गया। बार्मर सविधान तत्कालीन विश्व का आत्मशासन सविधान माना जा सकता है। इसमें वास्तव में प्रस्तावित रहा तथा 1933 में अन्तिम रूप में मन्त्रिकार के द्वारा इस अधिनियम को लागू कर ताक में रख दिया।

बार्मर सविधान का मन्त्रिकार प्रथम नामक व्यक्ति ने तैयार किया था। उस समय सविधान का जन्म था। जा सकता है। सविधान के प्रथम अनुच्छेद में घोषणा की गई कि जमान मातृत्व एक गणतन्त्र है जहाँ सर्वोच्च मन्त्रिकार जनता में प्राप्त होती है। बार्मर सविधान ने तीन प्रमुख समस्याओं की व्यवस्था की। (1) राष्ट्रियता (जातसत्ता) (2) राष्ट्रियता (राज्य सत्ता) तथा (3) राष्ट्रियता (आर्थिक सत्ता)। तीसरी समस्या ता उपमग निष्क्रिय ही रहा।

राष्ट्रियता के अधिकारों और राष्ट्रियता के विवरण सविधान के 20 से 40 तक के अनुच्छेदों में प्राप्त होता है। यह मातृत्व मन्त्रिकार समस्त जमान जनता की प्रतिनिधि सभा थी। राष्ट्रियता का कार्यकाल 4 वर्ष था। इस असीमित विधायी अधिकार प्राप्त थे। मन्त्रिकार वह जांच समिति की नियुक्ति कर सकती था। यद्यपि जमान राष्ट्रियता राष्ट्रियता का मजबूत कर सकता था किन्तु 60 दिन के भीतर नवान राष्ट्रियता का चुनाव कराना जरूरी था। राष्ट्रियता के सम्पत्ति का वह उन्मुक्ति प्राप्त थी तथा वह गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। 1871 के सविधान की तुलना में 1919 की राष्ट्रियता का भारी महत्व दिया गया। वह मन्त्रिकार में मजबूत सभ्य प्रतिनिधि मन्त्रिकार थी।

राइशराट (राय समा) भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। अनुच्छेद 60 से 67 तक उसके अधिकारों का बगन किया गया था। मामा यतया प्रत्यक्ष कानून के लिए उसकी स्वीकृति जरूरी थी लेकिन राइशराट उमकी आपत्तियां को अवरुद्ध कर सकती थी। राइशराट की अनुमति के बिना सविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता था।

वाइमार सविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद की भी व्यवस्था थी। उमका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना था। उस सविधान के 48 व अनुच्छेद द्वारा व्यापक सत्ता कालीन अधिकार दिये गए थे।

वाइमार गणतंत्र की असफलता के कारण

वाइमार सविधान एक आदर्श सविधान कहा जा सकता है। लेकिन राइट की नायमान में शासन में एक सरकार की शक्ति मुख्यतः उसके सविधान के मूल पाठ (Text) तथा व्यवस्थाओं पर आधारित नहीं होती अतः राजनीतिक ग्लानि के उत्तरदायी व्यवहार पर ही राजनीतिक स्थायित्व निर्भर करता है।¹ अपना आदर्श व्यवस्थाओं के बावजूद वाइमार सविधान 15 वर्षों में ही मृत दस्तावेज मात्र रह गया। 1939 में तो उस उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। वाइमार सविधान की असफलता के लिए सविधान तो उत्तरदायी था ही साथ ही जनतंत्र विरोधी शक्तियां विश्व आर्थिक संकट जमनी में प्राप्त बराजगारी बहूनी विरोधी भावना पूंजीपतियों के घम प्रमाण जनता में साम्प्रवाद का मय हिटलर का व्यक्तिव आदि कई कारण मुख्यतः जिम्मेदार थे। उमकी असफलता के गौरेवार निम्नलिखित कारण हैं।

कुर्यात 48 वीं धारा

यदि जमन सविधान में ही उसकी असफलता का कारण ढूँढना है तो सविधान के 47 व अनुच्छेद की इसके विनाश के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। निस्संदेह वाइमार सविधान एक प्रगतिशील दस्तावेज था लेकिन 48वां धारा जिसे अंतर्गत राष्ट्रपति का आपक सत्ताकालीन अधिकार दिए गए थे जिनके बराबर दुष्प्रयोग के अंतर्गत राष्ट्रपति राइशराट का भंग कर नए चुनाव के आदेश दे सकता था सत्ताकाल की घोषणा कर मून अधिकारों को मामिन कर सकता था। राष्ट्रपति बगन बार बार इन धारा का प्रयोग कर जमन जनतंत्र की नींव पर प्रहार किया। वाइमार हिटलर ने उमका अनुच्छेद का सहारा लेकर समस्त शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित कर लीं।

राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव

वाइमार सविधान के निर्माताओं ने सविधान का अधिक जनतांत्रिक बनाने के लिए न केवल एक प्रतिनिधि मंडल जिसे राइशराट का नाम से संबोधित किया जाता है की व्यवस्था की बरन उन्हीं राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव की भी व्यवस्था की। इस प्रकार जमन समशील प्रणाली में ता अमरिका की भांति पूरी तरह अद्यत्तात्मक

1. एडवर्ड शी नोडमान गवर्नमेंट ऑफ वेइमार रिपोर्ट (नवम्बर 1966)

प्रवस्था बन मकी न थी प्रवस्था या भारत की भाति मंत्रिमण्डलात्मक प्रवस्था । अपने प्रत्यक्ष चुनाव व नाकप्रिय समयन व कारण राष्ट्रपति भी राष्ट्र का मन्त्रा प्रनिनिधि हान का लवा कर सकता था । उपर सविधान ने चामनर (प्रधान मंत्री) का भी काफी महत्वपूर्ण अधिकार दे रखे थे अन व भी जनता का सवा प्रनिनिधि होने का दावा कर सकता था । दाना म मतभन् की स्थिति म राष्ट्रपति सकत कारीन अधिकारा का प्रयोग कर सकता था ।

जनतत्र विरोधी शक्तिया

मविधान की हत्या का मुख्य दोष जनतत्र विरोधी राजनीतिक दला पर रखा जा सकता है । अनुत्तर पथी कट्टर राष्ट्रवादी राजनातिक दल नात्सी दन तथा साम्यवादी दन वार्समार प्रवस्था को जड स उखाड फेंकन पर उत्तारू थ । साम्यवादी दन वार्समार गणतत्र के स्थान पर जानि क मा धम म साम्यवादी व्यवस्था थोपना चाहना था । राष्ट्रवादी तत्व वाइमार्-गणतत्र का पराजय का प्रनीक मानन ये उम जमनी के माथ पर कनक का टीका समझने थे और उस समाप्त करना ही उनका परम उ श्य था । नात्सीन तानाशाी का समयक था । व उद्देश्य तभी पूरा ही सकता था जब गणतत्र समाप्त हो जाए । नात्सी नेता गोरव म न तो 1928 मे यहा तत्र निवा हम राष्ट्रशाग म इसलिए पवश कर रहू हैं ताकि हम जनतत्र क शस्त्रागार म अपने आपका शस्त्रा स सुसजित कर सकें । हम राष्ट्रशाग के डेपुी (प्रतिनिधि) इसलिए बनंगे ताकि हम वार्समार की भावन को नष्ट कर सक । यदि जनतत्र इनना धोर मूख है कि वह हम मुक्त भाजन तथा रन टिकत प्रदान करता है ताकि हम उसकी बसी मेवा लर सकें तो य उमका अपना मामना है । हम शकु की भा त प्रवश करते है ताकि भडा को खतम कर सकें ।

आनुपातिक चुनाव प्रणाली तथा बहुदलीय प्रथा

आनुपातिक चुनाव प्रणाली यद्यपि अकगणना शास्त्र की दृष्टि स एक याय पूण व आदश व्यवस्था है तकिन सहज जान की दृष्टि स यह खतरनाक हो सकती है । यही प्रणाली जमन स्वतत्र के लिए मृत्यु का संश बन गई । आनुपातिक चुनाव प्रणाली क उपयोग स राजनीतिक दलो का मन्ध्या म वद्धि हानी है और अतिक दन हान पर जनतत्र म अस्थिरता व कमजोरी आती है । एक समय वार्समार गणतत्र म 36 राजनीतिक दन थ । य अपने दनगत स्वार्थों की अधिक तथा राष्ट्र की विन्ता कम रखत थ । आनुपातिक प्रणाली के कारण राष्ट्रशाग म अनक दन हो गय तथा सरकार क निमाण म कनिनायों उपस्थिन हुई । हमशा मिन जून मंत्रिमण्डल बनने थ । भीष्म ही व दन भा जात । चामनर म अविश्वाम व्यन् करन के लिए ता विभिन्न राजनातिक दन उट तयार हा जात तकिन नए चामनर क चुनाव के समय

कठिनाई आनी क्याकि प्रत्येक महत्वपूर्ण दल अपने दल का चान्दर चाहता था। इस सरकार में अस्थायित्व आया प्रशासन कमजोर हुआ और जनकल्याण के कार्यों का ठस लगी।

विश्व आर्थिक संकट

सन् 1929-30 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट उपस्थित नहाना न सम्भवतः जर्मन जनतंत्र दीघकाल तक चल सकता था। प्रथम महायुद्ध के कारण जर्मनी में पलट्टी बदारी भुखमरी तथा आर्थिक संकट विद्यमान था और 1919 में जब अन्तर्जातीय वानस्टीट में आर्थिक धमाका हुआ तो जनतंत्र के बचन की रहा सही उम्मीद भी जाती रही। जब अमेरिका में डॉलर के मूल्य में गिरावट आई तो उसमें मजदूर विश्व और विशेषतः यूरोप की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। आर्थिक संकट के कारण विश्वव्यापी मन्दी आया। जर्मनी का विश्व व्यापार उजड़ गया और आंतरिक अर्थव्यवस्था भी उस भारी धक्के का सहन न कर सकी।

जर्मन सेना द्वारा जनतंत्र का विरोध

1871 के बाद से ही जर्मनी में सेना का अत्यधिक महत्त्व तथा प्रभाव था। स्वयं बिस्मार्क इससे चिन्ता था और व्यर्थ से उच्च अर्थ देना कहता था। सैनिक अधिकारियों में अधिकारशासन कुतूब नामक एक जमींदार था। जनतंत्र की स्थापना में उनका विरोधपाधिकारों पर कुठाराघात का सम्भावना थी अतः जनतंत्र का वह नापसन्द करता था। सत्ता का जर्मन राजनीति पर प्रभाव हम बात से स्पष्ट हो जाता है जर्मनी में 1920 से 1928 तक कई मन्त्रिमण्डल बदले लेकिन मना (प्रतिरक्षा) मन्त्री डा गज्जर ही बना रहा। जब उस हटान का सवाल आया तो सत्ता में उसने विश्वसनीय यन्त्रि जनरल ब्रानर का उस पद पर ला बिठाया गया। सैनिक अधिकारियों प्रथम महायुद्ध का पराजय का बदला लाना चाहता था।

हिटलर द्वारा जनतंत्र की हत्या

1933 में हिटलर सत्ता में आया। यद्यपि उसने सवधानिक तरीका में चान्दर ना पद प्राप्त किया लेकिन शीघ्र ही उसने जनतंत्र की हत्या कर दी। उसने सभी विरोधी दलों पर प्रतिबन्ध लगा दिया तथा उसका नात्सी दल (नशनल सोशलिस्टिक नर पार्टी आफ जर्मनी) ही एक मात्र कानूनी दल रहा। अपनी मजदूर निरवृत्त शक्तियां तथा सत्ता के प्रयोग कर कानूनी गिरफ्तारियों न करवाया तथा पाहल कानून बावजूत वह जर्मन जनता का मन नहीं जीत सका उसे मजदूरों के समझाना का पानन करना पडा। विरोधी राजनीतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने के बावजूत कई जर्मन नागिक न हिटलर का विरोध किया कई विरोध-समूहों का जन्म हुआ। अन्तिका युद्धोविद्या पाठशाला विद्यार्थियों तथा जर्मन मजदूरों के समझाने का गुप्त रूप न हिटलर का प्रतिरोध जारी रखा। हिटलर विरोधी आन्दोलन

के कुछ प्रमुख नेता य मगर जनता ट शकाव स्टाडफेनबर्ग मा... तब अ...
 एक विश्वचरनवग युम मा... परस्टर पात इना... तथा युवक तथा प्रा...
 टा... तथा ...की शक्ति साफी... एन लागाने जनतंत्र के आ...
 तथा ...के विराध य अपन प्राणों की आहुति दे ली । हिनके विरोधी आ...
 का सामना था --जमन जनता के जनतंत्र प्रम का नीता-जाता ... है । हिनके
 का विगत करने के दाए आमहत्या के लिए मजदूर किए जान पर मजर जनरन
 हिनके जल ट शकाव न तिरा-- ... न केवल ...का वरल् समस्त वि...
 का धार है । इस प्रकार जमन जनतंत्र के उत्तार बढ़ाव पुन निहाम म एक
 विराध उपस्थित था ।

जमन राजनीतिक दल

राजनीतिक टन समुदाय जनता के नियता प्रती वाहक तथा रभक था
 है । जनतांत्रिक मजदूर के काय का सम्पन्न करने के लिए वे अनिवाय है । वे
 प्रा...न ... पट्टिय है । उनके अभाव म न व्यवस्थित टन न नाति का निर्माण हा
 मवता है न उह पायु किया जा सकता है । चुनाव के माध्यम न विभिन्न राजनीतिक
 टन सता प्राप्त कर अपन आ... तथा कायनामा का प्रभावशाला टन म लायु करने
 का प्रयत्न करते हैं । उनका मुख्य काय जनमत का आपन करना है तथा उन्हें अपन
 कायनामा विचारा याननामा तथा आ... से अवगत कराना है । इन दृष्टि म
 राजनीतिक टन जनता के पय प्रदाक है ...म विश्वा शक्ति प्रदान करते हैं ।

अपन वर्तमान स्वरूप म राजनीतिक दल लगभग 100-125 साल से अस्तित्व
 पुरान न । है । उनसे पूर्व जनमत प्रवक्त दल चुनाव जीतने के लिए संगठन ...
 बनने ...सामाजिक समाज या समदोष सम...मल ... अस्तित्व म रहे हा लेकिन उ...
 राजनीति ...की सता नहा दा जा सकती । आधुनिक राजनीतिक दल की परनाया
 मका...के अनुसार इस प्रकार का जा सकता है -- राजनीतिक समुदाय ... है
 जिसका संगठन किसी विाप मिद्वान या नीति के समयन के लिए था हा या
 सवधानिक उपाया का सहारा लेकर ...म मिद्वान अथवा नीति के आधार पर सरका
 बनाने का प्र... करता हा । जमन विज्ञान मकन वबर के अनुसार राजनीतिक दल
 स्व...म बनाया हमा बहु संगठन है जो शासन सत्ता को हस्तगत करना चाहता है
 और सत्ता प्राप्ति के लिए प्रसार और आ...न का सहारा लेता है । इन अर्थों म
 मुसालिन राजनीतिक टन का जन्म उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध म था । जमनी
 म था 1860 के आसपास हा मुसगन्ति राजनीतिक दल की स्थापना का रूप
 धारण था और आ... के विचारधारा के आधार पर राजनीतिक टन बन

1. हा मशीन के ...की बहिन मोरी ने ना ...के विरोध करने के लिए स्वयं ...
 ना के ...के निमाण किया तथा ...के विरोधी पक्ष ...के लिए ।

प्रारम्भ हुए। इससे पूर्व भी कई समूह थे जिनके राजनीतिक धार्मिक व सामाजिक उद्देश्य थे लेकिन ये समूह राजनीतिक दला की वर्तमान परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते थे। क्योंकि राजनीतिक दला के लिए आधारभूत सिद्धान्तों की एकता सगठित रूप से बधानिक उपाया का प्रयाग तथा राष्ट्रीय हिता की बद्धि आवश्यक तत्त्व है। 1870 से पूर्व जर्मनी एक राष्ट्र ही नहीं था अतः राष्ट्रीय हिता की बद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता था।

जर्मन राजनीतिक दलों के उत्पन्न व विकास का ज्ञान प्राप्त करने में पूर्व यह जानना जरूरी है कि राजनीतिक दल मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतया राजनीतिक दला का चार भागों में विभाजित किया जा सकता है —

- (1) उत्तरवादी दल — ये वे दल हैं जो समय और परिस्थितियाँ के अनुकूल हैं। पूर्व के बधानिक उपाया का सहारा लेते हुए शासन-व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं।
- (2) अनुत्तरवादी वे दल हैं जो यथास्थिति (Status quo) के पोषक हैं तथा प्राचीन व्यवस्था का बनाय रखना चाहते हैं।
- (3) उग्रवादी राजनीतिक दलों के अंतर्गत वे दल आते हैं जो क्रान्तिकारी परिवर्तन की बकालत करते हैं तथा नई व्यवस्था कायम करने के लिए वर्तमान व्यवस्था को हिसक क्रान्ति द्वारा बदलने के लिए भी तैयार हैं।
- (4) प्रतिक्रियावादी दल की परिधि में वे राजनीतिक दल शामिल हैं जो अतीना-मुखी हैं। वे भूतकाल को ही स्वल्प-युग मानते हैं तथा प्राचीन मन्थता मन्थृति आचार विचार और परम्पराओं का पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि आधुनिक राजनीतिक दलों में से अधिकतर दला पर उपरिलिखित वर्गीकरण पूरी तरह सही नहीं उतरता। हो सकता है कि एक दल अनुत्तरवादी राजनीतिक दल होने के साथ ही साथ कुछ मामलों में उत्तरवादी और कुछ मामलों में प्रतिक्रियावादी। अभी प्रकार अपने आपको उत्तरवादी कहने वाला राजनीतिक दल कुछ प्रश्नों पर उग्रवादी भी हो सकता है।

जर्मनी के राजनीतिक दलों को भी उत्तरवादी अनुत्तरवादी तथा उग्रवादी राजनीतिक दला की श्रेणी में रखा जा सकता है। एक प्रश्न हमें 1848 की क्रान्ति के समय सत्त पात्र गिरजाघर में एकत्रित जर्मन प्रतिनिधियों में अमगठित राजनीतिक समूहों के दलन हान है। वहाँ एकत्रित प्रतिनिधियों में कुछ भाग अनुत्तरवादी व कुछ उत्तरवादी तथा कुछ उग्रवादी। इनका चर्चा पिछले अध्याय में किया जा चुका है। 1850 की प्रश्न का प्रतिनिधि-सभा में भी हम उत्तरवादी प्रारम्भिक राजनीतिक दलों का समागम या संघटन मिलना है लेकिन मुस्पेष्ट रूप में राजनीतिक दल 1863 के बाद ही उभरे थे। 1863 में प्रश्न के चुनाव में निम्नलिखित दल उभरे थे।

राजनीतिक दल का नाम	प्राप्त मतों की संख्या
उदारवादी (प्रगतिशील दल)	536 000
अनुदारवादी	336 000
पान (Poles)	132 000
कथानिक दल	23 000
अन्य दल	72 000

जर्मनी में व्यापक रूप से संगठित राजनीतिक दलों का सबसे प्रथम दर्शन हमें 1871 के मविधान के बाद हाते हैं। 1871 में राष्ट्रीय स्तर पर 6 विशाल राजनीतिक दल तथा लगभग 13 छोटे दल थे। स्थानीय चुनावों में दर्जनों नए भाग लेते थे। 6 अनुदान दलों के नाम इस प्रकार हैं —

- (1) अनुदारवादी
- (2) स्वतंत्र अनुदारवादी
- (3) राष्ट्रीय उदारवादी
- (4) सेंटर (मध्यवर्ती) दल
- (5) प्रगतिशील उदारवादी
- (6) सोशल डेमोक्रेट (समाजवादी)

1871 से 1918 के समय राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में निम्नलिखित तांत्रिका बहुत उपयोगी सिद्ध होगी—

जर्मन राइशटाग 1871-1918

राजनीतिक दल	प्रतिनिधियों की संख्या			
	1871	1893	1907	1912
(1) अनुदार दल	90	100	109	68
(2) उदार राइश पार्टी	30	—	—	—
(3) राष्ट्रीय दल	119	53	56	44
(4) वाम पक्षी—उदारवादी दल	47	48	50	42
(घ) उदारवादी दल				
(च) उदार जनता-दल				
(स) श्रमिक जनता-दल				
(द) उदार सभ				
(ई) प्रगतिशील जनता-दल	(सभी दलों की मिलाकर)			

(5) सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी	1	44	50	47
(6) सेंटर पार्टी	58	96	105	93
(7) सुधारक दल	—	16	—	—
(8) स्वतंत्र निदर्शीय	15	5	3	7
(9) पोल लोगो का दल	14	19	20	18
(10) वोलफन लोगो का दल	7	7	2	9
(11) अल्सास लॉरेन दल	—	8	8	9
(12) डन लोगो का दल	1	1	1	1

उदारवादी दलों का विकास

1859 में जर्मन राष्ट्रीय सभ नामक एक उत्तर संगठन बना तथा इसी उदार सभ ने 1861 में प्रशा की विधान-सभा (लेण्डटाग) में जर्मन प्रगतिशील दल के रूप में स्थान ग्रहण किया। लेकिन जर्मनी के उदारवादियों में भारी मतभेद था। 1867 में हडोल्फ फान बर्निगसेन के नेतृत्व में एक अग्र राजनीतिक दल का निर्माण हुआ जिसे राष्ट्रीय उदारवादी दल का नाम से जाना जाता है। 1884 में राष्ट्रीय उदारवादी दल का पुनर्गठन किया गया। अब यह दल राष्ट्रीय अधिक तथा उत्तरवादी कम रह गया था। इससे असन्तुष्ट होकर उदारवादियों के एक वर्ग ने यूगन रिक्टर के नेतृत्व में अग्र उदारवादी दल (फ्राईसिन्निग पार्टी) का निर्माण किया। 1871 से 1918 के बीच उत्तरवादी दल अग्रिकाधिक विभक्त होना गया और वह सात राजनीतिक दलों में बंट गया। दो दलों का भेदाव अभिन्न पक्ष तथा पाँच का रमान वामपक्ष की ओर था। इनका विवरण ऊपर नी गई तालिका में है। विभाजन के कारण उसकी शक्ति कमजोर होती गई।

प्रथम महायुद्ध (1914-1918) के बाद जर्मनी में गणराज्य की स्थापना हुई तो उदारवादियों ने विचार किया कि यदि वे मजबूत नहीं होंगे तो उनका पतन निश्चित है। लेकिन अभी भी विभिन्न वर्गों में मतभेद थे। यही कारण है कि 1919 से 1933 तक दो उदार राजनीतिक दल जर्मनी में मौजूद रहे —

(1) जर्मन जनतांत्रिक दल (German Democratic Party)

(2) जर्मन जनतांत्रिक [German Peoples Party]

इनमें से प्रथम दल प्रगतिशील नीतियों का हामी था और उसका भेदाव कुछ सीमा तक वामपक्षी था। जर्मन जनतांत्रिक दल के प्रमुख नेताओं के नाम इस प्रकार हैं—फ्रीड्रिच नोपमान ह्यूगो प्रयस वाल्टर राधनाब तथा वानराड हाउसमान।

दूसरा उदारवादी दल था जमन जनता दल इसका नेता गुस्ताफ स्ट्राममान था ।
दोना दना को जमना की राइश्याग में निम्नलिखित स्थान प्राप्त थे ।

राइश्याग 1919-1933

वर्ष	जमन जनता दल	जमन जनता दल
1919	22	74
1920	62	45
1924	44	28
1924	51	32
1928	45	25
1930	30	14
1932	7	4
1932	11	2
1933	2	5

उक्त तानिका से स्पष्ट सक्त मिलता है कि यदि दाना दल सयुक्त रूप से
चुनाव लड़न तो वे एक सशक्त दल के रूप में उभर कर सामने आ सकत थे ।
1934 में जिनकर ने विरोधाभासों पर प्रतिबन्ध लगा दिया था ।

समाजवादी दल

जमन समाजवादी दल सांजन डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से विद्यमान है ।
यह दल यूरोप के प्राचीनतम समाजवादी दल में से एक है । इसकी स्थापना 1863
में हुई । उस समय इसका नाम समग्र जमन श्रमिक मजदूर था । इसी स्थापना
फर्दिनेन्स लासाल (1825-1864) नामक व्यक्ति ने की । ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक
बर्टेंड रसल के अनुसार फर्दिनेन्स लासाल ने जमन श्रमिक आन्दोलन का निर्माण
किया तथा लम्बे अरसे तक और आज भी उस दल पर उसके व्यक्तित्व की अमिट
छाप है । जमन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पर कुछ अर्थ लागू का भी प्रभाव रहा
ये हैं — फ्रागुन्ट वेवेन (1840-1913) विलिहैम रीबनेहल (1826-1900) ।

समाजवादी आन्दोलन भी मतभेदा का शिकार रहा और 1869 में वेवेन
तथा रीबनेहल ने फार्जनाक नामक नगर में एक अल्प समाजवादी दल का निर्माण
किया इनके दल का नाम था सांजन डेमोक्रेटिक लबर पार्टी । इस दल ने मार्क्स
के विचारों से प्रेरणा प्राप्त की । लेकिन शीघ्र ही दोनों दल एक हो गये । क्योंकि
1871 में बिस्माक समस्त जमनी का धान्मन्तर बना वह सोशल डेमोक्रेटों को
घृणा करता था तथा उन्हें पितृभूमि विरोधी कहा करता था । प्रथम समाजवादिनी
दल से बचन के लिए 1875 में गोया नामक स्थान पर दोनों दलों का नाम
सोशल लबर पार्टी रखा । लेकिन बिस्माक समाजवादिनों के दमन पर उतारू था ।

शीघ्र ही उसको अवसर भी मिल गया। जर्मनी के सम्राट की हत्या के लिए दो बार असफल प्रयास किया गया। यद्यपि समाजवादियों का इसमें कोई हाथ न था फिर भी विस्माक ने समाजवादियों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया तथा 1878 में समाजवाद विरोधी कानून का निर्माण किया गया। समाजवादियों के संगठनों तथा अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया। समाजवाद विरोधी यह कानून 1890 तक चलता रहा। जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय ने उसे उस वय समाप्त कर दिया।

जर्मन समाजवादी आंदोलन में आन्तरिक मतभेद अभी भी बने हुए थे। दल अंदर ही अंदर तीन वर्गों में बंट गया (1) लासालवादी (2) मार्क्सवादी तथा (3) उदारपथी जो मध्यम मार्ग अपनाना चाहते थे। मार्क्सवादी विचारधारा वाले वर्ग का नवतृत्व रोजा लुक्जेम्बर्ग ने किया। विलियम लीबनेस्त भी इनके साथ था। 1914 में जब युद्ध की घोषणा हुई और राईशटाग में युद्ध के खर्च सम्बन्धी बजट का प्रश्न सामने आया तो समाजवादी दल ने उसका समर्थन किया लेकिन लीबनेस्त व उसके कुछ अनुयायियों ने समर्थन में इसका विरोध किया। उन्होंने इंडिपेण्डन्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का निर्माण किया। शीघ्र ही इस दल के एक वर्ग ने इसको त्यागकर जर्मन साम्यवादी दल का निर्माण किया। इस प्रकार समाजवादी दल तीन टुकड़ों में बंट गया।

कज़रवेटिव दल

कज़रवेटिव दल प्रशासकीय विधान सभा में 1860 में ही मौजूद था। 1866 में यह दल विभाजित हो गया और दो दल सामने आये —

(1) कज़रवेटिव दल

(2) फ्री कज़रवेटिव दल

1871 में कज़रवेटिव दल को समस्त मतदान का 1/8 वां भाग मिला तथा संसद में यह चौथा सबसे बड़ा दल था। इस दल में सामान्य सैनिक अधिकारी अनुदार प्रोटेस्टेंट पादरी सरकारी अधिकारी आदि भी शामिल थे। इनका मुख्य केंद्र प्रशासकीय विधान सभा में था। यह दल सम्राट के पद को और अधिक सशक्त बनाना चाहता था तथा प्रशासकीय अधिकारियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि तथा स्वतंत्र धार्मिक संस्थाओं का पक्षपाती था। 1871 से 1933 तक अनुदारवादी दल काफी शक्तिशाली बना रहा।

फ्री कज़रवेटिव पार्टी काफ़ी मामला में कज़रवेटिव पार्टी से मिलती-जुलती थी। लेकिन जहाँ कज़रवेटिव पार्टी प्रशासकीय विधान सभा की पक्षधर थी फ्री कज़रवेटिव पार्टी जर्मनी को महत्त्व देना चाहती थी। 1871 में इस दल ने अपना नाम बदलकर राईश पार्टी रखा।

२. पार्टी

ऊपर हमने जितने राजनीतिक दलों का उल्लेख किया है उनके अधिकांश

सदस्य प्रोटस्टेण्ट सम्प्रदाय के जमन नागरिक थे। लेकिन धर्म उनका मूल आधार नहीं था वरन् राजनीतिक आर्थिक व सामाजिक विचार ही प्रमुख थे। लेकिन सटर पार्टी का स्वभाव दूसरा था। उसका आधार धर्म था और यह मूलतः कथलिक लोगों का राजनीतिक दल था। 1870 में कथानिकों के हितों की रक्षा के लिए इसका गठन किया गया। 1871 के चुनावों में राईशटाग में यह दल सबसे बड़ा दल था। कई दशकों तक इसने जर्मन राजनीति पर प्रभाव डाला। इसका प्रमुख नेता था जुडविग बिन्थोसट (1812-1891)। 1919 से 1933 तक भी यह दल बाइमार गणतंत्र में सक्रिय रहा। यद्यपि राईशटाग के कुल 600 सदस्यों में सटर पार्टी के 70 से अधिक सदस्य कभी नहीं रहे फिर भी बाइमार-गणतंत्र के कुल 14 चांसलरों में से 6 चांसलर सेंटर पार्टी के थे।

कम्युनिस्ट पार्टी

पहले साम्यवादी विचारधारा के लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में ही शामिल थे। लेकिन 1914 में प्रथम महायुद्ध आरम्भ होने के बाद उनके मतभेद तीव्र रूप से सामने आये। मतभेद का प्रमुख कारण यह प्रश्न था कि क्या सरकार का युद्ध प्रयासों में सहयोग दिया जाए तथा युद्ध का समर्थन किया जाए अथवा नहीं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अधिकांश सदस्य उसके पक्ष में थे जबकि कुछ लोग इसके विरुद्ध। 1917 में साम्यवादी विचारधारावादी लोगों ने स्पार्टेक्स लीग के नाम से अपने आपको संगठित किया तथा बाद में इन्होंने अपना नाम बदल कर जर्मन साम्यवादी दल रख लिया। 1918 में स्पार्टेक्स दल ने जर्मनी में क्रांति का प्रयास किया जिसे शीघ्र दबा दिया गया।

जर्मन साम्यवादी दल के प्रमुख नेताओं में राजा लुबजमबर्ग काल रोबनेस्त गया अस्ट थेनमान (1886-1944) थे। कट्टर राष्ट्रवादियों ने इनमें से प्रथम दो नेताओं की 1919 में हत्या कर दी। थेनमान ने तो जर्मन राष्ट्रपति पद का भी चुनाव लड़ा। प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी में क्रांति हुई और सच्चाट को मिटासून त्यागना पड़ा। 1919 में जब संविधान निर्माण-सभा के चुनाव हुए तो साम्यवादियों ने उसमें भाग नहीं लिया लेकिन बाद में जब राईशटाग के चुनाव हुए थे साम्यवादी दल ने उसमें भाग लिया। 1925 में जब जर्मन राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ तो हिण्डनबर्ग व मुकाबले में साम्यवादी दल के थेनमान ने भी चुनाव लड़ा उसे सिर्फ 19 प्रतिशत मत ही प्राप्त हुए। लेकिन जब राष्ट्रपति पद का किसी भी प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो दूसरी बार भी मतदान हुआ इस बार साम्यवादी दल की वही स्थिति रही। 1932 में राष्ट्रपति पद का दूसरा चुनाव हुआ उसमें भी साम्यवादी दल ने थेनमान को अपना प्रत्याशी बनाया और उस बार उस 37 प्रतिशत मत मिले।

इंडिपेंडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी

1917 में जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का विभाजन हुआ तो उनके उत्तम

दल बन (1) सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (2) स्पार्टेकस लीग जो बाद में साम्यवादी दल के नाम से जानी गयी (3) इंडिपेंडेंट मोशन डेमोक्रेटिक पार्टी इस दल के नेता थे ह्यूगो हास काल काउटस्की तथा एन्ग्रेड बन्सटार्न। इन लोगों ने 1915 में ही अन्तर्गत होने का निर्णय ले लिया था। इंडिपेंडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के मासिक शिष्टाचार के कारण यही कारण है कि उन्होंने युद्ध का विरोध किया। कुछ वर्षों के लिए यह दल काफी लोकप्रिय रहा लेकिन शीघ्र ही इसका अस्त भि हो गया। 1922 के बाद इसके अधिकांश सदस्यों ने पुन मजोरिटी सोशलिस्ट (सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी) में प्रवेश किया। 1924 में इंडिपेंडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी समाप्त हो गई। इस वर्ष उसे 98000 वोट ही मिले। इसके कुछ सम्य साम्यवादी दल में और कुछ मजोरिटी सोशलिस्टों में शामिल हो गए।

नात्सी दल

एण्टन डॉब्स नामक व्यक्ति ने 1919 में जर्मन श्रमिक दल नामक एक दल का निर्माण किया। बाद में इस दल का नाम बदल कर राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रमिक दल (नॅशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी) रखा जिसे संक्षेप में नात्सी दल कहा है। डॉब्स प्रमुख नेताओं में हिटलर गोयबल्स हिमलर रुडोल्फ हेस तथा हर्मन गोरिंग थे। गोरिंग सत्ता हिटलर के आस-पास केन्द्रित थी। 1923 में उसने म्यूनिख में विद्रोह भड़का कर सत्ता पर कब्जा करने का अन्तर्गत प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप उन जेल में भेजा गया। जेल में उसने माईन काम्फ या मेरा संघर्ष नामक पुस्तक की रचना की। माईन काम्फ शीघ्र ही जर्मनी में लोकप्रिय हो गई। और 1928 में डॉब्स ने डॉब्स पार्टी के चुनाव में सक्रिय भाग लिया तथा उत्तरोत्तर अल्पमत में बढ़ती चली। 1932 में जर्मनी में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ इसमें हिटलर ने भा नात्सी दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव में भाग लिया। इस चुनाव में हिटलर को 1 करोड़ 86 लाख तथा हिटलर को 1 करोड़ 30 लाख वोट तथा 1933 में डॉब्स पार्टी के चुनाव में नात्सी दल को 1 करोड़ 37 लाख वोट तथा 230 स्थान प्राप्त हुए। यद्यपि हिटलर को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ लेकिन राष्ट्रपति एण्टन डॉब्स ने उस संयुक्त अन्तर्गत बनाने के लिए आमंत्रित किया और इस प्रकार हिटलर जर्मनी का चान्सेलर बना।

छोटे राजनीतिक दल

उन महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के अलावा कुछ छोटे-छोटे दल भी थे जो बिना राज्य या अर्थात् समूह का प्रतिनिधित्व करते थे। इनके नाम इस प्रकार हैं नात्सी युवक (राज्य-संघर्ष) जर्मन कृषक दल नवोदित राष्ट्रीय समाज सेवा दल अर्थात् दल बवैरिया जनता दल त्रिनिशियन राष्ट्रीय किसान जन सेवा राज्य संघ इत्यादि।

जर्मनी के समस्त दलों को 1919 से 1933 तक डॉब्स पार्टी में बिना स्थान प्राप्त थे इसका तालिका पुस्तक के अंत में परिशिष्ट में दी जा रही है।

हिटलर द्वारा विरोधी दलों का अन्त

हिटलर ने जो पहला मन्त्रिमण्डल बनाया उसमें नात्सी दल के तीन मन्त्र तथा अन्य विरोधी दलों के नौ सदस्य थे। इस पर राष्ट्रपति हिंम्पेनबर्ग ने मोक्ष कि ऐसी स्थिति में हिटलर तानाशाह नहों बन सकेंगे। लेकिन नात्सी नेता हर कीमत पर नात्सी दल की तानाशाही चाहता था। हिटलर सांख्यिक मन्त्र पार्सी तथा उसमें साम्यवादी दल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। पहल उसमें साम्यवादी दल को समाप्त करने का निश्चय किया। 27 फरवरी का क़िसास राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ। नात्सी नेता ने इस साम्यवादीयों द्वारा राष्ट्रपति कृत्य की सजा दी। हिटलर की सलाह पर हिंम्पेनबर्ग ने जर्मन राष्ट्र के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए अधिनियम जारी किए। साम्यवादों के विरुद्ध भी सुरक्षा का अधिनियम बनाया गया। बाइमार संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को समाप्त कर लिए गए। इन अधिनियमों का आधार बना कर हिटलर ने विनाशियों के सम्मेलन समाप्त तथा समाचार-पत्रों और श्रमिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया।

5 मार्च 1933 का राष्ट्रपति चुनाव हुआ। नात्सी दल ने दमन आतंक गिरफ्तारियों द्वारा अपना दल के लिए वरदान प्राप्त करने का प्रयास किया। इस चुनाव में 88 प्रतिशत मतदाताओं ने भाग लिया। कुल 3 करोड़ 93 लाख मतों में नात्सी दल को 1 करोड़ 73 लाख मत मिले जो 44 प्रतिशत मत थे। सोशलिस्टिक पार्टी के मतों की संख्या में कमी नहीं आई तथा साम्यवादीयों के वोटों में भी घाटी सी कमी हुई। पुनः हिटलर को मित्रों द्वारा मन्त्रिमण्डल बनाना पड़ा। 23 मार्च को हिटलर ने राष्ट्र तथा राष्ट्र के संवैधानिक कानून नामक विधायक राष्ट्रपति के प्रस्तुत किया। वह इस कानून द्वारा मन्त्रिमण्डल को अपने अधिकारों के अन्तर्गत करना चाहता था। इससे पूर्व उसने 81 साम्यवादीयों के अन्तर्गत मन्त्रिमण्डल को अपने अन्तर्गत करने के लिए अग्रगण्य ठहरा दिया ताकि वे राष्ट्रपति के अन्तर्गत मन्त्रिमण्डल में भाग ले सकें। 441 मन्त्रिमण्डल विधायक का समयत किया सिर्फ 93 सोशलिस्टिक दल ही उसका विरोध किया। यह कानून अनर्वालीय एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें हिटलर की तानाशाही का भाग प्रशस्त हो गया। 14 जुलाई 1933 के कानून द्वारा हिटलर ने नात्सी दल को ही एक मात्र दल बना दिया बाकी दलों को समाप्त कर लिए गए। अधिकांश विरोधी नेताओं को या तो दस से अधिक वर्षों तक या उन्मुखित करने में भेज दिया गया।

बेसिक लॉ का जन्म और विकास

1939 में हिटलर ने द्वितीय महायुद्ध की शुरुआत की और उसके दुस्ताहसी काय के परिणाम स्वरूप 1945 में जर्मनी को पराजय का मुह देखना पड़ा। 8 मई 1945 को जर्मनी ने विना शर्त आत्म-समर्पण कर दिया। हिटलर की मृत्यु के पश्चात् एडमिरल (नौ सनाध्यक्ष) काल ड्योनिटज ने सत्ता सम्भाली थी। उस उमके मन्त्रिमण्डल के अग्र सन्स्यो सहित गिरफ्तार कर लिया गया। एसा प्रतीत होता था कि जर्मनी का अंत हो गया है अब कभी भी उसका पुनरोदय नहीं हो सकेगा। जर्मनी में अमेरिका सोवियत संध ब्रिटेन व बाद में फ्रांस की सेना ने प्रवेश किया। इससे पहले मित्र राष्ट्रों ने याल्टा-सम्मेलन (फरवरी 1945) में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट सोवियत संध व स्टालिन तथा ब्रिटेन के प्रधान मंत्री चर्चिल ने यह तय कर लिया था कि जर्मनी को चार क्षेत्रों में बाटा जाएगा तथा उस पर अमेरिका सोवियत संध ब्रिटेन व फ्रांस का प्रशासन रहेगा।

अगस्त 1945 में बर्लिन व निकट पोटासडम-सम्मेलन का आयोजन किया गया और उमके निणय के अनुसार जर्मनी को कुल पांच भागों में बाटा गया पाचवें भाग को पोलण्ड तथा रूस के प्रशासन में रखा गया। पोलण्ड को जर्मनी की ओडर नाल्से नदियों व पूर्वी भाग में स्थित समस्त जर्मन प्रदेश तथा उसके साथ ही स्टालिन का नगर प्रशासन के लिए सौंपा गया। सोवियत संध को पूर्वी प्रशा का उत्तरी भाग तथा ब्योनिगवेग का नगर (जिमका नाम बदल कर बाद में कालिननग्राड रखा गया) दिया गया। साथ ही यह निश्चय किया गया कि जब जर्मनी के साथ शांति-संधि की जाएगी तब उस पाचवें भाग व बारे में अन्तिम निणय लिया जाएगा लेकिन 1945 से लेकर आज तक (1977) जर्मनी के साथ कोई संधि नहीं की गई और इसके फलस्वरूप वह क्षेत्र आज भी पोलैण्ड व रूस व प्रशासन व अंतर्गत है।

जर्मनी में मित्र राष्ट्रा की सेना के प्रवेश के साथ ही जर्मन सवधानिक व्यवस्था समाप्त हो गई। अब वहां चार राष्ट्रा की विशेषी सेना का आधिपत्य था। पोटासडम सम्मेलन व निणयों में ही जर्मनी व नावी राजनातिक जीवन व पुनरोत्थ के बीज निहित थे। पोटासडेम-सम्मेलन (जुलाई-अगस्त 1945) के बाद मित्र राष्ट्रा ने घोषणा की कि —

मित्र राष्ट्रा का यह श्रादा है कि जर्मन जाग को अपने जीवन को जनतांत्रिक व शांतिपूर्ण आधार पर अन्तत अपने पुननिमाण व लिए तयारी का अवसर दिया जाए।

जमन प्रशासन क मामला का इस प्रकार निश्चिन किया जाए ताकि राजनैतिक ढाच का विकसित कर म्यानाय उत्तरदायित्व का विकास किया जा सक । इस लक्ष्य की प्राप्ति क लिए —

- (1) समग्र जमना म जनतांत्रिक सिद्धांता की खामकर निवाचिन परिपन्ना के माध्यम स व आधार पर यथाशात्र—जो सनिक अधिकार व सुरक्षा के अनुकूल हा—स्थापना की जाएगी ।
- (2) समस्त जमन प्रेश म सभी जनतांत्रिक दता को—सगठन व सम्मदन के अधिकार सहिन—काय की अनुमति तथा प्रासाहन रिया जाएगा ।
- (3) क्षेत्राय प्रादाय तथा ण (राय) प्रशासन म प्रतिनिधित्व तथा निवाचन क सिद्धांता को उनना ही तीघ्र लागू किया जाएगा जितनी जल्नी स्थानीय स्वशासन म न सिद्धांता का लागू करन म संभवता क अनुसार उसका औचित्य सिद्ध होगा ।
- (4) कुछ अर्थविक क लिए वान केनीय सरकार स्थापित नहा की जाएगी । उनके वावजूत कुछ अनिवाय केनीय जमन प्रशासनिक विभाग—जिनके अध्यक्ष स्टेटम मन्टरो हाग—की स्थापना का जाएगा खासकर वित्त परिवहन सचार विदेशी यापार तथा उद्योग के क्षेत्र म । य विभाग क द्वात कमीशन (नियंत्रण आयोग) के निर्णय म काम करेंगे ।
- (5) सनिक सुरक्षा का ध्यान रखत हुए भाषण समाचार पत्रो तथा घम पानन की स्वतंत्रता की अनुमति दा जाएगी तथा घामिक सम्पाद्यो का सम्मान किया जाएगा । इसी प्रकार सनिक सुरक्षा क अधीनस्थ स्वतंत्र श्रमिक सपों का काय की अनुमति दी जाएगा ।

सनिक युद्धकारीम मिन मावियत सघ तथा समुक्त राय अमरिका शानिकाल म एक दूमरे क विरोधी हो गए । उनक मतभेगे तथा विरोध के परिणामस्वरूप जमना क एकीकरण म बाधा आ । चारो राष्ट्र अपने अतिकृत जमन प्रदेशो में अपनी राष्ट्राय व्यवस्था क अनुसूप राजनीतिक व्यवस्था णदना चाहत थे । डब्ल्यू फीमान क अनुसार — जमनी क चार विभाजित क्षेत्र विश्व रणमच के चार नाटक-गृह बन गए जिनम चार प्रमुख अमिनता विश्व थाताप्रा का आनन्धिन करने के लपना अमिनय कर रह थ सनिक प्रशासन के आरम्भ क कुछ ही महीनों बाद चार अत्र चार विभिन्न विश्व बन गए

अमरिका तथा ब्रिटेन कम स कम जनतांत्रिक सिद्धांता के बारे में सहमत थ लकिन आर्थिक नियाजन क दार थ उनम मतभन् था । ब्रिटेन की समाजवादी सरकार

1. केनीय कमीशन या निय म आयोग में चारों ब्रिटेन राष्ट्रों क सनिक कयाटर माविय के जो समस्त जमनी में आवागमन व्यापार तथा सुरक्षा की देखरेख करने थ ।
2. डब्ल्यू फीमान की एसाइड मिति के मन्वैट आक जमनी (सन् 1947) पृष्ठ 96 ।

समाजवादी पद्धति की अथ-व्यवस्था चाहती थी और अमेरिका स्वतंत्र अथ-व्यवस्था की वकालत कर रहा था। फ्रांस जर्मनी के विकेंद्रीकरण तथा रूस प्रदक्ष पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन की बात कर रहा था तो रूस अथ-व्यवस्था के राष्ट्रीयकरण पर जोर दे रहा था। आरम्भ में रूस ने एक केन्द्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन किया लेकिन बाद में उसने यह विचार त्याग दिया तथा जर्मनी में सघीय व्यवस्था हो या केन्द्रीकृत व्यवस्था इस प्रश्न पर जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा। फ्रांस अतीत की मयावह स्मृतियाँ स आश्रित था। 1914 से 1940 के बीच फ्रांस दो बार जर्मनी के सैनिक बूटों के तले कुचला गया था। ऐसी स्थिति दुबारा न आए इसके लिए वह जर्मनी को एक कमजोर राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था। यही कारण है कि वह जर्मनी में सघीय व्यवस्था भी नहीं चाहता था वह उस रास्ता के एक डीले-डाल परिषद के रूप में देखना चाहता था। इस परिषद में भी राज्या को सारे अधिकार देने की बात फ्रांस नहीं की। केन्द्र का नाम मात्र के अधिकार देने की बात की। इस प्रकार विजेता राष्ट्रों के मतभेद सामने आए।

मूलतः मतभेद अमेरिका व सोवियत संघ के बीच था। अमेरिका जर्मनी को जनतांत्रिक पद्धति के अनुसृत्य ढालना चाहता था और रूस वहाँ साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित देखना चाहता था। द्वितीय महायुद्ध के बाद पूर्व और पश्चिम के बीच शीत युद्ध आरम्भ हो गया और मतभेदों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। 20 मार्च 1948 को सोवियत सैनिक कमाण्डर ने मित्र राष्ट्र नियंत्रण आयोग का बहिष्कार कर दिया और उसके परिणाम स्वरूप जर्मनी में चारों राष्ट्रों के प्रशासन में गतिरोध व रूकावट उत्पन्न हो गई। अन्त में अमेरिका ब्रिटेन तथा फ्रांस ने अपने तीनों प्रदेशों को मिला कर पश्चिमी जर्मनी (दी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी) तथा रूस ने अपने जर्मन अधिकृत क्षेत्र में पूर्वी जर्मनी (जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक) की स्थापना की।

राजनीतिक दलों का उदय

पोट्सडम-सम्मेलन के अनुसार स्थानीय तथा प्रांतीय स्तर पर राजनीतिक दलों के निर्माण तथा प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव की बात की गई थी उन्हीं के आश्रय पर चारों विजेता राष्ट्रों ने जर्मनी में राजनीतिक दलों के निर्माण के कार्य की अनुमति दी। सबसे प्रथम सावियत संघ ने 10 जून 1945 के दिन जनतांत्रिक तथा नास्तिक विरोधी दलों के निर्माण की अनुमति दी। सोवियत पोषणा में कहा गया —

सावियत अधिकृत जर्मन प्रदेश में सभी फासिस्ट विरोधी दलों के निर्माण जिनका उद्देश्य जर्मनी से सभी फासिस्ट ध्वजाओं को समाप्त कर जनतंत्र तथा नागरिक स्वतंत्रताओं की स्थापना करना है—की अनुमति दी जाती है।

सावियत अधिकृत जर्मन प्रदेश में श्रमिक जनता को-ऑपरेटिव हिता तथा अधिभारों को सुरक्षा के लिए—स्वतंत्र श्रमिक संघों में संगठित होने का अधिकार होगा।

कि समस्त जमनी में एक सरकार की स्थापना असम्भव है। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका ब्रिटेन व फ्रांस ने अपने त्रि-क्षेत्रों में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना पर सहमति प्रकट की तथा 1 जुलाई 1948 में 11 जर्मन राज्यों (लेण्डर) के मिनिस्टर प्रेसिडेंटों (मुख्य मंत्रियों) को आदेश दिया कि वे पश्चिमी जमनी के लिए सविधान का निर्माण करें। यह आदेश लंदन-सम्मेलन में तीन पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत दस्तावेज के अंतर्गत दिए गए।

लंदन दस्तावेज तीन भागों में विभाजित था। प्रथम दस्तावेज में पश्चिम जर्मन मिनिस्टर प्रेसिडेंटों की एक सविधान निर्मात्री सभा का निर्माण करने को कहा गया। साथ ही आदेश दिया गया कि सविधान निर्मात्री सभा एक जनतांत्रिक सविधान तैयार करेगी जिसमें सभी सदस्य राज्यों का योगदान होगा। व्यवस्था सघीय होगी।

दूसरे दस्तावेज में मिनिस्टर प्रेसिडेंटों (मुख्य मंत्रियों) से कहा गया कि वे जमनी के विविध राज्यों की सीमा का पुनर्निर्धारण करें। तीसरे दस्तावेज में भावी जर्मन सरकार तथा मित्र राष्ट्रों के सैनिक अधिकारियों के मध्य सम्बंधों के बारे में स्पष्टीकरण किया गया था। नेण्डर (राज्य) के मिनिस्टर प्रेसिडेंटों से कहा गया कि सितम्बर 1948 तक अपने नेण्ड (राज्य) द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा सविधान सभा का निर्माण करें। इसके कारण समस्त पश्चिमी जमनी में तैरगुल मच गया। वे विदेशी सैनिक अधिकारियों के नियंत्रण में सविधान बनाने को तैयार न थे। उन्हें यह भी डर था कि यदि उन्होंने पश्चिमी जमनी के लिए सविधान बना लिया तो समस्त जमनी के भावी एकीकरण की संभावना घुमिल हो जाएगी तथा ऐसा सविधान जमनी के सुनिश्चित विभाजन की घोषणा होगी। पश्चिमी मित्र राष्ट्रों तथा जर्मन प्रतिनिधियों के बीच कटुता की स्थिति बनी गई। बाइन—ब्यूरोटेमवग के मिनिस्टर प्रेसिडेंट (मुख्य मंत्री) ने तो यहाँ तक कहा कि — यद्यपि यह खतरनाक है, सत्ता है फिर भी हम ऐसे कानूनी पद की अपेक्षा बिना कानूनी स्थिति के ही रहना पसंद करेंगे। ऐसा प्रतीत होता था कि आपसी मतभेद समाप्त नहीं होंगे। लेकिन मोक्षित सघ द्वारा बर्लिन की नाकाबंदी (Berlin Blockade) के कारण स्थिति में परिवर्तन आया। पश्चिमी जमनी के नेताओं की यह धारणा बनी कि यदि उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो निकट भविष्य में पश्चिमी जमनी में भी प्रतिनिधि-सरकार की स्थापना नहीं हो सकेगी।

पश्चिमी जमनी के मिनिस्टर प्रेसिडेंटों ने 8 से 10 जुलाई 1948 तक का-बल-ज नगर में एक बैठक की तथा यह निर्णय लिया कि पश्चिमी सविधान निर्मात्री सभा के स्थान पर ससदीय परिषद् का निर्माण किया जाएगा तथा पश्चिमी जमनी के लिए सविधान का निर्माण न कर बेसिक ला (आधारभूत कानून) का निर्माण किया जाए। भविष्य में जब पूर्वी तथा पश्चिमी जमनी का एकीकरण होगा तभी

विभाजन पर अन्तिम मुहर न लगे। बेसिक ला अपने वतमान स्वरूप में कई तथ्यों से प्रभावित हुआ है। ये विविध प्रभाव इस प्रकार हैं —

वाइमार-संविधान से सीख

बेसिक ला का निर्माण करते समय जर्मन प्रतिनिधियों ने जिस तथ्य पर सबसे अधिक ध्यान दिया वह था वाइमार-गणतंत्र की असफलता से सीख लेना। यद्यपि वाइमार-गणतंत्र की कई व्यवस्थाओं को उन्होंने ज्या का त्याग स्वीकार किया (वाइमार-संविधान के अनुच्छेद 136 137 138 139 तथा 141 अपने मूल रूप में बेसिक ला में संशोधित किए गए हैं)। य अनुच्छेद सामाजिक तथा धार्मिक प्रश्नों से सम्बन्धित हैं। लेकिन कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर वह वाइमार-संविधान का विरोधी भी है। उदाहरण के लिए वाइमार-संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता था लेकिन बेसिक ला के निर्माताओं ने राष्ट्रपति के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से करने की व्यवस्था की। क्योंकि लोकप्रिय जनमत द्वारा समर्थित राष्ट्रपति अधिकाधिक अधिकारों की मांग कर सकता था।

वाइमार संविधान की 48वीं धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति को संवत्कालीन अधिकार प्रदान किए गए थे। उसी का दुरुपयोग कर वाइमार राष्ट्रपति हिन्डनबर्ग ने जर्मन जनतंत्र की जड़ें खाँसनी कर दी थी। यही कारण है कि बाद में बेसिक ला के लेखकों ने संवत्कालीन अधिकार भी राष्ट्रपति को प्रदान नहीं किए। ये संवत्कालीन अधिकार जर्मन बुन्दसटाग (लोक सभा) तथा बुन्दसराट (राज्य सभा) की संयुक्त समिति को सौंपे गए। यह व्यवस्था भी 1968 में जाकर की गई। 1949 से 1968 तक जर्मन बेसिक ला में ऐसे संवत्कालीन अधिकारों की व्यवस्था नहीं थी जैसे अन्य देशों के संविधानों में उपलब्ध हैं।

वाइमार-संविधान से सीख लेकर ही बेसिक ला के निर्माताओं ने राष्ट्रपति की तुलना में चांसलर (प्रधान मंत्री) के पद को अधिक शक्तिशाली बनाया जिससे मंत्रिमण्डलत्मक शासन पद्धति कायम हो सके। इसी प्रकार वाइमार-गणराज्य में यद्यपि संघीय शासन की व्यवस्था थी लेकिन वह कर्त्तीकरण की प्रवृत्ति से प्रभावित था। बेसिक ला के निर्माताओं ने राष्ट्रपति की पर्याप्त महत्व प्रदान किया।

राजनीतिक दलों का प्रभाव

बेसिक ला के निर्माण पर पश्चिमी जर्मनी के राजनीतिक दलों के विचारों और धारणाओं का भी प्रभाव पड़ा। इसके सज्जन में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक तथा फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ता व विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनिनियन कपोलिक धर्म से अत्यधिक प्रभावित था अतः

1. बॉननगर पश्चिमी जर्मनी की राजधानी है।

दल न सविधान में घम तथा चक्र की स्वतंत्रता को स्थान विना में सम्पत्ता प्राप्त की। इसी प्रकार कथानिक घम के अनुयायी विवा तथा परिवार का सस्था को पवित्र मानते हैं और इसी कारण बसिक ना में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में विवाह तथा परिवार की समस्या को महत्व दिया गया है।

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी समाजवाद में निष्ठा रखता था अतः वह राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण के सिद्धांत की पक्षपाती थी। उसके जारून पर बसिक ना के 15वें अनुच्छेद में जन-कल्याण के हित में समाजीकरण का व्यवस्था का गइ। इसी प्रकार यह तन सम्पत्ति का पवित्र नहीं मानता था अतः अनुच्छेद 14 में मावजिक हित के लिए सम्पत्ति के हारण की व्यवस्था का का गइ।

फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी उदारवाद की पायक रहा है अतः उसने विना शाध विनात व अध्यापन की स्वतंत्रता की माग की। इसी प्रकार इस दल न सम्पत्ति की सुरक्षा की मा बकात का। यह फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का ही प्रभाव है कि बसिक ना में इन बातों का स्थान मिला। यह उल्लेखनीय है कि इस दल न 14वें 15वें अनुच्छेद का विराध किया।

अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रांस का प्रभाव

यद्यपि बसिक ना पश्चिमी जमन प्रतिनिधित्व द्वारा निमित्त किया गया तकिन मिन राष्ट्र के सनिक गवर्नर न अपना सरकार के आदेशानुसार बसिक ना के निमाण के लिए कुछ शर्तें रखी। ये शर्तें इस प्रकार थी—

- (1) बसिक ना के अन्तर्गत संसद् के दो सभा का व्यवस्था की जाए तथा एक सभा राया का प्रतिनिधि हागा उन सभा के हितों की सुरक्षा के पयाज अधिकार लिए जाए।
- (2) संकटकारी अधिकारों को सीमित रखा जाए।
- (3) विनाय मामलों में सघीय सरकार के अधिकार मारित रख जाए।
- (4) स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था का व्यवस्था हा।
- (5) प्रत्येक नागरिक को सावजनिक सरकारों पर प्राप्त करने का अधिकार होगा।

इनमें न कुछ शर्तों पर जमन प्रतिनिधि पहन स ही महमत घ। उन दृष्टि से उस विभाग प्रभाव नहीं माना जा सकता फिर भी व इन आदेशों से बाध्य थ।

इसके साथ ही साथ बसिक ना या मूलभूत विधि के निमाण में ब्रिटेन व अमेरिकी सविधान से कुछ अर्थ प्रेरणाएँ मा प्राप्त की गई यद्यपि उक्त सभा का लोँ स्वाकार न कर जमन परिस्थितियों के अनुकूल जाता गया। इनका उल्लेख आग किया जाएगा।

बसिक ला की विशेषताएँ

23 मई 1949 को पश्चिमी जमन के दान नामक नगर में—जा रात ननी के किनारे पर स्थित है—मसजिद-परिषद न दामक ला का स्वाकृत तथा पञ्जीकृत

किया। यह बेसिक ला जर्मनी के प्राक्सरो बकीलों एवं राजनीतिक नेताओं के उत्कृष्ट मस्तिष्क की उपज है और इसका निर्माण बहुत थोड़े समय में कर लिया गया। बेसिक ला का निर्माण करते समय उन्होंने विद्वानों के सविधान का गहन अध्ययन किया। तत्पश्चात् जर्मनी की तत्कालीन परिस्थितियाँ तथा प्राचीन परम्परा का सम्मिलन सस्तिन को दृष्टिगत रखा। इसमें कई नव्यन व्यवस्थाओं को भी समाविष्ट किया। इसी व्यवस्था के आधार पर पश्चिमी जर्मनी में अपना सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक विकास किया। वॉइमार सविधान की तुलना में वर्तमान बेसिक ला अधिक स्थायी सिद्ध हुआ। वॉइमार सविधान तो 1919-1933 तक ही चला जहाँ वर्तमान बेसिक ला 1948-1977 तक सफलता पूर्वक कार्य करता रहा है। जिस प्रकार अमेरिकी सविधान की व्यवस्थाओं ने देश के विकास का मार्ग प्रशस्त किया उसी प्रकार जर्मनी ने भी जर्मनी की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ भित्ति पर ला खड़ा किया। 1945 में जो जर्मनी राज्य का डर था वहाँ पश्चिमी जर्मनी आज विश्व के प्रथम तीन श्रेष्ठतम उद्योग प्रधान देशों में है और जर्मन सिविक-जर्मन भाषा की आज विश्व में भारी प्रतिष्ठा है। बेसिक ला जर्मन बुद्धिमत्ता और व्यावहारिकता का जीवन्त प्रमाण है। ऐसा लगता है समस्त जर्मन बुद्धि बेसिक ला रूपी पात्र में एक स्थान पर एकत्रित कर दी गई। बेसिक ला की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

(1) अस्थायी स्वरूप-विश्व के अन्य सविधानों की स्थायी प्रकृति के विपरीत पश्चिमी जर्मनी का सविधान एक अस्थायी सविधान है। इसे सविधान का नाम से भी नहीं पुकारा गया। इसके बजाय पश्चिमी जर्मनी का लोगो नाम बेसिक ला (आधारभूत कानून) का नाम से पुकारना पसन्द किया। जर्मन भाषा में इस Grundgesetz (Grundgesetz) का नाम से सम्बोधित किया जाता है। जसा कि पहले ही लिखा जा चुका है पश्चिमी जर्मनी का जन प्रतिनिधि जर्मनी के एक हिस्से के लिए सविधान बनाने को तयार न था। जर्मन लोग का अनुसार सविधान स्वीकार करने का अर्थ देश का विभाजन का स्वीकार करना था। वह ऐसा करने का लिए तयार न था। उन्होंने इस बात को कि नविष्य में जब समस्त जर्मनी का एकीकरण होगा तब सारा जर्मन जनता के प्रतिनिधि बर्लिन में एकत्रित होकर जर्मनी के लिए सविधान बनाएँगे। जब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ जाता वह एक अस्थायी और काम चलाने व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे और बेसिक ला या Grundgesetz के रूप में उन्होंने एक अस्थायी व्यवस्था का निर्माण किया। पश्चिमी जर्मनी की राजधानी बर्लिन बनाई गई लेकिन इस भी अस्थायी राजधानी कहा गया। असली राजधानी तो बर्लिन ही मानी गयी। लेकिन बर्लिन तथा पूर्वी जर्मनी का सम्बन्धी राज्य के हृदय में विद्यमान है जहाँ पर पूर्वी जर्मनी की सरकार का अनुमति के बिना स्थान मार्ग से नहीं जाया जा सकता।

वैसिक ला एक अस्थायी अवस्था है। इस बात का स्पष्ट सबूत दिया गया है। वैसिक ना की प्रभावना अनुच्छेद 23 व अंतिम अनुच्छेद 146 में उनके अस्थायी स्वभाव व प्रकृति का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में कहा गया है — जमन जनता मन्मग काल (Transitional period) के लिए राजनीतिक जीवन का नवीन व्यवस्था प्रदान करने की दृष्टि से इस वैसिक ना का निर्माण करता है। अनुच्छेद 23 में लिखा गया है —

फिरहात यह वैसिक ला बादेन बबरिया ब्रमन अटर वरिन हाम्बुग हम ताअर मवसनी नाथ राअन बरुफानिया राअनरुण पननीन शनमविग हासटाअन पूरुमवग ताहतस्मानन म नागू हागा। जमनी के अय भाषा द्वारा प्रवण किए जान पर यह उन भाषा पर भी नागू हागा।

अंतिम अनुच्छेद (146वा) में भी इन अवस्था के अस्थायी हान का स्पष्ट उल्लेख है। अनुच्छेद 146 के अनुसार— यह वैसिक ला उम जिन प्रभावहीन हो जाएगा जिस जिन जमन जनता द्वारा स्वतंत्र निर्णय द्वारा एक सविधान अंगीकृत किया जाएगा तथा वह नागू होगा। एमर प्लिशके के अनुसार— वैसिक ला के निर्माण तथा न उम मौखिक सविधान की अपेक्षा एक अस्थायी व्यवस्था माना तथापि वैसिक ला एक सविधान के रूप में जारी है।¹

(1) अस्थायी स्वरूप सामान्यतया कमाजारी व कमी का चोतक हाता है तकिन वैसिक ला एक विशिष्ट परिस्थितियों में निर्मित हुआ है और यह अस्थायी स्वरूप उमकी इच्छा बन गया है। साथ ही सभी 'यावनारिक' दृष्टि में यह वैसिक ला एक स्थायी व्यवस्था बन गया है—पश्चिम जमन जनता ने उसे समर्थन एवं सहायता प्रदान की है तथा यह मन्त्र है कि जब ममस्त जपनी के लिए सविधान बनगा तो यह वैसिक ला उमके लिए एक प्ररगाम्यद स्तनावज के रूप में काय करगा। यमो मन्त्र है कि भावी जमन सविधान में उमकी क व्यवस्थाओं का समावेश किया जाए।

(2) निर्मित तथा लिखित—वैसिक ना की उमरी विापना यह है कि भारत अमरिका कनाडा तुर्की आदि सविधानों की भांति यह एक लिखित एवं निर्मित सविधान है। वैसिक ला में कुल 146 अनुच्छेद हैं तथा सविधान के परिशिष्ट के रूप में दार्शनिक सविधान के 136 137 138 139 तथा 141 वें अनुच्छेद भी शामिल किए गए हैं। उम उन पांच अनुच्छेदों को भी सम्मिलित किया जाए तो यान-वैसिक ना में 151 अनुच्छेद होंगे। यदि तुलनात्मक दृष्टि में देखा जाए तो अमरिकी सविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं जबकि आस्ट्रिया के सविधान में 128 अनुच्छेद बना। एक सविधान में 146 अनुच्छेद दक्षिणी अफ्रिका के सविधान में 153 भारत का सविधान में 395 अनुच्छेद तथा 9 अनुसूचियाँ शामिल के सविधान

म 10³ अनुच्छेद तथा तुर्की के संविधान में 157 अनुच्छेद हैं। इस प्रकार आकार की दृष्टि से वह कनाडा तुर्की के संविधान के तुल्यमान बराबर है।

यह संभावना हो सकती है कि यदि समस्त जमनी के लिए संविधान बनाया जाता तो वह आकार में बड़ा हो सकता था किन्तु वर्तमान व्यवस्था भी लगभग पूर्ण व्यवस्था है। इसके बावजूद मध्यम स्वरूप का होने का कारण इन एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में माध्यम रखा जा सकता है। बसिकता में तुल्यमान सभी मुद्दों पर व्यवस्थाएँ प्रस्तुत की गई हैं।

(3) सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित—बसिकता के अनुगत जमनी को जनतान्त्रिक संघ राज्य बनाया गया है जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। अनुच्छेद 20 के अनुसार जमनी मधीय गणतंत्र एक जातान्त्रिक मधीय राज्य है। राज्य की सारा शक्ति जनता में प्रवाहित होती है जिसका उपयोग जनता चुनाव व मताधिकार के प्रयोग द्वारा करती। इस दृष्टि से पश्चिमी जमनी का बसिकता में भारतीय संविधान के अधिक निकट है।

(4) मौलिक अधिकार—किसी भी जनतान्त्रिक प्रस्थापना अथवा संविधान में मौलिक अधिकारों का भारी महत्त्व है। किसी देश में मौलिक अधिकारों की कितनी प्रतिष्ठा है इसका मूल्यांकन इस बात से किया जा सकता है कि मौलिक अधिकारों को संविधान में कहाँ स्थान दिया गया है। उदाहरण के लिए भारत में प्रस्तावना में भी कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लेख है तथा मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। फ्रांस के 1946 के संविधान में प्रस्तावना में भी नागरिक स्वतंत्रताओं या मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार बसिकता में कुल 11 भागों में बाँटा गया है और प्रथम भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अनाथ हाथ-हाइमर¹ के अनुसार—मौलिक अधिकारों का अधिकतम प्रदान की गई है उसका स्पष्ट संकेत यह है कि उक्त बसिकता के प्रारम्भ में स्थान दिया गया है साथ ही यह व्यवस्था की गई है कि ये व्यवस्थाएँ सभी पाषाणों व सरकारी अधिकारियों पर बाध्यकारी होंगी। राबर्ट जी नोयमान के अनुसार—यह विशेष महत्त्व जानबूझ कर रखा गया है ताकि नवीन जमनी तथा नए जमनी का स्पष्ट हो सकें। मानव व्यक्तित्व के सम्यक विकास के लिए मौलिक अधिकारों का विशेष महत्त्व है।

बसिकता में अनुच्छेद 19 तक विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकारों या स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। ये मौलिक अधिकार सरकार तथा संसद के अधिकारों का भी सीमित करते हैं। निम्नलिखित प्रमाणांतरण परिस्थितियाँ सर्वत्र कानून में इन पर कुछ सीमा लगाई जा सकती हैं किन्तु दूर दूरी की

1 थॉमस हाथ-हाइमर की सरकार में जाऊ जमनी (सन् 1961) पृष्ठ 60

2 नोयमान पूर्वोक्त पृष्ठ 95

का गारगी है यदि किसी व्यक्ति का घम हथियार उठाने की इजाजत नहा देता तो उस व्यक्ति ला सगस्त्र सवाधा स छूट देता है । अनुच्छेद 4 (3) म उतख है कि—
किसी भी व्यक्ति को उमका आत्मा क विरुद्ध एसी युद्ध-सवा क लिए वाध्य नहीं किया जाएगा जिमम शम्ना का प्रयाण जरूरी हा । गबट जा नोयमान क गनुमार—
यह उल्लेखनीय है कि आत्मा क आधार पर सनिक सवा पर आपत्ति विषयक अधिकार की स्पष्ट गारटी उम समय स पहल ही द दी गई जिम समय जमन सना का निमाण नही हुआ था ।¹

सविधान (वमिक ला) क परिशिष्ट म वाइमार-मविधान की जिन व्यवस्थाया का मम्मिनित किया गया है उमम भी घम क धार म व्यवस्थाए हैं—यद्यपि यह मौनिक अधिकारा का हिस्सा नहा है फिर भी वह उनका पूरक है तथा जमन लोगा क धार्मिक जीवन का उमी प्रकार प्रभावित करता है जिम प्रकार कि मौनिक अधिकार । वाइमार सविधान क अनुच्छेद 137 के अनुमार—

(1) कार् सय चच नही होगा ।

(2) धार्मिक सस्थाया क निर्माण के लिए सगठन या सष बनाने की गारगी है ।

(3) प्रत्येक धार्मिक सस्था समी क लिए षष कानूनो की सीमा म रहत हुए स्वतन्त्रतापूवक अपनी गतिविधिया का नियमन कररगी ।

इस प्रकार सय का कोई घम न ग्वत हुए प्रत्येक व्यक्ति को पूरा उपामना धार्मिक महोसव व कमकाण की छूट नी गई है ।

(उ) अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता—मात्कृतिक उपत्रिया तथा तन्त्र का मुत् बनान के लिए अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता अनिवाय है । भाषण रखन मन अभिव्यक्ति तथा सूचना देन व प्राप्त करन की स्वतन्त्रता मानव-व्यक्ति-व के विकास क लिए अनिवाय है । उसी आधार पर वह विकासो-मुक्त हो सकना है । बसिक ला के निमाना हमक बार म सजग थ । यही कारण है कि अनुच्छेद 5 म अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का स्यान दिया गया है । इस अनुच्छेद म निम्नलिखित व्यवस्था की ग है—

(3) प्रत्येक व्यक्ति का स्वतन्त्रतापूवक मत व्यक्त करन तथा भाषण लखन चित्रा शारा मत प्रचार करन और सामाज्य उपलब्ध साधना स धरन प्राप्त किए सूचना एकत्रित करन का अधिकार होगा । समाचार-पत्रा की स्वतन्त्रता तथा प्रसारणा व सिमा क माध्यम स रिपाट दन के अधिकार की गारटा दी जाता है । का से-सरसिप (विचारा क गुण सय निरीक्षण सम्भवी सस्था) नहा होगी ।

हमक अनिश्चित अनुच्छेद 5 (2) म बना विमान प्राध व अध्यापन का मुक्त ठहराया गया है । अध्यापन का स्वतन्त्रता का अय यह नहा हा कि व्यक्ति सविधान क प्रति निष्ठा न रखें ।

विविधता की यह विनिश्चिता है कि उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के विविध पक्षों का विस्तार बखूबी किया गया है। इनका विशेष विवरण दुनिया के किसी विद्वान में नहीं मिलता।

(क) विवाह परिवार व अर्थ सञ्चालन—विवाह व परिवार की सस्था की विविधता तथा महत्त्व की दृष्टि में जन्म वैश्विकता का भारी महत्त्व है। वनस्पति प्रकार की व्यवस्थाएँ इन्हीं वस्तुओं के विधानों में भी प्राप्य हैं जिन वस्तुओं में व्यवस्थाएँ जन्म से ही नहीं हैं। जन्म ही नहीं जन्मों का वैश्विकता विश्व के उन वस्तुओं में विधानों में से एक है जिसमें अर्थ वृद्धि का सुरक्षा व मायना प्राप्त है तथा उसके व्यक्तित्व के विकास हेतु समुचित अवसर प्रदान किए गए हैं।

अनुच्छेद 6 में की गई व्यवस्थाओं के अंतर्गत

- (1) विवाह तथा परिवार राज्य का विधि संरक्षण का उपभाग करेंगे।
- (2) बच्चा का जन्म-पानन व डाकी परवाह करना माता पिता का नैतिक अधिकार तथा प्रमुख कर्तव्य है। राष्ट्रीय समुदाय में शिक्षा में उनके प्रयासों का दक्षता।
- (3) बच्चा को उनके परिवारों में अलग नहीं किया जा सकता।
- (4) प्रत्येक माता समुदाय द्वारा सुरक्षा व उसका ध्यान रखने की अधिकारिणी होगी।
- (5) अर्थ वृद्धि के शारीरिक आध्यात्मिक विकास के लिए समस्त में उनका वही स्थान रहेगा—जो वध बच्चा का प्राप्त है—राज्य कानून द्वारा व्यवस्था करेगा।

(ग) शिक्षा का अधिकार—किसी राज्य के विकास में शिक्षा का सर्वोच्च स्थान है। आज के तकनीकी-औद्योगिक युग में शिक्षा का महत्त्व और भी बढ़ गया है। इसी को दृष्टिगत करते हुए संसदीय न्याय में शिक्षा के अधिकार का स्वीकृति दी गई है। जिन शिक्षा का मुद्रवस्थित सगमन एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए उसे राज्य के पक्षबल में रखा गया है। भारत की भांति शिक्षा जन्मों में ही राज्य के क्षेत्राधिकार में ही है। अनुच्छेद 7 के अनुसार—

- (1) समस्त शिक्षा व्यवस्था राज्य के पक्षबल में रहेगी।
- (2) बच्चों के भरण-पोषण के अधिकारों का जन्म से ही करने का अधिकार होगा कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाए अथवा नहीं।
- (3) धर्म निरपेक्ष स्त्रुता का छात्रकर्म सभी राजकीय तथा नगरपालिका स्त्रुता में सामान्य शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का व्यवस्था होगा। किसी भी अध्यापक का उसकी श्रेष्ठ के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा देने का वाक्य नहीं किया जा सकता।

(4) निजी स्कूलों की स्थापना की गारंटी है। निजी स्कूलों राजकीय व नगर पालिका स्कूलों के स्थानापन्न रूप में स्थापना के लिए सरकार को स्वीकृति की आवश्यकता होगी। यदि अध्यापक वर्ग की आर्थिक तथा कानूनी स्थिति पर्याप्त रूप में सुनिश्चित नहीं है तो एमी स्कूल की स्थापना का रास्ता साफ हो सकता है।

इस प्रकार शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत अध्यापकों की सेवा का समर्थन बनाने की गारंटी भी दी गई है। कई राज्यों के लिए यह अनुच्छेद एक अनुकरणीय आदर्श हो सकता है।

(ए) सभा का अधिकार—ग्राम विचारों के प्रसार के लिए सभा के आयोजन का विष्णु महत्त्व है। इससे अभाव में व्यक्तिगत जाल बनाने तथा जनमत का प्रभावित करने में वचन रह जाता है। प्रत्येक जनतांत्रिक सविधान में सभा के आयोजन का अधिकार दिया जाना है। बर्लिन का भी इसकी व्यवस्था है। अनुच्छेद 8 के अनुसार—

(1) पूर्व अनुमति से सभी जर्मन नागरिकों को निःशस्त्र एवं शांतिपूर्ण सभा का आयोजन करने का अधिकार होगा।

(2) सावजनिक स्थानों पर कुलीन हवा में सभा के आयोजन के अधिकार को कानून द्वारा सामित किया जा सकता है।

(ओ) सभ निर्माण का अधिकार—जनतंत्र में समान आदर्शों तथा सभा के अधिकारों की प्राप्ति के लिए सभ निर्माण का अधिकार अनिवार्य माना गया है। इसी तथ्य को सुरक्षित बनाने के लिए अनुच्छेद 9 में कहा गया है—

(1) सभी जर्मन नागरिकों का सभ तथा समाज (सम्मेलन) बनाने का अधिकार होगा।

चूंकि यह सभ कानून विरोधी तथा ससैनिक जनतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिद्वन्द्वीय न हो इस बात का महत्त्व रखते हुए अनुच्छेद 9 (2) में स्पष्ट कहा गया है कि—

जिन सभों के उद्देश्य तथा गतिविधियाँ अपराध-कानून के विरुद्ध हैं तथा जो जनतांत्रिक व्यवस्था तथा अंतरराष्ट्रीय सद्भाव के मित्रानुसार के विरुद्ध हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह उद्देश्य है कि पश्चिमी जर्मनी के बर्लिन में अंतरराष्ट्रीय शांति व सद्भाव को भी एक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य माना गया है।

(ओ) डाक व दूर संचार की गोपनीयता—मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है चूंकि समाज में रहते हुए ही उसकी व्यक्तिगत जीवन और उसकी गरिमायता का पूर्ण विकास रहता है। अत्यंत व्यक्ति या परिवार अवनयन का एक उद्देश्य ही की भांति दखना चाहता है। वह यह पसन्द नहीं करेगा कि उसके निजी जीवन में बाधा स्तरेप करे। इस तथ्य का प्रमाण करते हुए बर्लिन के निर्माण के निम्नलिखित व्यवस्था की है। अनुच्छेद 10 के अनुसार—

लेकिन साथ ही इनमें 'डू' की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 12 (2) में कहा गया है—

यदि एक व्यक्ति आत्मा के आधार पर युद्ध सवा—जिसमें शस्त्र उठाना पना—स इकार करता है तो उसे स्थानापन्न सवा करने को कहा जा सकता है। एमी सवा की अवधि अनिवाय सनिक सवा की अवधि से अधिक नहीं होगी। यह एक महत्वपूर्ण रियायत मानी जा सकती है।

(ख) निवास की अनुलघनीयता—प्रत्येक व्यक्ति अपने घर को एक द्रव्य किना समझता है और अपने को उसका राता। वह यह पसन्द नहीं करेगा कि कोई मी-ग-य व सरकार सहित—उमके घर में प्रवेश करे। इसलिए बेसिख ला क 13वें अनुच्छेद में व्यवस्था है कि—

(1) निवास स्थान अलघ्य होगा।

(2) सिफ प्रायाशील के आदेश पर—दरी होन पर खतरा उत्पन्न होन की स्थिति में अय सरकारी अग भी कानून द्वारा निर्धारित ढग स-गी मकान की तनाशी नी जा सकती है।

(3) यक्तिया की जान का खतरा होन पर या सावजनिक व्यवस्था की सुरक्षा का खतरा हान पर या मकाना की तगी कम करने या महामारी का मुकाबला करने या अशोध ब-चो की सुरक्षा की स्थिति का छोडकर घर अन्वय रहेगा।

(ग) सम्पत्ति पतृक विनामत व ज-नी—जमन राजनीतिन जानत थ कि एक यक्ति के जीवन में उसके घर वगाच तथा वार व अय सम्पदा का नारी अथ और महत्व ह। इसीलिए अनुच्छेद 14 में कहा गया है—

(1) सम्पत्ति तथा पतृक विरासत की गारंटी है। उमक स्वरूप व सीमा का निर्धारण कानून द्वारा किया जाएगा।

लेकिन घन का अथ यह नहा कि व्यक्ति अत्यधिक सकीण दृष्टिकोण अपना नें इसलिए उसी अनुच्छेद में आग कहा गया है— सम्पत्ति वक्तव्या की घोपनी है। उस सावजनिक कल्याण का भी स्थान रक्षना चाहिए। अना ही नहीं सावजनिक हित में सम्पत्ति का जघन करने का भी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 14 के अन्तगत स्पष्ट किया गया है कि सिफ सावजनिक कल्याण के लिए सम्पत्ति के हरण की अनुमति दी जाएगी। यह हरण सिफ कानून व अनुकूल ही किया जाएगा ता मुषा वज का स्वरूप तथा सामा निर्वागित करेगा। एसा मुषावजा सावजनिक हित तथा प्रभावित व्यक्ति के हित में समान सतुलन स्थापित करत हुए निर्धारित किया जाएगा। यदि सरकार तथा व्यक्ति में इस विषय पर विवाह हा ता सामान्य मायातय की गरण में जाया जा सकता है।

(घ) समाजीकरण—जमा कि पाद मकन किया जा चुका है नागत समाजिक पार्टी समाजवादी की पापक था तथा व राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण का पनाता

(ज) मूल अधिकारों को सीमित करना—इस बसिक ला क अन्तगन जहा तक कानून द्वारा किसी मूल अधिकार को सीमित करन का प्रश्न है एसा कानून सामान्य रूप स लागू होगा किमी विशेष व्यक्ति के मामल म नहा । इसके साथ ही ऐसे कानून म उस मूल अधिकार का नाम तथा अनुच्छेद की संख्या का सकन हाना चाहिए ।

किसी ना स्थिति म मूल अधिकार के अनिवाय तत्व का अतिक्रमण नहा किया जाएगा । सरकारी अधिकारी द्वारा यदि किसी व्यक्ति क मूल अधिकार का हनन हाना ह तो वह न्यायालय की शरण म जा सकता है ।


पश्चिमी जमनी म मूल अधिकार की विज्ञान तथा स्पष्ट व्यवस्था इस बात का और इंगित करती है कि बसिक ला क निमाना सरकार को काइ एसा कानून उठान स पूरी तरह रोकना चाहत थ जिसमे किसी व्यक्ति क मूल अधिकारो पर आघात पहुँचे । सर्वोच मर्यादात्मक न्यायालय का सभी मूल अधिकारो का संरक्षण नियुक्त क बसिकला न उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की है ।

(5) सघीय व्यवस्था—एक अय विशेषता है सघीय व्यवस्था । जमनी मे सघ शासन की रम्बी परंपरा रही है । विस्मय के युग म 1866 व 1870 के जो सविधान बन वे सघीय सविधान थ । यही बात 1919 के वाणमर-सविधान पर लागू होनी है । 1949 म जिस बसिक ला का निर्माण किया गया उसम पूव राज्यो का निर्माण हा चुका था । बसिक ला का अनुच्छेद 70 स्पष्ट करता है कि — जहा तक बसिक ला अयय व्यवस्था नहा करता था अनुमति नहा देना राज्य के अधिकार और कानून का निष्पादन लेण्टर (राज्य) का मामला है । एल्मर प्लिशक क अनुसार यह व्यवस्था अमरिक्की सविधान क र्मबे सघोधन के अनुसार है जिमम कहा गया है कि व सभी शक्तिया जो सघ सरकार को नही दी गई हैं तथा न सविधान राज्य द्वारा उनके प्रयोग की मनाहा करता है व अधिकार राज्य के लिए धारित हैं । ¹

जमनी 11 राज्यो का सघ राज्य है । इन राज्यो क नाम हम प्रकार हैं —

- | | |
|-------------|-----------------------|
| 1 वाशिंगटन | 7 नायरसाइन बस्टफालिया |
| 2 कनेक्टिकट | 8 कान्सास |
| 3 डेलीवियर | 9 कालिफोर्निया |
| 4 इल्लिनोय | 10 इन्डियाना |
| 5 इन्डियाना | 11 पश्चिमी वर्जिनिया |
| 6 ओहायो | |

पश्चिमी जर्मनी की सघीय व्यवस्था- के अन्तर्गत राज्यो का विभाजन



सघीय व्यवस्था म सघ राज्य तथा उसका सभ्य राज्यो के बीच विषया का स्पष्ट विभाजन होता है । कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिस पर सघ राज्य या उसका मन्स्य राज्य दाना कानून बना सकते हैं । अधिकार विभाजन की दृष्टि से वेसिक ला म अधिकारो की दो सूचियाँ दी गई हैं —

- 1 सघीय सूची
- 2 समवर्ती सूची ।

अनुच्छेद 73 म सघीय सूची क अंतगत गाने बान विषया का उल्लेख है । अनुच्छेद 74 म समवर्ती विषयो की सूची दी गई है तथा उसके अतिरिक्त मार अधि कार राज्य या लेण्ड क पास हाग । सघ राज्य या क के पास विदेशी मामल सघ की नागरिकता यातायात सिक्के सघीय रेलमार्ग व हवाई यातायात तक व तार इत्यादि विषय हैं । समवर्ती सूची म पौज्तारी व दीवानी कानून जम मृत्यु लावा जोया शरणार्थी व निष्कासित जमन पति राज्य म नागरिकता जनक्याण युद्धभंगि व मद्रावज थनिक कानून भूमि प्रादुनिक साधना का राज्य का हस्तान्तरित करना अमरतान कानून इयादि प्रमुख विषय हैं । जमा कि स्पष्ट है राज्य भी

एन विषय पर कानून बना सकता है लेकिन यदि सघ ने कानून बनाया है तो वही लागू होगा।

(6) शक्तिशाली चांसलर की व्यवस्था—दक्षिण ला के निर्माताओं ने जमनी के चांसलर-गणराज्य द्वारा की गई भूना से सीख लेकर राष्ट्रपति की तुलना में शक्तिशाली चांसलर की व्यवस्था की। आज पश्चिमी जमनी में चांसलर की शक्तियों की तुलना अमरिका के राष्ट्रपति या ब्रिटेन के प्रधान मंत्री से की जा सकती है। चांसलर को अपने सहयोगी मंत्रियों की नियुक्ति करने तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार है। इतना ही नहीं जब तक पहले नए चांसलर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक चांसलर को उसका पद भी नहीं हटाया जा सकता। यह वेसिक ला की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस व्यवस्था के कारण वहाँ राजनीतिक अस्थिरता या संकट को समाप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। जमनी का प्रथम चांसलर कानराड आदेनआवर (1949-1963) इतना अधिक शक्तिशाली था कि राजनीति के लेखकों ने पश्चिमी जमनी की व्यवस्था को चांसलर डेमोक्रेसी कहना आरम्भ कर दिया। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ जनतंत्र की शक्तियाँ चांसलर में निहित हैं। बाद के चांसलरों ने अपनी अधिक शक्तियों में अधिकारों का उपयोग नहीं किया।

(7) अपेक्षाकृत शक्तिहीन राष्ट्रपति—वाईमार गणराज्य (1919-1933) में राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था थी। साथ ही उस व्यापक संकटकारी अधिकार प्राप्त थे। इसलिए उस राष्ट्रपति के पास अत्यधिक शक्तियाँ थीं जिसके दुष्प्रयोग के कारण वाईमार-गणराज्य में न केवल राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई बल्कि अन्त में वह नष्ट हो गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वेसिक ला में राष्ट्रपति की शक्तियों में कमी की गई। प्रत्यक्ष चुनाव के स्थान पर अब अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई। संकटकालीन अधिकार भी राष्ट्रपति के पास नहीं रखे गए बल्कि बुन्सटैग (लोक सभा) तथा बुन्सेसराट (राज्य सभा) की एक संयुक्त समिति के पास रखे गए हैं। इस प्रकार वर्तमान पश्चिमी जमनी का राष्ट्रपति सिर्फ समारोह की शोभा बटाने तथा राष्ट्र के सम्माननीय प्रतीक से अधिक कुछ नहीं रह गया है। लेकिन अन्ततः यह ध्यान पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ाता है तथा जनता के संकट निवारण में सहयोग देता है। एक सौम्य व सुदृढ़ विचार वाला राष्ट्रपति अपने लिए सम्मान अर्जित कर सकता है तथा समय आने पर मंत्रिमण्डल को प्रभावित भी कर सकता है। राष्ट्रपति विषय में अध्याय में इस विषय की विस्तार से चर्चा होगी।

(8) रचनात्मक विश्वास प्रस्ताव—वेसिक ला की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उसने राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने के लिए मंत्रिमण्डल के विरुद्ध 14 प्रस्ताव का रचनात्मक बजट में सफलता प्राप्त की है। निम्न किसी देश में राजनीतिक दल हानि हैं वहाँ विरोधी दल किसी प्रधानमंत्री या चांसलर को

अनुच्छेद 25 यवस्था करता है कि—सावजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून के सामान्य सिद्धांत सघीय कानून के अविभाज्य अंग होंगे। वे कानूनों से ऊपर स्थान प्राप्त करेंगे तथा सघीय क्षेत्र के निवासियों के लिए अधिकारों तथा दायित्वों का निर्माण करेंगे।

शांति स्थापना के लिए युद्ध पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। हम नए की प्राप्ति के लिए अनुच्छेद 26 यह कथन लाता है कि—राष्ट्रों के मध्य सम्बंधों में व्यवधान डालने के इरादे से किये गए कार्य—विशेषतः आक्रामक युद्ध की तैयारी—असंवधानिक होंगी। ऐसे कार्य अपराध मान जाएंगे जिसके लिए सजा की व्यवस्था होगी।

विश्व शांति को इतना अधिक सम्मान बहुत कम सविधानों में प्राप्त है।

(10) राजनीतिक दलों का महत्त्व—एक जनतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का भारी महत्त्व है। वे व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं और प्रवृत्त हैं। लेकिन अधिकांश देशों में राजनीतिक दल सविधान के अंग नहीं हैं। दूसरे शब्दों में यद्यपि राजनीतिक दल सविधान की आधारशिला हैं लेकिन सविधान में उनका विशद एवं विस्तृत उल्लेख नहीं होता। वे परम्परागत ढंग से अपना कार्य करते हैं। अमेरिका में तो प्रारम्भ में सविधान निर्माताओं ने राजनीतिक दलों को सविधान के लिए हानिकारक बताया क्योंकि उनकी मायना थी कि राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों में द्वेष फैलाएंगे तथा घृणा की भावना फैलाएंगे। यही कारण है कि मुनरो ने अमेरिका के बारे में लिखा है कि—सविधान निर्माताओं ने जिस भाव को पथर की अस्वीकृत कर दिया था वही (राजनीतिक दल) आज अमेरिकी शासन-पद्धति के आधार स्तम्भ हैं।

पश्चिमी जर्मनी में इन आधार-स्तम्भों (राजनीतिक दलों) को अग्रदूत बनाने की गई वरन् उन्हें अधिकारों में स्थान देकर उनका सावधानीपूर्वक संरक्षण किया गया तथा उन्हें आवश्यक मायना प्रदान किया और सम्मान प्रदान किया है। इसीलिए जर्मन लेखक वेगल्ड राचवहोम ने लिखा है—जर्मनी में पहली बार राजनीतिक दलों को सविधान के अंग बनाने के लिए—राजनीतिक तथा समाजशास्त्रीय दृष्टि में अनिवार्य सत्य माना गया है।

वेसिक ने क 21 वें अनुच्छेद में स्पष्ट घोषणा की है कि—राजनीतिक दल जनता की इच्छा के निर्माण में भाग लेते हैं। निर्वाचन रूप से उनका निर्माण किया जा सकता है। उनका आन्तरिक संगठन जनतांत्रिक सिद्धान्तों के अनुकूल होना चाहिए। उन्हें अपने धन प्राप्ति के स्रोत का सावजनिक विवरण प्रस्तुत करना है।

(11) स्वतंत्र माध्यमिका—शासन की जनतंत्रीय पद्धति में स्वतंत्र माध्यमिका का भारी महत्त्व होता है। 1949 के वेसिक ने माध्यमिका के अधिकारों का विवरण किया गया है जिसके कारण कुछ नए नए न तो पश्चिमी जर्मनी राज्य

राज्यपाल का स्वतंत्रता का सुरक्षा का स्थापना है। व सिद्ध कानून और नवविधान के प्रदानमय रह काय कान है। उनका बतन नियुक्ति पत्रावधि तथा स्थापना का म कायपालिका के तन्मय नहा कर सकता। एक निश्चित आयु तक उन्हें पर मुक्त तथा किया जा सकता न उनक बतन म किया प्रकार का क्या का जा सकता है।

काय का मुद्रिका कुशलता तथा गात्र पर मुक्त कान के लिए जमाना के सर्वोच्च राजावत का क भागों म विभक्त किया गया है। उन मधाय मवधानिक राजावत मधाय प्रशासनिक न्यायावत मधाय राज काषाय (Fiscal) राजावत मधाय नासाविक राजावत मधाय प्रम राजावत मधाय राजना बाबावत तथा मधाय नीत्यावत राजावत।

पश्चिमा जमाना का राजावतिका-व्यवस्था का एक प्रमुख विषयता यह है कि क्या मधाय सुवधानिक राजावत का अलग म व्यवस्था का गत है। भारत अमेरिका आदि मधाय व्यवस्था बाव राजों म सर्वोच्च राजावत हा मवधानिक राजावत जना मविधान की व्याख्या तथा मून अधिकारों का मुता का काय काना है। मधाय मवधानिक राजावत के मवधानिकार का चार भाग म विभक्त किया जा सकता है का म प्रकार है —

- (1) कानून का बधता विषयक नियम
- (2) राजावत (राज) मरकाग तथा न्याय तथा मधय मरकाग के बाव विधान का नियम।
- (3) अमवधानिकता का विधानता पर विचार।
- (4) मधय प्रक्रियाया विषयक नियम विधान यह नियम तथा कि का निश्चित सावधानिक अन्तराष्टाय कानून मधाय कानून का गत है या नहीं तथा क्या उन अन्तराष्टाय कानून जारा पश्चिमा जमाना के नासाविका के लिए अधिकारों के दायाव का निमाण हाता है अथवा नहा।

(12) शक्तिविभाजन के सिद्धांत का समथन—म्वम्य जतन के निमाण के मुता के लिए पवित्र विधान का सिद्धान्त मधयिक मवधुग है। पश्चिमा जमाना के इतिहास का अन्तमय कायपालिका विधान मवधुग तथा मधय विधान का एक दूसरे के प्रभाव म मुक्त जतन का मवधुग किया गया है। शक्ति विभाजन का सिद्धान्त जना मवधुग तथा मवधुग है कि 1960 के तुकों के मविधान निमाताया न वमिक ता म प्ररणा प्राप्त कर अलग मविधान में जना प्रकार का व्यवस्था मवधुग का है। मरकाग के ताना मवधुग म एक मवधुग मवधुग किया गया है और मधय पालिका का ता जतना मवधुग है कि मवधुग जमाना जमाना मवधुग का मना जा है। शक्ति विभाजन का यह सिद्धान्त मानवाय मवधुगता का मवधुग है।

(13) लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था—वैसिक ला मे लोक-कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को समाहित किया गया है, अनुच्छेद 74 (7) के अंतर्गत जन कल्याण को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। उसी अनुच्छेद के 12वें परिच्छेद में श्रमिक कानून का निमाण करत समय उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के साथ ही रोजगार सामाजिक बीमा तथा वरोजगारी के मत्त के सम्बन्ध में कानून बनाने का निर्देश भी है। इन व्यवस्थाओं में जनता के जीवन स्तर में सुधार के साथ ही रोजगार सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व बताया गया है क्योंकि वैसिक ला के निमाता यंत्रित के चहुमुखी विकास को अपना सबसे बड़ा ध्येय मानते थे।

(14) सशोधन प्रक्रिया—सामायत निहित सविधान अनम्य तथा कठोर होता है यह बात वैसिक ला पर भी लागू होती है। सविधान एक पवित्र दस्तावेज है तथा उसमें सशोधन की प्रक्रिया को कठिन बनाकर ही उसमें निहित आदेशों की रक्षा का जा सकती है लेकिन दूसरे राष्ट्रों जैसे भारत आदि की तुलना में वैसिक ला को कठोर नहीं कहा जा सकता है। जिस प्रकार भारत में सविधान में सशोधन के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है उसी प्रकार मना में भी यही व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 79 के अनुसार—वैसिक ला में सशोधन करने के लिए बुद्धिसट्टाग तथा बुद्धिसराट के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता है।

पश्चिमी जमनी के सविधान की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि इसका अनुच्छेदों में किसी भी स्थिति में सशोधन नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद हैं। तथा 20 प्रथम अनुच्छेद में मानव की गरिमा की व्यवस्था है तथा बीसवें अनुच्छेद में जमनी की एक जनतान्त्रिक सामाजिक संघ कहा गया है। इस प्रकार वैसिक ला द्वारा जनतंत्र को शाश्वत बनाया गया है।

(15) दोहरी नागरिकता—भारतीय सविधान में जहाँ एक नागरिकता का प्रावधान किया गया है वहाँ पश्चिमी जमनी में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। अनुच्छेद 72 (2) के अनुसार संघ की नागरिकता विषयक अधिकार तथा के एम हागे तथा अनुच्छेद 74(8) के अनुसार लेण्डर (राज्या) की नागरिकता को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है।

(16) संवैधानिक अधिकार—यह उल्लेखनीय है कि 1949 में जब संविधान का निर्माण हुआ उसमें संवैधानिक अधिकारों की कमी व्यवस्था नहीं थी। बाद में 1968 में उगम संवैधानिक विषयक अनुच्छेद जोड़ा गए। संवैधानिक अधिकारों की दृष्टि में भी वैसिक ला विश्व के अन्य सविधानों की तुलना में बड़ोड तथा अनुभव है। सामायत संवैधानिक में समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष प्रथम प्रधान मंत्री के हाथ में केंद्रित हो जाती हैं तथा वह व्यक्ति सर्वोच्च बन जाता है तब वैसिक ला के अनुच्छेद 53(ए) के अनुसार एक संयुक्त समिति (Joint Committee)

का निमाण किया गया है ता मकटकान म बराबर काय करता रहनी । इन ममिनि क सम्म्या म म 2/3 मस्य बुन्नेमटाग तथा 1/3 मस्य दुन्मराट म धायगे ।

वसिष्ठ ना म एक अय उन्खनाय व्यवस्था यह है कि मकटकान म ममम शक्ति राष्ट्रपति म कर्तित नहा का गर ह । इतना ही नहीं प्रतिरसा का स्थिति हान पर सना विपयक सर्वोच्च सत्ता चासलर क पाम धा जाता है । अक विपगेत भागन म सकटकान म ममम अक्ति राष्ट्रपति म कर्तित रहता है ।

(17) चुनाव पद्धति—पश्चिमी जमनी का राजनानिक व्यवस्था का मुक्त आधार प्रदान करन म बहा का चुनाव पद्धति का विज्ञप योगदान रहा है । वसिष्ठ ना के अन्तगत निम चुनाव प्रणाना की व्यवस्था का गन् है जमम विश्व म प्रचलित मनी चुनाव प्रणानिया का मुन्तर समन्वय प्रस्तुत किया गया है । मूतन चुनाव प्रणानो का नो प्रकारा म वाग ना मकता है प्रत्यय या माधा चुनाव (म डास्ट्रेक्ट ब्लेकान कहा जाता है) दूसर अग्रयम चुनाव या धानुपानिक चुनाव प्रणाना । अमना का चुनाव-कानून नाना प्रणानिया की अन्डाल्या का नेकर बनाया गया है ।

15 जून 1949 को सम्प्रथम चुनाव-कानून का निमाण किया गया । मम 27 अगुष्ट य । अक अन्तगत 21 वर्षीय योगा को मनाधिकार लिया गया तथा 60 प्रतिगत प्रतिनिधिया क प्रयय चुनाव तथा 40 प्रतिगत क अप्रत्यय चुनाव का व्यवस्था की गन् । प्रत्यक जमन का 10 वाट दन य एक उम्मात्वार का तथा एक राजनीतिक लस का । म प्रकार 60 प्रतिगत प्रतिनिधि उनी प्रकार चुन जान य जम भारत म तथा 40 प्रतिगत प्रतिनिधिया का राजनीतिक लन अगत गग प्राप्त मनों क अनुपात म नामज्ज करत है । म प्रकार क नाग ना बुन्मटाग या लम्ड (राय) विधानसभा म प्रवण कर सकत य जा प्रयय चुनाव लन म कुल नहा य ।

अनना हा नहा छा टाट दनों क निमाण का हना-माहित करन क लिए कानून म एक पाच प्रतिगत पारा ना रखी गन् जिसक अनुमार जिम राजनानिक लन का राय म या मसन् क चुनाव म 5 प्रतिगत वाट नहा मिलत यह अगत प्रतिनिधि नो मज मकता था । म व्यवस्था का फावट धारा भी कहा गया है । अक कारण जमनी म धीर धार छाट दनों का नाप हाना गया और अगत म कुल तीन मुख्य दन हा रह गए । य दन है—सागत डमाकटिक पार्टी निश्चियन अमोक्रिक युनियन तथा श्री डेमाकटिक पार्टी ।

1953 म म चुनाव-कानून म सुद्ध परिवर्तन किया गया तथा धव 50 प्रतिगत प्रतिनिधिया क प्रयय चुनाव की तथा 50 प्रतिगत राजनानिक दना का मूचा म चुनाव की व्यवस्था का गर् । पहले धाम चुनाव म द मगाय म 400 प्रतिनिधि चुन गए तथा नय कानून क अनुमार उनकी मस्यो 484 कर दा गन् । 1956 म चुनाव-कानून म मामूनी सगोधन किया गया तथा 1970 म मकारिकार भी लम 21 म कम करक 18 वय निश्चियन की गन् । पन्त 25 वय

की आयु वाला व्यक्ति चुनाव में लड़ा हो सकता था अब वह घटाकर 21 कर दी गई। इस परिवर्तन से 20 लाख नवयुवकों को वोट देना अधिकार प्राप्त हुआ। भारत में आजकल चुनाव-कानून में परिवर्तन की मांग की जा रही है तथा साथ ही मनाधिकार की उम्र 21 में घटाकर 18 करने की भी आवाज उठाई जा रही है।

(18) राज्यों के अलग संविधान—पश्चिमी जमनी के संविधान की एक अर्थ विशेषता यह भी है कि वहाँ बसिक ला के अनिश्चित प्रत्येक सदस्य राज्य का अपना अलग संविधान है। इस प्रकार वहाँ 11 राज्यों के 11 संविधान भी मौजूद हैं। यह तथ्य इस बात की ओर संकेत करता है कि राज्यों को भारी महत्त्व दिया गया है। राज्य वहाँ मात्र बड़ी नगरपालिकाओं की भाँति नहीं है। लेकिन राज्यों के ये संविधान बसिक ला के सिद्धान्तों के अनुरूप ही होंगे। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि—

लण्डन (राज्य) की संवधानिक व्यवस्था गणतन्त्रीय जनतांत्रिक तथा सामाजिक सरकार के सिद्धान्तों के अनुरूप कानून पर आधारित होनी चाहिए।

(19) उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था नहीं—बसिक ला की एक विशेषता यह भी है कि उसमें उपराष्ट्रपति पद की कोई व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति का ही चुनाव होता है तथा पद-त्याग अथवा पद रिक्त होना पर बुद्धिसराट का अध्यक्ष राष्ट्रपति पद का काम भार सम्भालता है।

(20) स्थानीय जनतंत्र की व्यवस्था—बसिक ला में एक चौबम्मा राज्य का कल्पना की गई है जिसमें सभ राज्य राज्य काउंटा (County) तथा कम्पून (Commune) की व्यवस्था की गई है। काउंटा तथा कम्पून अपने-अपने क्षेत्रों में स्वायत्त शासी संस्थाएँ होती हैं। ये संस्थाएँ ही पश्चिमी जमनी जनतंत्र की नींव या प्रारम्भिक पाठशालाएँ हैं।

बसिक ला का मूल्यांकन

जनतंत्र में निष्ठा रखने वाले हिटलर के सक्डो विरोधियों ने जो बुद्धानिया दी वह निरर्थक नहीं रहा। ये लोग जमनी में एक आत्म-जनतांत्रिक व्यवस्था का सपना देखते थे। क्लाइम फोन स्ट्राउफनबर्ग ने लिखर की हत्या के असफल प्रयास से पूर्व लिखा था —

हम एक नवीन व्यवस्था चाहते हैं जो सभी जमनीवासियों को राज्य में भागीदार बनाएगी तथा अधिकारों के साथ साथ ही सुनिश्चित बनाएगी। स्ट्राउफनबर्ग का कामी न दा गई लेकिन उसका यत्न बाल नगर में संविधान निमाताओं का प्रदूषण प्रेरित रहा।

बसिक ला उसके निर्माताओं के सजग प्रयासों का फल है। उन निमाताओं ने जमीनी की राजनीतिक शक्ति पर आधुनिक समस्याओं तथा धनीत के अपने

कट्टु अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण किया। बान नगर में एकत्रित जर्मन "तिनिधि एक स्वतंत्र जनतांत्रिक तथा सघ गायक विचारों से प्रेरित थे।

पेरिक तथा यावहारिक राजनीतिक दूरदर्शिता की श्रेष्ठ है। जान फोर्पोराए के अनुसार बेमिक् तथा का निर्माण प्रतिनिधि जनतंत्र का एक मौखिक दृष्ट्य है। बिस्माक युग व वाइमार-काल के सविधान के विपरीत यह वेस्विक ला का मस्तिष्का व कई उद्योगों का प्रतिफल है। यह काफी विस्तृत हो सकता है किन्तु वेस्विक तथा म समझौते की जा प्रति है वह सविष्य के लिए आशावादी का चिह्न है। उससे लगता है कि यह सविधान उसी प्रकार स्थायी होगा जिस प्रकार अर्थ प्रेशा के सविधान स्थायी रहे हैं क्योंकि यद्यपि यह सविधान किसी के लिए भी पूर्णतः सतोषदात्मक हो न हो किन्तु सभी के लिए सहन योग्य अवश्य है। गानाए ग्राम लिखता है— पश्चिमी जर्मनी में सरकार की स्थापना युद्धांतर यूरोप की महानतम राजनीतिक घटना है।¹

पश्चिमी जर्मनी के भूलपूर्व राष्ट्रपति गुस्टाव हाइनमान की मायता है कि— हमारा वेमिक् तथा एक महान् भद्र (offer) है। हमारे इतिहास में पहली बार यह वेमिक् तथा एक उत्तर जनतांत्रिक तथा सामाजिक सवधानिक राज्य में ब्यार्फ को गरिमा का आह्वान करता है। इसमें विविध मतों के लिए स्थान है जिन्हें स्पष्ट व निर्भीक विचार विमल द्वारा सुस्पष्ट बनाता है।

प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक काल यास्पस ने बेमिक् तथा के सम्बन्ध में यह विचार प्रस्तुत किए हैं—

हमारा सविधान उत्कृष्ट कार्य का प्रतिफल है। उस विचारशील राजनातिका तथा राजनीति विज्ञान के विनाश न बड़ा मुश्किल टिप्पण बनाया है। इसमें परम्परागत ममदीय जनतंत्र के भूत विचार शामिल हैं तथा यह मानव के भूत अधिकारों का अनर्घ घोषित करता है जो भावी मसदीय बर्मा में न हो बढ़ते जा सकेंगे। हम भाग्यशाही हैं कि हमारे पास यह सविधान है। बेमिक् तथा को प्रत्येक नागरिक के हृदय में अंकित करना होगा।

गवट जी नाप्रमान के अनुसार— एक बड़े ध्रुवों से बन मिलत है जिसमें यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी जर्मनी का नवीन जनतांत्रिक गामन मुद्दा मिति पर खड़ा है। आज का जर्मनी आज के 25 या 50 वर्ष पूर्व के जर्मनी से प्रत्यधिक भिन्न है।²

- 1 जॉन फोर्ड मोताय भी फार्निंग ब्राउ के फंडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी (सितम्बर 1968) पृष्ठ 701।
- 2 जॉन यास्पस 'बेमिक् की बुद्धिमत्ता' (न्यूयॉर्क 1967) पृष्ठ 175।
- 3 रब जी नाप्रमान 'दो स्वतंत्र ब्राउ फंडरल जर्मन रिपब्लिक' (न्यूयॉर्क 1960) पृष्ठ 163।

— बर्नाड ज हाइडेनहाईमर लिखता है— बसिक ला की प्रमुख विशेषता है ससदीय व्यवस्था में अनेक प्रकार के नियंत्रण तथा सतुलन की व्यवस्था। हाइडेन हाइमार आगे कहते हैं—इस में उन्होंने एक नवीन वस्तु मधीय सवधानिक न्यायालय का व्यवस्था कर असवधानिक कार्यों को हतोत्साहित किया है।¹

एल्मर पिन्शके की मायता है कि—पश्चिमी जर्मन व्यवस्था (बसिक ला) न लचीलपन तथा स्थायित्व का प्रदर्शन किया है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि यह उन कई समस्याओं का सामना करने में सक्षम है जो उसके सम्मुख आई हैं।



राष्ट्रपति का पद और उसकी सीमाएँ

राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतीक होता है साथ ही वह उसका प्रथम सम्मानित नागरिक भी है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में वह अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है तथा अपने देश के समाज की अगुवाई करता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रपति का पद किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होता है। जनतांत्रिक व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यकारिणी होती है। एक अध्यक्षीय कार्यकारिणी जहाँ राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। इस व्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरे प्रकार की कार्यकारिणी को मंत्रिमण्डलीय व्यवस्था का नाम दिया गया है जिसमें प्रधान मंत्री के पद के अन्तर्गत सभी अधिकार आते हैं। पश्चिमी जर्मनी में दूसरे प्रकार की व्यवस्था है। अथ मसदीय जनतन्त्र की भाँति पश्चिमी जर्मनी में भी सब राष्ट्रपति का पद अधिकार रूप में नाम और अन्वयण का पद है। वार्मर-गणतन्त्र की तुलना में वर्तमान पश्चिमी जर्मन राष्ट्रपति के अधिकार काफी सीमित हैं।

वस्तुतः वह निर्माता वार्मर-गणतन्त्र की असफलता में राष्ट्रपति की भूमिका से मतोमानि परिचित थे और वे उस बात के लिए सजग थे कि इतिहास की पुनरावृत्ति न हो। वार्मर-गणतन्त्र में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था। समस्त जनता के वाटा से चुना गया राष्ट्रपति निश्चय ही यह दावा कर सकता था कि वह जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधि है और ऐसी स्थिति में चान्सलर व राष्ट्रपति के बीच विराध मतभेद विवाद व संघर्ष की काफी गुंजायश थी। अतः ही नहीं वार्मर-गणतन्त्र के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह भी अधिकार था कि अपने विवेक का प्रयोग करत हुए संसद् द्वारा पारित कानून को जनमत संग्रह के लिए प्रसारित कर सके। इसी प्रकार वार्मर-संसद के 48वें अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति को व्यापक संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए थे। इन अधिकारों के अन्तर्गत वह संसद् का भंग कर समस्त सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर सकता था। इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण वार्मर संविधान में संसदीय जनतन्त्र राष्ट्रपति के अधिकार अत्यधिक विस्तृत थे। नवीन संविधान के निर्माता इन तथ्यों से परिचित थे अतः उन्होंने संसद् तथा चान्सलर का शक्तिशाली बनाने के लिए एक अस्थायित्व निरन्तर राष्ट्रपति पद की रचना की। उसके चुनाव को भी प्रथम के बजाय अप्रत्यक्ष रखा गया उस संवैधानिक अधिकारों के उपयोग से भी वंचित कर दिया।

राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएँ

राष्ट्रपति के बारे में बसिक ला अनुच्छेद 54 (1) कहता है कि प्रत्येक जर्मन जिसे वान देन का अधिकार है तथा जिसने 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है। इसके अतिरिक्त बसिक ला कोई व्यवस्था नहीं करता। लेकिन जहाँ हम वोट देने के अधिकार की ओर ध्यान देते हैं तो कुछ और योग्यताएँ प्रकट होती हैं। उदाहरण के लिए वोट देने दे सकता है जो जर्मनी का नागरिक हो। इस प्रकार राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ सामन आती हैं —

- (1) वह जर्मनी का नागरिक हो।
- (2) वह 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो।
- (3) वह किसी अपराध में दण्डित न हो।
- (4) वह पागल या मानसिक असंतुलन का शिकार न हो।
- (5) एक निश्चित अवधि तक पश्चिमी जर्मनी में निवास कर चुका हो।
- (6) इसके अतिरिक्त बसिक ला क अनुच्छेद 55 के अनुसार यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति कोई भी अवतलक पद पर कार्य करने वाला न हो और न किसी व्यापार व्यवसाय या पेशे से सम्बद्ध हो। वह लाभ प्रदान करने वाले किसी प्रवचन या उद्योग से सम्बद्ध भी नहीं हो सकता।

साथ ही राष्ट्रपति-पद के प्रत्याशी को चुनाव के बाद सभ या राज्य की विधानसभा की सदस्यता या मंत्री पद—यदि वह सस्य या मंत्री है तो—का त्याग करना पड़ता है।

इन सब अवधानिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त भी कुछ बातें हैं जो एक व्यक्ति को इस पद के योग्य बनाती हैं। राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जिसने सावजनिक जीवन में दीर्घकाल तक सेवाएँ प्रदान की हैं जो राजनीति शिक्षा समाज सेवा या मसूरी के क्षेत्र में क्रियाशील रहा हो तथा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका हो तथा जिस पर प्रतिष्ठा तथा सेवा के कारण जनता के प्रतिनिधिओं के एक बलत बल वग का समय प्राप्त हो।

राष्ट्रपति का निर्वाचन व कार्यकाल

पश्चिमी जर्मनी के राष्ट्रपति का चुनाव एक विशिष्ट पद्धति से होता है। बसिक ला के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक मध्य निर्वाचन सभा (एन्डरन क-वेशन) द्वारा होगा जो राष्ट्रपति के पद की अवधि के समाप्ति के 30 दिन पूर्व चुनाव के लिए एकत्रित होगी। इस सभाय निर्वाचन सभा का कुमेराट का अध्यक्ष आमंत्रित करेगा [अनुच्छेद 54 (4)]

बसिक ला के अनुच्छेद 54 (3) के अनुसार—इस सभाय निर्वाचन सभा में

- (1) बुन्सटाय के समस्त सदस्य तथा

- (2) बुद्धेमाग के सदस्यो की समान सख्या म लेण्डेर (रा'यो) की विधान सभाओ के चुने हुए प्रतिनिधि भाग नै। इमी अनुच्छेद के परिच्छेद (2) क अनुमार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 बष का होता है तथा वह दुबारा चुनाव म खण्य हो सकता है। कोई भी पक्ति सिर्फ दो ही बार राष्ट्रपति बन सकता है।

इस प्रकार पश्चिमी जमनी क राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा पढ़ने स ही चुन गए प्रतिनिधि तथा रा'यो के प्रतिनिधियो द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करन है। कहन का तात्पर्य यह है कि वहा की जनता अप्रत्यक्ष रूप स राष्ट्रपति का चुनाव करती है। यदि हम भारत के राष्ट्रपति क निर्वाचन का पद्धति का अध्ययन कर ता पश्चिमी जमनी व भारत के राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति म काफी साम्य नजर आता है। तकिन कुछ अंतर भा है।

पश्चिमी जमनी व भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धतियो मे समानताए तथा असमानताए

समानताए

पश्चिमी जमनी	भारत
(1) अप्रत्यक्ष निर्वाचन	(1) अप्रत्यक्ष निर्वाचन
(2) सहाय निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचन	(2) निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचन
(3) विशेष रूप से निर्मित सहाय निर्वाचक-मण्डल	(3) विशेष रूप से निर्मित निर्वाचक मण्डल
(4) रा'यो तथा सघीय प्रतिनिधियो द्वारा चुनाव	(4) रा'यो तथा सघीय प्रतिनिधियो द्वारा चुनाव

असमानताए

1) बुद्धेसराट (रा'य सभा) क सदस्य मतदान म भाग नहो लेते।	(1) रा'य सभा के सदस्य भी निर्वाचन मे भाग लेते हैं।
(2) चुनाव म बुद्धेसराट क प्रतिनिधि तथा उसी के समान सख्या म लेण्डेर (रा'यो) की विधानसभाओ द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं।	(2) चुनाव म रा'यो के सभी चुन हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

(3) प्रत्येक प्रतिनिधि एक वोट देता है ।

(4) यदि राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को बहुमत नहीं मिलता तो दुबारा वोट डाले जाते हैं ।

(3) प्रत्येक प्रतिनिधि एक विशेष फामूल के अंतर्गत बहु समस्या में वोट डालता है तथा प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी पसंद के अनुसार 1 2 3 4 वोट देना है ।

(4) यदि किसी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो जिस उम्मीदवार का सबसे कम वोट मिले है उसके वोट सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं ।

निर्वाचन प्रक्रिया

जसा कि पहले कहा जा चुका है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक विशेष सघीय निर्वाचन-सभा का निर्माण होता है । इस सभा में बुन्देसटाग के सदस्यों के समान संख्या में प्रतिनिधि विभिन्न राज्यों द्वारा चुने जाते हैं । ये लोग पश्चिमी बर्लिन में एकत्रित होते हैं तथा वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं । बर्लिन में चुनाव कराने का एक विशेष आशय है । इस प्रकार पश्चिमी जमनी की सरकार यह घोषित करना चाहती है कि बर्लिन जमनी की राजधानी है (अस्थायी राजधानी बान नगर है) ।

राष्ट्रपति के चुनाव को और अधिक स्पष्ट इस प्रकार किया जा सकता है । मान लीजिए कि बुन्देसटाग में कुल 518 सदस्य हैं तो 518 और मन्स्य नेण्ड (राज्य) विधान-सभाओं द्वारा चुने जाएंगे और ये 1036 प्रतिनिधि बर्लिन में एकत्रित होकर चुनाव करेंगे । 1036 प्रतिनिधियों में से 519 मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाएगा । यदि प्रथम मतदान में किसी प्रत्याशी का निर्वाचन बहुमत नहीं मिलता है तो दुबारा मतदान होगा । यदि इसमें भी निर्वाचन बहुमत नहीं मिलता है तो तीसरी बार सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर चुना जाएगा ।

12 मितम्बर 1949 को जमनी में राष्ट्रपति पद का पहला चुनाव हुआ । सघीय निर्वाचन-सभा के कुल सदस्य 804 थे तथा पूरा बहुमत के लिए 403 मतों की आवश्यकता थी । चुनाव के मैदान में कुल मान उम्मीदवार थे । प्रमुख प्रत्याशी थे यिमाटार हायस तथा कुट शूमाखर । शूमाखर सामल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे तथा हायस फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के तथा क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनिटन के संयुक्त उम्मीदवार । प्रथम मतदान में होयस का 377 तथा कुट शूमाखर का 311 मत प्राप्त हुए । इस प्रकार किसी भी उम्मीदवार को आवश्यक बहुमत (403 वोट) नहीं मिल सका । अतः दोबारा चुनाव हुआ । इस बार होयस का 416 मत मिला तथा

व चुन लिए गए। 1954 में द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इस बार हायम फिरे मैदान में थे और उन्हें कुल 987 मतों में से 871 मत प्राप्त हुए। इस बार सामल दमाक्रटिक पार्टी ने प्रथम बार उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। 1959 में तीसरी बार चुनाव हुआ और इस बार पहली तो स्वयं चाननर शान्तशेखर ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने का आग्रह किया लेकिन बाद में उन्होंने विचार बदल लिया। इस बार त्रिचिक्कन डमाक्रटिक यूनिशन ने हाननरिच पूवक को—जा शान्तशेखर मंत्रि मण्डल में कवि मंत्री थे—चुनावक लिए प्रस्तुत किया। 1 जुलाई 1959 का चुनाव हुआ। कुल मतदाता 1038 थे जिनमें से पूवक को 526 वोट मिले। इस प्रकार वह 6 मंत्रों से बिनया रहा। 1964 में फिर चुनाव हुआ और इस बार पूवक पुनः मन्तव्य में उतरा। इस बार उसे 1024 वोटों में से 710 वोट प्राप्त हुए। 1969 में जब बर्तमान में सघीय निवाचन समाप्त के सत्त्व 5वां बार राष्ट्रपति का चुनाव के लिए एकत्रित हुए तो नगरा बल चुका था। अब तक जितने राष्ट्रपति बन चुके हैं त्रिचिक्कन डमाक्रटिक यूनिशन तथा फ्री डमाक्रटिक पार्टी ने मिलकर सहयोग दिया था। लेकिन इस बार फ्री डमाक्रटिक पार्टी ने माशुन डमाक्रटिक पार्टी के साथ सहयोग का निरख्य किया तथा उनका परिणामस्वरूप साशन डमाक्रटिक पार्टी के उम्मीदवार गुन्नाफ शहनमान का चुनाव हुआ। 1974 में जमनी के राष्ट्रपति पद पर फ्री डमाक्रटिक पार्टी के उम्मीदवार वाटर शील चुन गए। उन्हें साशन डमाक्रटिक पार्टी का समर्थन प्राप्त था। 15 मंत्रों को हुए इस चुनाव में वाटर शील को 580 वोट मिले। उनका विराजी कात्मभ्यकर (त्रिचिक्कन डमाक्रटिक यूनिशन) को 494 मत प्राप्त हुए। कुल मतदाताओं की संख्या 1036 थी।

य उन्वनीय है कि जमनी के राष्ट्रपति पद पर प्रथम तक वहाँ के तान प्रमुख राजनीतिक गण के प्रत्याशा चुन जा चुके हैं। उनका विवरण इस प्रकार है—

- (1) विद्योचर हायम (1949-59) फ्री डमाक्रटिक पार्टी।
- (2) शाननरिच पूवक (1959-1969) त्रिचिक्कन डमाक्रटिक यूनिशन।
- (3) गुन्नाफ शहनमान (1969-1974) साशन डमाक्रटिक पार्टी।
- (4) वतमान राष्ट्रपति वाटर शील (1974) फ्री डमाक्रटिक पार्टी।

इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव वर फ्री डमाक्रटिक पार्टी में आरम्भ हुआ और आज भाषा डमाक्रटिक पार्टी का सम्भ्य बहा का राष्ट्रपति है।

राष्ट्रपति पद की शपथ

किमी भी राष्ट्र के राष्ट्रान्वयन शारा जा शपथ ली जाना है वह बल महत्व पूर्ण होती है। जिन प्रकार ये बात भारत पर लागू हानी है उसी प्रकार पश्चिमी जमनी पर भी।

बसिक साक 56 वें अनुच्छेद के अनुसार—पद ग्रहण करने पर राष्ट्रपति व उन्वनीय व उन्वनीय के सम्भ्य व सम्भ्य शपथ ग्रहण करेगा—

म शपथ लेता है कि मैं निष्ठापूर्वक जर्मन जनता के कल्याण का प्रयास करूंगा तथा उसके नामों में वृद्धि करूंगा उह हानि से बचाऊंगा बेसिक ला तथा सच के कानूनों की रक्षा करूंगा व उसकी मर्यादा बनाए रखूंगा। श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करूंगा तथा सभी को न्याय प्रदान करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे।

यह शपथ ईश्वर के नामोल्लेख के बिना भी की जा सकती है।

राष्ट्रपति का कार्यकाल

बेसिक ला के अनुच्छेद 54 (2) के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होगा। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल भी इतना ही है। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति 4 वर्षों के लिए चुना जाता है। उसी अनुच्छेद के अनुसार पश्चिमी जर्मनी में कोई व्यक्ति सिर्फ दो बार राष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है। इस दृष्टि से भारत में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई सीमा नहीं है। लेकिन अब तक की परम्परा के अनुसार राष्ट्रपति तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ता है।

सामान्यतः राष्ट्रपति 5 वर्षों का कार्य करता है लेकिन इसी बीच उसे महाभियोग लगा कर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो बीच में त्याग पत्र दे सकता है। पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व राष्ट्रपति गुस्टाफ हाप्पनमान ने राष्ट्रपति बनने पर यह घोषणा की थी कि वह अणुशस्त्रों के निर्माण व प्रयोग सम्बन्धी सशस्त्र व किसी देश का स्वीकृति नहीं देंगे अर्थात् उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।

राष्ट्रपति पर महाभियोग

बेसिक ला में जर्मन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर पद से हटाने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा इस बेसिक ला या संधीय कानून का जानबूझ कर उल्लंघन करने पर बुंदेसट्राग व बुंदेसराट द्वारा संधीय संवैधानिक न्यायालय के समक्ष उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इसी अनुच्छेद में आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रस्ताव के लिए बुंदेसट्राग के 1/4 सदस्यों या बुंदेसराट के 1/4 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। इन सम्बंध में निर्णय देने के लिए बुंदेसट्राग या बुंदेसराट के 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होगा। जो भी सदन महाभियोग चलाता है उस संधीय संवैधानिक न्यायालय के सम्मुख अपना प्रतिनिधि भेजना होगा। जो उन आरोपों के सम्बंध में प्रमाण प्रस्तुत कर सके।

यदि संधीय संवैधानिक न्यायालय यह पाता है कि राष्ट्रपति ने जानबूझ कर इस बेसिक ला या संधीय कानून का उल्लंघन किया है तो वह यह घोषणा कर सकता है कि राष्ट्रपति पद पर धामीन पद नहीं उस पर बन रहने सम्बंधी शपथ पधिसार हो गया है (अनुच्छेद 61 (2) महाभियोग लगाने के बाद न्यायालय यह धरिभर

आदेश निकाल सकता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेगा तथा अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा।

महाभियोग विषयक प्रक्रिया की भारतीय प्रक्रिया से तुलना करें तो निम्न विहित समानताएं तथा विभेद सामने आते हैं। यह उल्लेखनीय सयोग है कि दोनों देशों में महाभियोग सम्बन्धी धारा 61 ही है।

समानताएं

पाश्चिमा जर्मनी	भारत
(1) महाभियोग का प्रस्ताव तब के लिए बुद्धिसदाग या बुद्धिसराट के 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक।	(1) महाभियोग प्रस्ताव तब के लिए तब सभा या राज्य सभा के 1/4 सदस्यों का समर्थन जरूरी है।
(2) महाभियोग सम्बन्धी निष्णय लने के लिए बुद्धिसदाग या बुद्धिसराट के 2/3 बहुमत का समर्थन जरूरी।	(2) तब सभा या राज्य सभा के सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा समर्थन आवश्यक।

असमानताएं

(1) राष्ट्रपति पर महाभियोग सवधी कायवाणी सघोय सवधानित्त न्यायालय में होगी।	(1) यदि लोक सभा महाभियोग लगाती है तो कायवाही राज्यसभा में होगी। यदि राज्य सभा महाभियोग लगानी है तो मामला लोक सभा सुनगी।
(2) महाभियोग की सूचना सम्बन्धी अवधि का उल्लेख नहीं है।	(2) भारत में 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है।
(3) महाभियोग प्रक्रिया के दौरान सघोय सवधानित्त न्यायालय एक अन्तरिम आदेश निकाल कर राष्ट्रपति का उस पद पर काय करने से वचित कर सकता है।	(3) भारत का सन्निधान इस विषय पर मान है।

पद रिक्त होने पर

एक वर्ष कारण है जिनके अन्तर्गत राष्ट्रपति को अपनी 5 वर्षीय कायावधि पूरा करने से पूर्व पद छोड़ना पड। राष्ट्रपति या मन्त्रिमण्डल में आपसी विवाद की स्थिति स्वाम्य्य वरारब होने पर या महाभियोग सिद्ध होने अथवा असमय में मृत्य हो जाने पर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। बस जमनी में अभी तक एसी कोई स्थिति नहीं आ। लेकिन फिर भी मन्त्रिमण्डल में मन्त्र विषय में व्यवस्था करना अनिवार्य था। बतक ता क अनुच्छेद 57 के अन्सार—यदि मध्य राष्ट्रपति का किसी कारणवश अपन काय करने से राजा जाता है या उसका पद असांमयिक रूप से रिक्त

हाना है ता उसका अधिकार का प्रयोग बुदेसरट के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। तबिन यदि बुदेसरट का अधिन भी एसा करने म अधिन हो तो क्या होगा म बारे म बसिक ला मान है।

राष्ट्रपति की उम्तिया

अथ रा टाध्यना की भाति पश्चिमी का राष्ट्रपति भी अपनी कायावधि म कई उम्तिया का उपभाग करता है। राष्ट्रपति पत्र क अन्तगत अपन कार्यों क लिए उस गिरफ्तार नहा किया जा सकता। त्तिमी भी तीवानी या फौजदारा अगत म उस पर मुकदमा नहा चलाया जा सकता न उसकी गिरफ्तारा का वाग्ट निकाला जा सकता है। सिफ सविधान या सवीय कानून क जानबूझ कर उन्धन करने की स्थिति म उस पर सघीय सवधानिक मालय म मुकदमा चलाया जा सकता है। भारत म भी राष्ट्रपति का लगभग ये ती उम्तिया प्राप्त है।

राष्ट्रपति के अधिकार और काय

बसिक ला क निमानात्रा न जब राष्ट्रपति पत्र की शक्तिया के बारे म विचार आरम्भ किया तो उनके समन वाइमार सविधान के अन्तगत राष्ट्रपति हिण्न्बग द्वारा अपनी शक्तिया क दृश्ययोग की ग्रा ताजा थी। एक कहावत है कि दूध का जना छात्र का भा पूक कूक कर पीता है। जमन सविधान निर्माता भा इसी प्रकार अत्यधिक मजग थे। वे नहा चाहन थे कि भविष्य म कोई दूमरा हिण्न्बग पग हो जो जनतंत्र का जनाना निकाले। सविधान निमानात्रा ने निगय दिया कि जमन राष्ट्रपति—

- (1) राष्ट्र का प्रतीक हा।
- (2) राजनानिक दृष्टि से बल तटस्थ रहे तथा उस सिफ सुम्पन्न म परिनापित स्थितिया म नियधाधिकार का अधिकार किया जाए तथा किसी भी स्थिति म नीति निर्धारण तथा शासन का अधिकार न किया जाए।
- (3) वह राजनीतिक दना की गतिविधियों म दूर रहकर सविधान क रक्षक व अभिभावक का काय करे।¹

इही तथ्यों का दृष्टिगत रखत हुए राष्ट्रपति के लिए मरपुर प्रनिष्ठा तबिन सीमित अधिकार व शक्तिया की ग्रास्या की ग। बसिक ला क अनुमार पश्चिमी जर्मनी क राष्ट्रपति क अधिकार का निम्नलिखित ढगों म बाटा जा सकता है।

- (1) व्यवस्थापिका विषयक शक्तिया।
- (2) कायपालिका विषयक शक्तिया।
- (3) साधिक शक्तिया।
- (4) अन्तरराष्ट्रीय जगन म प्रतिनिधित्व का अधिकार।

पश्चात्तिका विधायक शक्तियाँ

पश्चिमा जमनी में कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति तथा मंत्रिमण्डल से मिल कर होता है। पश्चिमा जमनी राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियाँ मारतीय राष्ट्रपति की तुलना में कुछ कम हैं। उदाहरण के लिए भारत का राष्ट्रपति लोक सभा का अधिवेशन बुलाता है लेकिन पश्चिमी जमनी में यह कार्य बुद्धेसटाग का अधिकार होता है। लेकिन अधिनियम 39 के अनुसार राष्ट्रपति यह कार्य कर सकता है कि बुद्धेसटाग का अधिवेशन बुलाया जाए।

जिसका नाम अनुमान समझ द्वारा पारित कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। हस्ताक्षर होने के बाद ही वह कानून बनता है।

राष्ट्रपति प्रत्येक अध्यादेश व अध्यादेश (decree) पर भी हस्ताक्षर करता है लेकिन वास्तव में यह अधिकार सम्बद्ध सचीव मंत्री या राज्य सरकार के पास होता है। इन दृष्टि से उमका अध्यादेश या अध्यादेश जारी करने का अधिकार नाम मान का है। साथ ही इन अध्यादेशों पर चांसलर या सम्बद्ध विभाग के मंत्री के हस्ताक्षर भी जरूरी होते हैं।

उपरिनिखित विवरण से यह प्रतीत होता है कि पश्चिम जमनी राष्ट्रपति का अधिकार न के बराबर है लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। कुछ मामलों में वह अधिकार महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहण करता है। खासकर प्रधान मंत्री द्वारा विश्वास प्राप्त करने के प्रस्ताव का असफलता के सम्बन्ध में अधिनियम 68 के अनुसार यदि चांसलर द्वारा विश्वास प्रस्ताव को बुद्धेसटाग का अध्यादेश डेप्युटी (संसद) अधिवेशन कर देने है तो राष्ट्रपति चांसलर के प्रस्ताव पर 21 दिन के भीतर बुद्धेसटाग का भंग कर सकता है। अनुच्छेद 81 यह व्यवस्था करता है कि अनुच्छेद 68 के अंतर्गत यदि बुद्धेसटाग भंग नहीं होती है तथा सच सरकार की प्रार्थना पर राष्ट्रपति बुद्धेसटाग की सहमति से किसी विधेयक के बारे में विधायिका संकट-काल (Legislative emergency) की घोषणा कर सकता है। यह घोषणा उस विधेयक के बारे में की जा सकती है जिस पर सरकार ने आवश्यक बताया है लेकिन बुद्धेसटाग ने उसे अध्यादेश कर दिया है।

अनुच्छेद 81 (?) के अनुसार यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि विधायिका संकट-काल की घोषणा कर ली गई तथा बुद्धेसटाग पुनः उस विधेयक को अधिवेशन कर देता है तो वह विधेयक कानून बन जाएगा यद्यपि बुद्धेसटाग उसकी स्वीकृति है। यदि बुद्धेसटाग उस विधेयक को पुनः उपस्थित करने पर चार सप्ताह में पारित नहीं करती है तो भी वही स्थिति लागू होगी।

यस प्रकार विधायिका संकट-काल की स्थिति में राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्रमुख हो जाती हैं क्योंकि विधायिका संकट-काल है या नहीं यह राष्ट्रपति ही तय करता है।

कायपालिका शक्तियाँ

पश्चिमी जर्मनी का राष्ट्रपति बुन्डेसटाग के समान चांसलर पद के प्रत्यासी के चुनाव का प्रस्ताव रखता है तथा उस प्रस्ताव पर बिना किसी बहुमत के मतदान होता है। यदि प्रस्तावित उम्मीदवार का चुनाव नहीं होता है तो बुन्डेसटाग 14 दिन की अवधि के भीतर बहुमत से चांसलर का चुनाव कर सकती है तबिन इस बार भी चुनाव नहीं हुआ है ता तत्काल दुबारा चांसलर का चुनाव कराया जाएगा। यदि अब भी किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति चाह तो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले का नियुक्त कर सकता है अथवा बुन्डेसटाग का भंग कर सकता है। इस प्रकार चांसलर के चुनाव में राष्ट्रपति की भूमिका सिद्धान्त रूप से महत्वपूर्ण होती है लेकिन व्यवहार में वह उसी उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करता है जो बहुमत का नेता हो अथवा उस बहुमत मिलने की सम्भावना हो। मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यह कार्य चांसलर की सलाह से होता है।

अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति सघीय 'यायाधीशा' सघीय पदाधिकारियाँ तथा अधिकाारियों तथा गर कमीशन शुल्क (non Commissioned) अधिकाारियों की नियुक्ति करेगा। इस प्रकार वह 'यायाधीशा' राजदूता आन्टिटर जनरल आन्टि की नियुक्ति करता है लेकिन व्यवहार में यह कार्य मन्त्रिमण्डल की सलाह से ही होता है।

यायिक शक्तियाँ

'यायपालिका' के क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को कई अधिकार प्राप्त हैं। वह सघीय 'यायाधीशा' की नियुक्ति करता है। यदि किसी कानून के बारे में उम सन्तु हा कि यह बसिफ ला के अनुकूल नहीं है तो वह सघीय सबधानिक 'यायालय' से इन बारे में सलाह ले सकता है। 1952 में पश्चिमी जर्मन राष्ट्रपति श्री थियोडोर होयस न यूरोपीय प्रतिरक्षा-समुदाय सघि की सबधानिकता के बारे में सघीय सबधानिक 'यायालय' से सलाह मापी थी। बाद में उन्होंने अपनी यह प्राथना वापस ले ली।

अनुच्छेद 60 (2) के अनुसार राष्ट्रपति सघ राज्य की आर स यत्किगत मामलों में क्षमादान के अधिकार का 'योग्य' कर सकता है। इस अधिकार के अन्तर्गत वह दया के विविध रूपों—सजा में कमी प्रदिलम्बन (reprieve) आन्टि की शक्ति का उपयोग कर सकता है लेकिन वह सबक्षमा या पूर्णक्षमा या निमुक्ति का अधिकार नहीं रखता। इस प्रकार वह 'यायालय' द्वारा दण्डित शक्ति के दण्ड को स्थगित कर सकता है उसमें कुछ विनम्व कर सकता है अथवा सजा में कमी कर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिनिधित्व

विदेशनीति के क्षेत्र में भी राष्ट्रपति का शक्तियाँ व अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 59 के अनुसार—सघ राष्ट्रपति सघ के विदेशी सम्बंधों में उसका प्रतिनिधित्व करेगा। यह सघ की आर स सधिया करेगा। राजदूता की नियुक्ति एवं

विदेशी राजदूतों का स्वागत करना। साथ ही राजदूतों को प्रमाण पत्र देना तथा विदेशी राजदूतों के प्रमाण पत्रों का स्वाकार करना। एमरलिन्क के अनुसार विदेशी मामलों में भी राष्ट्रपति नाम मात्र के लिए नहीं व्यवहार में कार्य सम्पादन करता है। राजदूतों का नियुक्ति विदेशी राज्यों के साथ कूटनीतिक या राजनयिक सम्बन्ध स्थापना आदि का कार्य वास्तव में मंत्रिमण्डल का नतीजा रहता है। राष्ट्रपति का कार्य करना है वह है विदेशी राजदूतों का स्वागत। यह कार्य भी एक रूम मात्र है।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ का मूलांकन

वसिष्ठ ने तथा पिछले जमाने राष्ट्रपति पद पर चुन गए व्यक्तियों के कार्य के भूमिका का अध्ययन करके ही राष्ट्रपति पद का मूलांकन किया जा सकता है। अध्ययन के अन्तर्गत निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आते हैं—

राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है

जब वसिष्ठ ने का निर्माण हो रहा था तब समय संसदीय परिषद् (Parliamentary Council) के संसद प्रायः एक प्रश्न पर एक मत था कि राष्ट्रपति का काम से काम शक्तियाँ प्रदान का जाए तथा वह एक नाम मात्र का शासक या व्यवहार का पद है। ऐसा करने के कारण अतीत में खाने जा सकते हैं। वास्तव में गणतन्त्र के अन्तर्गत राष्ट्रपति का असीम अधिकार लिए गए जिनके ज्ञान या अनुभव गहन प्रयोग के कारण उत्कृष्टतम जमाने राष्ट्रपति हिंस्रतवग न जमाने में तानाशाही का माण प्रशस्त किया। नए निर्माता इस स्थिति से बचना चाहते थे। प्रथम राष्ट्रपति प्रियान्तराज प्रसन्न ने कहा— पिछले अन्तर्गत में समाचार पत्रों में पता कि राष्ट्रपति के अधिकार विरहित हैं तब भी मान्यता है कि राष्ट्रपति के अधिकार गज भर उम्बने हैं। ये अधिकार राजनीतिज्ञों के पास हैं। राष्ट्रपति के नाम मात्र के शासक ज्ञान के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं—

- (1) जमाने में मंत्रिमण्डल नामक शासन व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत वास्तव में प्रचालन होता है।
- (2) संसदीय शासन में राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक ही होता है।
- (3) तब सत्कारनाम अधिकार भी प्राप्त नहीं है जमा कि भारत में है।
- (4) समस्त निर्णय बाह्य व विदेशी नीति के क्षेत्र में या गृह-नीति के क्षेत्र में हैं— मंत्रिमण्डल ही लेता है।
- (5) राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल या चान्सेलर का सहायक मानने का बाध्य है। कुछ विषय अवसरों पर ही वह मधीय मवधानिक यायाय से कानून का वप्रता सम्बन्धी निर्णय लेने का कर्तव्य करता है।
- (6) राष्ट्रपति का मना पर नियंत्रण नहीं है। शासकत्व में प्रतिरक्षा मंत्री तथा मन्त्र काल में चान्सेलर सर्वोच्च सनापति होता है।

कुछ विशेष स्थितियों में महत्वपूर्ण

यह सही है कि सामान्यतः जर्मन राष्ट्रपति के अधिकार व शक्तियाँ ब्रिटिश राजा या रानी से अधिक नहीं हैं लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उसका पद अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि संसद में बहुत बड़ा दल हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति चान्सेलर के पद पर अपनी मर्जी के उम्मीदवार का प्रस्ताव कर सकता है। यदि बुंदेसटॉग को प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो और यदि बुंदेसटॉग 4 दिन में दूसरा व्यक्ति चुनने में असमर्थ होता तो उसके बाद 7 दिन में वह पद ग्रहण कर सकता है।

इसी प्रकार चान्सेलर व बुंदेसटॉग में किसी विरोधक को लेकर मतभेद होने पर राष्ट्रपति चान्सेलर को बुंदेसराट की सहायता से विधायिका मकट-बाल का घोषणा कर सकता है। ऐसा प्रस्ताव संघ सरकार लाती है लेकिन राष्ट्रपति चान्सेलर को प्रस्ताव को ठुकरा कर चान्सेलर की स्थिति को नाजुक बना सकता है। यद्यपि जर्मनी में अभी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है लेकिन भविष्य में क्या हो यह कान्सेलर नहीं कह सकता। इसीलिए फ्रांस के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक लेसक व पत्रकार अल्फ्रेड ग्रोमर ने कहा है कि— राष्ट्रपति पद को सामान्यतया कमजोर बनाना भूत है। हो सकता है भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जब एक शक्ति राष्ट्रपति की जरूरत हो।

राष्ट्रपति का पद कितना महत्वपूर्ण है यह बताना तो निम्न है ही साथ ही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर है जो उस पद पर आसीन है। जर्मन पहले और दूसरे राष्ट्रपति पद पर बड़े व्यक्तियों ने तो कभी चान्सेलर को चुनौती नहीं दी लेकिन जब गुम्टाफ हाप्पेमान राष्ट्रपति बन तो ऐसा लगा कि वह अपने अधिकारों पर जोर लगे। उन्होंने घोषणा की कि वे अणु शस्त्रों का निषेध व प्रथम सबंधी कानून को स्वीकृति नहीं देंगे लेकिन उनके कार्यक्रमों में भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। फिर भी राजनीति में रूचि रखने वाले व्यक्तियों को कम से कम यह याचना तो पडा कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों पर जोर दे सकते हैं।

राष्ट्रपति के अधिकारों एवं शक्तियों के बारे में विभिन्न विद्वानों का विचार इस प्रकार है —

प्रोफेसर थामस एल्बर्ट की मान्यता है कि—1948-49 में जर्मन संविधान निर्माताओं व समस्त सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि राष्ट्रपति की स्थिति क्या हो। समाज की बढती व राष्ट्राध्यक्ष के अधिकारों के विरुद्ध अविश्वास की भावना प्रयोग की गई क्योंकि वार्डमार-गणतंत्र का अनुभव अभी पुराना नहीं हुआ था। यही कारण है कि राष्ट्रपति के अधिकार कम से कम रख गए।¹

1 थामस एल्बर्ट दास रेविद्युक्त संसिस्टम डर बुन्देरिपुब्लिक दो जर्मनी द्वारा संशोधन (कोलोन 1966) पृष्ठ 281

सघीय ससद

जमनी म राष्ट्रीय स्तर पर समद का नामाग 1871 क मविधान द्वारा हुआ उमी समय न बना मयाय यवस्था बना आ रही है जिसम दा मन्ना का प्रावधान है । त्रिस्माक द्वारा निर्मित मविधान क अतगत बना की ताकममा का राष्ट्रमग तथा राय ममा का बुदेसराट कहा गया । 1919 म निर्मित वात्मार-मविधान के अतगत ताक ममा का नाम वही रना तकिन राय ममा का नाम बन कर राष्ट्रराट कर दिया गया । 1949 म तब वतमान वसिक ता तागू आ ता तोक ममा का बुदेसटाग तथा राय ममा का बुदेसराट की ममा दी ग ।

फरर जमना की राजधाना वान नगर म राटन नगे क किनारे पर समद भवन स्थित है । यह भवन अध्यापका क प्रशिनता क लिए तयार किया गया था तकिन बाद म म मम के दाना सन्ना-बुटमटाग तथा तुम्मराट क प्रयोग क लिए बना गया । ममा भवन क पान एक गगतचुम्बी अट्टालिका बना ग है जना मम क टपुटा (मन्म्य) रत है । वसिक ता क अनुद 20 (1) क अनुमार फरल रिपि तक आक जमना एक जनतािक सामाजिक मघाय राय है । मका तापय ग कि यहा ि मन्नाय प्रणाती हागे । बुटमटाग या ताक ममा जमन मवधानिक यवस्था का सवम मशक सस्या है ता बुटमराट राय ममा एक सक्रिय मन्मक ममा ।

बुदेसटाग

राष्ट्रीय स्तर पर जनता द्वारा एकमात्र चुनी गत म था क रूप म जमन तुम्मटाग (ताक ममा) का फरर जमनी क मवधानिक ावे म अधधिक प्रमाव मता स्थान प्राप्त है । यत् जन्ता का प्रतिनिधि मस्या है । यी कारण है कि जब कमा समद का उन्नव हाता है तो सामाजतया मारा बुटमटाग की मार हाता है जसकि समद क अतगत ता दाना मन्म आत है ।

सदस्यों की योग्यताए

बुटमटाग - मन्म्य टपुटा क नाम स पुकारे जान है । टपुी चुन जान के लिए ध्यति म अत्रनिविन योग्यताए हाता चाहिए—

1. वान सोमना इर क वटमटाग (राकण) पृष् 1

- (1) वैसिक ला व अनुच्छेद 38 (2) के अनुसार जमन बुन्देसटाग का डपुनी बनन क लिए 21 वष की उम्र अनिवार्य है।
- (11) वह फरल जमनी का नागरिक हो तथा ससद् द्वारा निर्धारित योग्यता रखता हो।

कानून द्वारा निर्धारित योग्यताओं व अनिर्दिष्ट उमर राजनीतिक योग्यताएँ भी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए वह किसी राजनीतिक दल का सम्पन्न हो या इतना प्रभावशाली व माधन-सम्पन्न हो कि कोई राजनीतिक दल उस चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित करे। इसी प्रकार मजदूर संगठन का अनुभव या किसी व्यक्ति का डपुटी बनने के योग्य बनता है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनिघन नामक दल का उद्योगपतियों तथा सम्पन्न किसानों को डपुटी पद पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट देता रहा है। इसी प्रकार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी मजदूर-संघ के नेताओं को टिकट देती रही है।

हन्री रिट्जर्न नामक एक सामाजिक डेम्क्रैटिक उम्मीदवार ने 1952 में अपने मतदाताओं को बताया कि उसने बुन्देसटाग की 60 पूर्ण समाधि में से 33 समाधियों में भाग लिया है। बुन्देसटाग की समितियों में वह 109 बार चुना गया तथा उसने पार्टी के सदस्य बनने (फ्रान्क) में भी 36 बार भाग लिया है। उसके अलावा उसने बुन्देसटाग से बाहर भी 56 भाग लिए तथा दल के संगठन के कार्यों में सक्रिय हिस्सा लिया। इस प्रकार की योग्यताएँ भी एक उम्मीदवार को प्रभावशाली बनाती हैं।

इसके साथ ही शिक्षा का बड़ा महत्त्व होता है। यद्यपि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बुन्देसटाग का सदस्य बन सकता है लेकिन जमनी में शिक्षा का बहुत महत्त्व दिया जाता है साथ ही शक्ति भी एक डी हो तो अत्युत्तम। 1961-1965 तक मजदूरों में बुन्देसटाग के 65 प्रतिशत सदस्य विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त थे। 5 प्रतिशत लोग न माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की तथा 25 प्रतिशत लोग प्राथमिक शिक्षा प्राप्त थे। यह उल्लेखनीय है कि 113 सदस्य कानून की डिग्री प्राप्त व्यक्ति थे। 37 लोग भाषा विज्ञान की डिग्री से युक्त थे। इतनी ही संख्या में भाषाशास्त्र की डिग्री प्राप्त थे। 77 लोग धर्मशास्त्र की डिग्री लिए हुए थे। कृषि इंजीनियरिंग समाज विज्ञान डॉक्टरी विज्ञान में क्रमशः 18 11 8 77 तथा 2 व्यक्ति डिग्री धारी थे।

अयोग्यताएँ

निर्वाचन-कानून में की गई व्यवस्थाओं के अंतर्गत जिस व्यक्ति में निम्नलिखित बातें हों वह बुन्देसटाग का सदस्य नहीं बन सकता—

- (1) यदि व्यक्ति किसी न्यायालय द्वारा पागल घोषित किया गया हो।
- (2) दिवालिया हो।
- (3) देशद्रोही हो तथा ससद् द्वारा निर्धारित कार्य अथवा अयोग्यता का विचार हो।

- (4) जो चुनाव म भारी अनियमितताए करन का अपराधी ठे ।
- (5) सगायाफता हो ।
- (6) वह बुट्टेसराट का सम्म्य ह्य ।

फररन जमन चुनाव-कानून की यह विजयता है कि वहा सरकारी अधिकारी या कर्मचारी भी चुनाव नड सकता है । टपुनी निवाचित हान की स्थिति म उसे सरकारी पद स 4 बष का अपवाश न दिया जाता है । वाद म पुन वह अपना नौकरी पर नौन सकता है ।

सदस्य को सुविधाए व त्रियोपाधिकार

बमिक ना क 38 वें अनुच्छेद के अनुसार जमन डपुनी-गए समस्त जनता क प्रतिनिधि ह्यग । व त्रिसा भी आदेश निर्देश से वाध्य न हाकर अपनी आत्मा के प्रति उत्तरदायी ह्यग । लकिन वास्तव म व अपना आत्मा की स्वतंत्रता की रक्षा नहा कर सकन तथा उए अपन दन क आदेश निर्देश का पालन करना पता है प्रत्यया उनक विरुद्ध अन्यायन का काप्रवाह की जा सकती है । एम हृष्टि से इम अनुच्छेद का अधिक महत्व नहा है ।

टपुनी चुने जाने क बाद समद सदस्य को न कवन समुचित वेतन तथा आवास की सुविधा हा मिलनी है वरु समस्त फररन जमनी म घमन क लिए उमे ररन त्रिक भा मुफ्त मिलता है और पद-व्यवहार आदि व लिए अनग स आर्थिक सहायता भा प्राप्त हानी है ।

बुट्टेसराट व डपुना (सदस्य) का निम्न प्रकार स वतन मिलता है प्रथमन उए मंत्री क वतन का 2 5 पतिमन वेतन मिलता है । दूमरे अधिवेशन क समय जा नित्य भत्ता मिलता है वह करीब 500 माक प्रति माह पडता है । तीसर प्रत्यक टपुनी का प्रति माह 600 माक कायादय भत्त (सचिव व पद-व्यवहार) क रूप म मिलता है । यदि कान् टपुनी बिना सूचना अनुपस्थित रहता है तो उस एक निश्चित राशि जमनि के रूप म दनी पडती है ।

किनी भी डपुनी क विरुद्ध उसक बुट्टेसराट म त्रिय गय भाषण क विरुद्ध कायादय म मुक्त्मा पा नही किया जा सकता है । एक विरोप काज क बाद बुट्टेसराट स अवकाज प्राप्त करन पर उस पेंशन भा मिलनी है । भारत म पेंशन की व्यवस्था का गारर सनी अधिकार समन्वयता का प्राप्त है ।

बुट्टेसराट की रचना व साठन

सद्धान्तिव हृष्टि म फररन जमन बुट्टेसराट की कयाय शासन-मन्त्रिणा सस्था है । एमर त्रितरके क अनुमार यह बहुदलीय सस्था है यए एक राजनीतिक मंच का काय करता है कानून का निमाण करती है सधिया को स्वीकृति देनी है चान्दर उनक मन्त्रिमन्त्र तथा नौकराही स उनके कायों के लिए जवाब-दार

करती है और जिम्मेदार ठहराती है। इसके साथ ही साथ यह संसदीय जनतंत्र के लिए व्यावहारिक पाठशाला का काम भी करती है।

रचना

वेसिक नाम तथा प्रथम संघीय चुनाव कानून के अन्तर्गत 14 अगस्त 1949 के दिन प्रथम बुद्धेसदग (राकसभा) का चुनाव हुआ जिसमें प्रतिनिधियों की संख्या 402 थी। सदन का संस्यता में अद्य कानून द्वारा उत्तगतर वद्धि हुई और 1964 के चुनाव कानून के अनुसार बुद्धेसदग के अद्य 518 सदस्य हैं। उनमें से 22 सदस्य वलिन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 22 सदस्यों का मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि वलिन की आज भी विशेष अंतरराष्ट्रीय स्थिति है।

जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों को निम्नलिखित स्थान प्रदान किये गये हैं —

राज्य का नाम	सदस्य सदग	राज्य का नाम	सदस्य सदग
बादेन यूरेटेमबग	68	राईनलण्ड पलेटीनट	31
बवैरिया	86	सारलण्ड	8
ब्रमेन (नगर राज्य)	5	शनपविग-हाल्स्टाटन	21
हाम्बुग (नगर राज्य)	17		496
हेसे	45	वलिन (नगर राज्य)	22
लोअर सेक्मनी	62	कुन योग	518
नोथ राईन वेस्टफालिया	153		

चुनाव प्रणाली

वेसिक नाम के अनुच्छेद 38 के अनुसार जर्मन बुद्धेसदग के डपुटी का चुनाव सावदेशीय या सावत्रिक (युनिवर्सल) प्रत्यक्ष स्वतंत्र समान तथा गुप्त निर्वाचन प्रणाली द्वारा होगा।

जर्मन चुनाव-पद्धति अपने आप में अनाखी व अनुपम है। तृतीय महायुद्ध से पूर्व जर्मनी में आनुपातिक चुनाव प्रणाली का प्रयोग होता था लेकिन इसके कारण चार्मर-नारणतन में अत्यधिक पार्टियां उत्पन्न हो गई थीं ठीक उसी प्रकार जैसे कि बरसात के मौसम में मच्छक जन्मते हैं। इसके परिणामस्वरूप मिली-जुली सरकारें बनीं जो बराबर टूटतीं रहीं। उनमें जनतंत्रीय व्यवस्था की जड़ें मजबूत नहीं हो पाईं। वान व संविधान (वेसिक नाम) निर्माता उस स्थिति के प्रति सजग थे और उन्होंने उस पुरानी चुनाव परिपाटी को नहीं अपनाया। उन्होंने जो चुनाव पद्धति अपनायी उसमें प्रथम चुनाव (जिस कि भारत में) तथा आनुपातिक चुनाव प्रणालियों का समावेश किया गया।

1949 में जो चुनाव कानून बनाया गया उसमें 27 धाराएँ थीं। इसका अनुसार प्रत्येक 21 वर्षीय जमान का मताधिकार तथा 25 वर्षीय नागरिक को चुनाव में खड़े होने का अधिकार दिया गया (1970 के एक कानून के अनुसार मताधिकार की उम्र 18 तथा चुनाव जड़न की उम्र 21 कर दी गई है)। साथ ही 60 प्रतिशत स्थानों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव तथा 40 प्रतिशत स्थानों के लिए सूची (लिस्ट) प्रणाली द्वारा चुनाव की व्यवस्था की गई। कुल 400 स्थानों के लिए चुनाव किया गया।

1953 में दूसरा चुनाव कानून बनाया गया। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव तथा सूची (लिस्ट) चुनाव का अनुपात 50-50 प्रतिशत कर लिया गया। साथ ही एक विशेष धारा जोड़ दी गई जो पांच प्रतिशत धारा के नाम से या स्त्रोत धारा के नाम से विख्यात है। पांच प्रतिशत धारा का अर्थ यह है कि लिस्ट चुनाव प्रणाली के अंतर्गत जिस राजनीतिक दल को एक राज्य में 5 प्रतिशत मत नहीं मिलेंगे उसे बुदेसटाग में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं होगा। संसद में स्थानों की संख्या 400 से बढ़ाकर 484 कर दी गई। 1956 में तृतीय चुनाव-कानून निर्मित हुआ। इसमें पूर्व कानून की तुलना में कुछ मामूली संशोधन किये गये जो इस प्रकार थे—पहले एक राज्य में 5 प्रतिशत मत प्राप्त करने में बुदेसटाग में प्रतिनिधित्व मिल सकता था पर अब यह प्रावधान किया गया कि समस्त संसद में 5 प्रतिशत वोट मिलने पर ही सूची चुनाव के अंतर्गत प्रतिनिधि भेजा जा सकता है।

प्रत्येक मतदाता दो वोट देगा एक प्रत्यक्ष चुनाव में उम्मीदवार का दूसरा मत राजनीतिक दल की सूची में से एक राजनीतिक दल को अर्थात् एक वोट व्यक्ति का तथा दूसरा वोट पार्टी का।

1964 के चुनाव-कानून द्वारा बुदेसटाग के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 496 (वर्तमान के 22 प्रतिनिधियों को छोड़कर) कर दी गई। इसमें से 248 के लिए प्रत्यक्ष चुनाव तथा बाकी 248 के लिए लिस्ट चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई।

जसाकि उपर्युक्त संकेत किया जा चुका है कि 1970 में धर्मिक दलों के 38वें अनुच्छेद में संशोधन कर मताधिकार का उम्र 21 से घटाकर 18 तथा उम्मीदवार की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई थी।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जमानों में मिश्रित चुनाव प्रणाली है जिसके प्रयोग में दो प्रकार की चुनाव प्रणालियों के नाम प्राप्त होते हैं। 1949 से 1973 के बीच हुए 7 चुनावों से यह सिद्ध हो गया है कि मिश्रित चुनाव प्रणाली के कारण बुदेसटाग में राजनीतिक दलों की संख्या घटती गई और आज वहाँ कुल तीन राजनीतिक दलों को (i) साधारण डेमोक्रेटिक पार्टी (ii) क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा (iii) फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी—ही प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस प्रकार जमानों में राजनीतिक व्यवस्था की ओर संपन्नतापूर्वक अग्रसर हो सका है।

बुदेसटाग का कायकाल

वेस्तिव ना के अनुच्छेद 39 के अनुसार बुदेसटाग (नोक ममा) का चुनाव चार वष के लिए किया जाएगा। उसका कायकाल प्रथम वठक के दिन से 4 वष तक या उसके भग हाने तक जारी रहेगा। नये चुनाव बुदेसटाग के चार वर्षीय कायकाल के अन्तिम तीन महीना में सम्पन्न होगे या बुदेसटाग भग होने की स्थिति में 60 दिनों की अवधि में पुनः चुनाव कराया जाएगा।

चुनाव की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर बुदेसटाग का अधिवेशन आरम्भ होगा लेकिन यह अधिवेशन पिछली बुदेसटाग की अवधि के अंत से पूर्व नहीं हो सकेगा।

बुदेसटाग के पदाधिकारी

प्रत्येक सस्या के काय सचानन के लिए कुछ निश्चित पदाधिकारियों की आवश्यकता होती है। बुदेसटाग भी इसका अपवाद नहीं है। बुदेसटाग के काय सचानन के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष-भरण परिष्ठ जनो की परिपद (काउंसिल आफ एल्डस) सचिव अथवा कायकारी अधिकारी तथा ससदीय समितियों की व्यवस्था की गई है।

बुदेसटाग अध्यक्ष

वेस्तिव ना के अनुच्छेद 40 में यह व्यवस्था है कि बुदेसटाग अपने अध्यक्ष उपाध्यक्षों तथा सचिवों का चुनाव करेगी तथा अपने काय के नियम काय विधि नियम (रूल्स ऑफ प्रोसिजर) का निर्माण करेगी। 6 दिसम्बर 1951 को बुदेसटाग ने अपने काय सचानन के लिए काय विधि नियम निश्चित किए।

सामान्यतया यह परम्परा रही है कि बुदेसटाग का अध्यक्ष-पद सबसे बड़े राजनीतिक दल को प्राप्त होता है तथा उपाध्यक्षों के पद विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों से भरे जाते हैं। 1960 तक अध्यक्ष का यह पद निश्चित डेमोक्रेटिक पार्टी को मिलता रहा क्योंकि वही बुदेसटाग में सबसे बड़ा दल था। उसके बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सबसे बड़ा दल के रूप में उभरी। फलतः बुदेसटाग के अध्यक्ष का पद इस दल की सदस्या अनामारी रगनर को प्राप्त हुआ।

अध्यक्ष का चुनाव

बुदेसटाग के काय-सचानन के लिए निम्न काय विधि नियम (रूल्स ऑफ प्रोसिजर) का निर्माण 6 दिसम्बर 1951 को किया गया। इसके अन्तर्गत अध्यक्ष के चुनाव के लिए विस्तृत नियम बनाए गए हैं। काय विधि नियम के अनुभाग (सेक्शन) 2 के अनुसार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव की निम्नलिखित प्रक्रिया होगी —

- (1) बुदेसटाग गुप्त तथा अलग अलग मतदान द्वारा क्रमशः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों का चुनाव करेगी।

(2) जिस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त होगा उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत प्राप्त न हो तो पुनः मतदान के समय नये उम्मीदवारों का नाम प्रस्तावित किया जा सकता तथा दुबारा मतदान में भी बहुमत प्राप्त नहीं होना है ता जिस व्यक्ति को सर्वाधिक मत मिलेगा उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा। दो व्यक्तियों को बराबर मत मिलने पर प्राचीन पारानिणय होगा।

(3) अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

बुद्धिमत्ताग अध्यक्ष के अधिकार

अध्यक्ष बुद्धिमत्ताग का सर्वोच्च सम्मानित पदाधिकारी होता है। वह बुद्धिमत्ताग का प्रतिनिधित्व करता है तथा उसकी कार्यवाही का संचालन करता है। वह बुद्धिमत्ताग की गरिमा व अधिकारों की रक्षा करेगा। कानूनसम्मत ढंग तथा निष्पक्षता से उसकी बैठक का संचालन करेगा तथा सदन की गरिमा बनाये रखेगा। बुद्धिमत्ताग के अध्यक्ष को सदन के सभी कर्मचारियों को नियुक्त करने तथा उन्हें पदच्युत करने का अधिकार होगा।

व्यक्तिगत व अनुच्छेद 40 (2) के अनुसार बुद्धिमत्ताग अध्यक्ष बुद्धिमत्ताग भवन में स्वामित्व तथा पुनिस अधिकारों का प्रयोग करेगा। उसकी स्वीकृति के बिना न भवन पर कानून किया जा सकेगा न वहाँ खान व पाक पठान की जा सकेगी।

काय विधि नियम व पाचवें परिच्छेद (संशोधन) के अनुसार बुद्धिमत्ताग का अध्यक्ष वरिष्ठ जन परिषद् (कार्गमल आफ एन्स) तथा सदन की आंतरिक समिति तथा प्रसारणम का अध्यक्ष होगा।

बुद्धिमत्ताग अध्यक्ष सदन के अधिवेशन का संचालन करता है उसकी अध्यक्षता करता है तथा उसका समापन करता है। वह असाधारण मामला में विभागीय सत्र का निर्मित भाषण पत्रों की अनुमति दे सकता है। अध्यक्ष किसी सत्र का यह भी आदेश दे सकता है कि वह मुख्य विषय पर नोट आदेश तथा विषयान्तर बातें न करे।

यदि कार्य सत्र काय विधि नियम का गम्भीर उल्लंघन करे तो उसी स्थिति में बुद्धिमत्ताग का अध्यक्ष उस सदस्य का उस दिन की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित कर सकता है। एक सत्र का अधिक से अधिक 30 बैठकों की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है।

काय विधि नियम (परिच्छेद 128) के अनुसार अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह काय विधि नियम की विशेष धारा या अनुभाग की व्याख्या कर सके।

बुद्धिमत्ताग के अध्यक्ष के पद की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह रिटिड हाउस आफ कामन्स के अध्यक्ष (स्पीकर) की सक्ति देने की सत्स्यता नहीं त्यागता।

बुन्डेसटैग का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष-गण अपने अपने राजनीतिक दलों के सक्रिय सदस्य बने रहते हैं व दल की बैठक में भाग लेते हैं तथा सदन को कायदाही में भी सक्रिय भाग लेते हैं।

बुन्डेसटैग अध्यक्ष मतदान में भाग लेता है तथा सदन की कायदाही के दौरान भाषण भी दे सकता है लेकिन ऐसा करत समय उन्हें अध्यक्ष का आसन छोड़ना पड़ता है।

अधिकारों की ऊपर लिखित सूची में यह माना जाता है कि बुन्डेसटैग का अध्यक्ष अत्यधिक शक्ति सम्पन्न व्यक्ति है। सिद्धांततः यह सही है लेकिन व्यवहार में उसे समद में प्रतिनिधित्व प्राप्त तीनों दलों के सहयोग पर पर्याप्त निर्भर करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष

बुन्डेसटैग के उपाध्यक्ष का भी अलग से चुनाव होता है। व 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष भी सदन की आंतरिक समिति व प्रशासनिक कार्य सम्पन्न करता है। उपाध्यक्ष पदा का बटवारा बुन्डेसटैग में प्रतिनिधित्व प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या के अनुपात में होता है। उपाध्यक्षों की संख्या कितनी होगी यह नियम में स्पष्ट नहीं है। अतः प्रत्येक बुन्डेसटैग अपने कार्यकाल के लिए दलों की स्थिति को देखते हुए उपाध्यक्ष पदा की संख्या निश्चिन कर सकती है। उपाध्यक्ष-पद किसी व्यक्ति पर वृत्तांतरण का साधन है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष-गण वारी वारी से बुन्डेसटैग की अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्ष के गने उन्हें ऊपर लिखित सभी अधिकार प्राप्त होते हैं।

वरिष्ठ जन परिषद

बुन्डेसटैग के अंतर्गत जितनी भी समितियाँ व समूह हैं उनमें वरिष्ठ जन परिषद (काउन्सिल ऑफ एड्स) का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह परिषद एक स्थायी समिति है जिसमें लगभग 20 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष गण तथा सदस्य दलों के नेता इसके पदेन सदस्य होते हैं। वरिष्ठ जन परिषद एक सचालन समिति की भाँति है जिसकी तुलना अमेरिका की प्रतिनिधि सदन की नियम-समिति (कमटी ऑन दी रूल ऑफ दी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिवज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स) में की जा सकती है। यह परिषद बुन्डेसटैग के अध्यक्ष की विधायिका कायदाही के सचालन में सहायता मह्याग व मसाल देती है। वरिष्ठ जन-परिषद सदन की कायदाही का कायन्म प्रवर्धन-समितियाँ के अध्यक्षों का चुनाव तथा अलग अलग विषयों पर बहस के लिए समय निर्धारित करती है। क्योंकि इस परिषद में सभी समन्वय दलों के प्रतिनिधि एकत्र होते हैं अतः इसकी भूमिका अत्यधिक प्रभावपूर्ण होगी है। कभी-कभी तो यह विधेयक के पारित होने के लिए कुल एक घण्टा का समय तक नियत करती देखी गई है।

बुद्धेयता समिति

मान का युग सिगाना ओ विप नान का गुा ह । नान तथा विपान न
 नना प्राति का २ कि नुका मर्मधन प्रया करन व लिए सिपनी का सवाशा
 का आवश्यकता पना है । बुद्धेयता क अधिका गुान गवनाति का इष्टि स
 नन या मद्रिय या नकिन नन लिए न आवश्यक नग है कि व अधुव्यवस्था
 मान लि मवना नून नान म न गवनाति न माद्रि हा । नन नना मिति
 म नन पचाग मामता म विपाना की राय आवश्यक हा नना २ । फरत नमना
 म प्रत्येक राजनतिक नव अपन कुद मस्या का सिप मामता व विपयो म विपय
 नान प्राप्न करन व लिए प्रगि करता है तथा दग क अधु विपाना स ना सगह
 न नना है ।

बुद्धेयता का समिति म विपाना का ना म्यान लिया जाता है ताकि वे
 प्रस्तावि विपयक का वाराका म मागया व गभार अध्वयन २२ एक सनुतिन एव
 विमृत कानून की स्वरता तयार करें । नु गि न समिति (कमिति) का महत्व
 व नना है ।

विक न तथा बुद्धेयता क जाच विधि नियम क अतगत नान प्रकार का
 मस्या समिति का उवस्था है—

- (1) राधा म मिति
- (2) विपान मामानता तथा
- (3) जाच पनात (नवस्थागत) समिति ।

जाच समिति

फरत नमन विक न क ५ व अनु २२ क अनुमार बुद्धेयता का जाच
 पनात समिति नियुक्त करन का अधिकार है तथा 1/4 मस्या के प्रस्ताव पर
 उनका म्यापना करना मवा कला २ । य समिति म मावजनिक वरका गरा
 आवश्यक गवाहिया प्राप्न करेगा । आवयता पन पन नकी वरक व कमर म
 भा का जा सकता है । नमर निगयो पर जाचतया गग विचार नहीं किया जा
 सकता ।

अधिकार रक्षा समिति

ज्वा तर म्याम समिति का प्रन है विक न क 45वें अनु २२ क
 अनुमार एव विनित राधा समिति न प्रावधान किया गया है । बुद्धेयता एव
 म्यायी समिति का निमाण करना है ना न मत्रा क बीच मरकर व विरुद्ध बुद्धेयता
 क मस्या क अधिकारों का रथा करण । न म्यायी समिति का जाच-पनात
 समिति क अधिकार ना गान गि । नम प्रार नम समिति का बुद्धेयता मस्या
 अधिकार रथा समिति का मना न जा सकता है ।

विदेश व प्रतिरक्षा समितियाँ

19 मार्च 1956 के एक कानून के अनुसार बर्मिक नामक 45 (घ) नामक मनुच्छेद जोड़ा गया जिसके अन्तर्गत दो समितियों की व्यवस्था की गई—

- (1) विदेशी मामलों की समिति
- (2) प्रतिरक्षा-समिति

य दोनों समितियाँ दो मंत्रों के अध्यक्ष भी कार्य करेंगी।

विशेष समितियाँ

इसके साथ ही साथ जर्मन बुन्देसटैग व काय विधि नियम के परिच्छेद 69(1) के अनुसार समितियाँ बुन्देसटैग की अंग हैं। उनका गठन करते समय समस्त प्रतिनिधित्व प्राप्त राजनीतिक दलों को उनकी संख्या के अनुपात में स्थान दिया जाएगा। उनकी सदस्य-संख्या बुन्देसटैग निश्चित करेगी। यदि एक विधायक को कई समितियों के सम्मुख रखा जाना जरूरी है तो उन समितियों में से एक समिति का उस विधायक के लिए उत्तरदायी समिति या शीप-समिति का स्थान दिया जाएगा।

काय विधि नियम के 62वें परिच्छेद के अन्तर्गत विशेष समितियों का निर्माण की भी व्यवस्था है। 63वें परिच्छेद में जाच-समिति के विस्तृत रूप की चर्चा है। इसके अलावा काय विधि नियम के अन्तर्गत

- (1) चुनाव-वधता-समिति
- (2) सघाय सवधानिक न्यायालय-न्यायाधीशों के लिए चुनाव समिति है।

चुनाव-वधता समिति (बर्मिक नाम अनुच्छेद 41) बुन्देसटैग के सदस्यों के चुनाव की वधता को दी गई चुनौतियों के बारे में विचार विमर्श कर फलदायी होती है। सघाय सवधानिक न्यायालय-न्यायाधीश चुनाव समिति निश्चित संख्या के न्यायाधीशों का चुनाव करने का कार्य करती है।

मध्यस्थता-समिति

बुन्देसटैग व बुन्देसराट के बीच विवाद की स्थिति में समझौता का समाधान करने के लिए एक मध्यस्थता-समिति (बर्मटी आरू मा डिपेशन) की भी व्यवस्था की गई है। इस समिति में बुन्देसटैग व बुन्देसराट के 11-11 सदस्य शामिल होते हैं। बुन्देसटैग के सदस्यों का चुनाव बुन्देसटैग स्वयं करती है।

स्थायी समितियाँ

संख्या व कार्य की दृष्टि से स्थायी समितियाँ सर्वाधिक संख्या में हैं तथा ही अत्यधिक महत्वपूर्ण। ये समितियाँ विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर—विदेश-नीति, शह-नाति प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य-समाज सुवर्धन कानून वित्त ढांक-सार परिवर्तन, शरणार्थी जल प्रदाय योजना, विदेशी सहायता आदि विषयों पर निरंतर विचार करती रहती हैं।

जमवी म सामायत 24 व आस पास बायी समितिया रहो है। कभी कभी कनरी सत्या बढाकर नगमग 35-36 तक भा हा गर् है। इन स्यावा समितिया क सदस्यो को सत्या 15 स 27 के बीच रची जाती है। आरम्भ म कुछ समितिया मे तो केवा 7 सदस्य ही रख गय। 8 नवम्बर 1961 क बुन्देसराग के निएय द्वारा निम्नलिखित स्यायी समितिया वा गठन किया गया—

समितिया क नाम	सदस्य सङ्क
(1) चुनाव बढना विशयाधिकार व काय विधि नियम समिति	15
(2) याधिका समिति	27
(3) विशेषी मामलान समिति	27
(4) समन् जमन व बनिन प्रश्न समिति	27
(5) प्रतिरक्षा समिति	27
(6) आन्तरिक मामलात-समिति	27
(7) मुधावजा समिति	15
(8) सास्कृतिक मामन व सावजनिक सूचना समिति	27
(9) स्थानीय वाय व समाज-क-याण समिति	27
(10) सावजनिक स्वास्थ्य समिति	23
(11) कानून समिति	27
(12) वित्ताय समिति	27
(13) बढन समिति	27
(14) समान भार निधारण-समिति (इन्वेलाजेशन ग्राफ बढन)	15
(15) प्रार्थिक समिति	27
(16) विदेशी यापार-समिति	27
(17) परिवार व युवक कल्याण समिति	23
(18) माय वग समिति	23
(19) लाल कृषि व वन सम्पन्ना-समिति	27
(20) गानात्मिक समिति	27
(21) युद्ध पीडित व निष्कामित व्यक्ति-समिति	23
(22) सावजनिक वाय-समिति	27
(23) यातायात डाक व दूर सचार समिति	27
(24) आवास नगर व ग्राम्य-याजना समिति	27
(25) श्रमगार्थी समिति	23
(26) परमाणु ऊर्जा व जन प्रताय समिति	27

17 जनवरी 1962 में दाघौर स्थायी समितियों का गठन किया गया। उनके नाम व मस्य मस्या इस प्रकार हैं—

(27) विकासोन्मुख नैग-महायता समिति	27
(28) मधीय सम्पत्ति-समिति	23

समितियाँ अपनी कार्यवाही के सुव्यवस्थित संचालन के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती हैं। अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि कार्य विधि नियम के परिच्छेद 60 के अन्तर्गत दाघौर नियमावली के अनुसार समिति के कार्य का संचालन करे। अध्यक्ष समिति की बैठक के लिए स्थान तिथि तथा कार्यवाही सूची तैयार करता है तथा बैठक के लिए एक प्रतिबन्धक (राफॉर्पर) नियुक्त करता है।

जमन समन्वीय कार्यवाही में इन समितियों का विफल महत्त्व है। इनके कार्यों का महत्त्व देखते हुए एक विद्वान् ने तो यहाँ तक कहा था कि बुन्देसटाग की समिति वास्तव में लघु समूह का रूप धारण कर ली है।¹ जमन जनतंत्र का असली रूप देखना हा तो इन समितियों की बैठक में देखा जा सकता है। अपने विस्तृत एवं अगाध ज्ञान के कारण ये समितियाँ और भी अधिक प्रभावशाली हो उठती हैं।

फरल जमन समिति व्यवस्था की यह आलोचना की जाती है कि वहाँ आवश्यकता से अधिक समितियाँ हैं तथा उनका क्षेत्राधिकार एक दूसरे के क्षेत्राधिकार से मिलता है और कई बार एक ही विषयक को नया या तान समितियों के पास विचारार्थ भेजा जाता है। तकिन किमी प्रश्न पर अधिक विचार करने से उसकी सभी पेचादगियों पर ध्यान लिया जा सकता है।

ससदीय दल (फ़ेवशास)

बुन्देसटाग का कार्यवाही में विभिन्न राजनीतिक दलों के ससदीय दलों का विशय महत्त्व है। इन समन्वीय दलों का जमन भाषा में फ़ाशियोनेन तथा श्यती भाषा में फ़ेवशास कहते हैं। यद्यपि बमिक ना में इनका उल्लेख नहीं है तकिन जमन ससदीय व्यवस्था में इनका विशेष स्थान है। समूह में प्रतिनिधित्व प्राप्त तान राज नीतिक दलों के अपने मसदाय दल हैं तथा उनके अपने अपने कार्य विधि नियम हैं। बुन्देसटाग के लिए एक अनुसार जब किमी राजनीतिक दल के 15 सम्म्य हा ता उस ससदाय दल (फ़ेवशास) की सत्ता हो जाती है। आरम्भ में यह मस्या 10 रगी गई थी। ससदीय दलों को उनकी मस्या के अनुपात में समूह की कार्यवाही में भाग लेने के लिए समय प्रदान किया जाता है।

बुन्देसटाग की शक्तियाँ व कार्य

सामान्य विषयक के पारित होने का प्रक्रिया पर हम आगे विचार करेंगे।

1 विचार विमर्शक इमोज़सा इत जमना (नवम्बर 1957) पृ 134।

नकिन बुद्धेमटाग मक अतिरिक्त भी कई काय करती है जिनम वित्तीय विधयक पारित करना मविधान म मशाधन करना विधायी मकटकाज म कानून बनाना समलय जाच करना राष्ट्रपति पर महाभिषाग चलाना तथा विन्शा राया क साथ सधिया सम्ब ती कानून बनाना भी गामिन है ।

वित्तीय विधयक

जमनी म एक विषद तथा सुस्पष्ट वित्तीय विधयक प्रस्तुत करने की परम्परा रही है । वित्त मन्त्र नय बजट तयार करता है जिसमे आय तथा व्यय दानो का उल्लेख हाता है । वसिक ला क अनुच्छेद 110 के अनुसार सघ की सारी आमन्नी तथा पय बजट म सम्मिलित हात । बजट एक वष की अवधि क लिए राज् कानून क माध्यम स लागू हागा । अनुच्छेद 109 यह व्यवस्था करता है कि बजट क अन्तगत आयिक प्रवृत्तियो का देखत हुए कई वर्षो पूव ही वित्तीय योजना प्रस्तुत का जा सकती है । एम प्रकार बजट म आगामा क वित्तीय वर्षो का ध्यान म रखत हुए योजना प्रस्तुत की जा सकता ह नकिन वित्तीय प्रावधान सिफ एक वष क लिए ही किया जा सता है ।

बजट बुद्धेसटाग व बुद्धेसराट दोना म एकसाय पश हाता है । सामान्यतया बुद्धेसराट 6 सप्ता म अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकती है नकिन यदि वह प्रस्तावित बजट विधयक म मशाधन प्रस्तुत करना चाहे ता उसे तीन स ताह की अवधि म मशाधन सहित बजट विधयक को बुद्धेसटाग को गौणता पडता है । बुद्धेमटाग चाहे ता बुद्धेसराट का प्रस्ताव स्वीकार करे अथवा न कर ।

सवधानिक मशाधन

1871 के जमन मविधान क अन्तगत जमन तक-समा (राइशटाग) बहुमत मात्र म सविधान म मशाधन कर सकता थी । नकिन 1949 म निर्मित वसिक ता क अन्तगत सविधान की प्रक्रिया का काफी कठोर बनाया गया । अय सविधान म मशाधन करने क लिए बुद्धेसटाग तथा बुद्धेसराट द्वारा अलग अलग बठरो म दा निहा बहुमत की आवश्यकता होनी है (वसिक ता का अनुच्छेद 79) । माय ही यह भी कहा गया है कि मशाधन अग्रपय न गकर स्पष्ट सविधान क मून पाठ म मशाधन हाना चाहिए ।

यह उल्लेखनीय है कि मविधान के कुछ अनुच्छेद एव व्यवस्थाघा म परिवर्तन नहा किया जा सता । वसिक ता के 79व अनुच्छेद क तासरे परिच्छेद म कहा गया कि लण्डर (राया) क विमानन कानून निर्माण म राया के भाग देने तथा अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 20 म परिवर्तन नहा किया जा सकगा ।

जाच-पडताल विधयक शक्तिया

वसिक ता के अनुभार बुद्धेमटाग का सामान्य कानून के निर्माण क अतिरिक्त

जाच पडताल का भी अधिकार दिया गया है। बुल्सेटाग को अधिकार है कि वह किसी विषय विशेष का जाच के लिए समिति नियुक्त कर सके। साथ ही ससद् के 1/4 सदस्यों की मांग पर बुल्सेटाग का कर्तव्य है कि वह जाच समिति का निर्माण कर सावजनिक रूप से या बंद कमरे में गवाहों के बयानों तथा अंत में अपना नियाय दे।

इसके साथ ही बुल्सेटाग को यह अधिकार है कि वह सभ सरकार के विरुद्ध बुल्सेटाग के मन्सूबा के अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्थायी समिति का निर्माण कर जादा सत्ता के जाच उनके अधिकारों की रक्षा करे। इन समितियों के बारे में हम ऊपर विवरण दे चुके हैं।

जाच-पडताल-समिति की नियुक्ति के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। 1949 में जब फंडरन (पश्चिमी) जमनी के लिए बसिक् नाला का निर्माण किया जा रहा था तब यह प्रश्न उठा कि फंडरन जमनी की राजधानी कहा जाए। बर्लिन को राजधानी बनाने का प्रश्न मुश्किल था क्योंकि बर्लिन पूर्वी जमनी के जहा सावियन सभ का प्रभाव था मध्य में स्थित था। अतः यह तय किया गया कि मूलतः बर्लिन को राजधानी माना जाय लेकिन अस्थायी राजधानी की खोज की जाय। अस्थायी राजधानी के लिए मुख्यतः दो नाम थे—बान तथा फ्राकफुट। जब सम्पूर्ण परिपद में 10 मई 1949 को इस प्रश्न पर विचार हुआ तो 33 मत बान नगर के पक्ष में तथा 29 वोट फ्राकफुट के पक्ष में प्राप्त हुए। 2 सदस्य अनुपस्थित रहे तथा 1 मत अवध घोषित किया गया। इस पर भी जनता सन्तुष्ट नहीं थी अतः प्रथम आम चुनाव के बाद 3 नवम्बर 1949 को पुनः राजधानी के रूप में बान तथा फ्राकफुट में से एक को चुनने का प्रश्न सामने आया जिसका परिणाम इस प्रकार था—कुल 402 में से 200 मत बान नगर के पक्ष में आए 176 फ्राकफुट के पक्ष में 11 मत अवध घोषित हुए। बाकी सदस्यों ने या तो मतदान में भाग नहीं लिया या वे अनुपस्थित थे। लेकिन विवाद अब भी शान नहीं हुआ फंडरन एक जाच समिति का गठन किया गया क्योंकि विरोधियों का आरोप था कि बान नगर को राजधानी बनाने के पक्ष में मतदान करने के लिए सदस्यों का जाच किया गया।

एक अन्य जाच-पडताल-समिति उस समय नियुक्त की गई जब यह प्रश्न उठा कि विशेष सेवा तथा विशेष विभाग के सदस्यों के आचरण की जांच की जाए। यह आरोप था कि कुछ सदस्यों ने हिन्दुओं के नात्मी जमनी में कुतूहल किया था। जाच समिति ने 21 व्यक्तियों के विगत आचरण का अध्ययन किया तथा उनमें से 4 को दोगी पाया। बाकी व्यक्तियों को या तो सजा निवृत्त कर दिया गया या उनकी पदोन्नति रोक दी गई।

महानियोग प्रक्रिया

भारत तथा अमेरिका की भांति पश्चिमी जमनी में भी राष्ट्रपति द्वारा मन्त्रिमन्त्रियों का उल्लेखन करने की स्थिति में उस पर महानियोग लगाया जा सकता है।

फरर जमन वेमिक ला के 61वें अनुच्छेद के अनुसार बुट्टेसटाग या बुट्टेसराट सघीय सवधानिक यायालय के ममभ राष्ट्रपति पर जानबूझ कर वेमिक ला या किसी अय सघीय कानून की अरवहनना करने पर महाभियोग का दोपारापण कर सकनी है। महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव नाने के लिए बुट्टेसटाग या बुट्टेसराट के कम म कम 1/4 सदस्यो की स्वीकृति आवश्यक है। महाभियोग सम्बन्धी निरूपण नत क लिए नाना सदना म स किसी एक मदन के 2/3 बहुमत की जरूरत होनी है।

यदि सघीय सवधानिक यायालय राष्ट्रपति को नाना पाता है तो वह यह घोषणा कर सकता है कि राष्ट्रपति न अपना पद त्याग दिया है।

राष्ट्रपति का भारत सघीय यायाधीशो पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। यदि सघीय यायाधीश वेसिक ना या किसी सदस्य राज्य की सवधानिक यवस्था के सिद्धांता का उल्लंघन करने है तो बुट्टेसटाग उनक विरुद्ध सघीय सवधानिक याया नय मे नानापोरण कर सकता है।

सधिया की स्वीकृति

वेसिक ना क 59 व अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सघ की ओर से त्रिदेशी राष्ट्रो के साथ सधि कर मके। वास्तव म यह काम चासन्नर या उमके प्रतिनिधि क रूप म विदेश मंत्री करता है। वेसिक ला के अनुच्छेद 59 मे यह भी यवस्था है कि सधि विषयक सघीय कानून के लिए उन मस्याम्रा—बुट्टेसटाग व बुट्टेसराट की स्वीकृति की आवश्यकता है जा कानून का निमाण करने मे सक्षम है। जहा तक त्रिदेशो क साथ प्रशासनिक समझौतो का प्रश्न है उसक बारे म यथाचित् परिवर्तनो के साथ सघीय प्रशासन विषयक यवस्थाए लागू हांगी।

इस प्रकार वेसिक ला क अनगत दो प्रकार के अनराष्ट्रीय समझौते किय जा सकत हैं (1) सधि (2) प्रशासनिक समझौते। अनराष्ट्रीय सधि की स्वीकृति तथा उपयुक्त घोषणा के बाद वह राज्य का कानून बन जाती है और इस प्रकार वह कानून कामपात्रिक व यापपात्रिक पर बायकारी हाता है। सधि उसी प्रक्रिया से पारित होनी है जिम प्रकार एक सामान्य कानून पारित होना है। सामान्य कानून क पारित होने की प्रक्रिया पर भाग प्रकाश डाला जाएगा।

अनुच्छेद 32 के अनुसार यदि सधि के कारण सघ क किसी सदस्य राज्य का विशेष स्थिति पर प्रभाव पडता है ता साथ करन स पूव उस त्रेण्टर (राज्य) क साथ विचार विमश किया जाना चाहिए। इसी अनुच्छेद म आगे कहा गया है कि जिन विषयो पर त्रेण्टर (राज्य) को कानून बनाने का अधिकार है उन मामला म वे सघ राज्य की अनुमति से विदेशी राज्या के साथ सधि कर सकत हैं।

एक प्रकार विशेषा से सधि करते समय न केवल राज्यों के हिता की रक्षा की गई है वरन् राज्या को भी उनसे सम्बद्ध विषयो पर सधि करने का अधिकार दिया गया है। जनवरी 1952 म जब यूरोपाय इस्पात व कोयला-समुदाय सधि

पर स्वीकृति दान का प्रश्न आया तो नार्वे-वस्त्वानिया राज्य से विचार विमोचन किया गया क्योंकि इस संधि में उस राज्य के हित प्रभावित होत थे।

बुल्गेरिया व बुल्गेरिया में मधियों के सम्बन्ध में स्वीकृति सम्बन्धी कायवाही में सामान्यतया कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। अधिकारों बहुत बाल विवाह के बाद उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है। कमा कमी मधियों को स्वीकृति देने में पूर्व बुल्गेरिया कुछ शर्तों या शर्तों की बात कर सकती है। उदाहरण के लिए यूरोपीय कोषों व अस्पष्ट मधुन्य-मधियों को स्वीकृति दान से पूर्व एक अन्तरिम अग्रिमसमय (क वशन) तीन प्रायोजकाल तथा पत्र व्यवहार का आदान प्रदान भी संधि के माध्यम स्वीकृत किया गया।

बुल्गेरिया की कायवाही की भूलक

बुल्गेरिया का वस्त्वानिया में पूर्व समी सदस्यों का लिखित सूचना भजी जाती है। सामान्यतया सप्ताह में दो दिन बुल्गेरिया की बैठक होता है। बुल्गेरिया अध्यक्ष सम्बन्ध में प्रवेश करता है ता समी सदस्य उसकी सम्मान में खड़े हान हैं। अध्यक्ष द्वारा आसन ग्रहण करने के बाद बुल्गेरिया का सचिव प्रारम्भिक रस्मा के बाद उस दिन की विषय-सूची की घोषणा करता है। तत्पश्चात् वह उस सभ्य का नाम पुकारता है जा पहला वक्ता होगा। सामान्यतया वक्ता का नाम तत्काल या तत्पश्चात् भाषण दाना होता है। वक्ता का तात्पर्य यह है कि वह लिखित भाषण नही पढ़ सकता। उस किन्हीं पुर्जों पर नार्वे किया गया मुद्दा को देखकर बोलने का अधिकार है। बुल्गेरिया अध्यक्ष विषय परित्यजितिया में किसी बपुनी (सदस्य) को लिखित भाषण पढ़ने की अनुमति दे सकता है। कमा एक के बाद एक वक्ता को अपने विचार व्यक्त करने का आमन्त्रित किया जाता है।

प्रश्न पूछने का समय

जिस प्रकार ब्रिटिश सभ्य तथा भारतीय लोक सभा में सभ्य का प्रश्न पूछने का अधिकार है उसी प्रकार फ्रान्स जमन बुल्गेरिया में विषय-सूची पर विचार से पूर्व प्रश्न पूछने के लिए समय दिया जाता है। 1960 तक जमनी में प्रति माह एक सभ्य प्रश्न पूछने के लिए दिया जाता था। बुल्गेरिया के सभ्य का लिखित रूप में प्रश्न दो सप्ताह पूर्व भेजना पड़ता था। प्रश्न पूछने की पद्धति व उत्तर का एक नमूना यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है जो किन्हीं बुल्गेरिया (1953-1957) के काय विवरण से उद्धृत है—

प्रश्न —। नार्वे (जमन पार्टी)—क्या सरकार को विज्ञित है कि जमनी की राज्यन्य ज्योग्राफिकल सोसायटी ने जो भाक्सफोल् एटनम (मानविक) प्रकाशित किया है उसमें मोडियत अधिकृत जमनी (पूर्वी जमनी) का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में दर्शाया गया है ?

उत्तर —फान व्र टानो (विदश म श्री)—जमन राज दूनावाम न रिटिश विदश विमाम स सम्पक किया है तथा ब्रिटिश एटनस प्रजागित करने वाना से सीधा सम्पक नी साधा है ताकि नवो म परिवतन किया जा सके तकिन अभी तक मफनता प्राप्न नही हु^ई है ।¹

फरवरी 1965 म प्रश्न पूछने क समय के वारे म नवीन व्यवस्था की गई जिने वतमान घटना चत्र समय का मना दी गई । इमके अतगत प्रायक वठक क आरम्भ म एक घण्ट का समय प्रश्न पूछन क लिए प्रत्त किया गया । प्रत्येक वक्ता का 5 मिनट का समय निय जाना ह । का भी वक्त म पत्न की व्तागत नही ह । उत्तर म मत्रिमण्डल क मत्स्य नी 5 मिनट ही वानत हैं ।

मतदान प्रणाली

जय विधेयक पर विचार समाप्त होता है तो तान प्रकार स मतदान हाता है । अधिकतर पक्ष या विपक्ष म हाथ उठा कर मतदान किया जाता ह । दूसरा तराका है अपन अपन स्थान पर खड पत्र मत प्रकट करना । तकिन यदि बुद्धिमत्ताग अ पक्ष की गिनन म कृत्ना हो ता मतदान का तीमरा तराका प्रयुक्त किया जाता है । इस तरीक के अतगत मनी समद-मत्स्य समा भवन का टाकर बाहर जात हैं तथा पुन तीन दरवाजा से प्रवेश करते हैं । एक दरवाजा का का घातक है दूसरा ना का तथा तीमरा दरवाजा मतदान मे अनुपस्थित रहन का प्रतीक होता है ।

गभीर वातावरण

जिम प्रकार भारतीय नाक मभा मे समय समय पर सत्ता पक्ष विरोधी दत्ता क बीच उत्तजना गर्मा गर्मी क टर्ने वजान की म्बिनि आती है मनी स्थिति घान बुद्धिमत्ताग म प्राय असम्भव नजर आती है । म्ब हृष्टि म दत्ता जाए ता बुद्धिमत्ताग म रग और जीवन का कमी प्रतीत होती है तकिन गम्भीरता सौम्यता और अनुशासन की हृष्टि स देला जाए तो बुद्धिमत्ताग की बठक का हृश्य बहुत ही प्रगसनीय हाता है । कमी कमी कुछ बठकें अत्यधिक नीरम भी नजर आती है । कई मत्स्य अखवार पत्त तथा क पत्रा पर दस्तखत करत देखे जाने हैं । वे पत्र सरकारी भी हा सकत हैं और पारिवारिक भी । उपस्थिति की हृष्टि स भी कई वार बुद्धिमत्ताग का विमान भवन जा कि ह्वार्ड अड क प्रतीक्षानय का चित्र उपस्थित करना है खानी नजर आता है । त्रिचिघन उमोत्र तिक धूनिघन क ससद मत्स्य हाम विचिगत के अनुमार उसम 10 स 15 प्रतिगत (50 स 70) तक मत्स्य उपस्थिति हात हैं उनम से भी कुछ आपस म वाने करत नजर आत हैं । विरोधी दक्ता भी गम्भीरता व अनुशासन-बद्ध ढग स वानत हैं और सरकारी पक्ष भी उमो प्रकार उत्तर दत्ता है । तकिन प्रथम बुद्धिमत्ताग (1949-1953) म क वार गमा गर्मी क हृश्य दत्तन म आय । उस

समय सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता कुट शुमाखर बहुत ही ज्वलनशील भाषण देने के लिए विख्यात थे। एक बार तो उन्होंने चांसलर आर्नेनब्रावर को जर्मन जनता का नहीं बरन् मित्र राष्ट्र का चांसलर तक कह दिया। इस पर आपत्ति की गई तथा विरोधी दल के नेता शुमाखर को सन्न छोड़न का कहा गया और विरोधी सदस्यों द्वारा बहिष्गमन भी किया गया। प्रथम बुन्डेस्टाग में कुछ साम्यवादी सदस्य भी जोर शोर से बोलत थे लेकिन 1953 के बाद बुन्डेस्टाग की बैठक का वातावरण नम्र शांत और शान्तर हाता गया।

बुन्डेसराट

समवयी प्रणाली के अन्तर्गत एकात्मक शासन में एक सन्न या नि-सन्नीय प्रणाली की व्यवस्था हानी है लेकिन सघीय राज्य में दो सदना की व्यवस्था अनिवार्य मानी जाती है। भारत व अमेरिका की भांति फडरल जर्मनी में भी नि-सन्नीय प्रणाली है। बुन्डेस्टाग समस्त जनता द्वारा निर्वाचित सस्था होने के नाते जन प्रतिनिधि सस्था है तथा बुन्डेसराट राज्यो का प्रतिनिधित्व करती है। सद्भातिक दृष्टि से न्तीय सन्न का अधिकार व कार्यों की दृष्टि से दो वर्गों में बाटा जा सकता है—

- (1) सशक्त न्तीय सन्न
- (2) उपयोगी द्वितीय सदन।

अमेरिका में सशक्त द्वितीय सन्न है तो भारत में उपयोगी न्तीय सदन। सशक्त न्तीय सदन से तात्पर्य यह है कि अधिकारा की दृष्टि से वह लोकप्रिय सन्न की तुलना में निबल नहीं होता। उपयोगी न्तीय सदन लोकप्रिय सदन की तुलना में निबल व प्रभावहीन हाना है। फडरल जर्मनी का द्वितीय सदन बुन्डेसराट 'सशक्त न्तीय सन्न' तथा उपयोगी सन्न का मिश्रित रूप है। कुछ मामलों में वह अमेरिकी सीनेट की भांति सशक्त है तो कुछ मामलों में वह भारतीय राज्य-सभा की भांति उपयोगी।

बुन्डेसराट का गठन

बैसिक त्त के 50 वें अनु-द्व के अनुसार लण्डर (राज्यो) बुन्डेसराट के माध्यम से सघ व कानून निर्माण व प्रशासनिक कार्यों में भाग लेंगे। बुन्डेसराट के गठन के बारे में अनु-द्व 51 निम्नलिखित व्यवस्था करता है—

बुन्डेसराट के सन्ध्य राज्य-सरकार के सन्ध्य हंगे। राज्य-सरकार को उनकी नियुक्ति व वापस बुनान का अधिकार हगा।

इस दृष्टि से देखा जाए तो गन्न की दृष्टि से फडरल जर्मन बुन्डेसराट अमेरिका की सीनेट तथा भारत की राज्य-सभा से भिन्न है। अमेरिका में सीनेट के सन्स्था का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होता है। भारत की राज्य सभा के सदस्यों का

चुनाव मन्बद्ध राय की विधान समाण करता है नकिन पुन्सराट के सदस्य अपने अपन राय के मत्रिमणन क सन्स्य हात है ।

फटरन जमन बुदेसराट (राय समा) म यह भी अनावी प्रया है कि यदि सन्स्य स्वय कायवाही म अनुपस्थित रह ता वह अपना प्रतिनिधि भज सकता है । उन स्थानापत्र प्रतिनिधिया की सूची भी प्रत्येक राय मरकार तयार करती है ।

बसिक ना क अनुच्छेद 52 क परिच्छेद 2 के अनुसार पुन्सराट म प्रत्येक राय का कम स कम तीन मत (वोट) 20 नाथ स अधिक जनसख्या वाच राय का 3 मत (वोट) तथा 60 नाथ स अधिक जनसख्या वाच राय ना 5 मत (वोट) प्राप्त हा ।

उक्त व्यवस्था क अनुसार विभिन्न राय का जमन बुन्सराट म निम्नांकित स्थान प्राप्त है—

रायों का नाम	संस्यों की संख्या
वानन बूटमवग	5
बवेरिया	5
ब्र मन	3
हाम्बुग	3
हस	4
नामन सक्सनी	5
नाथ रार्न बस्टफात्रिया	5
रानननण पनरीनट	4
सारनण	3
शनपत्रिग हासटार्न	4
पश्चिमा बर्निन	4

इनम स पश्चिमी बर्निन के प्रतिनिधिया को मनाहकार का दजा प्राप्त है । इन प्रकार जमन बुन्सराट म कुन 45 प्रतिनिधि बटत हैं जिनम स बर्निन के चार प्रतिनिधिया को मनाधिवार प्राप्त ना है ।

प्रत्येक राय उत्तन ही सन्स्य भेज सकता है जितन वोट उसे प्राप्त है । प्रत्येक राय (उण्ड) क प्रतिनिधि एकमाय (ब्लाक वोट) मतदान करेगे ।

काय प्रणाली

अपन कायमचावन क लिए पुन्सराट बसिक ना के 50 से 53 तक क अनुच्छेद पर आधारित है । 31 जुलाई 1953 म बुदेसराट न अपन काय सवावन क लिए कायविधि के नियम बनाश ।

बुदेसराट अध्यक्ष

बुन्सराट का अध्यक्ष एक वय की अवधि के लिए चुना जाता है (बसिक ना अनुच्छेद 52 (1)) । यह उन्वनीय है कि फटरन जमन बसिक ना क अनुच्छेद

उप राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था नहीं है। भारत में तो राज्य सभा की अध्यक्षता उप राष्ट्रपति करता है। लेकिन बुन्देसराट के महत्त्व में वृद्धि करने तथा उसे उपयुक्त सम्मान देने के लिए संसिद्वय के अनुच्छेद 57 का अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद का भार वहन करने में असमर्थ हो तथा उसका पद समय से पूर्व रिक्त हो जाता है तो बुन्देसराट का अध्यक्ष राष्ट्रपति का पद सम्हालगा।

बुन्देसराट की कार्यवाही का संचालन करते समय अध्यक्ष को लगभग वही अधिकार प्राप्त हैं जो बुन्देसराट के अध्यक्ष का बुन्देसराट के सचिव के रूप में प्राप्त है।

बुन्देसराट समितियाँ

बुन्देसराट के अंतर्गत दो प्रकार की समितियाँ हानी हैं—(i) स्थायी समितियाँ तथा (ii) विधायक समितियाँ। संसिद्वय के अनुच्छेद 52 (4) के अनुसार लण्ड (राज्य) सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति बुन्देसराट की समितियाँ में भाग लेंगे। स्थायी समितियाँ की संख्या प्रायः 12 के आसपास होती है। समय-समय पर विधायक प्रश्नों पर विधायक समितियाँ का नियुक्ति की जा सकता है। स्थायी समितियाँ में प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि होता है। इस प्रकार कम से कम समितियाँ में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। ये स्थायी समितियाँ लगभग उन्हीं विषयों पर विचार करती हैं जिन विषयों पर बुन्देसराट की समितियाँ विचार करती हैं। बुन्देसराट का अधिकांश कार्य समितियों द्वारा होता है। एनाड ज. हार्नबर्ग द्वारा अनुच्छेद 52 के अन्तर्गत बुन्देसराट के सभी सदस्य (राज्य) में मंत्री होते हैं व महीने में एक या दो बार बान अंतर्गत हैं तब बुन्देसराट की बैठक में भाग लेते हैं। उस समय तक सभी प्रस्ताव समितियाँ द्वारा तयार कर लिए जाते हैं। 99 प्रतिशत मामलों में एक ही समिति सभा की कार्यवाही करती है जिसे पूर्ण अधिवेशन में स्वीकार कर लिया जाता है।

सभा की कार्यवाही

बुन्देसराट का पूर्ण अधिवेशन अधिकांशतः सामान्य विचार विमर्श औपचारिक मनदान तथा कमी-कमाल राज्य विधायक के दृष्टिकोण का प्रस्तुत करने के लिए आयोजित होता है। जिस प्रकार बुन्देसराट में स्वतंत्र मुक्त तथा सक्रिय बहस होती है उसी बहस बुन्देसराट में नहीं होती क्योंकि संसिद्वय प्रतिनिधियों की अपनी-अपनी राज्य सरकारों से निश्चय प्राप्त करते हैं। यहाँ गरमागरम बहस के लिए कम गुंजायमान है। सामान्यतया कार्यवाही गम्भीर बानावरण में होती है। बुन्देसराट सप्ताह में या तीन दिन कार्य करती है।

सभा की शक्ति

तकनीकी दृष्टि से ऐसा जाए तो बुन्देसराट का स्थायी सभा है जो निरंतर कार्यरत रहती है। इसका कोई सत्र नहीं होता तथा बुन्देसराट की शक्ति प्रत्येक घण्टा

चुनाव के बाद नये व्यक्ति नहीं आन। लेकिन यदि राज्य विशेष में आम चुनाव के बाद सरकार बनना है तो बुद्धिमत्ता के संस्था में भी परिवर्तन होना है।

मतदान प्रणाली

बुद्धिमत्ता की कार्यवाही के अनन्त मतदान प्रणाली इस प्रकार है—राज्य के नाम घोषित किये जाते हैं तथा उस राज्य के समस्त प्रतिनिधि एक साथ (एक-एक) मतदान कराते हैं। व्यवहार में एक राज्य की ओर से एक व्यक्ति हाथ खड़ा करता है या हाथ ना म मतदान करता है। यह एक व्यक्ति अपने राज्य के सभी वोटों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार जब बुद्धिमत्ता में मतदान होता है तो 10 हाथ खड़े किए जाते हैं जो कुल 41 वोटों से प्रतीक होता है। 11वें राज्य (पश्चिमी बर्मा) के 4 प्रतिनिधियों का वोट दान का अधिकार नहीं है क्योंकि वे सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेते तथा विधिवि मुद्दों पर सलाह देते हैं। सामान्य कानून पर पूर्ण बहुमत तथा संशोधन के मामले में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है।

व्यक्तिगत कृतघ्नता के संस्था को विधायिका एक पञ्चमनिव अधिकार प्राप्त है। यह राज्य की प्रतिनिधि संस्था है तथा राज्य के कितने का प्रभावित करन वान सभी कानूनों—प्रशासनिक कानूनों तथा क्षेत्रीय कानूनों—में इसकी सम्मति का अन्तिम महत्त्व है। इसकी सम्मति के अभाव में कुछ नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार संविधान में संशोधन करने के लिए भी बुद्धिमत्ता के 2/3 संस्थों का समर्थन आवश्यक है। शेष सभी कानूनों के मामलों में भी 2/3 निम्नी-निष्ठाधिकार (मस्पर्सरी बाले) प्रांत है। इसका अर्थ यह है कि बुद्धिमत्ता चाह तो एक बार किसी भी कानून का पुनर्विचार के लिए बुद्धिमत्ता के पास भेज सकती है।

सामान्य विधायक

सामान्य विधायक के मामले में बुद्धिमत्ता अपने प्रस्तावित संशोधन सहित विधायक को पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। कुछ अवसरों पर वह यह भी मांग कर सकती है कि श्रमिक विधायक पर मयुक्त रूप से विचार करने के लिए मध्यस्थता समिति की बैठक बुलाई जाए। जमा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है मध्यस्थता समिति में 11 सदस्य बुद्धिमत्ता तथा 11 ही सदस्य बुद्धिमत्ता की ओर से चुने जाते हैं। बुद्धिमत्ता भी चाहने पर इस समिति की कार्य की मांग कर सकती है। वसिक्त ना के 77 वें अनुच्छेद के 4 परिच्छेद के अनुसार बुद्धिमत्ता चाह तो सामान्य विधायक को अस्वीकार कर सकता है। एसी स्थिति में बुद्धिमत्ता उस पर पुनर्विचार कर उसे पारित कर सकती है लेकिन यह आवश्यक है कि यदि बुद्धिमत्ता ने उस विधायक को अस्वीकार किया हो तो बहुमत से ही बुद्धिमत्ता उस पारित कर सकती और यदि बुद्धिमत्ता ने उस 2/3 बहुमत से अस्वीकार किया हो तो उस पारित करने के लिए बुद्धिमत्ता की भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी।

अध्यादेश

प्रशासन के क्षेत्र में भी बुन्देसराट का वह महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। बसिक ला के अनुच्छेद 80 के परिच्छेद 2 के अंतर्गत अधिकांश अध्यादेशों तथा प्रशासनिक नियमों के प्रभावी होने के लिए बुन्देसराट की स्वीकृति आवश्यक है।

विधायिका-सकटकालीन विधेयक

बसिक ला के अनुच्छेद 81 के अनुसार यदि बुन्देसराट उस विधेयक को अस्वीकार कर देता है जिसे राष्ट्रीय सरकार ने अत्यावश्यक बनाया है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति बुन्देसराट की सहमति से उस विधेयक के सम्बन्ध में विधायी सकटकाल की घोषणा कर सकता है। विधायी सकटकाल की घोषणा के बाद भी यदि बुन्देसराट उस विधेयक को ऐसे रूप में स्वीकार करती है जो सघ-सरकार को अमान्य है और ऐसी स्थिति में बुन्देसराट उस विधेयक का स्वीकृति दे देता है तो वह विधेयक कानून बन जाता है। विधेयक के सम्बन्ध में विधायी सकटकाल की अवधि 6 माह की होती है। उसके बाद वह कानून समाप्त हो जाता है। एक ही चामलर कायकाल में एक बार ही विधायी सकटकाल की घोषणा की जा सकती है। यह उल्लेखनीय है कि विधायी सकटकाल की स्थिति के अंतर्गत बसिक ला में सशोधन नहीं किया जा सकता न उसे निरस्त किया जा सकता है।

संवैधानिक सशोधन

फडरल जमन बसिक ला में सशोधन करने के लिए भी बुन्देसराट की सहमति आवश्यक है। अनुच्छेद 79 (2) के अनुसार बसिक ला में सशोधन करने के लिए बुन्देसराट के 2/3 बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है।

बुन्देसराट का महत्त्व

बुन्देसराट केवल बुन्देसराट रूपी मण्डल का पुर्जा नहीं है। यह बुद्धिमान व्यक्तियों की समिति है। राज्य के हितों के मामलों में उसको अच्छा सर्वोपरि है। इसी प्रकार बसिक ला में सशोधन के समय इसका महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह केवल विधायिका संस्था न होकर प्रशासन के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। अपने गठन की दृष्टि से भी यह एक अनादी संस्था है क्योंकि विश्व में बुन्देसराट ही एक ऐसा नितोप सदन है जिसमें सदस्य विभिन्न राज्यों के मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं। यदि पिछले 8 वर्षों में बुन्देसराट के कार्य का अवलोकन करें तो प्रतीत होगा कि उसने बहुत ही रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। संघ में यह संस्था जमन संसदीय व्यवस्था की मित्र दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शिका है।

विधेयक कैसे कानून बनता है ?

कानून निर्माण के क्षेत्र में फडरल जमन समन्वयकारी प्रणाली काय करती है जिस प्रकार अन्य जनतांत्रिक राष्ट्र करते हैं। विधेयक तीन प्रकार के होते हैं—

यहाँ हम सामान्य विधेयक पारित हान सम्बन्धी प्रक्रिया का बखान करेग। पाल विधेयक का निर्माण होता है फिर उसे औपचारिक रूप से पेश किया जाता है तत्पश्चात् उस समिति या समितियाँ म विचाराय भेजा जाता है। तब वाचन हाता है वा विवा के पश्चात् मतदान होता है। अन म राष्ट्रपति क स्ताभर क वा सस सधीय राजपत्र (फरल गजट) म प्रकाशित किया जाता है। एक विधेयक कानून बनन तब कई चरण म से गुजरता है जिसका विवरण एम प्रकार है—

(चित्र पृष्ठ 135 पर देखें)

विधेयक का प्रारूप

विधेयक म प्रस्तावित कानून का प्रारूप तयार किया जाता ह। की बुन्दसराट या बुन्देसटाग का सदस्य या सरकार का मंत्री कानून का प्रारूप मस क मस उपस्थित कर सकता है। बुन्देसराट जा भी विधेयक प्रस्तुत करती है वह मध सरकार क माध्यम स बुन्दमटाग के समक्ष आता है। सामान्यतया 2 स 3 प्रतिशत विधेयक ही बुन्दसराट से आरम्भ होत हैं। नगमग 75 स 80 प्रतिशत विधेयक सरकार की ओर स प्रस्तुत निय जान हैं बाकी 15-20 प्रतिशत विधेयक बुन्देसटाग क सम्प्य व्यक्तित रूप म प्रस्तुत करत हैं। गरहाड ल्योवनबग के अनुमार सरकारी विधेयक जा सभी विधेयको के 75 प्रतिशत क नगमग होत हैं निम्न चरण स गुजरत हैं

मन्त्रालयो मे निमाण

जसा कि ऊपर कहा जा चुका है नगमग 75 स 80 प्रतिशत विधेयक सरकार द्वारा तयार हात हैं। विधेयक यदि आर्थिक स्थिति स सम्बद्ध है ता अय मन्त्रालय समाज से सम्बद्ध हैं तो सामाजिक मामला के मन्त्रालय और नगर निमाण स सम्बन्धित हा तो उससे सम्बद्ध मन्त्रालय विधेयक तयार करत हैं। क विधेयक एस भी हान है जिसम दो-तीन मन्त्रालयो के सहयोग की आवश्यकता हानी है। एसी स्थिति म प्रारूप वह मन्त्रालय तयार करता है जा उमम विशेष रूप म जुग हभा है। एम मन्त्रालय को भून मन्त्रालय (मू म) की सजा दी जा सकती है। ठूमर मन्त्रालय उमक प्रारूप के निर्माण म सन्ध्यागत दत है अत उह सहायक मन्त्रालय (स म) बटा जा सकता है।

बुन्देसराट मे प्रथम पारण

सरकारी विधेयको का पहन बुन्देसराट म भेजा जाता है। तीन मन्त्रालय की सन्धि म बुन्देसराट उस प्रस्तावित विधेयक में परिवर्तना की सिफारिश कर सकती है।

वाचन के दौरान सशोधन से प्रस्तावित किए जा सकते हैं लेकिन ऐसी स्थिति में सामान्य वाद विवाद के वास्तु सशोधन पर अलग से विचार किया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि तृतीय वाचन के समय सशोधन प्रस्तुत करने के लिए उतने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है जिनसे सदस्य मिल कर ससदीय दल का निर्माण करते हैं। ससदीय दल का निर्माण के लिए 15 सदस्यों की जरूरत होती है। तृतीय वाचन के अंत में प्रस्तावित विधेयक की स्वीकृति के लिए मतदान होता है। स्वीकृति के लिए बहुमत का आवश्यकता होती है।

बु-देसराट में पारित होने की प्रक्रिया

जब एक विधेयक बु-देसराट में पारित हो जाता है तो उसके बाद वह बु-देसराट में भेजा जाता है। विधेयक पढ़ावन के बाद दो मप्ताह की अवधि में बु-देसराट को या तो विधेयक को स्वीकृति देनी होती है या यदि वह चाहे तो मध्यस्थता-समिति की बैठक की मांग कर सकती है। यदि बु-देसराट विधेयक को अस्वीकृत करती है तो बु-देसराट पुनः इसे बहुमत से पारित कर सकती है यदि बु-देसराट उसे 2/3 बहुमत से अस्वीकृत करती है उस विल को पारित होने के लिए बु-देसराट के 2/3 बहुमत की आवश्यकता पत्नी है (अनुच्छेद 77)।

कानून की घोषणा

दोना सदनों द्वारा विधेयक पारित हो जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। उस पारित विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही साथ सम्बद्ध मंत्री या चांसलर के हस्ताक्षर भी जरूरी हैं। हस्ताक्षरों के बाद वह सभीय गजट में प्रकाशित किया जाता है (अनुच्छेद 82)। प्रकाशन के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है।

फंडरन जमनी ने अपने समद के 16 वर्ष के जीवन काल में औसतन प्रतिवर्ष 125 कानूनों का निर्माण किया। प्रथम बु-देसराट ने 545 द्वितीय ने 507 तृतीय बु-देसराट ने 424 तथा चतुर्थ बु-देसराट ने 428 कानून पारित किए।

विद्युत् गति-कानून

वर्ष बार बु-देसराट कानून निर्माण के मामले में अत्यधिक शीघ्रता बरतती है। यद्यपि कानूनों दृष्टि से प्रथम उसने प्रथम द्वितीय तथा तृतीय वाचन आवश्यक है लेकिन यदि सभी ससदीय दल पूर्व स्वीकृति दे दें तो कानून निर्माण का कार्य शीघ्रता से निपटाया जा सकता है। कुछ वर्षों पूर्व कुछ दिनों में ही बजट पारित कर दिया गया। इस बजट में 300 अरब माक का व्यय दिखाया गया था। इसी प्रकार सामान्य विधेयक को विद्युत्-गति से पारित किया जा सकता है। इस प्रकार पारित कानून को जमन भाषा में 'विद्युत्-गति कानून' कहा जाता है। ऐसा कानून कुछ मिनटों में ही पारित हो सकता है।

एसे कई 'यायाधीश थ जिहाने तानाशाह हिटलर के आदेशा क सम्मुख मुकन के बजाय पद त्यागना पसंद किया । 1949 म फरल जमनी (पश्चिमी जमनी) का नाम हुमा तथा एक विवाद तथा 'यायपूर्ण 'यायिक व्यवस्था का उदय हुमा ।

जनतंत्र की सफलता क लिए तीन स्तम्भ आवश्यक हैं एक स्वतंत्र 'यायिक व्यवस्था सक्रिय ससद् तथा सौग प्रस (समाचार जगत) । फरल जमनी म हम इन तीनों स्तम्भ क दान हात हैं । सरकार के तान अग हात हैं—विधायिका सभा कायकारिणी और 'यायपालिका । इसम 'यायपालिका का विशेष महत्व है । यकी कारण है कि इस तीमरी शक्ति की सत्ता ग ग है । फरल जमनी एक सघ राज्य है जिसके अन्तगत 11 सदस्य राज्य हैं । यहा सघीय त्ग राज्य 'यायालय की व्यापक व्यवस्था का गइ है ।

सघीय 'यायालय

बेसिक ला के 92वें अनुच्छेद क अनुसार 'यायिक शक्तिया 'यायाधीशा मे निहित हागी इन शक्तियों का प्रयोग सघीय सवधानिक 'यायालय तथा राज्य (लेण्डर) 'यायालय द्वारा—बेसिक ला के अनुसार—किया जाएगा (देखिए चित्र पृष्ठ 141 पर) जमन 'यायपालिका की एक विशेषता यह है कि यहा विविध विषयों के लिए अलग अलग सघीय 'यायालय हैं । एक विपरीत भारत म एक सर्वोच्च 'यायालय ही है । जमन सघीय 'यायालय निम्नलिखित स्थानो पर स्थित हैं—

'यायालय का नाम	स्थान जहा स्थित है
(1) सघीय सवधानिक 'यायालय	कालसूड
(2) सघीय न्यायालय	कालसूड
(3) सघीय अम 'यायालय	कासेल
(4) सघीय प्रशासनिक 'यायालय	पश्चिमी बर्लिन
(5) सघीय सामाजिक 'यायालय	कामेल
(6) सघीय राज-बापीय (फिम्बल) 'यायालय	म्यूनख

इसके अतिरिक्त सघीय पट्ट-न्यायालय म्यूनख म सघीय अनुशासन-न्यायालय फ्राफुट (मेन नदी पर स्थित) तथा सनिक सवा-न्यायालयो की भी व्यवस्था है । इन 'यायालयो के लिए सघ जिम्मेदार है ।



















राज्य (लेण्डर) 'यायालय

सघीय 'यायालयो के अतिरिक्त राज्य के भी अपना 'यायालय हैं । राज्य सघीय कानून की परिधि म रहते हुए इन शक्तों राज्य 'यायालयो के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं । ये राज्य-न्यायालय हैं —

- (1) प्रथम चरण 'यायालय (कोट आफ फस्ट इन्स्टान्स)
- (2) द्वितीय चरण 'यायालय (कोट आफ सवण्ड इन्स्टान्स)

सघवराज्यो के न्यायालय

(

	सघीय न्यायालय	राज्यो के न्यायालय
भवधानिक क्षेत्राधिकार	 सघीय सर्वधानिक न्यायालय	 9 राज्यो क भवधानिक न्यायालय
सामान्य क्षेत्राधिकार	 सघीय न्यायालय  सघीय पेदेट न्यायालय	 9 राज्य उच्च न्यायालय  3 राज्य न्यायालय  776 जिला काउटी न्यायालय
क्रम क्षेत्राधिकार	 सघीय क्रम न्यायालय	 12 राज्य क्रम न्यायालय  क्रम न्यायालय
पशासनिक क्षेत्राधिकार	 सघीय प्रशासनिक न्यायालय	 10 राज्य प्रशासनिक न्यायालय  3 प्रशासनिक न्यायालय
सामाजिक क्षेत्राधिकार	 सघीय सामाजिक न्यायालय	 11 राज्य सामाजिक न्यायालय  48 सामाजिक न्यायालय
विधेयीय (द्वितीय)	 सघीय विधेयीय न्यायालय	 15 विधेयीय न्यायालय

) विधेयीय क्षेत्राधिकार राज्य न्यायालय
) इति संसद न्यायालय विधेयीय न्यायालय

राज्य न्यायालयों के पत्रों के विरुद्ध अपील या नगोधन के लिए सघ के पांच न्यायाधीश (संवैधानिक न्यायालय का विज्ञापन तथा निर्यात स्थिति है) में आवदन दिया जा सकता है। कार्य व्यक्ति पत्र राज्य न्यायालय में आवदन करेगा उसका बाद वह सघ न्यायालय में अपील या सजाघन कर सकेगा। राजा के न्यायालय सघीय कानून तथा राजा के कानूनों के आधार पर निर्यात दत्त हैं। राजा (लॉन्ग) के अपन संवैधानिक न्यायालय भी हैं जो राजा के सविधान के सम्बन्ध में निर्यात दत्त हैं। जमा कि पत्र ही सक्त किया जा चुका है फ रत जमनों के राजा के अपन अना अना सविधान भी हैं जेकिन य सविधान सघीय दिक ला ना सीमाभा में रकर ही बनाय गय ह। राजा के संवैधानिक सविधान न्यायालय राजा-न्यायालय (स्टेट कोर्ट) के नाम में जान जात हैं।

द्विविध क्षेत्राधिकार

जमन न्यायपालिका समूह का एक विशेषता यह है कि यह माठन के अना अना तथा स्वतंत्र क्षेत्राधिकारों में विभाजित है। यह विभाजन इस प्रकार है —

(अ) संवैधानिक क्षेत्राधिकार—संवैधानिक न्यायालय राजनीतिक कानूनों पर विचार करता है। कानून नगर में स्थित सघीय संवैधानिक न्यायालय इस क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायपालिका मस्था है। सघीय संवैधानिक न्यायालय सविधान (वसिक ना) को पालना तथा उसके लागू हान के सम्बन्ध में विचार हान पर निर्यात देता है। वह यह तय करता है कि को मा कानून वसिक ना के अनुसार बना है या न। साथ ही मस्थ राज्यों तथा मघ के बीच किसी कानूनी विवाद का समाधान भी यही संवैधानिक न्यायालय करता है। इसके अतिरिक्त वह नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व भी निभाता है। सघीय संवैधानिक न्यायालय के कार्य विधिनियम 12 मार्च 1951 में पारित सघीय संवैधानिक न्यायालय अधिनियम पर आधारित हैं।

राजा के संवैधानिक न्यायालय (राज्य-न्यायालय) के कार्य भी इसी के समान हैं विज्ञापन वह राज्य विज्ञापन के सविधान की व्याख्या करता है।

सामान्य, दीवानी तथा फौजदारी क्षेत्राधिकार

दावानी तथा फौजदारी क्षेत्राधिकारों के सम्बन्ध में मामलों को न्यायालय सघीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जात है। इन न्यायालयों की संरचना राजा के संरचना अधिनियम 1877 पर आधारित है जिनके अन्तर्गत राजा के सविधान के अनुरूप न्यायालय किए गए हैं तथा अपन नवीन रूप में इनका घोषणा 12 नितम्बर 1950 का की गयी। दीवानी मामलों में दावानी न्यायालय नियम 1877 तथा फौजदारी मामलों में फौजदारी न्यायालय नियम 1877 को आधार माना गया है। फौजदारी न्यायालय विषयक नियमों का 17 सितम्बर 1960 में मनापित रूप प्रस्तुत किया गया है।

लेण्डर (राय) ने सामान्य क्षेत्राधिकार का प्रयोग ‘उष्णी (जिना) ‘यायानय लेण्ड (राय) ‘यायालय तथा अथ उच्च लेण्ड-यायानय कानून हैं। बवेरिया राज्य में दीवानी व फौजदारी में सम्बद्ध सामान्य क्षेत्राधिकार वाले ‘यायानय को सर्वोच्च लेण्ड (राय) ‘यायानय तथा दलिन में मदन ‘यायानय (ज़ामर गरिख्ट) कहते हैं अथ राज्यों में उच्च लेण्ड (राय) ‘यायानय कहा जाता है। दीवानी मामलों के अन्तर्गत घन व सम्पत्ति सम्बन्धी मुकदमों तथा फौजदारी कानूनों के अन्तर्गत मारपीट व दण्ड संहिता के अन्वयन के मामलों प्रस्तुत किए जाते हैं।

पेटेट विषयक क्षेत्राधिकार

पेटेट विषयक मामलों सामान्य क्षेत्राधिकार की एक विशेष शाखा है। पेटेट विषयक मुकदमों पर राज्य पेटेट ‘यायालय में पेश किये जाते हैं बाद में उच्च सघीय ‘यायालय में ल जाया जा सकता है। सघीय पेटेट ‘यायालय की रचना 9 मई 1961 के मन्वीय पेटेट अधिनियम पर आधारित है। सघीय पेटेट-न्यायालय जमान पेटेट कार्यालय के लिए व विरुद्ध शिकायतों पर फसला देता है।

श्रम-क्षेत्राधिकार

जसा कि नाम में ही स्पष्ट हो जाता है श्रम-‘यायालय मानिक तथा कमचारी के बीच रोजगार सम्बन्धी मुद्दों पर विवाद मजदूर व प्रबंधकों के बीच विधानों तथा कमचारियों या मजदूरों द्वारा ‘यायानय या कारखानों के सह प्रबंध (का टटरमिनशन) से सम्बद्ध प्रश्नों पर लिए दता है। प्रत्येक राज्य का अपना श्रम-‘यायानय हाता है तथा अन्तिम अपील सघीय श्रम-न्यायालय में की जा सकती है। सघीय श्रम ‘यायानय 3 सितम्बर 1953 में पारित श्रम-न्यायालय अधिनियम के अन्तर्गत काय करता है।

प्रशासनिक-क्षेत्राधिकार

सघीय प्रशासनिक ‘यायानय तथा राज्य प्रशासनिक ‘यायानय प्रशासनिक अविचारिया तथा जनता के मध्य सावजनिक कानूनों से सम्बद्ध विवादों का फसला करते हैं। लेकिन कुछ निश्चित प्रशासनिक क्षेत्रों में (सामाजिक बीमा तथा कर सम्बन्धी कानूनों के बारे में विवादों के लिए) विशेष ‘यायानयों की व्यवस्था है। दलिन नगर में स्थित सघीय प्रशासनिक ‘यायानय में अन्तिम अपील की जा सकती है। सघीय प्रशासनिक ‘यायानय की कायविधि 21 जनवरी 1960 में पारित प्रशासनिक ‘यायालय नियमों से संचालित है।

सामाजिक क्षेत्राधिकार

सामाजिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत व मन्वीय मामलों आते हैं जो सामाजिक बीमा मुद्दों पीडित व्यक्तियों तथा डाक्टरों के आयोगों से सम्बद्ध विवादों से सम्बन्धित हाते हैं। यही कारण है कि इसका अलग क्षेत्राधिकार रखा गया है। सामाजिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग लेण्ड सामाजिक ‘यायानय तथा कालन नगर में स्थित सघीय सामाजिक ‘यायानय करते हैं। सघीय सामाजिक ‘यायानय का कानूनी आधार है सामाजिक ‘यायालय अधिनियम 23 अगस्त 1958।

वित्तीय क्षेत्राधिकार

वित्तीय या राजकोपीय क्षेत्राधिकार म व मामले समाहित हैं जो बरी सम्बन्धी सावजनिक वित्त प्रादेशा (डिप्टी) तथा चुगी अधिकारियों के प्रादेशा के दारे म विचार क कारण उपस्थित हाते हैं। प्रत्येक लेण्ड (राय) म कम मे कम एन वित्तीय या राजकोपीय न्यायालय होता है। अन्तिम अपील सघीय वित्तीय (राजकोपीय) न्यायालय म की जा सकनी है। इन मधाय न्यायालय की कायविधि वित्तीय (राजकोपीय) न्यायालय नियमावलि अक्टूबर 6 1965 पर आधारित है।

अनुशासन व आन्तर क्षेत्राधिकार

न्यायाधीश सरकारी कमचारी तथा सयसवा कमचारी राज्य मवा म स्वामि भक्ति की दृष्टि से राज्य क साथ विशेष रूप स सम्बद्ध होत हैं। यदि व अपन कत्तब्या की अवहलना करते हैं ता उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कायवाही की जा सकती है (उदाहरण क लिए उनकी निदा की जा सकनी है उनके बतन म कमी की जा सकती है और यहा तक कि उह नौकरी म वर्तमान भी किया जा सकता है)। अनुशासन-न्यायालय अनुशासनात्मक कदमा की बधता पर विचार करते हैं। कठोर कदम उठाने का काय सिफ सेना विषयक न्यायालय हा कर सकन हैं। प्रत्येक सवा न्यायालय मे न्यायाधीशा के साथ कुछ अन्य लोग भी हान हैं जो अपनी अपनी सवाओं से सम्बद्ध मामलो के विशेषण होत हैं। ये विशेषण न्यायाधीशा क साथ सहयोग करते हैं।

प्रत्येक लेण्ड (राय) म उसके कमचारिया क लिए अनुशासन-न्यायालय हाता है।

सघीय कमचारी प्रारम्भ म सघीय अनुशासन-न्यायालय मे आवेदन प्रस्तुत कर सकत हैं उसके निणय के विरुद्ध विशेष सीनेट (अनुशासन-सीनेटो) म अपील की जा सकनी है। सघीय अनुशासन-न्यायालय जुलाई 20 1967 मे मञ्जावित नियमावलि के अन्तगत काय करता है।

बुन्सेट्टेर (सैनिक सवाओं) के कमचारियों क लिए प्रारम्भिक (फर्स्ट इन्स्टान्स) सैनिक अनुशासन-न्यायालय तथा अपील के लिए सघीय प्रशासन-न्यायालय की विशेष शक्वा क रूप म सैनिक अनुशासन सीनेट हाती है। पन्च प्रारम्भिक न्यायालय म मुकदमा पण हाता है वाद म सीनेट म अपील की जा सकती है। सैनिक सवा अनुशासन-न्यायायता की कायविधि सैनिक-सवा अनुशासन नियमावलि जून 9 1961 से सचालित हाती है।

न्यायाधीशा के वानूनी पत्र के दार म जमन न्यायाधीश अधिनियम सितम्बर 8 1961 बनाया गया है जिसक अन्तगत विशेष न्यायिक सवा न्यायायता की स्थापना की गई है। ये न्यायालय न्यायाधीशा क विरुद्ध अनुशासनात्मक कायवाही कत्तब्य पानन म अयोग्य (नम्बी बामारी के कारण) होन पर सवा निवृत्ति प्राप्ति मामला पर

नियुक्त देते हैं। साथ ही उन विवाद पर फरमाते हैं कि अनुसूचित कानून या कायदारा यायाधीश की स्वतंत्रता पर आघात होती है या नहीं। राय की याचिका सेवा में नियुक्त यायाधीशों के लिए राय सेवा-न्यायालय (प्रथम चरण) तथा याय-मवायायालय (द्वितीय चरण) हान है। पहल प्रथम चरण का यायालय में आवेदन करना पड़ता है फिर द्वितीय चरण का यायालय में। सगठन की दृष्टि से ये स्वतंत्र यायालय न होकर अप्रत्यक्ष यायालयों के हिस्से हान हैं। अंतिम अपील सचीय यायालय की विधिमान्यता में की जा सकती है। याचिका सेवा यायालय द्वारा राजकीय प्रामाणिकता या वातावरण (परिष्कार प्रामाणिकता) विषयक अनुशासन के मामलों पर भी फरमाया गया जाता है। तथा प्रमाणिकता (नोटरीज) के मामलों में अनुशासन क्षेत्राधिकार का प्रयोग लेख (राय) के उच्च यायालयों द्वारा किया जाता है। अंतिम अपील सचीय यायालय में की जा सकती है।

अनुशासन क्षेत्राधिकार के साथ ही सम्मानजनक व्यवस्था के लिए भी अलग से क्षेत्राधिकार होता है। इन व्यवस्थाओं में लोग व्यक्ति तथा राष्ट्रीय समुदाय के प्रति अधिक जिम्मेदार हान हैं। इन व्यवस्थाओं में वकील पत्र एजेंट कर-मनाहकार तथा डॉक्टर दंत चिकित्सक पशु चिकित्सक तथा रसायन शास्त्री तथा नर्स एवं चिकित्सा व्यवसाय आते हैं। इन लोगों के लिए अलग से याचिका व्यवस्था है। उन कानूनों के अनुसार इन यायालयों की व्यवस्था व कार्यवाही होती है। अंतिम अपील सचीय यायालय में की जा सकती है। इन यायालयों में अलग अलग व्यवस्था के तहत विधिमान्यता के रूप में यायाधीशों की सहायता करती हैं। ये विधिमान्यता प्रवर्तक यायाधीशों (अनररी जज) के रूप में काम करती हैं।

यायाधीशों की स्थिति सवधानिक गारंटियाँ

दमिक या सवधानिक व्यवस्था का सुरक्षा का विषय महत्त्व देता है। देश के सवधानिक ढांचे की सुरक्षा के लिए याय का क्षेत्राधिकार तथा यायाधीशों की स्वतंत्रता का विषय महत्त्व है। मुक्तता का फरमाते करते समय यायाधीशों का किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होना चाहिए इसलिए उनका स्वतंत्र होना आवश्यक है। दमिक या यह गारंटी प्रदान करता है। अनुच्छेद 97 परिच्छेद 1 के अनुसार यायाधीश स्वतंत्र होंगे तथा सिर्फ कानून के अंतर्गत होंगे। अतः अथ यह दृष्टान्त कि यायाधीश विचारिका तथा कायपालिका से स्वतंत्र होंगे तथा उस किसी भी मामले में निर्णय नहीं दिया जा सकता। यायाधीशों का किसी भी सिफारिश व आदेश की परवाह नहीं करनी चाहिए। अतः अथ भी हो सकता है कि किसी मंत्री या विभागाध्यक्ष की सिफारिश के अंतर्गत पर उस स्थानान्तरित या बर्खास्त किया जा सके। एसी स्थिति में यायाधीशों की रक्षा करने के लिए दमिक या के अनुच्छेद 97 (2) यह व्यवस्था करता है कि— स्थायी रूप में नियुक्त यायाधीशों का उनकी इच्छा के विपरीत उनके पद से न बर्खास्त किया जा सकता न स्थायी या प्रस्थायी

तौर पर निलम्बित किया जा सकता या न ही दूसरा कार्य करने का कड़ा तामना या अधिक से पहले मवा निवृत्त नहा किया जा सकता। यदि ऐसा करना गे ता वह 'यायिक' निणय द्वारा सिर्फ कानून क आचार पर ही किया जा सकेगा। इम प्रकार अपनी कार्यावधि म सिद्धान्त यायाधीश का न ता हटाया जा सकता है और न उसका स्थानान्तरण ही किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था आवश्यक था कारकि निजी स्वतंत्रता तथा निष्पक्ष होने की स्वतंत्रता एक दूसर की पूरक है।

कानूनी स्थिति व यायाधीशा के प्रकार

वसिक्त ता क 92 वें अनुच्छेद क अनुसार यायिक शक्तिम यायाधीशा म निहित हागी। उस प्रकार यायाधीश याय प्रशासन के अधिकारी हैं। सामान्यतया दो प्रकार के यायाधीश हात हैं—

- (1) यावसायिक या पेशवर (प्राफेशनल) यायाधीश
 - (2) सम्मान-भूचक या प्रवृत्तनिक (आनरेरी) यायाधीश
- यावसायिक या पेशवर यायाधीश व हाते हैं जिहां बनानिक एवं यवरियन प्रशिक्षण किया हा विश्वर याय के क्षेत्र म तथा निर्धारित परीक्षा पास की ग। आनरेरी यायाधीश वे लाग (सामान्य व्यक्ति) हैं जा विशय कानूनी व्यवस्था के अन्तगत याय प्रशासन म मदद देत हा।

पेशवर यायाधीश

सिफ वही व्यक्ति पेशवर (प्राफेशनल) यायाधीश बन सकता है जिसे दो राजकीय परीक्षाएं पास की है। य परीक्षाएं हैं—जूनियर बरिस्टर या रेफरे डार तथा सहायक यायाधीश परीक्षा या ऐसेसोर परीक्षा। जमन विश्वविद्यालय के प्रत्येक कानून का प्रोफसर भी यायाधीश क पद पर नियुक्त हा सकता है।

प्रशिक्षण

विश्वविद्यालय म याय शास्त्र की पढाइ के साथ ही कानूनी प्रति एण आरम्भ होता है जो कम से कम 3¹ वष तक जारी रहता है। उसके बाद उम्मीदवार प्रथम परीक्षा (रेफरे डार या जूनियर बरिस्टर) पास करता है जो विश्वविद्यालय म न होकर याय प्रशासन द्वारा आयोजित की जाती है। उस परीक्षा क पचात् दार् वष तक आरम्भिक सेवा आरम्भ हाती है जिसे रेफरे डार पोरियड कहा जाता है। यह टाइ वष चलती है। उस अवधि म जूनियर बरिस्टर विद्वि यायालय—ीवानी पीठ दारी प्रशासनिक तथा अय यायिक प्रशासनिक क्षेत्रो म मशिय प्रशिक्षण प्राप्त करता है। इम आरम्भिक सेवा के पश्चात् जूनियर बरिस्टर (रेफरे डार) द्वितीय परीक्षा (ऐसेसोर) म बटना है। य परीक्षा त्मी नी तार के यायिक अधिकारी क सम्मुख होती है। उसक पश्चात् उम्मीदवार या यायिक मवा क लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त होती है। उसने साथ ही उन यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है जिन

नावन परन्तु यायाधीन नियुक्त किये जाते हैं। पूरा उम्र तीन वर्ष की आयु (त्रयवत्) अवधि में गुजरना पड़ता है। बूढ़ों के धर्म का भाव उपरी में का व्यक्ति 28 वर्ष की उम्र में ही यायावतता में यायावीग बंध पड़ता है। परन्तु यायाधीन राजस्वभार न तब तक यायावीग होता है।

पद धीरे क्लृप्त प

यायावीग बनने पर एक व्यक्ति का यह तब तक पड़ना है कि वह बर्तमान में प्रति क्षणिक रूप में अनुभवमान रूप में तब तक ही श्रम का प्रति निष्ठा करने में सक्षम हो सके। तब तक यायावतता का एक विधान यह भी है कि मित्रादि रूप में एक यायावीग किंवा राजन्यावतता का सम्बन्ध बन जाता है तथा राजन्यावतता गतिविधियों में भाग ले सकता है किन्तु उसका ध्यान रखना होगा कि उसका अधिक स्वतन्त्रता तथा निष्ठाता में भावनात्मक विचार बन सके।

शान्तरण यायाधीन

प्रायः यायाधीनता के अनिश्चित शान्तरण यायावीग भाग्य के साथ ही हो सकता है। फौजदारी यायावतता के अन्तर्गत ही शान्तरण यायावीग सामान्य तौर पर (जिसे कानूनी परीक्षा पास करने) तक है। एक शान्तरण यायावीग के व्यक्ति के जो शान्तरण यायावीग का श्रावण कानूनी व्यवस्थापना के अन्तर्गत यायावतता में भाग लेता है तथा उस समय के लिए भरण-पोषण का पूरा अधिकार होता है। शान्तरण यायावीग फौजदारी यायावतता का व्यापारिक मामला के यायावतता तथा प्रशासनिक व सवा-न्यायावतता में भाग लेता है।

संघीय न्यायालय

संघीय न्यायावतता के अधिकारिकार — यह मन्त्रालय के अधीन चलाकर है। यहाँ तक कि वायु प्रणाली तथा सम्बद्ध विषयों की चर्चा करेगी।

(1) संघीय संरक्षित यायावतता

यह यायावतता तब तक यायावतता की एक प्रमुख विधा है। संघीय संरक्षित यायावतता 91 में संघीय संरक्षित यायावतता का अन्तर्गत है। अनुच्छेद 93 के अन्तर्गत संघीय यायावतता के अधिकार का अन्तर्गत है।

(2) संरक्षित—संघीय संरक्षित यायावतता का अन्तर्गत में मिलाकर बनता है। प्रत्येक मानक में यायावीग तक है। अथवा क्षमता के अन्तर्गत प्रत्येक सीनेट संघीय संरक्षित यायावतता है। तब तक मानक का स्वतन्त्र अस्तित्व है। एक शान्तरण यायावीग का चुनाव होता है तथा एक संघीय यायावीग के अन्तर्गत में नए बंधन हैं। संघीय संरक्षित यायावतता का अन्तर्गत प्रथम सीनेट का

समापतित्व करना है तथा उसका सहायक (डेप्युटी) या उपाध्यक्ष (जूनियर सीनेट) का समापतित्व करना है।

गणपूर्ति या फोरम

संघीय संवधानिक विधानसभा की प्रत्येक सीनेट की कार्यवाही के गणपूर्ति आवश्यक मानी गई है। कार्यवाही के समापन के लिए 8 म. स. 6 विधानसभा की उपस्थिति अनिवार्य है।

असाधारण बैठक

कुछ स्थितियों में असाधारण बैठक की व्यवस्था भी है। जब संघीय संघासनासभ विधानसभा की एक सदन दूसरी सीनेट द्वारा प्रस्तुत राय से अलग हो कर काम करना चाहती है तो ऐसी स्थिति में दोनों सदन मिलकर एक साथ पूर्ण अधिवेशन (प्लेनम) करती है तथा असाधारण स्थिति में नियम लती हैं।

विधानसभा की योग्यताएं

संघीय संवधानिक विधानसभा के लिए विधानसभा का पद प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं जरूरी हैं—

(अ) उसकी उम्र कम से कम 40 वर्ष हो।

(ब) वह बुद्धिसदाग के लिए चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो।

विधानसभा का चुनाव

जसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है एक सदन के लिए विधानसभा का चुनाव होता है। आधे विधानसभा का चुनाव बुद्धिसदाग तथा बाकी के आधे विधानसभा का चयन बुद्धिसदाग करती है। बुद्धिसदाग अपने पूर्ण अधिवेशन (प्लेनम) में दो तिहाई बहुमत से चुनाव करती है। बुद्धिसदाग अनुसूचित चुनाव प्रणाली के आधार पर 12 संघीय समिति का चुनाव करती है जिन में यह समिति दो तिहाई बहुमत से विधानसभा का चुनाव करती है।

एक राजनीतिक अंग (बुद्धिसदाग व बुद्धिसदाग) द्वारा विधानसभा के चुनाव का औचित्य इस बात में निहित है कि संघीय संवधानिक विधानसभा न केवल संवधानिक संस्था है बल्कि इसका क्षेत्राधिकार राजनीतिक भी है।

151

दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन में तीन विधानसभा के पांच संघीय विधानसभा के लिए जाते हैं। ये विधानसभा 68 वर्ष की उम्र तक संघीय विधानसभा के सदस्य बने रहते हैं। आधे विधानसभा का चुनाव होता है व 8 वर्ष तक कार्य करते हैं। निवारित विधानसभा का पुनः चुनाव हो सकता है। संघीय संवधानिक विधानसभा के विधानसभा अपने विधानसभा के क्षेत्र में

प्रत्यधिक योग्य प्रतिभाशाली व विख्यात व्यक्ति हात हैं तथा उन्हें सावधानिक जीवन का काफी अनुभव जाना है। अपने पद के कार्यकाय में यायाधीश न तो बुद्धिसटान न बुद्धिसराट और न ही सब या राज्य सरकार में सम्बद्ध हो सकते हैं। यायाधीश पद या विश्वविद्यालय के प्राफेसर-पद के अतिरिक्त व कोई अन्य यावसायिक कार्य या पेशा नही अपना सकते।

संघीय संवधानिक यायालय क्षेत्राधिकार

संघीय संवधानिक यायालय जन्म वसिष्ठ का रक्षक है। इसकी कार्य प्रणाली का आधार २ वमिक का अनुच्छेद 92 93 94 99 तथा 100 के साथ 12 मार्च 1951 के संघीय संवधानिक यायालय कानून (जिसमें कई बार संशोधन किया जा चुका है)। इस प्रमुख कार्यों को निम्नलिखित भागों में बाटा जा सकता है —

(अ) कानून की वधता विषयक परीक्षण

(आ) मय तथा मन्स्य राज्य (नेष्णर) के बीच कार्य विवाद तथा ये राज्यो (नेष्णर) के बीच विवाद का फैसला

(ए) असंवधानिकता सम्बन्धी शिकायतों पर निष्णय

(इ) अन्य प्रक्रियाएँ।

(अ) कानून की वधता का परीक्षण—यदि कोई यायाधीश किसी मुकदम का फैसला करत समय यह अनुभव करता है कि जिस कानून के आधार पर वह फैसला देना चाहता है वह कानून ही असंवधानिक है तो ऐसी स्थिति में वह यायाधीश मुकदम की प्रक्रिया को रोक कर सम्बद्ध मुकदम के कामकाज संघीय संवधानिक यायालय के पास भेज देता है ताकि संवधानिक यायालय उस कानून की संवधानिकता के बारे में निर्णय दे सके।

एक प्रकार यदि कोई यायाधीश यह सोचता है कि किसी सदस्य राज्य का कानून संघीय कानून के साथ मेल नही खाता है तो यह मामला भी संघीय संवधानिक यायालय में भेजा जाता है। वमिक का अनुच्छेद 31 यह कहता है कि— संघीय कानून राज्य के कानून से ऊपर होगा। विवाद की स्थिति आन पर मामला संवधानिक यायालय में जाता है।

कुछ मामलों में संघीय सरकार भी किसी कानून को असंवधानिक कह कर उसे संघीय संवधानिक यायालय में भेज कर सकती है। उदाहरण के लिए यदि संसद ने संघ-सरकार की सहायक विपरीत किसी कानून को पारित कर लिया है और सरकार यह सोचती है कि यह कानून संविधान के अनुकूल नहीं है तो वह यह कदम उठा सकती है।

साथ ही काइ व्यक्ति सघीय सवधानिक यायालय म यह आवदन कर सकता है कि सावजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून का कोई निश्चित नियम फरल जमनी क सघाय कानून का हिस्सा ह या नहा । वसिक ला क 25 वें अनुच्छेद क अनुसार सावजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून जमन सघीय कानून का अविभाज्य अंग है तथा वह सघाय कानून की तुलना म बराबरी (उचता प्राय मजना) प्राप्त करता ह ।

यदि किसी सरकारी सस्था तथा अथ पना क बाब किसी प्रान पर विवाद है तथा सम्बद्ध पत्र यह तक दता है कि अनुक सरकारी सस्था उसक वसिक ला म उचितित अधिकारा का हनन कर रही है ता अनुच्छेद 93 पारच्छेद 1 (1) क अतगत सघीय सवधानिक यायालय म आवदन पा किया जा सकता है तथा यायालय वसिक ला का ध्यास्था करेगा ।

सघ तथा सदस्य राया क बीच मतभेद या विभिन्न राया क बीच सवधानिक विवाद हान पर भी मामले का निपटारा सघीय सवधानिक यायालय करता है ।

वसिक ला क 99 व अनुच्छेद के अनुसार कोई राय चाह तो सवधानिक विधान के निरगरे के लिए सघाय सवधानिक यायालय से निणय लेन का कह सकता है ।

फडरल जमना का कोई भी नागरिक अपन मूलभूत अधिकारो (अनुच्छेद 1 से 19 तक) की रक्षा क लिए सघीय सवधानिक यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है । अनुच्छेद 33 38 101 103 तथा 104 म उल्लिखित उमके अधिकारा का हनन होने की स्थिति म भा वह शिकायत कर सकता है । इतना ही नहा वसिक ला के अनुच्छेद 93 परिच्छेद 4 (अ) क अतगत कोई नागरिक वसिक ला क अनुच्छेद 20 (4) म वर्णित अधिकार के अतगत भी सघीय सवधानिक यायालय म आवदन पेश कर सकता है ।

सघीय सवधानिक यायालय 1951 क अविनियम के अनुसार काय करता है । सन् 1951 से 1969 क बीच इन यायालय क सम्मुख कुल 20 337 शिकायत आइ जा सवधानिकता क प्रश्न से सम्बद्ध थी । इसम यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि फडरल जमनी क नागरिक अपन अधिकारा क प्रति जागरूक हैं ।

उपयुक्त बाना क अतिरिक्त सघीय सवधानिक यायालय म निम्नलिखित मामल जात हैं—

- (1) राष्ट्रपति क विरुद्ध महाभियाग का फमला भी सघाय सवधानिक यायालय म आगा । महाभियाग नगान का काय बुदेसटाग तथा गुनेसराट करगी । 28 वष क अस्तित्व म फरल जमनी म अभी तक किसी भी राष्ट्रपति क विरुद्ध महाभियाग नहा आया ग्या है ।
- (2) अनुच्छेद 98 क अनुसार बुदेसटाग या वार्ड राय-सरकार एव यायाधीन क विरुद्ध यह धाराप ग्या सकती है कि उसन वसिक ला या किसी राय की सवधानिक व्यवस्था का हनन किया है । इन तिक यानो को फमला ना

सहाय सवधानिक यायानय करगा। अभी तक एसी कोई शिकायत कमी नही की गई।

(3) बसिक ना क अनुच्छेद 21 (2) के अनुसार यदि कोई राजनयिक दल अपन उद्देश्य रक्षाय तथा व्यवहार से मूलभूत जनतानिक व्यवस्था को नुकसान पहचान या उस समाप्त करने का प्रयास करे तो वह अमवधानिक होगा। सघीय सवधानिक यायालय अमवधानिकता के प्रश्न पर नियय देगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत बुल्गेरिया या सरकार यायान म किसी राजनीतिक दल क विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। सवधानिक यायानय आरोप सिद्ध हान पर उस दल का सर कानूनी घोषित कर सकता है। 1953 म मोशा इस्ट राश पार्सी तथा 1956 म साम्यवादी दल क विरुद्ध एसा शिकायत प्रस्तुत की गयी प्रमाणित हान पर उह सर कानूनी घोषित कर दिया गया तथापि 1969 म जमन साम्यवादी दल का पुनगठन किया गया तथा उसन यह घोषित किया कि वह बसिक ना की परिधि म अपना काय करगा।

(4) फरल जन्मी म बुल्गेरिया के किमी पुत्री (सहस्य) के पुत्रा को वधना क प्रश्न पर बुल्गेरिया स्वय विचार करनी है। बुल्गेरिया क निणय के विरुद्ध सहाय सवधानिक यायालय म अपील की जा सकती है। इसका निणय अंतिम होगा।

अथ सघीय यायालय

सघ क अंतगत कितन यायालय है उनका विवरण ऊपर दिया जा चुका है। सघ के 5 यायालयों क निणय क विरुद्ध उनक अमवधानिक फमतों क विरुद्ध— सघीय सवधानिक यायालय म शिकायत का जा सकता है। जब हम जमनी के यायानमा क पाच क्षेत्राधिकार क बारे म बात करते है तो उसका अर्थ है—

- (1) सामाय क्षेत्राधिकार (नीवानी और फौजदारी) (?) अम (3) प्रशासनिक
- (4) सामाजिक तथा (5) वित्तीय (राजकीय) क्षेत्राधिकार। ये पाचा सर्वोच्च यायानय हैं। इन पाचा यायालयों की अलग अलग सीनट (बच) होती है जिनका संख्या निम्नलिखित है—

य यालय का नाम	सीनटों की संख्या
1 सघीय यायानय	10 दोवाना सीनट 5 फौजदारी सीनेट 7 विशेष क्षेत्रों की सीनेट
2 सघीय अम न्यायानय	5 सीनट
3 सघीय प्रशासनिक यायानय	8 सीनट तथा अनुशासन क मामला म विशेष सीनट
4 सघीय सामाजिक यायानय	12 सीनेट
5 सघीय वित्तीय (राजकीय) यायानय	7 सीनट

इनके अतिरिक्त प्रत्येक 'यायालय' में एक ग्राण्ड सीनेट (उच्चतर सीनेट) होती है जिसमें निम्नलिखित मामला में सम्बद्ध सीनेट द्वारा अपील की जा सकती है—

(अ) जब सानट किसी कानून के प्रश्न पर अथवा सीनेट या ग्राण्ड सीनेट के निर्णय से प्रलग हट कर निर्णय लेना चाहती हो।

(आ) जब 'याय' प्रशासन की एकरूपता या कानून के विकास का महत्वपूर्ण व मूलभूत प्रश्न उठ खड़ा हो।

सघीय 'यायालय' में दीवानी मामला की ग्राण्ड सीनेट फौजदारी मामला की ग्राण्ड सीनेट तथा एक संयुक्त ग्राण्ड सानट होती है।

सघीय 'यायालय' (सामान्य क्षेत्राधिकार)

संघीय 'यायालय' के अंतर्गत दीवानी तथा फौजदारी के मुकदमा का फतवा होता है। दीवानी मामलों में स्वामित्व के प्रश्न पर विवाद या दावा सविन्य (कॉन्ट्रैक्ट) सम्बन्धी दावें, गैर-कानूनी काय से उत्पन्न टॉर्ट (Tort) कानून सम्बन्धी दावें (शारीरिक क्षति, मोटर कार का क्षति सम्मान को ठग तथा कापी राइट का उल्लंघन), जीविका (मटेनन्स) सम्बन्धी दावें, वाणिज्यिक दावें तथा अवधि पितृत्व आदि आते हैं।

फौजदारी मामला में भी व्यक्ति इसी सघीय 'यायालय' (सामान्य क्षेत्राधिकार) की शरण में जा सकता है। जर्मन दण्ड संहिता कानून का आधार दण्ड संहिता अधिनियम 1871 है। इसमें समय-समय पर संशोधन हुए हैं तथा 1973 में इस प्रधुनानन रूप प्रदान किया गया है। फौजदारी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हत्या, सूट चोरी, धाखान्धेही, भूठी गवाही के मुकदमा का फतवा होता है।

सघीय श्रम-न्यायालय

शारम्भ में श्रम क्षेत्राधिकार दीवानी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता था लेकिन बर्त हुए प्रोत्साहक कारणों के कारण श्रम-सम्बन्धी विवादों की संख्या बढ़ी उधर मालिकों के प्रबंधकों, कमचारियों व मजदूरों में यह प्रवृत्ति बनी कि 'याय' प्रशासन से उन्हें भी जोड़ा जाए। इन तथ्यों का ध्यान में रखते हुए संघीय श्रम-न्यायालय की व्यवस्था की गई। आज का सघीय श्रम-यायालय श्रम-यायालय अधिनियम मितम्बर 3 1953 के अन्तर्गत काय करता है। इस 'यायालय' में श्रम-सम्बन्धी मानवी मालिका तथा कमचारियों (मजदूरों व लिपिका व अथ अधिकांश) के बीच विवाद उपस्थित किए जाते हैं। बर्तन सम्बन्धी दावें, छुट्टियाँ, सम्बन्धी विवाद, कमचारियों का बर्तान्तगी काय करने समय दुष्प्रवृत्तियों के निवारण होने पर दावें, मजदूरों द्वारा यंत्रों का नुकसान पत्रचान पर दावा आदि आते हैं। दूसरी प्रकार के मुकदमों में महानियम (का डिटरमिनेशन) सम्बन्धी विवाद के हात में श्रमी प्रकार बर्तन-समन्वयिता सम्बन्धी विवाद तथा हृदताल का बर्तता व तातावर्तन सम्बन्धी विवाद में प्रस्तुत किए जाते

३। इसी प्रकार प्रयत्न बड़ी दखान या ‘यापारिक प्रतिष्ठान में कमचारी परिषद् के चुनाव नियुक्ति उसकी समाप्ति आदि दाव भी सघीय श्रम ‘यायानय में पेश होत है।

सघीय प्रशासनिक ‘यायालय

जसा कि प्रशासनिक शिकायतों पर विचार करत हुए बता दिया गया है कि सघीय प्रशासनिक ‘यायानय में दा मरचारी सस्थाओं के आपसी विवाद—जस एक श्रम शिष्य में सदरा के निमाण तथा दसमान के मरम्मत का काम जिस सस्था का है पेश हात है। सरकारी सस्था व नागरिक के बीच विवाद—जस नानसम रद्द करने पर नारा आति तथा प्रशासनिक ‘यायानय अधिचारियों से सम्बद्ध बायों से उत्पन्न शिकायतों पर भी यह ‘यायालय निणय देता है।

सघीय सामाजिक ‘यायालय

इस ‘यायानय के अन्तगत निम्नलिखित विषयों पर मुकदमों व शिकायतों प्रस्तुत की जाती है—

- (प्र) सामाजिक कामा वासनर कानूनी स्वास्थ्य बीमा दुघटना बीमा सदान मजूरा का बीमा तथा मजूरों तथा कमचारियों के पशन-बीम सम्बन्धी विवाद।
- (भा) सरकारी या बीमा प्रणिभण कान में राजकीय अधिन सहायता सघीय कमचारियों के बीच के मत विषय प्रधिनियम-सम्बन्धी शिकायतें।
- (ण) मुद्ध-बीडिता के लिए व्यवस्था विषयक दाव।
- (ई) कानूनी बीमार ताप व डाक्टरों के काय व डाक्टरों के दत्त चिकित्सकों के बीच मरम्मतों पर विवाद।
- (उ) बुल्गडर (सघीय सगस्य सय सेवाओं) के भूतपूर्व कमचारियों की जीविका या वनि तथा उनकी विधवाओं व अनाथ बच्चों सम्बन्धी मुकदम। यह ‘यायानय 23 अगस्त 1958 में पारित सामाजिक ‘यायानय अधिनियम के अंतर्गत काय करता है।

सघीय वित्तीय (राजकीय) ‘यायालय

इस ‘यायानय का उद्देश्य उन सभी विवादों का निपटारा करना है जो सारजनिक कानून के अन्तगत राजकीय अधिकायों में सम्बद्ध होत हैं। 6 अक्टूबर 1965 में पारित वित्तीय (राजकीय) ‘यायानय नियमावलि द्वारा उक्तकी कायविधि संचालित होती है। यह ‘यायानय निम्नलिखित विवादों का फसला करता है—

- (प्र) सर-सम्बन्धी आशेना डिप्टी की धपना
- (भा) चुकी अधिचारियों के आशेना की धपना

- (इ) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के कानून के अन्तगत मालगुजारी (लबी) उगाहन सम्बन्धी विवाद
(ई) आयात निर्यात के मामला में विवाद ।

राज्यो के न्यायालय

सभ की भाँति इहाँ पाँच क्षेत्राधिकारों के अन्तगत राज्या में भी न्यायालयों की व्यवस्था की गई है । इन न्यायानयों का दो भागों में बाँटा जा सकता है—

- (1) उच्चतर लेण्ड (राज्य) न्यायालय (द्वितीय चरण न्यायालय)
- (2) राज्य-न्यायालय (प्रथम चरण न्यायालय)

कुछ विषयों पर काउण्टी (जिला) न्यायालयों की भी व्यवस्था है

छोटे मुकदमों में काउण्टी न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं उसकी अपील सम्बद्ध राज्य-न्यायालय में की जा सकती है तथा उसके फसल से सतुष्ट न होने पर उच्चतर लेण्ड-न्यायालय के द्वार खटखटाय जा सकते हैं । आखिरी अपील सघीय न्यायालय में होती है । काउण्टी-न्यायालय में व्यक्ति स्वयं प्रस्तुत हो सकता है या अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधित्व के लिए भेज सकता है । लेण्ड-न्यायानय या उच्चतर लेण्ड-न्यायालय में वह इन न्यायालयों द्वारा अधिकृत वकीलों के माध्यम से ही आवेदन कर सकता है ।

सघीय न्यायालयों की भाँति लेण्ड (राज्य) में भी विभिन्न न्यायालयों की व्यवस्था की गई है । उनकी रचना इस प्रकार है—

- (1) सबधानिक न्यायालय—9 राज्या में सबधानिक न्यायालयों की व्यवस्था की गई है । ये न्यायालय स्टेट-कोर्ट के नाम से जाने जाते हैं । जिस राज्य में सबधानिक न्यायालय नहीं है वे सबधानिकता के प्रश्न पर सघीय सबधानिक न्यायानय की शरण में जा सकते हैं । पश्चिमी बर्लिन में सबधानिक न्यायानय नहीं है तथा उसकी विशेष अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति है ।

- (2) सामान्य क्षेत्राधिकार (दीवानी फौजदारी) लेण्ड-न्यायालय—इस न्यायानय में दीवानी व फौजदारी मामलों के फसल होते हैं । फडरल जमनी में 19 उच्चतर लेण्ड-न्यायानय तथा 93 लेण्ड-न्यायालयों की व्यवस्था है । ये न्यायालय दीवानी व फौजदारी मुकदमों के बारे में नियम लत हैं । साथ ही व्यापारिक मामलों तथा अल्प वयस्क लोगों के लिए अलग से व्यवस्था होती है ।

फौजदारी मामलों में तीन प्रकार के न्यायालय होते हैं—

- (1) उच्चतर लेण्ड-न्यायालय—इसमें दस-ग्यारह सबिधान के प्रति घोषा तथा दस के प्रति घोषे-सम्बन्धी मुकदमों पेश होते हैं । न्यायालय की सीनेट में 5 पेशेवर न्यायाधीश होते हैं । इसके फसल के विरुद्ध अपील नहीं की जाती बल्कि मामला सभाघन के लिए पेश किया जाता है ।

- (2) ग्रामिसत्र (एसोइज)-न्यायालय—एक 3 पेशवर यायाधीश तथा 6 ज्यूरस बठते हैं। एक गानबूभ कर हत्या व मामल पेश होत है।
- (3) नण्ड-न्यायालय—एकम तान पेशवर यायाधीश व दो ज्यूरस बठते हैं।

लेण्ड थम यायालय

थम सम्बन्धी मुकदमा के तीन चरण हात हैं। प्रथम चरण म विवाद सामान्य थम यायालय म दूसरे चरण म नण्ड-थम यायालय म तथा अन्तिम चरण म सधीय थम यायालय म मामला पेश होता है।

सभी चरणो म यायाधीशा के अतिरिक्त आनरेरी यायाधीश भी बठते हैं। आनरेरी यायाधीशा म थ्रमिका व तथा प्रवचका के अलग अलग प्रतिनिधि बठते हैं।

नण्ड प्रशासनिक यायालय—इन यायालयो की कायविधि भी तीन चरणो मे विभाजित है। पहले आवेदन सामान्य प्रशासनिक यायालय म अर्जी देता है दूसरे चरण मे वह लेण्ड उच्चतर प्रशासनिक यायालय म तथा तृतीय चरण म बलिन म स्थित सधीय प्रशासनिक यायालय म आवेदन कर सकता है। कुछ मामलो म—यथा सध व राज्य व बीच एस दावानी कानूनो सम्बन्धी विवाद जिनका सविधान से सम्बन्ध न हो—सधीय प्रशासनिक यायालय ही प्रथम व अन्तिम यायालय होता है। राज्य यायालयो मे 3 यायाधीश व 2 आनरेरी यायाधीश बठते हैं।

लेण्ड सामाजिक यायालय—ये यायालय भी सामान्य सामाजिक यायालय (प्रथम चरण) तथा उच्चतर लेण्ड-सामाजिक यायालय (द्वितीय चरण) म विभाजित हैं। अन्तिम अपील सम्बद्ध सधाय यायालय म का जाती है। प्रथम चरण के यायालय म एक प्रशिक्षित यायाधीश तथा दो आनरेरी एसेसर बठते हैं। कुछ निश्चित मामला म अपील ही की जा सकती। द्वितीय चरण व यायालय म 3 प्रशिक्षित यायाधीश व दो आनरेरी एसेसर बठते हैं। कुछ मामलो म इनके निणयो को सशोधित करने के लिए सधाय यायालय की शरण ली जा सकती है। यह उन्खनीय है कि एसेसर का सामाजिक यायाधीश कहा जाता है।

लेण्ड वित्तीय (राजकोपीय) यायालय—राज्य-स्तर पर सिफ एक ही प्रकार के राजकोपीय यायालय होत हैं जबकि अन्य मामलो म दो अणिया व यायालय होते हैं। एक प्रकार वित्तीय (राजकोपीय) यायालय सिफ उच्चतर नण्ड यायालय के रूप म ही गन्ति हाते ह। उनके फसला म सशोधन व लिए सधाय वित्तीय (राजकोपीय) यायालय म आवेदन किया जा सकता है। राज्य वित्तीय यायालय म तीन प्रशिक्षित तथा दो आनरेरी यायाधीश बठते हैं।

राजनीतिक दल

जर्मन राजनीतिक दलों के स्वभाव प्रवृत्ति तथा विकास का समझने के लिए यह आवश्यक है कि 1871 में जर्मनी के एकीकरण के समय की राईशटाग (आज इसे बुन्डेस्ताग कहा जाता है) के सभा भवन की संरचना पर दृष्टि डाली जाए। उस समय संसद में बठने के स्थान तीन भागों में विभाजित थे वाम पक्ष (लफ्ट) मध्य पक्ष (सटर) तथा दक्षिण पक्ष (राईट)। इस प्रकार तत्कालीन जर्मन राजनीतिक दलों को मोटे तौर पर तीन भागों में बाटा जा सकता था

- (1) वामपंथी दल
- (2) मध्यम मार्गी दल
- (3) दक्षिणपंथी दल

1919 में जब वार्मर-गणतंत्र की स्थापना हुई तो आनुपातिक चुनाव के कारण वहां राजनीतिक दलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। उस समय वहां 30 के आसपास छोटे मोटे राजनीतिक दल थे लेकिन प्रमुखता कुल 7 राजनीतिक दलों की ही थी। ये सात दल भी ऊपर लिखित तीन वर्गों में विभाजित थे। वामपंथी दलों में साम्यवादी समाजवादी (सोशल डेमोक्रेट) तथा जनतंत्री दल शामिल थे। मध्यम मार्गी दलों के रूप में सेंटर पार्टी तथा बवेरियाई जनता पार्टी सामने थी तथा दक्षिणपंथी दलों में जर्मन जनता-पार्टी तथा नेशनल सोशलिस्ट पार्टी (नात्सी दल) शामिल थी।

1933 में हिटलर के सत्ता में आगमन के साथ जर्मनी के संसदीय इतिहास का काला युग आरंभ हुआ। हिटलर ने शीघ्र ही अपने दल (नात्सी दल) को छोड़कर सब दलों पर प्रतिबंध लगा लिया और इस प्रकार बहुदलीय व्यवस्था के कफन में कील ठोक दी। 12 वर्ष तक जर्मनी में एक दल का शासन रहा तथा 1945 में द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी की पराजय तथा विभाजन के बाद मित्र राष्ट्रों-सोवियत संघ अमेरिका ब्रिटेन तथा फ्रांस ने वहां धीरे धीरे जर्मन राजनीतिक दलों को काय करने की अनुमति दी। इस प्रकार जर्मनी में पुनः विभिन्न राजनीतिक दल सक्रिय हुए।

विजेता राष्ट्रों में सोवियत संघ वह प्रथम राष्ट्र था जिसने अपने अधिकृत क्षेत्र में जनतांत्रिक तथा फासिस्ट विरोधी राजनीतिक दलों को काय करने की स्वीकृति दी और इस प्रकार जर्मनी में चार राजनीतिक दल उभरे। ये दल थे

- (1) साशन डेमोक्रेटिक पार्टी
- (2) साम्यवादी दल
- (3) त्रिश्चयन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा
- (4) उगार दल (जो बाद में फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से विख्यात हुआ)।

अमेरिका ने सोवियत संघ के साथ काय का अनुसरण करते हुए राजनीतिक दलों को बाय की अनुमति दी तथा दिसम्बर 1945 में ब्रिटेन व फ्रांस ने भी ऐसी स्वीकृति दे दी। उसके पारस्वरूप 1945 के अंत तथा 1946 के आरम्भ में चार भागों में विभाजित जर्मनी (जोन) के रंग मंच पर चार राजनीतिक दल मंत्रिय हुए। लेकिन शीघ्र ही वाइमार की भांति छान बड कई दल उत्पन्न हो गए जिनके नाम इस प्रकार हैं—

- (1) स्वतंत्र जर्मन कार्यकारी दल (वर्किय ग्रुप ऑफ इन्डिपेंडेंट जर्मन्स)
- (2) बवेरियाई दल (बवरियन पार्टी)
- (3) त्रिश्चयन डेमोक्रेटिक यूनियन (सी डी यू)
- (4) त्रिश्चयन सोशल यूनियन (यह राष्ट्रीय त्रिश्चयन डेमोक्रेटिक यूनियन का सहचारी राजनीतिक दल है तथा बवेरिया में अपने मून नाम से जाना जाता है)
- (5) जर्मन शांति संघ (जर्मन पीस यूनियन)
- (6) जर्मन संघ (जर्मन एसोसिएशन)
- (7) जर्मन पार्टी
- (8) जर्मन राईश पार्टी
- (9) जर्मन दक्षिण पक्षी दल (जर्मन राईटिस्ट पार्टी)
- (10) जर्मन पीपुल्स-पार्टी (यह एक फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी की शाखा है जो दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में अपने मून नाम से जानी जाती है)
- (11) फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी
- (12) शरणाधीन दल—समग्र जर्मन गुट निष्कासित तथा मताधिकार वंचित लोगों का दल (जी बी / बी एच ")
- (13) समग्र जर्मन दल (ग्रान्ज जर्मन पार्टी)
- (14) समग्र जर्मन जनता-पार्टी (ग्रान्ज जर्मन पीपुल्स पार्टी)
- (15) जर्मन साम्यवादी दल (सविधान विरोधी गतिविधियों के कारण संघीय संवैधानिक न्यायालय ने सन् 1956 में इसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया था लेकिन 1969 के बाद इसका पुनर्गठन किया गया)
- (16) नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (इसे नव-नासी दल माना जाता है)
- (17) सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी

- (18) सोशल राइश पार्टी (सविधान विरोधी गतिविधियाँ के कारण 1952 में इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया)
- (19) दक्षिण श्लसविग मतदाता मंच (एस एस बी)
- (20) आर्थिक पुनरचना दल (डब्ल्यू ए बी)
- (21) सेक्टर पार्टी

इनके अतिरिक्त भी कुछ नगण्य प्रभाव वाले राजनीतिक दल थे। पहले हम कुछ छोटे राजनीतिक दलों की चर्चा करेंगे।

जमन पार्टी

जमन पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी थी। 1946 में सबसे प्रथम इसने नामर सेक्सनी स्ट पार्टी के नाम से राजनीतिक गम मंच पर प्रवेश किया। यह 19वीं शताब्दी के जमन-हनोवर दल की अनुदारवादा परम्परा का अनुयायी रहा है। वचारिक घरातन पर जमन पार्टी एक दक्षिणपंथी दल के रूप में उभरी। 1947 में हार्नरिच हेलवेडो के नेतृत्व में इस पार्टी ने पश्चिमी जमनी के विविध राज्यों में अपनी शाखाएँ खोली तथा ब्रेमेन हाम्बुर्ग लाइनर सेक्सनी तथा श्लसविग-हाल्सटाईन नामक राज्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया।

विचारधारा के क्षेत्र में जमन पार्टी का माग्य को सन्नेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—प्रत्येक व्यक्ति का अपनी जन्म भूमि में निवास कानून का शासन ऐतिहासिक परम्पराएँ तथा र्साई धर्म में श्रद्धा रखने का अधिकार हो। विदेश-नीतिक क्षेत्र में जमन पार्टी का मुख्य लक्ष्य था—शांतिपूर्ण साधना से विभाजित जमनी का एकीकरण किया जाए।

1949 में जब त्रिशिष्यन डेमोक्रेटिक यूनियन का नेता कानराड आइनब्रावर ने प्रथम मिली-जुली सरकार का निर्माण किया तो जमन पार्टी के दो सदस्यों का भी मंत्री बनाया गया। हार्नरिच हेलवेडो को बुन्देस्टाट मामलों का मंत्री तथा हास क्रिस्टोफ सीबोह्ल को परिवहन मंत्री बनाया गया। सीबोह्ल करीब 15 वर्ष तक मंत्री पद पर बना रहा।

1961 में जमन पार्टी तथा रिपयूजी पार्टी ने मिल कर समग्र जमन पार्टी का निर्माण किया लेकिन बुन्देस्टाग के चुनावों में इस सिर्फ 2.8 प्रतिशत मत मिले अतः उस प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ। 1965 के बुन्देस्टाग के चुनावों में समग्र जमन पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। इसका बाद सघीय स्तर पर यह पार्टी गायब हो गई। कुछ राज्यों में इसका प्रभाव बना रहा।

शरणार्थी दल

शरणार्थी दल समग्र जमन गुट, निष्वासित एवं मताधिकारहीन व्यक्तियों का (जी बी / बी एच ई) इतन बड़ नाम वाला शरणार्थी दल 1950 में स्थापित

इस दल के प्रतिनिधि बुन्डेसटाग में पहुँचने में सफल रहे। इन्होंने नात्सियाँ को दी गई सजा का विरोध किया। मित्र राष्ट्राँ पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया तथा उग्र जर्मन राष्ट्रवाद का समर्थन किया। 1952 में इस दल के नेता का गिरफ्तार कर लिया गया।

सोशलिस्ट राईश पार्टी

1949 में इस पार्टी का गठन हुआ। यह पार्टी नात्सा समर्थक पार्टी था अतः भूतपूर्व नात्सी लोग निष्कासित व्यक्ति तथा युद्धबन्दी इस दल की ओर आकर्षित हुए। इस दल के प्रमुख नेता थे—डा. फ्रिज डाल्स, जनरल आगो अस्ट, रेमर, बाल्फ काउण्ट फान वेस्टाप तथा डा. गेरहार्ड क्रूगर—य सब लोग हिटलर के नात्सी दल या विविध रक्षक दलों से सम्बद्ध थे। 1951 में लोअर सेक्सनी राज्य की विधान-सभा के चुनावों में इस दल का 11 प्रतिशत तथा ग्रमन नगर राज्य में 8 प्रतिशत के लगभग मत मिले। नात्सी लोगों के इस प्रभाव का मुकाबला करने के लिए संघीय सरकार ने नवम्बर 1951 में संघीय संवैधानिक न्यायालय में मुकद्दमा पेश करवा दिया इस दल पर हिंसा फैलाने तथा बसिक ला का उत्तथन करने का आरोप लगाया। न्यायालय के आदेश से अक्टूबर 1952 में इस दल पर प्रतिबंध लगा लिया गया।

जर्मन राईश पार्टी

सोशलिस्ट राईश पार्टी पर प्रतिबंध लगाने के बाद उसके पद चिह्नो पर ही जर्मन राईश पार्टी का निर्माण किया गया। इनका नेता था—एडोल्फ फान थाडेन। पहले यह व्यक्ति जर्मन दक्षिण-पश्चिम दल का ओर से बुन्डेसटाग का सदस्य था। 1953 व 1957 के चुनावों में जर्मन राईश पार्टी को काफी मत मिले किन्तु 5 प्रतिशत से कम थे। राइनलैण्ड-पेल्टानट नामक राज्य के न्यायालय ने इस दल पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी

1964 में इस पार्टी का जन्म हुआ और अगले ही वर्ष 1965 के चुनावों में इसे राष्ट्रीय स्तर पर 2 प्रतिशत मत मिले। इसका नेता बर्दी एडोल्फ फान थाडेन था। आगामी वर्षों में कई राज्यों में इस दल का विधान-सभामें मत स्थान मिला किन्तु संघीय स्तर पर इसे 5 प्रतिशत मत नहीं मिलने के कारण बुन्डेसटाग में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। इस दल को भी नवनात्सी दल कहा जाता है किन्तु एस. छाट-माटे दक्षिण-पश्चिम दल से फडरल जर्मनी का मित्रहान कोर्न स्तर पर प्रतीत नहीं होता। इन दलों को राष्ट्रीय स्तर पर कोई लोकप्रियता भी प्राप्त नहीं है।

धार्मिक पुनरचना-संघ

धार्मिक पुनरचना-संघ नामक दल कुछ वर्षों तक अस्तित्व में लोकप्रिय रहा

तकिस दल के भातर घापमा मनभेन क कारण शीघ्र ही यह प्रभावहीन हा गया ।

सेक्टर पार्टी

युवातर मन्त्र पार्टी बाल्मार-भागतन का मन्त्र पार्टी का ही प्रतिरूप है तकिन हमम कुट्ट वामपथा भक्ताव क नाग रह । यन कारण है कि यह मन्त्र-भरों म वामकर हर मन्त्र - ग्रामपाम ना-लिय रहा । यन उ-वचनाय है कि आर्थिक व सामाजिक प्रगति पर सेक्टर पार्टी न साजन डमात्रिक पार्टी का समर्थन किया तो घम सम्पत्ति तथा गिना क सामना म त्रिचिचयन डमात्रिक यूनियन क साथ मतदान किया । प्रथम वृत्तमग म हम दल क 10 मन्म्य थ । वस हम दल का प्रभाव नाय रा-न-वम्पफातिया रा-न में ही अधिक रहा । क्रमन यह प्रभावहान हा गया ।

ववेरियाड पार्टी

ववेरियाड पार्टी एक कट्टर त्रिचिचयनी दल है ज्मा कि नाम म हा विरिति है । यन ववेरियाड म मगति न शौर वचना नारा है ववरिया ववरिया क वामिया क लिए । यन दल ववेरिया का एक स्वतंत्र रा-न मानता है । हमका नेता है—डा जामफ वाउम गा-नर ना ववेरियाड परम्परा पर नार देन नए मुन्त्र सपदात तथा स्थानाय वृषकों क लिया का मर तक है । 1949 म हम दल का ववेरियाड म 21 प्रतिशत मत मिने तथा प्रथम वृत्तमग म हम कुट्ट मन्म्य भी थ । बाल् म रा-नाय स्तर पर यह प्रभावहान हा गन तकिन ववेरियाड म अब नी हमका प्रभाव है ।

समग्र जमन जनता पार्टी

समग्र जमन जनता-पार्टी का गठन 1952 में हुआ । हमक सम्थापक थ—डा गुम्पाफ नन्त्रु रा-नमान तथा श्रामता नन वनन । डा हा-नमान पहन त्रिचिचयन डमात्रिक यूनियन - मन्म्य थ तथा प्रथम कुन्नेमगाव क सम्म्य शौर घाडनघावर मत्रिमण्टन म गुन् मत्री भी थ । 1950 म उन्हान नना म मतभन हान क कारण मत्रा-पन म प्रागपत्र न लिया । वह पहन शौर अत्रिम मत्रा न विहान जमनी में प्रागपत्र लिया है । यन दल अर्थिक प्रभावनाता नहा बन पाया शौर 1957 म हम भग कर लिया गया । डा हा-नमान तथा श्रीमती (फा-) वनन मा-नन डमोत्र टिक पार्टी क त्रिक पर वृत्तमग क लिए चुन गए । बाल् म डा हा-नमान हसा दल का अर म रा-नपति चुन गए ।

तीन प्रमुख दल

यह उ-वचनाय है कि ऊपर लिखिन 21 दला म म शपथाकृत बहून कम राजनीतिक दला का वृत्तमग म प्रतिनिधित्व मिता । बाल् म नका मन्म्य शमशः कम शान हान सिफ तीन दल हा वृत्तमग म रह गये । नन दला क नाम इस प्रकार है —

- (1) साल डेमोक्रेटिक पार्टी (एस डी डी)
- (2) क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनिऑन (सा० जी० यूू बवरिया का क्रिश्चियन साल यूनिऑन ना वुन्टेपटा म इसी दल क साथ मिल कर काय करती है। प्रस्तुत पुस्तक म दना दना क बिग एक ही नाम का प्रयोग करेगे)
- (3) फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी (एफ डी पा)

निम्नांकित पृष्ठा म हम इन तीन महत्वपूर्ण दलों क बारे म विस्तार से बचा करेगे।

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी

यूरोप क समाजवादी आन्दोलन म जर्मन साल डेमोक्रेटिक पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह यूरोप क प्राचीनतम समाजवादी दल म से एक है। जर्मनी के राजनीतिक दल म भा यह दल सबसे अधिक अनुमानित एवं प्राचीन है। इस दल को 1871 क बाएँ बिस्मार्क का तथा 1933 क बाएँ हिटलर क दमन का सामना करना पड़ा। इनके सत्ता पर प्रतिबंध लगाया गया समाचार-पत्रों का प्रकाशन रोक दिया गया। समाज पर पाबंदी लगी तथा इनके सत्ता पर क्रूर अत्याचार किये गये। इनके बावजूद दल क सत्स्य निष्ठापूर्वक अपने राजनीतिक दान एवं आन्दोलन को बचाते रहे।

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का इतिहास 100 वर्ष से अधिक प्राचीन है। इनका स्थापना 1863 म हुई। अध्ययन की सूविधा की दृष्टि से इन दल क इतिहास का पाठ भाग में विभाजित किया जा सकता है—

- (1) प्रारम्भिक अवस्था 1863-1891
- (2) विकास का युग 1891-1905
- (3) जन आन्दोलन का संगठित रूप 1905-1933 (सत्तरवाँ 12 वर्ष तक दल पर-कानूनी घातित रहा)
- (4) द्वितीय युद्ध के पश्चात् पुनर्गठन 1945-1959
- (5) मजदूर माग की नीति 1959-1977

प्रारम्भिक अवस्था

फर्दिनेंड लासाल नामक व्यक्ति ने 1 मारच 1863 म जर्मन श्रमिक-संघ नामक एक दल का गठन किया। प्रसिद्ध समाजवादी लेखक स्वर्गिय काल हाउसफी के फ्रेडरिख एंगेल्स जर्मन समाजवादी दल को उत्पत्ति को एक व्यक्ति का काय माना जाएँ ता यह दल फर्दिनेंड लासाल का काय था। 23 मर्च 1863 म समस्त जर्मनी से 15 समाजवादी प्रतिनिधि लाइप्सिग नामक नगर म एकत्रित हुए और उन्होंने अपने दल का नाम 'समग्र जर्मन श्रमिक-संघ' रखा। लासाल भी इन प्रतिनिधियों म से एक था। यही दल 1869 म सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी क रूप म गठित किया

गया। इस प्रकार नामान्द दल का सम्पापक तथा जनक था तथा आज तक इस दल पर उसका च्यत्तिव की अमित छाप है।

यद्यपि नामान्द को समाजवाद् म आस्था थी त्किन् वह माक्स न जो जमनी म पदा हुआ सिद्धात्ता स पूरण सहमन नहा था। यही कारण है कि मानस व एगे म उसका नापमत् थ। नामान्द तो नामान्द को भावी श्रमिक-तानाशाह तक कहा। शीघ्र ही नामान्द का आगुम्द बदन व विट्म नीवकनस्त नामक दो सहायी मित्र जिन्हान जमन समाजवादी आन्दानन का विचार भूमि प्रदान की तथा उस प्रगति का अर अग्रसर किया। विट्म नामकास्त न 1848 की जमन क्रांति म भाग लिया तथा उसे भाग कर नामान्द म शरण गी पगी जहा वह 1862 तक रहा। बाद म वह नीव कर जमनी आ गया। आगुम्द बदन (1840-1913) ने नामान्द जमनी म समाजवादा आन्दानन को गति प्रदान की। नामान्द के छम म एक नवीन व्यक्ति न भी प्रवण किया जिसका नाम था जाहान वट्टिम फान श्राट्टर। इस व्यक्ति का भक्ताव विस्मारु की अर था। यही कारण है कि नीवकनस्त व बवेन म उसका मतभेद हा गया निमक फनस्वरुप दो दल बन गए। नामान्द की मृत्यु के बाद दाना नामान्द म मतभेद और बढ।

7 अगस्त 1869 का आन्दानन नगर म बदन के दल न एक नवीन दल का गठन किया जिसका नाम नामान्द नामान्दिक नवर-पार्टी रखा गया। त्किन् शीघ्र ही दोना दल नामान्दवात्तिया तथा आन्दाननवात्तिया को समझ म आ गया कि आपसी सघप द्वारा व न कवन अपना शक्ति न नुपयोग कर रहे हैं वरन् पुत्तिम के नामान्द व भी शिकार हा रहूँ। एतता द्वारा व पुत्तिम दमन का दृत्तापूवक मुक्तवता कर सकत हैं। 22 म 1875 म गोथा नामक नगर म दाना दल ने मित्रकर नया राजनातिक दल बनाया जिसका नाम नामान्दिक नवर पार्टी आक जमनी रखा गया। नवीन दल म जननातिक समाजवाद तथा साम्यवादी सिद्धात्ता का मित्र जुता नुप प्रस्तुत किया गया था। दल के कायन्म म इतिहास म गोथा कायन्म (1875) एक मीन का पत्थर है।

गोथा-कायन्म व अनुसार - अन्दी समस्त धन तथा समस्त सस्कृति का आधार है श्रीग सामान्य तथा नारा उपयोगी थम सिफ समाज नारा ही समव बनाया जाता है अत समस्त धन और सस्कृति समाज नामान्द नामान्द समस्त सदस्या की सम्पत्ति है वनमान समाज म उत्पादन व ममी माघना पर पू जीपति-वग का एकाधिकार है जिमर परिणामस्वरुप मनदूरा का ममी प्रकार का दासता विपत्ति तथा गुनामी का शिकार हाना पडता है। इस धापणा म साम्यवादी प्रभाव का स्पष्ट सकत है त्किन् नामान्द नारा प्रस्तुत मार्गे जनतातिक प्रगति की गोर सकेन करती हैं। य मार्गे इस प्रकार हैं—

- (1) भावतिक समान प्रपण तथा गुण मनान नारा सभी विषयी समाघो का चुनाव किया जाये।

- (2) जनता द्वारा प्रत्यक्ष या सीधे चुनाव करने का अधिकार हो।
- (3) युद्ध तथा शांति सम्बन्धी निर्णय जनता द्वारा लिये जायें तथा।
- (4) संकटकालीन व प्रसाधारण कानूनों को समाप्त किया जाए।

इस प्रकार गोथा-कायक्रम द्वारा एक जन-कल्याणकारी राज्य की स्थापना की मांग की गई। मार्क्स और एंगेल्स इस कार्यक्रम से सतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने इस कार्यक्रम को लासनेवादिवादी के प्रति आत्म-समर्पण बताया। समाजवादीयों की उत्तरात्तर बढ़ती लोकप्रियता से जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क घबरा उठा। वह ऐसे अवसर की तलाश में था जिसका नाम उठाकर समाजवादीयों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा सके। 1878 में जर्मन सम्राट की हत्या के दो असफल प्रयास किए गए। तत्काल बिस्मार्क ने समाजवादीयों पर हत्या के पडव्यत्र का आरोप लगाया तथा 19 अक्टूबर 1878 में समाजवाद विरोधी कानून पारित किया गया। इस कानून द्वारा चांसलर ने सभी नमिक सगठनों पर प्रतिबंध लग दिया। उनके प्रवक्ता जन कर लिए गए तथा समाजवादीयों द्वारा समाजवादी के आयोजन पर रोक लगा दी गई। प्रति दो वर्ष बाद इस कानून का नवीकरण किया गया और इस प्रकार 1890 तक यह कानून जारी रहा। दल के अधिकांश नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया या देश से निष्कासित कर दिया गया।

1890 में केजर (सम्राट) विलियम तृतीय सिंघसन पर बठा। उसने बिस्मार्क के साथ मतभेद होने के कारण समाजवाद विरोधी कानून को समाप्त कर लिया। 1878 से 1890 तक समाजवादीयों ने अपनी गतिविधियां जारी रखी तथा वे निम्नीय डम्मीनवारों के रूप में चुनाव भी लड़ते रहे। प्रतिबंध हटने के एक वर्ष बाद (1891) समाजवादीयों ने एरफुट नगर में दल का सम्मेलन बुलाया। एरफुट-कायक्रम पर समाजवादी नेता काल काउटस्की के अस्तित्व की स्पष्ट छाप है। यह मार्क्सवाद से प्रेरित था और इस प्रकार इस कार्यक्रम पर साम्यवादी घोषणा-पत्र (कम्युनिस्ट मनीफेस्टो) का प्रभाव दीर्घ पड़ता है। लेकिन कई मायों ऐसी भी रखी गई जिससे दल का सुधारवादी तबका-सतुष्ट रहे। सन्धि में एरफुट कार्यक्रम में भी समर्थन की विचारधारा स्पष्ट है फिर भी एरफुट-कायक्रम गोथा कार्यक्रम की तुलना में मार्क्सवाद से अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित था।

जर्मन समाजवादी आन्दोलन प्रारम्भ में ही दो भिन्न धाराओं के बीच डूबता उतरता रहा। एक ओर नासान श्वार्टत्तर वनस्टाईन तथा फोनमार जैसे व्यक्ति थे जो जनताधिक समाजवाद के पोषक थे दूसरी ओर सीवनेस्त बेवेल तथा काउटस्की जैसे तप थे जो मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे। दोनों पक्षों में कार्यक्रम व नीतियों सगठन के मुद्दों को लेकर भारी मतभेद था। इस प्रकार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का इतिहास एक द्वेष-परम्परा का विकास रहा है। सभी उनके कार्यक्रम सुधार अधिक थे तो सभी मार्क्सवाद का अधिक पुट उनमें दिखा दिया। लेकिन एक

पूरे 14 वर्ष तक यह दल एक प्रभावशाली दल के रूप में बना रहा लेकिन शीघ्र ही साम्यवादी दल ने अपनी स्थिति मजबूत करने में सफलता प्राप्त कर ली। प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा निर्मित गोरलिट्ज कार्यक्रम दल की दार्शनिक परम्परा तथा कार्यक्रम के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

हिटलर के सत्ता में आने (1933) के पूर्व 1920 से 1933 के बीच जर्मनी में 21 मन्त्रिमण्डल बने और विघटित। इनमें सिर्फ एक साशन डेमोक्रेटिक चान्सेलर बना। इसका नाम हुम्बोल्ट था जिसने 1928 से 1930 तक शासन किया। लेकिन जिला तथा राज्य-स्तर पर समाजवादीयों ने कई बार सरकारों का निर्माण किया। हिटलर जर्मनी के राजनीतिक स्थिति पर एक धूमकेतू की भाँति उदय हुआ और 12 वर्ष (1933-1945) तक अग्र दलों की भाँति समाजवादी दल पर भी गैरकानूनी लगा दी गई। यह उल्लेखनीय है कि जब हिटलर ने एनेर्वालिग एक्क के माध्यम से समस्त शक्तियाँ अपने हाथों में केंद्रित करनी चाहीं तो राईशटाग (जर्मन लोक सभा) में सिर्फ 93 सोशल डेमोक्रेटिक सदस्यों ने ही उसका विरोध किया।

1945 के बाद

वाईमर जनतंत्र की अवधि में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी मार्क्सवाद से काफी प्रभावित रही यद्यपि वह मार्क्सवाद नातिकारी न होकर समवाचित परिवर्तन का समर्थक ही रहा। लेकिन फिर भी जब कभी किसी समस्या का सद्धान्तिक आचार बूझना और उसका समाधान करना होता तो मार्क्सवाद के शास्त्रागार से हथियार निकालने की आवश्यकता पड़ती। शीघ्र ही महायुद्ध के बाद भी मार्क्सवादी परम्परा का प्रभाव बना रहा। 1945 में जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का पुनर्गठन हुआ तो उसका नेतृत्व कुट शुमाखर नामक व्यक्ति के हाथ में आया। यह व्यक्ति वाईमर जनतंत्र के जमाने से ही सक्रिय समाजवादी था तथा इसने अपना जीवन एक सम्पादक के रूप में आरम्भ किया था। शुमाखर 1924-1931 तक ब्यूरोक्रैटिक राज्य की विधानसभा का सदस्य रहा तथा 1930-33 तक जर्मन राईशटाग का सदस्य। वह इतना निश्चय था कि उसने गोएबल्स को डीठ खोना कहने का साहस किया। हिटलर ने शुमाखर को यातना केंद्र (कंसन्ट्रेशन कैम्प) में भेज दिया जहाँ बीमारों की अवस्था में इसकी एक टांग व एक हाथ खराब हो गये। 1948 में उसकी वाई टांग काटनी पड़ी। शुमाखर एक निष्ठावान तथा उद्देश्यों से युक्त नेता था साथ ही वह व्यंग्य व कटुता से परिपूर्ण तथा समझौता विरोधी दृष्टिकोण वाला था। 1952 में उसकी मृत्यु हो गई। शुमाखर का जर्मन राजनीति का मार्टिन लूथर कहा गया है।

कुट शुमाखर की मृत्यु के पश्चात् एरिख प्रालिनहावर दल का नेता बना। वह नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। नात्सी युग में वह प्राग पेरिस व लन्दन में निर्वासित व्यक्ति के रूप में रहा। प्रालिनहावर 1949 से 1963 (मृत्यु-पर्यन्त) बुन्देसटाग का सदस्य रहा।

1964 में विलि ब्राण्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष बना लेकिन इसका पूर्व 1961 के चुनाव में उसने अपना दल की ओर से चुनाव नहीं लड़ा तथा बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में वह चांसलर पद का प्रत्याशी था। ब्राण्ट हिटलर के कान में क्रूर दमन चक्र में दबने के लिए नार्वे चला गया था तथा उसने वहाँ की नागरिकता प्राप्त करनी थी। तृतीय महायुद्ध के बाद वह नार्वे की ओर से राजदूतावास में सूचना अधिकारी बन कर आया। शीघ्र ही उसने पुनः जर्मनी की नागरिकता स्वीकार कर ली तथा बर्लिन स्थित सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में सन्निध हो गया। शीघ्र ही वह पश्चिमी बर्लिन का मेयर बन गया और अपने गतिशील यत्न के कारण उसने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली। 1966 में वह त्रिश्चयन डेमोक्रेटिक यूनियन व साशन डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा निर्मित मिनेजुल मनिमण्डल में वार्स चांसलर (उप प्रधानमंत्री) तथा विदेश मंत्री बना। तीन वर्ष बाद ब्राण्ट चांसलर बना तथा 1974 में इसने चांसलर पद से इस्तीफा दे दिया। तत्पश्चात् उसी दल का हनुमुठ शिमडट चांसलर-पद पर आसीन हुआ।

इसके अतिरिक्त फिट्ज एलर तथा हबट वेह्नर गुस्टाफ हाइनेमान तथा कार्लो शिमन्ट नामक व्यक्ति साशन डेमोक्रेटिक पार्टी में काफी प्रभावशाली रहे। 1967 में एलर की मृत्यु हो गई। वह सुधारवादी प्रवृत्ति का याकत था। हबट वेह्नर आज भी दल के समूह में प्रभावशाली स्थान रखता है। गुस्टाफ हाइनेमान ने पश्चिमी जर्मनी के राष्ट्रपति पद का भी सुशासन किया था।

सोशल डेमोक्रेटिक कार्यक्रम

युद्धोत्तर काल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यक्रम का सम्बन्ध अध्ययन करने की दृष्टि से उसे दो भागों में बाटना उचित होगा। यह वर्गीकरण इस प्रकार है—

- (1) समाजवादी सिद्धान्तों पर अधिक बल (1945-1958)।
- (2) जनतांत्रिक समाजवाद की ओर (1959-1977)।

प्रथम काल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने उत्पादन वितरण तथा विनिमय के साधनों पर राज्य के नियंत्रण की बात की तथा राष्ट्रीयकरण की मांग पर जोर दिया तथा अर्थ-व्यवस्था पर सामाजिक नियंत्रण की वकालत की। समाज को पवित्र से ऊपर माना गया। दल अत्यधिक सिद्धान्तवादी था और परम्परागत दृष्टि पर चढ़ने को तत्पर था। उसने देश के बदलते स्वरूप व परिस्थितियों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। खास कर कुट शूमाखर के समय ऐसा सिद्धान्तवादी दृष्टिकोण अधिक प्रभावी रहा। उनकी मृत्यु के बाद 1952 में स्थिति में कुछ परिवर्तन आया। अन्तिमहावर यद्यपि सद्वाचिक दृष्टि से शूमाखर के निकट था लेकिन उसकी 'यावहारिक बुद्धि के कारण कार्यक्रम में समन्वय व समझौते के लिए कुछ स्थापित रहा। 1956 के बाद दल के नेतृत्व ने अनुभव किया कि यदि दल के कार्यक्रम में जनतांत्रिक सिद्धान्तों को पथोचित स्थान नहीं दिया गया तो वह न केवल अक्षय प्रिय रहेगा बल्कि निवृत्त

भविष्य में सत्ता प्राप्ति का सपना सपना ही रह जाएगा। निरन्तर चिन्तन विचार विमर्श तथा सलाह के बाद 1959 में बाइगाइसबर्ग नामक नगर में (जहाँ यह बान नगर का हिस्सा है) सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ। इसमें राष्ट्रीयकरण एवं राज्य के नियंत्रण को बहुत कम महत्त्व दिया गया तथा समाज की सुलना में व्यक्ति का अधिक महत्त्व प्रदान किया गया।

1959 के बाइगाइसबर्ग कार्यक्रम की स्वीकृति के साथ ही लोकतान्त्रिक समाजवादी प्रवृत्ति की निर्णायक जीत हुई और राष्ट्रीयकरण के समर्थकों का पराजय स्वीकार करनी पड़ी। तत्पश्चात् दल की लोकप्रियता में भी वृद्धि हुई।

राष्ट्रीयकरण का प्रश्न

जिसाकि स्पष्ट किया जा चुका है जर्मन समाजवादी आन्दोलन विभिन्न दिशा-धाराओं—साम्यवादी और सहोपधनवादी—के बीच भ्रूणता रहा है। यही बात युद्धोत्तर जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से वारे में नापू होनी है। राष्ट्रीयकरण का सिद्धांत समाजवाद के सिद्धांतशास्त्रियाँ के लिए एक पवित्र सिद्धांत रहा है। 1945 से 1952 के बीच दल ने अधिकाधिक उत्पादन-साधना के राष्ट्रीयकरण की दिशा में प्रवृत्ति बराबर जारी रखी। 1949 के बाद जब क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनिन (सी डी यू) की सरकार ने बाजार अर्थनीति का अनुसरण किया तो उसकी निन्दा की गई तथा इस पृष्ठभूमियों के एकाधिकार का पुनर्स्थापना की सजा दी गई। साथ ही साथ यह मांग की गई कि राईन तथा रूर क्षेत्र में स्थित प्रमुख उद्योगों की निजी हथियों में से निकाल कर सांख्यिक नियंत्रण में दे दिया जाय। समाजवादी राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण का राग धनापत रहे लेकिन तत्कालीन सी डी यू सरकार ने मुक्त बाजार तथा निजी उद्योगों की सहायता के देश में आर्थिक पुनर्रचना के कठिन कार्य को सम्भव कर दिवाया। 1953 में दुबारा चुनाव हुए और जनता ने समाजवादियों से अधिक मत क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनिन को दिए। 1953-57 के बीच और अधिक आर्थिक उन्नति हुई और द्वितीय महायुद्ध नष्टप्राय एवं ध्वस्त जर्मनी को पुनः एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया गया। यह सब मुक्त अर्थ-व्यवस्था स्वतंत्र बाजार और निजी उद्योगों की सहायता से ही सम्भव हो पाया। यत जनता सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को क्यों बोट देने लगी? समाजवादी दुविधा में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। सिर्फ राष्ट्रीयकरण या नियोजित विकास के नारे की रणनीति से तो मत मिलने लगे। इसी बीच 1957 में तीसरे आम चुनाव हुए जिसमें क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और प्रतिक्रियावादी समाजवादियों की निरन्तरता का पारावार न रहा। उन्हें भग्नूर हावर राष्ट्रीयकरण के पुनर्नारे को छोड़ना पड़ा। 1959 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने बाइगाइसबर्ग कार्यक्रम बनाया जो समाजवादी कम और जनताधिक अधिक था। इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक ब्रिटिश लेखक ने तो यहाँ तक कहा कि बाइगाइसबर्ग

राजनीतिक चेतना फूकनी होगी। साशन डमाकटो की मायता थी कि शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र विचार सहिष्णुता तथा सामाजिक दायित्व के प्रति जन चेतना का जागृत करना है। जन ने मांग की कि शिक्षण संस्थाओं के व्यवस्थापन में अभिभावक तथा छात्रों को सह निराय का अधिकार दिया जाना चाहिए। शिक्षा-व्यवस्था की सफलता इस बात में निहित है कि वह बौद्धिक स्वतंत्रता तथा जनतांत्रिक भावनाओं का सुदृढ़ कर तथा साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय बंधुत्व के विचारों का प्रोत्साहन भी दे।

साशन डमोक्रेटिक पार्टी के 1959 के कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सभी लोगों को स्वतंत्रतापूर्वक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा को विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए। स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों का युवकों में पारस्परिक सम्भाव सहिष्णुता के सम्मान की भावना भरनी चाहिए। युवकों का स्वतंत्रता तथा सामाजिक दायित्व के साथ ही साथ जनतंत्र के आदर्शों और अन्तरराष्ट्रीय सम्भाव का पाठ भी पढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्राण नागरिक की शिक्षा शामिल होनी चाहिए।

दलीय सगठन

सोशन डमोक्रेटिक पार्टी एक बहुत ही सुमंगल शक्ति है तथा दल का कायवाही जनतांत्रिक तराक पर आधारित है। जमनी में सगठन की दृष्टि से राजनीतिक दलों का दावों में बाटा जाता है

(1) सन्स्यो मुख दल

(2) चुनावो मुख दल।

प्रथम दल का दल सगठन में सदस्यों की प्रतिक महत्व देता है जबकि दूसरे दल का दल चुनावों में अधिक त्तिचस्यो रखता है और सगठन में कम। 1972 में इस दल के 9 00 000 सदस्य थे। यही कारण है कि इस सन्स्यो मुख दल का नाम से जाना जाता है। यदि जमनी के तीन प्रमुख राजनीतिक दलों की तुलना की जाए तो त्तिच होना कि 1964 में सोशन डमोक्रेटिक पार्टी के 6 78 484 सन्स्य फ्रिचियन डमोक्रेटिक यूनियन के 3 00 000 तथा फ्री डमोक्रेटिक पार्टी के सगठन 81 000 सदस्य थे।

दल की रचना

वात्मार-गणतंत्र में भी सोशन डमोक्रेटिक पार्टी 20 जिला इकाइयों में बनी है और आज भी यही स्थिति है। जिन से नीचे स्थानीय इकाई क्षेत्र विभाग की रचना आदि इकाइयों हैं। राज्य-स्तर पर तथा संघ स्तर पर भी संस्था गठन होता है। संघ स्तर पर पार्टी कायस इयका सर्वोच्च दल होता है। पार्टी कायस या 1971 में 300 सदस्य होते हैं जो विभिन्न जिला व राज्य के प्रतिनिधि हों हैं।

- (2) दल की राज्य शाखा के अध्यक्ष
- (3) राज्य विधान सभा दल का नेता
- (4) राज्य के मुख्य-मंत्री या उप मुख्य मंत्री
- (5) सघ-सरकार (यदि उनकी सरकार टूटा ना) व सदस्य-गण ।

परिषद् के सम्मेलन का आयोजन दल की कार्यकारिणी करती है । तीस माह में सामान्यतया परिषद् की बैठक होनी है लेकिन परिषद् के एक तिहाई सन्स्था की विशेष प्राथना पर असाधारण बैठक बुलाई जाती है । दल की कार्यकारिणी विविध विषयो—जस विदेश नीति अथ नीति गृह-नीति तथा पार्टी संगठन व मुद्दा पर निर्णय लेने से पूर्व परिषद् के विचार सुनता है । इस प्रकार कार्यकारिणी के निर्बुद्ध होने का पतरा टालने के लिए तथा विभिन्न राज्यो की शाखाओ को उचित महत्व देने की दृष्टि से परिषद् की स्थापना की गई है ।

दल नियंत्रण आयोग

साशुल डेमाकट लागू कार्यकारिणी के अत्यधिक प्रभावपूर्ण होने की स्थिति से बचना चाहते थे । उसका कार्यो पर नियंत्रण के लिए जहा एक ओर दलीय परिषद् की स्थापना की गई वहा दूसरी ओर एक नियंत्रण आयोग की रचना भी हुई जिसके 9 सदस्य होते हैं । नियंत्रण आयोग का चुनाव प्रति दूसरे वर्ष पार्टी कांग्रेस करती है । हर तीसरे माह इस आयोग की बैठक होती है । नियंत्रण आयोग दल की कार्यकारिणी के कार्यो का पर्यवेक्षण करता है तथा कार्यकारिणी के विरुद्ध की गई शिकायत या अपील की जाच करता है ।

वित्तीय व्यवस्था

किसी भी राजनीतिक दल की निर्णय लेने की स्वतंत्रता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि क्या वह आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र है या किन्ही अन्य सत्थाओ पर निर्भर है । इस दृष्टि से साशुल डेमाकटिक पार्टी भाग्यशाली है । उनके सन्स्था नियमित रूप से दल को सदस्यता शुल्क व अन्य अनुदान देते हैं । न केवल इस तरह की सदस्य सत्था अधिक है वरन् उसका सदस्यता शुल्क भी अधिक है । सन्स्थाता शुल्क प्रति माह चुकाना पडता है । 1964-65 में सदस्यता शुल्क को दूरे तक प्रकार थी —

आय-नी	सदस्यता शुल्क प्रति माह
300 जमना माक	1.5 जमना माक
400	2
600	3
800	5
1000	7

1200	जमन माक	10	जमन माक
1500		15	
1800		20	
2000		30	
2500		40	

1963 म सागत डमाकटिक पार्टी की सदस्यता तुलक के रूप म 145 लाख माकप्राप्त हुए निसम न कवन रोडमरा का व्यय पूरा हो सका वन् कुछ सीमा तक प्रचार का खर्च भी बन सका । एम एन का तुलना म त्रिश्चयन डमाकटिक युनियन व फ्री डमाकटिक पार्टी का सदस्यता तुलक से वलन कम आमदना प्राप्त हानी है । साथ ही पार्टी के कार्यों पर त्रिश्चयन डमाकटिक राग 80 माक खर्च करत हैं जा काफी कम है । एम म 30 लाख माक सदस्यता तुलक म गलन हान घ बाकी 50 लाख का खर्च घन मस्याप्रा का सहायता से प्राप्त होता था । फ्री डमाकटिक पार्टी अपन नगमग समस्त ञय के लिए उदागतिथा व पू नीपतिथा पर आरारित था ।

दलीय समितिया

घान का युग त्रिगेष नान का युग है तथा त्रिविध ममस्याघा—साम्कृतिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक व ममाधान के त्रिण विगपना की सहायता की आवश्यकता हानी है । एम तथ्य का इच्छिन रखन ए मोगन डमाकटिक पार्टी न अपनी नीनिया के पष्ठीकरण के त्रिण विगप समितिया की व्यवस्था की है । य त्नीय समितिया समगय समितिया गरा निर्धारित विषया का घ्यान म रख पर बनाइ जानी हैं । सागत डमाकटिक पार्टी न निम्नांकित विषया पर समितिया का निमाण किया है—
 गित्यानीति मिया की गगा युट पीणित लाग सावतनिक निमाण-काय रेनिया व प्रचार-नीति प्रतिस्था-नीति सामाजिक दशा निष्कामित व्यक्ति जमन-कीकरण विन-नीति कमचारी खतू व परिवन्त-नानि ।

साशल डमोकटिक पार्टी का महत्त्व

विरोधी गतनातिक ञना न गगम्भ म एम दल का क्नी आलाचना की तथा एम नकारात्मक नानि के प्रताक का मना ग लकिन धार धीरे सागत डमोकटिक पार्टी की रचनात्मक नीति के कारण उसका प्रगा होन गगी । 1963 म तो त्रिश्चयन डमोकटिक पार्टी की सरकार के कामचर भाउनआवर न यहा तक कहा कि सागत डमाकटिक पार्टी के बिना आधुनिक फन्टल जमनी के सामाजिक राजनीतिक विकास की कपना नहा की जा सकती । दश के स्वतय सगठन तथा पितृ भूमि को इय एन नारा दो गल सवापी की कोर् मो व्यक्ति खवलना नर्ने कर सकता ।

1966 मे तो सागत डमोकटिक दल ने त्रिश्चयन डमोकटिक

र मिन

कर मिली-जुली सघीय सरकार का भी निर्माण किया। 1972 में जब मध्यावधि चुनाव हुए तो स्वयं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में सरकार का निर्माण किया। जर्मन जनता में जनतन्त्रीय भावनाओं के विकास के क्षेत्र में इस पत्र का भारी योगदान रहा है।

सोशल डेमोक्रेटिक सरकार में—1865 से 1977 के बीच सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को अधिकांश समय तक विरोधी दल की भूमिका निभानी पड़ी। वार्मर गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति फ्रीडरिच एब्ट तथा एक बार सरकार बनाने के अभाव में दल को अधिकांश समय तक विरोधी दल के रूप में कार्य करना पड़ा। 1949 से (फडरल जर्मनी के निर्माण) लेकर 1966 तक यह दल विरोधी बेंच पर बैठा (यद्यपि कई राज्यों में वसूले मिली जुली सरकारों में भाग लिया)। 1966 में जब फ्री डेमोक्रेटिक लोगो ने त्रिशिचयन डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ दल मंत्रिमण्डल को त्याग दिया तो उसके स्थान पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में प्रवेश किया। 1949 से 1974 तक जर्मन सरकार की रचना इस प्रकार रही—

वर्ष	सरकार में शामिल दलों का नाम	चान्सेलर का नाम व दल
1949-53	त्रिशिचयन डेमोक्रेटिक यूनियन फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी व जर्मन पार्टी	आदनआवर (त्रिशिचयन डेमोक्रेटिक)
1953-57	त्रिशिचयन डेमोक्रेटिक पार्टी व फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी	आदनआवर
1957-1961	—वही—	आदनआवर
1961-1963	—वही—	आदनआवर
1963-1965	—वही—	बुडविग एरहार्ड (त्रिशिचयन डेमोक्रेटिक)
1965-66	—वही—	बुडविग एरहार्ड
1966-1969	साशन डेमोक्रेटिक व त्रिशिचयन डेमोक्रेटिक पार्टी	किंसिगर (त्रिशिचयन डेमोक्रेटिक)
1969-1972	सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी व फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी	विन्नी ब्राण्ट (साशन डेमोक्रेटिक)
1972-1974	—वही—	विली ब्राण्ट
1974-	—वही—	हानमुन्ड श्पिडट

एन प्रकार 1966 में ही साशन डेमोक्रेटिक त्रिशिचयन डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर सरकार में प्रवेश कर सका तथा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की धारण की विन्नी ब्राण्ट वाईस चान्सेलर (उप प्रधान मंत्री) बन। 1969 में साशन डेमोक्रेटिक पार्टी ने फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। एममें साशन

दमाकृतिज पार्टी का तरफ से बिना ब्राण्ड का मन्तर (प्रधान मंत्री) बन। जून 1974 में बिना ब्राण्ड नाम स्थापना किया और उनका स्थान पर उनके नेतृत्व का हलमुश्मिन्त चामन्तर बन।

सोशल डेमास्ट्रेट राष्ट्रपति

फरत जमनी के मित राष्ट्रपतिता के नाम के कायकान का अध्ययन हम राष्ट्रपति विषयक अध्याय में कर आए हैं। यहाँ हम सात नैमानिक दल के सत्स्य का गुस्ताफ हार्नमान के निवाचन का उल्लेख करेंगे। 1949 से 1969 तक जमनी में या तो फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी या क्रिश्चियन नैमानिक पार्टी ने सत्स्य ही राष्ट्रपति के पद पर धामान गत रहे लेकिन 1969 में आकर सात नैमानिक पार्टी के एक सत्स्य ने राष्ट्रपति बनने में प्रवेश किया। 4 मार्च 1969 का माशन डेमानिक पार्टी ने का हार्नमान तथा क्रिश्चियन नैमानिक यूनियन ने श्री गरहाड थ्रानर का राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया। चुनाव में सफलता की कुंजी सत्स्य का भाति फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ था। जिधर यह दल मत देता वह उम्मात्वार जीत जाता। हम द्वार फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने साधन उम्मात्वार का मत दान की निश्चय किया। जसा कि पहल हीमकस किया था चुका है राष्ट्रपति के निवाचन के लिए विद्युत सघीय मण्डल (सम्मेवन समा) का निवाचन हाना है निमम युत्तमण (नर समा) के समस्त सत्स्य तथा उनका समान सख्या में ही राय विधान समाधो द्वारा सत्स्य भज जात है। 1969 के चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए मतदाताध्या का सख्या 1036 थी। हम से साधारणतः विजय प्राप्त करने के लिए 519 मता की आवश्यकता पडनी लेकिन यदि प्रथम तथा द्वितीय मतदान में भी उम्मात्वार का बहुमत नही मिलता तो तीसर मतदान में जिन व्यक्ति को सबसे अधिक मत मिलते हैं उस राष्ट्रपति घोषित कर लिया जाता है। चुनाव का परिणाम हम प्रकार रहा —

	हार्नमान	गोडर	अवध मत	अन्य स्थत
प्रथम मतदान	514	501	3	5
द्वितीय मतदान	511	507	—	5
तृतीय मतदान	512	506	—	5

हम द्वार तृतीय मतदान में श्री गुस्ताफ हार्नमान राष्ट्रपति घोषित किया गया।¹

1 1974 में पुनः का पतिप के निः चुनाव दल हमसे सात नैमानिक पार्टी ने का दमाकृतिज पार्टी के सत्स्य श्री बालरगोन को समपन प्रदान किया और श्री हीन राष्ट्रपति पुनः लिए गए।

क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सी डी यू)

सामान्यतया हमारे देश में लोगों की यह मान्यता है कि आज़ के पश्चिम के लोग धर्म का बहुत कम महत्त्व देते हैं। लेकिन ऐसा विचार भ्रान्तिपूर्ण है। यह आश्चर्यजनक बात है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप के विभिन्न देशों के अन्तर्गत फ्रांस, इटली व पश्चिमी जर्मनी में जिन देशों में एक शक्ति तब सरकारों का निर्माण किया उनके नाम के साथ क्रिश्चियन (ईसाई) शब्द जुड़ा हुआ था। जर्मनी में भी इसी समय के एक बड़े बड़े समयक एवं अनुयायी कानराइ आन्दोलन का ही 1949 से 1965 तक चान्सेलर का पद धारण किया। इस पद-स्थापना के बाद भी 1969 तक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का चान्सेलर पद जर्मनी पर शासन करना रहा।

द्वितीय महायुद्ध की शक्ति विनाश-शीला से सम्पूर्ण यूरोप घेरा उठा और अधिकांश लोगों के मन में यह धारणा घर कर गई कि धर्म के प्रति उत्तमनीयता तथा अनतिक्रमता के कारण ही यूरोप तथा जर्मनी पर विपत्ति का यह पहलू टूटा था और इससे नास्ती तानाशाही व साम्यवादी तानाशाही के लिए मार्ग प्राप्त हुआ। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता कानराइ आन्दोलन के अपने सम्मरण (ममायस) में लिखा है ईसाई सिद्धांतों की नाव पर ही क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन का प्रास्ताविक खड़ा करना आवश्यक था। ईसायित ही निर्माणक तन्त्र थी। यह नास्तीवाद की भौतिक विचारधारा के स्थान पर ईसाई दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहते हैं। ईसायितिकता को भौतिकवाद के सिद्धांतों पर विजय पानी होगी।¹

क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सी डी यू) ने ईसाई धर्म के मुख्य सिद्धांतों का अपनाया। यह एक नया दन या साथ ही पुराना भी। नया दन अर्थों में कि उसने प्राचीन जर्मन राजनीतिक दलों का परम्परा का कथोलीक व प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को एक राजनीतिक संगठन पर जो खड़ा किया। विचारक के जमाने से लेकर द्वितीय महायुद्ध से पूर्व कथोलीक धर्म के अनुयायियों ने अपना एक अलग दल बना रखा था जिसका नाम था सेंटर पार्टी। अधिकांश कथोलीक इसी दल को मत देते थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एक पुराना दल था। क्योंकि वह जो कथोलीक मतदाता सेंटर पार्टी को देते दन व व सब इस अनुयायी ही गए। इस प्रकार इस दल में प्राचीन सेंटर पार्टी समाहित हो गई।

आइन्सब्रॉकर नवीनाति जानता था कि जब तक दोनों ईसाई सम्प्रदायों के बीच तथा प्रोटेस्टेंट को एकसाथ देने में एकत्रित नहीं किया जाता तब तक एक विज्ञान तथा सुसंगठित दल की स्थापना नहीं हो सकती। सत्ता प्राप्ति के लिए

1 कानराइ आन्दोलन के ममायस 1945-53 कानराइ आन्दोलन के दल के दल (मार्च 1966) पृष्ठ 49।

देना होगा अन्तर्गत की प्रवृत्ति त्यागनी पड़गी। तत्पश्चात् क्योतिको न पूरी तन्त्र से अपने हितों का रक्षा का प्रयास किया।

वाईमार गणतंत्र के समय भी मटर पार्टी की मन्त्रिण एवं शक्तिशाली थी। विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य इसकी स्थिति और भी सुदृढ़ थी क्योंकि वह जिन तरफ मिल जाती उसी पक्ष का पतला भारी हो जाता। मटर पार्टी की महत्त्वपूर्ण भूमिका के स्थान का पता इस बात से चलता है कि 1919 व 1933 के बीच वाईमार जर्मनी में 14 चान्सेलर बन। इनमें से 8 का मन्त्र मटर पार्टी के थे। साथ ही इस दल ने लगभग सभी सरकारों में मन्त्रियों के रूप में भाग लिया। मन्त्र (1933-45) ने अन्त्य वर्गों की भांति क्योटिका पर भी प्रत्याचार किया यद्यपि वह स्वयं भी जर्मन से क्योटिक था। युद्धकालीन अनुभवों ने क्योटिकों को यह विश्वास और भी कूट-कूट कर मंगा कि सरकार एक समय का वाई मिद्धातो के विश्वास पर आधारित होना चाहिये।

आडनब्रावर ने अपने सस्मरण (ममायम) में लिखा है— कई वर्गों में मैं यह विश्वास करता रहा कि हमें एक निश्चिन्त (ईसाई) दल का आवश्यकता है जिसमें दानो सम्प्रदाय क्योटिक के प्रोटेस्टेंट शामिल हैं। सिर्फ इन्हीं प्रकार हम राजनीतिक मामलों में भौतिकवादी विचारधारा का सामना कर सकते थे और सिर्फ इस प्रकार ही जर्मनी में एक नवीन प्रकार का राजनीतिक जीवन आरम्भ कर सकते थे। आडनब्रावर ने आगे लिखा— जीवन के प्रति इसाई दृष्टिकोण ही कानून का एक मात्र संरक्षक है हमारे राष्ट्र की राजनीतिक आधिक्य तथा सांस्कृतिक पुनर्स्थापना के पुनर्निर्माण के लिए ईसायित ही आधार बन सकता है। एक अन्त्य नेता आटा फ्रिक ने तो यदा तक कहा कि— सिर्फ इसाई मिद्धातो के आदेशों (टेन कमाण्डमेंट्स) तथा ईसा द्वारा पहाड़ी पर दिए गए धर्मोपदेश (मरमन आन नी माउण्ट) के आधार पर ही जर्मनी का पुनर्निर्माण हो सकता है। निश्चिन्त नाम के टिक यूनिटन के आरम्भ तथा विनास के दार में विचार करने में पूर्व इस नाम पर ध्यान दिया जाये। इसका प्रथम शब्द है निश्चिन्त जिसका अर्थ है ईसा। यह शब्द धर्म प्राण जनता के लिए भारी आनन्द प्रदान करता था। दूसरा शब्द है— डेमोक्रेटिक यानी जनतन्त्रीय। यह उदार विचारधारा मुक्त ध्यापार तथा जनताधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए आह्वान था। तीसरा व अन्तिम शब्द है यूनिटन जिसका अर्थ है सघ। सघ में तो सभी प्रकार के सदस्यों के लिए स्थान है। अन्त्य यह स्पष्ट हो जाता है कि दल का नामकरण भी कमा जर्मनी अन्त्यधिक मन्त्ररूप में होता है और निश्चिन्त डेमोक्रेटिक यूनिटन नाम विविध वर्गों के मतदानों का आकषित करने के लिए उपयुक्त नाम था।

एनाल्स ज हाईडनहाइमर के अनुसार निश्चिन्त डेमोक्रेटिक यूनिटन तथा डेवेरिया स्थित उसकी सहकारी पार्टी निश्चिन्त सोशल यूनिटन वर्तमान जर्मन इतिहास

का पता चलता है उसी प्रकार किसी भी राजनीतिक दल का प्रारम्भिक परिचय उसके कार्यक्रम—आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि से प्राप्त होता है फिर उस दल के कार्यों का प्रवर्तक एवं "यादृश कर्म" में उसका पूरा परिचय मिला है। इस दृष्टि से किसी भी दल के कार्यक्रम का विशेष महत्त्व होता है।

त्रिश्चयन डेमोक्रेटिक यूनियन ईसाई सिद्धान्त एवं पश्चिमी सभ्यता का आधार मान कर चलता रहा है। इस दल ने आध्यात्मिक मूल्यों का राजनीतिक कृत्यों में उतारन का प्रयास किया है। राबर्ट जो नायमान के अनुसार वर्तमान क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा उसकी वर्तमान स्थित महत्कारी पार्टी क्रिश्चियन सोशल यूनियन अपने राजनीतिक सिद्धान्तों में तथा अपने कार्यक्रमों में उन्हीं आदर्शों का पालन करती है जो यूरोप की अन्य क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टियाँ स्वीकार करती हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस की पापुलर रिपब्लिकन मूवमेंट (एम आर पी)।¹

सांस्कृतिक नीति

इस दल का मूलधार ही ईसाई सभ्यता थी अतः यह स्वाभाविक ही था कि वह सांस्कृतिक पक्ष पर अधिक बल देता। नास्तिक तानाशाही आदर्शों, साम्यवाद व नास्तीवाद के पुनरागम व प्रसार को रोकने के लिए ईसाई धर्म के उन्नत सिद्धान्तों का प्रतिपक्ष निरूपा आवश्यक मानी गई। दल को नैतिक मूल्यों की नींव पर खड़ा किया गया ताकि भौतिकवादी आदर्शों का मुकाबला किया जा सक। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक दल के नेताओं की मान्यता थी कि सभ्यता ही समाज का आधार है तथा समाज के स्वरूप से ही राजनीतिक विचारधारा तथा अर्थ-नीति प्रभावित तथा प्रस्फुटित होती है। दल के आरम्भिक कार्यक्रमों में बार-बार यह बात दुहराई गई कि पश्चिमी ईसाई सभ्यता की शरण पुनः अस्मिन्मुख होना जरूरी है। यह सभ्यता व्यक्ति की गरिमा और महत्त्व पर अधिक बल देती है।

बच्चे का समाज में क्या स्थान हो इस सम्बन्ध में दल के नेताओं की मान्यता थी कि गिरजाघरों तथा धार्मिक संघों को राज्य द्वारा सुरक्षा व सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए ताकि वे अपनी गतिविधियों का चलान में स्वतंत्र एवं मुक्त रह सकें।

नेहाईम ह्यूस्टन नामक स्थान पर क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने जो कार्यक्रम तैयार किया उसमें परिवार की समस्या पर विशेष बल दिया गया। फ्रान्को-आइजनावर ने जनता व राज्य के लिए परिवार को मूलभूत महत्त्व की समस्या माना। धर्म ईसाय्यत तथा ईश्वर का इस दल के कार्यक्रमों में बार-बार उल्लेख मिलता है। 1959 में हाम्बुर्ग नगर में आयोजित पार्टी सम्मेलन में वास्तव में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक नेता काल एर्नाल्ड ने कहा ईश्वर इतिहास का नियता एवं स्वामी है और रहता। मानव को ईश्वर का प्रादेश है कि वह ईश्वर की इच्छा के अनुरूप विश्व का निर्माण

समुचित मात्रा में सम्पत्ति के भ्रजन का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस तन्त्र में न मुक्त-बाजार अर्थव्यवस्था या सामाजिक बाजार अर्थ नीति का पालन करने पर बल दिया। क्योंकि इसी दल का सरकार बनी अतः उसने इस नीति का पालन भी किया। लेकिन इसमें यह भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए कि यह तन्त्र एक शोषक व तन्त्रकारी पूँजीवादी व्यवस्था का पापक था। यह दल मजदूरों की समस्याओं के प्रति भी सजग था तथा इसने उद्योगों तथा कारखानों में सह-निर्णय (कोऑपरेटिविज्म) को लागू किया जिसके अनुसार उद्योगों व कारखानों के संचालन के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया जिसमें मजदूर प्रवक्ता (या यानिफ) तथा सरकार के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर निर्णय लेते थे। क्योंकि निर्णयों में मजदूर व कर्मचारी भी शामिल होते थे अतः तन्त्र में सह-निर्णय बहाल है। मजदूर व कर्मचारी जनतांत्रिक तरीके से अपने प्रतिनिधि चुनते तथा उन्हें प्रवक्ता परिषद् में भेजते थे।

त्रिपक्षीय डेमोक्रेटिक यूनिशन यद्यपि मन्त्र निजी व्यापार व निजी उद्योग का प्रोत्साहन देने के पक्ष में रहा लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं रहा कि देश के समस्त आर्थिक साधन कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाए। स्वतंत्र व्यापार व कर्मा के पक्षपाती इस दल के शासन काल में बड़े महत्त्वपूर्ण उद्योग सरकार के नियंत्रण में लिए गए जिनमें तथा फोल्क्सवागन (Volkswagen) माटर-कार के संचालन के लिए सरकार ही निम्नकार रही। फोल्क्सवागन नामक गाड़ी का कारखाना यद्यपि सरकारा नियंत्रण में रहा लेकिन उसके प्रबंधकों में निजी व्यवसाय के लोगों का भी पद लिया गया तथा उसे एक व्यापारिक प्रतिष्ठान के रूप में संचालित किया गया।

लुडविग एरहार्ड जो पहले त्रिपक्षीय डेमोक्रेटिक यूनिशन की सरकार के आर्थिक मामलों का मंत्री था तथा बाद में चांसलर भी बना और तन्त्र सामाजिक बाजार-व्यवस्था अर्थ नीति का जनक कहा जाता है न देश की अर्थ-नीति व शक्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में केंद्रित नहीं हो जाए इस तथ्य का ध्यान में रखते हुए कार्टेल-कानून (Cartel Law) बनाए। यह उल्लेखनीय है कि एरहार्ड द्वारा निर्मित आर्थिक नीतियों के आधार पर ही अष्टप्राय जर्मनी पुनः समृद्धि के पथ पर अग्रसर हुआ और 10-12 वर्षों में ही जर्मनी का अर्थ-तन्त्र काया-काल हुआ गया कि आज तन्त्र 'समाजिक समतुल्यता' (इकॉनॉमिक मिरेक्ल) की सना तन्त्र है। 15 वर्ष के भीतर विश्व के आर्थिक मानचित्र पर जर्मनी का नाम गाढ़ अक्षरों में लिखा गया। जर्मनी आर्थिक महामानव के रूप में विश्व पर मंडरान लगा।

त्रिपक्षीय डेमोक्रेटिक दल ने अपनी अर्थनीति के निमाण में निजी कर्मों का प्रोत्साहन निजी सम्पत्ति का सुरक्षा व गारंटी पूर्ण राजस्वार निजी उद्योग व व्यवसायों का प्रोत्साहन आर्थिक समृद्धि व मजदूरों के कल्याण का ध्यान में रखा

श्रीर दम प्रकाश नाम के एक जन-व्यवहारकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य सामने आया।

दलीय संगठन

संगठन का दृष्टि से यह तीन नींव से आरम्भ हुआ। पहल त्रिना व स्थानीय स्तर पर त्रिचिपन डमात्रिक यूनियन की नींव रखी गई फिर राज्य स्तर का निर्माण हुआ तथा अंत में सहाय व सम्पूर्ण देश में क्षेत्रीय स्तर का गठन किया गया। यदि तान देना व संगठन का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो यह बात होगी कि त्रिचिपन डमात्रिक यूनियन व क्षेत्रीय संगठन के अन्तर्गत 18 इकाया है ता प्रो डमात्राटक पार्टी में 11 तथा मागल डमोक्रटिक दल में 20 इकाया है।

यह अवलंबनीय है कि त्रिचिपन डमोक्रटिक यूनियन की इकाया में बरिया तथा बरिन का एक या अधिक नहीं हैं। बरिया में अलग से दल है जिसका नाम है त्रिचिपन मागल यूनियन। यह राज्य-स्तर पर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है तबलेन के साथ या मधीय स्तर पर त्रिचिपन डमोक्रटिक यूनियन के साथ मिल-जुकर कार्य करता है। बरिन का कोई भी उगमग ऐसा ही व्यवहार है।

सदस्यता

सदस्यता का मन्दा की दृष्टि में त्रिचिपन डमोक्रटिक दल का दूसरा स्थान है। पन्ध्र जमनी में मोशन डमात्रिक पार्टी के 1965 में 6 00 000 सदस्य थे तब त्रिचिपन डमोक्रटिक यूनियन के उगमग 00 000 सदस्य ही थे।

त्रिचिपन डमात्रिक यूनियन के क्षेत्रीय सचिवालय की धारा 2 में कहा गया है कि प्रत्येक उमले जिसकी उम्र 18 वर्ष हो इस दल का सदस्य बन सकता है। सदस्य बनने वाले व्यक्ति का दल के राजनीतिक दशन व कार्यक्रम में आस्था रखना आवश्यक है।

संगठन का स्वरूप

संगठन का दृष्टि से यह दल चार भागों में विभक्त है—(1) मधीय घटक (2) राज्य स्तर (3) जिला स्तर व (4) स्थानीय इकाई।

सघीय इकाई व विभिन्न अंग

दल के मागल की धारा 29 के अनुसार सहाय दल के निम्नांकित अंग हैं— (1) सहाय पार्टी का (2) सघीय आयोग (या समिति) तथा मधीय (3) कार्यकारिणी समिति। मधीय पार्टी का प्रत्येक में सभा शाखाओं के चुने हुए प्रतिनिधि एकत्रित होते हैं। किसी राज्य के प्रतिनिधियों का सभा के निर्धारण का तरीका इस प्रकार है— पिछले आम चुनाव में जहां दल का 75 000 मत मिले वहां से एक प्रतिनिधि तथा

इसके अलावा वहा दल के एक हजार सभ्यो पर एक प्रतिनिधि भेजा जाता है। पार्टी कांग्रेस का आयोजन प्रति वष होता है।

उक्त सघीय संगठना क अलावा पार्टी कांग्रेस एक प्रसीडियम का चुनाव करती है जिसमे एक पार्टी प्रबन्धक (मनजर) एक सहायक प्रबन्धक तथा चार अन्य सभ्य सम्मिलित होते हैं। साथ ही पार्टी-न्यायालय (कोर्ट) क लिए 5 सदस्या व उनक 5 सहायको का चुनाव हाता है।

पार्टी कांग्रेस दल की भूतभूत नीतिया का निश्चय करती है कार्यकारिणी समिति से रिपोर्ट सुनती है तथा इसकी अनुमति क बिना दल क सविधान म सजाघन नही किया जा सकता। यद्यपि यह सर्वोच्च एवं सवशक्तिमान मस्था है पर क्याकि यह वष मे एक बार ही आयोजित होती है अत यह अधिक प्रभावशाली रूप म काय नही कर सकती। इस प्रकार समस्त सत्ता सघीय आयाग तथा सघीय कार्यकारिणी समिति क हाथो म कन्ति हो जाती है।

सघीय आयोग उन सब मामलो पर राजनीतिक व संगठन मूलक नियम त सकता है जो पार्टी-कांग्रेस द्वारा पूरो तरह आरक्षित नही है। इस आयोग म राज्य शाखाओ तथा दल द्वारा निर्मित राज्य सरकारो क अध्यक्ष तथा सघीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य तथा राज्य शाखाओ क अध्यक्ष (मनजर) तथा सघीय समितियो क अध्यक्ष शामिल होते हैं। इतने व्यापक प्रतिनिधित्व क कारण इस आयोग की महत्ता स्वत स्पष्ट हो जाती है। यह निम्नलिखित काय करता है

- (1) सघीय कोषाध्यक्ष तथा सघीय कार्यकारिणी क 15 सदस्यो का चुनाव। कार्यकारिणी के 60-70 सदस्य होत हैं।
- (2) यदि प्रसीडियम क किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो उसके स्थान पर अस्थायी सदस्य का नामजद करना।
- (3) यह दलीय चुनाव-समिति का चुनाव समिति राज्य तथा सघीय चुनावो का संचालन सम्मीदवारो का चयन प्राप्ति काय।
- (4) दल की आर्थिक व वित्तीय स्थिति के अवलोकन क लिए दो आडिटरो की नियुक्ति।

यह आयोग प्रति छ माह म बैठक करता है लेकिन आवश्यकता पडन पर दल का अध्यक्ष या प्रबन्धक चार सप्ताह म असाधारण बैठक बुन्ना सकता है। अपने व्यापक अधिकारो की दृष्टि स यह एक महत्त्वपूर्ण मस्था है तकिन सामान्यतया इनकी वष मे दो बैठकें होती हैं। इसमे उसका महत्त्व घट जाता है।

सघीय कार्यकारिणी समिति दल रूपी नाव की सचालिका है। यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मस्था है। प्रसीडियम भी इसी कार्यकारिणी से संबन्धित है। प्रसीडियम म दल का अध्यक्ष मुख्य तल प्रबन्धक उनके दा सहायक तथा चार अन्य सभ्य शामिल हान हैं। प्रसीडियम प्रति माह मिलता है तथा दल क प्रमुख नतागण इसम शामिल होते हैं अत व्यवहार म यह सबसे महत्त्वपूर्ण मस्था हो जाता है।

संघीय कार्यकारिणी में 60 से 70 तक सदस्य होते हैं। इनमें निम्नलिखित लोग होते हैं

- (1) दल का कोषाध्यक्ष
- (2) दल प्रबन्धक
- (3) संसदीय दल का नेता व उसका सहायक
- (4) राज्य शाखाओं के अध्यक्ष-गण
- (5) दल से सम्बद्ध संगठन व संस्थाओं—जैसे युवक संघ महिला संघ मध्य वर्ग मध्य आदि के अध्यक्ष-गण ।
- (6) विभिन्न राज्य सरकारों के (जहाँ दल की सरकार हो) मुख्य मंत्री
- (7) कुल्लुगा का अध्यक्ष (यदि वह दल से सम्बद्ध हो) तथा
- (8) आयोग द्वारा निर्वाचित 15 सदस्य ।

कार्यकारिणी समिति तीन माह में एक बार मिलती है। प्रसीडियम का छांट कर यह सबसे महत्वपूर्ण मास्य है।

समितियाँ व अध्ययन दल

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान की अपार वृद्धि के कारण आज के युग में व्यक्ति व समाज को विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है। त्रिश्चयन डेमोक्रेटिक यूनिटन इस तथ्य से अवगत था अतः उसने समय समय पर विशेषज्ञों की समितियाँ बनाईं। 1969 में कुल छह विशेषज्ञ समितियाँ या जिनके नाम इस प्रकार हैं

- (1) सांस्कृतिक-नाति-समिति (2) प्रतिरक्षा-नीति-समिति (3) आर्थिक नीति-समिति
- (4) कृषि-नीति (5) स्वास्थ्य-नीति तथा (6) सामाजिक व सार्वजनिक सेवा-समिति ।

त्रिश्चयन डेमोक्रेटिक यूनिटन का महत्त्व

फेडरल जर्मनी के विद्युत 28 वर्षों के इतिहास में इस दल का निर्णायक स्थान रहा है। 1949 में 1969 तक तो इस दल ने किया अथवा दल के साथ मिलकर—म व सरकार का निर्माण तथा नेतृत्व किया। प्रथम 20 वर्षों में जर्मनी की सफलता तथा असफलता की कल्पना त्रिश्चयन डेमोक्रेटिक यूनिटन की सफलता व असफलता की ही कहानी है।

जर्मनी के प्रथम तीन चांसलर—कानराड आदनब्रावर लुक्विग एरहाड तथा कुट ग्याग बिंनिंगर—इसी त्रिश्चयन डेमोक्रेटिक यूनिटन की दल थे। जिस प्रकार आर्यत में आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा वही प्रकार प्रथम 20 वर्षों तक फेडरल जर्मनी में इस दल ने शासन की बागडार अपने हाथ में रखी।

बेसिक तौर पर निर्माण में ही इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बन्धु-पुत्र पर त्रिश्चयन डेमोक्रेटिक यूनिटन के व्यक्तित्व का ही छाप है जैसे प्रमातृना परिवार जिन्हा सस्कृति तथा धर्म विषयक अनुच्छेद आदि। वैसे पूरे बर्बर तौर पर कानराड आदनब्रावर की छाया नजर आता है।

अथर्ववस्था के क्षेत्र में जमनी को मुष्ट मिति पर खड़ा करने का श्रेय भी इसी दल को दिया जाना चाहिए। बीमना शनाड़ी के उत्तरार्द्ध में यदि प्राथिक चमत्कार जमनी हा तो जमनी को भी एक उत्तराहरण के रूप में सम्मुख रखा जा सकता है।

इस दल ने चासलर आडेनग्रावर एरहाड व किमिगर के अनावा डा हान्तरिच ल्यूबक (जा 1959 से 1969 तक राष्ट्रपति-पद पर आसीन रहा) डा हान्तरिच फान ड्रे गता एनस्ट लमर गेरहाउ गोर्नर डा एनिजाबेय शान्त्सहान (मन्त्रिमण्डल का प्रथम महिला मन्त्र्या यह स्वास्थ्य मंत्री बनी) फ्राज बोसेरु स्ट्राउस डा० हर्मान एहलस (बुन्नेसटाग अध्यक्ष 1950-1954) तथा डा यूगन गेस्सेनमायर (बुन्नेसटाग अध्यक्ष 1954-1969) जस व्यक्ति प्रदान किए।

आलोचना व रूप में यह कहा जा सकता है कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने राजनीति में धर्म का प्रवेश कराया तथा आडेनग्रावर का तानाशाही बतियों को प्रोत्साहन दिया किन्तु कुल मिलाकर देखा जाए तो वर्तमान फ्रान्स जमनी का पुनर्रचना तथा पुनः स्थापना में इस दल का भारी योगदान रहा।

फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी

फ्रान्स जमनी के तीन प्रमुख दला में सबसे छोटा दल है—फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी। जसा कि पहले ही मकल किया जा चुका है तीन चार दला का चार प्रमुख विदेशी राष्ट्रा द्वारा अतिरिक्त जमनी में सबप्रथम बाध करने की अनुमति दी गई उनमें यह दल भी सम्मिलित था। सबप्रथम युग्मवर्ग तथा बाडेन नामक राज्य में प्रोकरर थियोडोर ह्योस जो बाद में पश्चिमी जमनी का प्रथम राष्ट्रपति बने के नजदिक में फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का निर्माण हुआ। आरम्भ में अलग अलग जमनी राज्यों में इस अलग अलग नाम था। उत्तराहरणाथ बर्लिन तथा ह्ये नामक क्षेत्र में इसका नाम निबेरल डेमोक्रेटिक पार्टी राइनलैण्ड पलटीन नामक राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी ब्रमन तथा ब्यूरटमवर्ग तथा ब्यूरटमवर्ग-ब्राउन नामक क्षेत्र में जमनी जनता पार्टी तथा बर्लिया हाम्बुर्ग लोमर सक्मनी नाथ राइन वस्टफालिया तथा शलसविग हान्सलैण्ड में फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी। दिसम्बर 1948 में जसूर निम्नित विभिन्न उदार दल ह्युनहार्म नामक स्थान पर एकत्रित हुए तथा उन्होंने एक समुक्त रूप बनाया जिसका नाम फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी रखा गया।

फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी अगले आधे जमनी की उत्तर परम्परा का उत्तराधिकारी मानती है तथा जमनी के प्रसिद्ध विद्वान् तथा उत्तरवादी राजनेताओं—जम विलहैम फान हम्बोल्ट फ्रांज़र फान स्टार्डैत यूगन रिश्टर ह्यूडोल्फ फान बेनिगमन फ्रान्तिश नाथमान तथा गुन्नाफ स्ट्रुसमान को अपना बौद्धिक नेता मानती है। उदारवादी प्रकारों में मुबरात प्लेटो व अरिस्तू भी शामिल थे। इसी प्रकार अमरिबी

स्वतंत्रता संग्राम प्रामाण्यी जाति 1848 की जाति आदि भी हम दल के प्रेरणा स्त्रोत हैं ।

अपने आरम्भिक चरण में उदारवाद जो फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का आधारभूत दान है एक समृद्धिमान न हाकर बड़े विचारधारावादी का समूह मान था । य समय में समूह एक वान पर महमन थे वह थी पति की स्वतंत्रता तथा गरिमा । विहम फान हुम्बोर्ग का जमन उदारवाद का प्रगता तथा जनक कहा जा सकता है । हुम्बोर्ग ने राज्य के अधिकारों का सीमित करने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्राप्ति के लिए बताने की । वह राज्य का सिर्फ पुनर्जापों के लिए आवश्यक मानता था जिसका एकमात्र वस्तुत्व तुम्हने से जनता की रक्षा करना था । राजनीति तथा अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी विचारों को सिर्फ उदारवादी आन्दोलन तैराने निरवृत्त प्रामन के विरुद्ध था । यह विचारधारा मन्त्र राजावादी और सामन्तता के अग्रगण्य अधिकारों पर शक नमान के पन म रची । फाम स्तान वह पहला मन्त्री था जिसने प्रजा नामक राज्य में सर्वप्रथम उदार विचारधारा को लागू करने का प्रयास किया । फाम नगरपालिकावादी के चुनाव-सम्बन्धी कानून तथा किसानों का सामना के चरण में राज्य के लिए कानून का निमाण किया ।

1850 से ही प्रजा नामक जपन राज्य की विधान-सभा में उदारवादी प्रतिनिधि काफी सख्या में विद्यमान थे । 1860 के आम-पस जब प्रजा के राजा ने अपनी सना की मर्यादा-वर्द्धि करना चाही तथा फामके लिए बजट प्रस्तुत किया तो उदारवादीयों ने डटकर उसका विरोध किया । यह विरोध इतना प्रबल था कि प्रजा के शासक ने एक बार तो राज मिहायन तक त्यागन का विचार किया बर्राकि उसकी मायना थी कि सना का निमाण व विकास शासक का विभाषाधिकार या फाम पर सीमा नमाने पर उस राज मिहायन त्याग देना चाटिके तकिन 1862 में उसने पारस स्थित अपने राजदूत विस्माक का बुलाया तथा उस प्रजा का शासन बनवाया । विस्माक तथा उदारवादीयों के बीच मनिन उन्नत के प्रग्न पर नगातार मपप व तनाव की स्थिति रही ।

1861 में प्रजा की विधान सभा में विभिन्न उदारवादीयों ने मिलकर जमन प्रति पार्टी (जमन प्राप्रतिविक पार्टी) का निमाण किया । 1866 तक इस दल ने विस्माक की सभ्य विकास की नीति का जमकर विरोध किया लेकिन 1866 में प्रजा द्वारा आस्ट्रिया का पराजित विजय जान के पश्चात् विस्माक जमन राष्ट्रीयता का प्रभाव बन गया उसका विरोध करना जमन राष्ट्रीयता का विरोध करने जसा म मत्त विरोध बुद्ध मद पया । 1867 में स्टाफ फान बनिगसन के ननुत्व में उदारवादीयों ने नशनल लिबरल पार्टी की स्थापना की । यह दल विस्माक की सभ्य सफलताओं में भारी प्रभावित हुआ तथा जमन उसका समर्थन आरम्भ किया । 1871 में नशनल लिबरल पार्टी एकहीन जमनी की राष्ट्रगाम में सबसे मजबूत दल के रूप

म उमरी । 1884 म इस दल को पुनर्गठित किया गया तथा यह नवान दल भारी उद्योगी पूजोपनिषा तथा राष्ट्रवाणियों के प्रभाव म आ गया । जमनी के कई उदार वानी तथा प्रगतिशील तत्त्व नेशनल लिबरल पार्टी को विचारधारा म सहमत नही थे अतः 1871 म ही प्रगतिशील उदारवादियों ने अलग स एक दल बनाया जिसका नाम उदार दल (फाईसिनिंग पार्टी) रखा गया । इसका नेता था यूजेन रिक्टर । 1893 म इस दल का विभाजन हा गया और प्रगतिशील उदारवादी तीन दला म विभाजित हो गए जिनक नाम इस प्रकार हैं—

- (1) लिबरल पापल्स पार्टी (इसका नेता रिक्टर था) ।
- (2) साउथ जमन पीपल्स पार्टी तथा
- (3) लिबरल यूनियन ।

विभिन्न दलों म विभाजित होने से उदारवादिया की शक्ति का ह्रास ही हुआ । संसद् म त्रिनोन्नि उनके प्रतिनिधित्व म कमी आई जमा कि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाना है । नेशनल लिबरल पार्टी का जहा राष्ट्रपतिय म 1871 म 119 स्थान प्राप्त हुए वहा 1893 1907 तथा 1912 के चुनावो म क्रमशः 100 109 तथा 68 स्थान ही मिले । प्रगतिशील उदारवाणिया को जा कई दला म विभाजित थे क्रमशः 47 48 50 व 42 स्थान प्राप्त हुए । यह अनुमान लगाना महज है कि जमनी के समस्त उदारवाणी मिलकर यदि एक दल बनात तो वे निश्चय ही संसद् म सबसे शक्तिशाली दल के रूप म उभरत । नरत्नीन उदारवाणी नेता फ्रीडरिच नाथमान न ठीक ही कहा था हमार दल म वह एकता नहीं है जो श्रमिक दल या किसानों के सथ म है । हमार पार्टी अपने पादरो (नेता) नहा हैं । हममें आदेश और अनुशासन की कमी है । नाथमान न 30 लाख उदारवाद-समर्थक मतदाताओं स अपील की कि वे विभिन्न टुकड़ा म बट उदारवादिया से स्पष्ट शर्तों म माग कर कि वे अनुशासित रहें एवं एकता का प्रयत्न करें ।

प्रथम महायुद्ध म जमनी का पराजय के साथ ही 1918-19 में जमनी म गणतंत्र का उदय हुआ तथा वार्मर गणतंत्र के समय म जमनी म दो उदारवादी दलों जमन डेमोक्रेटिक पार्टी तथा जमन पीपल्स पार्टी का उदय हुआ । इनम स प्रथम दल अल्पसंख्यक एवं प्रगतिशील विचार धारा उदारवाणी तत्त्व था और दूसरा राष्ट्रवाणी एवं राजतंत्र के प्रति सहानुभूति रखने वाला तथा दक्षिण पथी विचार वाला दल था । जमन डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख नेताओं म फ्रीडरिच नाथमान हायोग प्रायतः (इसने वार्मर सविधान के निर्माण म भारी योगदान दिया था) तथा वाटर राथनाउ सम्मिलित थे । दक्षिण-पथी विचारधारा वाली जमन पीपल्स पार्टी का नेता गुम्पफ स्ट्रासेमान था । वार्मर गणतंत्र में स्ट्रासेमान का दल प्रथिम प्रभावशाली सिद्ध हुआ । अक्टूबर 1930 के बाद दोनों दलों के साथ का मित्रता घटने लगी । अप्रतिष्ठित गणतंत्र के दोनों दलों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है—

जमन गईशटाग म उदारवादी दलो की स्थिति

वर्ष	जमन दीपम पार्टी	जमन लोक टिक पार्टी
1919	22	74
1920	67	45
1924	44	28
1924	51	32
1928	45	25
1930	30	14
1932	7	4
1932	11	2
1933	2	5

यह उल्लेखनीय है कि वार्समर-गणतंत्र में उदारवादियों ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका भ्रदा की। इन दलो ने दो विशेष मन्त्री प्रणाल किए जिहान देश की ग्रथक सवा की। उनके नाम हैं—वाटर रावेनाउ तथा गुम्पाफ स्टासेमान। 1933 में हिन्दर के सत्ता में आन के पश्चात् सभी राजनीतिक दलो पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और 12 वर्ष तक (1933-1945) जमनी में एकमात्र नारसी दल ही बध दल रहा। 1945 में जमनी की पराजय के बाद विजला राष्ट्रा ने पुन राजनीतिक दलो को कार्य करने की अनुमति प्रदान की।

बजर (सम्राट) के जमान में तथा वार्समर गणतंत्र में उदारवादी बराबर विभाजित रहे और उन्हें अपनी आपसो पत्र के परिणाम मुपतने पड। युद्धोत्तर जमनी के उदारवादी अपने पुरान इतिहास को भूने नहीं थे और उन्होंने इससे सबक लेने का हृद निश्चय किया। जमा कि पहले ही लिखा जा चुका है पश्चिमी जमनी के विविध उदारवादी दना ने 1948 में एक दन के रूप में संगठित होन का निर्णय लिया जिसके परिणामस्वरूप फ्री डेमोक टिक पार्टी का उदय हुआ।

इस दल के प्रमुख नेताओं के नाम इस प्रकार हैं—प्रोफेसर थियोडोर ह्यास (प्रथम राष्ट्रपति) व फ्राज ब्ल्यूवेर (प्रथम मन्त्रिमण्डल में वार्सिस वान्सलर या उप प्रधानमंत्री 1956 में इसने फ्री डेमोक टिक पार्टी की सदस्यता त्याग कर जमन पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली) डा थामस डेह्लर (प्रथम न्याय-मंत्री) एन्टहाड विन्टरमुय (प्रथम आन्तम मन्त्री) डा एरिष्वा मन् (वर्ष 1960-1968 तक फ्री डेमोक टिक पार्टी के अध्यक्ष पत्र पर रहा तथा 1963 में एरहाड मन्त्रिमण्डल में उप प्रधान मन्त्री या वार्सिस वासनर तथा समग्र जमन मामलो के मन्त्री का पद सम्हाला। दोन वर्ष पश्चात् इसने त्याग पत्र दे दिया)। दल के वर्तमान नेताओं में वाल्टर शीन का विशेष स्थान है। 1968 में यह फ्री डेमोक टिक पार्टी का अध्यक्ष बना तथा इसने

1969 में विनी घाण्ट के मंत्रिमण्डल में वाईस चांसलर (उप प्रधानमंत्री) व विदेश-मंत्री का पद सम्हाला। 1974 में श्री बाटरशील जर्मनी का राष्ट्रपति बने। शील के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के बाद अब फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व हार्म डिण्टरिश गंशर जोसेफ एटल हास फ्रीडरिचस तथा वेनर मार्होफर के हाथों में आ गया है।

कायक्रम

एल्मर प्लिंशके के अनुसार— फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी वाईमर-युग की जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी के उद्देश्यों का प्रतिबिम्बित करती है जो उद्योग तथा व्यावसायिक हिता की रक्षा करने का प्रयत्न करती थी। यह मध्यम माग में कुछ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुक रही है तथा किसी भी प्रकार के समाजवाद की विरोधी है। साथ ही यह पाठ्य वर्ग की भी विरोधी है। इसके अधिकांश मतदाता अनुशासित प्रोटेस्टेंट मतानुयायी हैं जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन का कथोलिक नेताओं से दूर रहना चाहते हैं।

यह तीनों प्रमुख दलों में सबसे अधिक राष्ट्रवादी भावना से परिपूर्ण है तथा यह शहरों में अधिक सक्रिय है। इसके अर्थ मतदाताओं में व्यावसायिक व पेशवर लोग सफलतापूर्वक मजदूर व कामचारी तथा किसानों का भी काफी हिस्सा शामिल हैं।¹ राबर्ट जी नायमान के अनुसार— धार्मिक प्रश्नों पर फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की विचारधारा व निष्ठा है तथा उद्योग व आर्थिक प्रश्नों पर यह दल क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के काफी निकट है तथा साथ ही अधिक दक्षिण पश्चिमी भी।

फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्तमान-कायक्रम (1957) के अनुसार पार्टी की विचारधारा को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है— फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है ताकि व्यक्ति उत्तरदायित्व के साथ कार्य कर सके। अपने सामाजिक दायित्व से प्रेरित होकर हम सभी समाजवादी प्रयोगों को अस्वीकार करते हैं तथा अपने ईसाई दायित्वों से प्रेरित होकर हम राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म के दुरुपयोग का अस्वीकार करते हैं।

सामाजिक नीति

अपने 1952 के सामाजिक कायक्रम में फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने समाज की मुद्दों का आधार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित मागें प्रस्तुत कीं—

(1) व्यक्ति की स्वतंत्रता

(1) एल्मर प्लिंशके कांटेम्प्लेरी गवर्नमेंट्स ऑफ जर्मनी द्वितीय संस्करण (नो टन 969) पृष्ठ 147

(2) नायमान पृष्ठ 6,

(1) उदारवाद या

(2) साम्यवाद

विश्व का इन दोनों विकल्पा म स एक का चुनना होगा। उदारवाद की स्थापना व विकास के लिए आंतरिक (आत्मा व हृदय) स्वतंत्रता तथा बाह्य (नीतिक जीवन-स्तर आदि) स्वतंत्रता आवश्यक है। सामूहिक नानि के अन्तर्गत का डेमोक्रेटिक पार्टी न धर्म सिंघा बना व साहित्य विषयक प्रश्नों का निश्चय एव समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

चर्च-सम्बन्धी नीति

धर्म व चर्च के मामलों में श्री डेमोक्रेटिक पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि सामान्य डेमोक्रेटों का भाति यह दल ना नास्तिकता का पापक है और इस प्रकार गिरजाघरों का दुश्मन है लेकिन उस दल ने स्पष्ट धारणा की कि न ता व नास्तिकता में निष्ठा रखने हैं और न व चर्च के ही विराधी हैं। श्री डेमोक्रेट नेताओं ने कहा कि व राजनातिक मामलों में चर्च के प्रयोग के विराधी हैं। उस दल के प्रयत्न व प्रमुख नेता मियाडार ह्यास ने ममतीय परिपद में भाषण देने हुए कहा कि 'राज नीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चर्च के उपयोग का मैं ईसाई विरोधी मानता हूँ। ईसाई उस विश्व में सना मनुष्यों की मुक्ति के लिए आए थे किन्तु राजनातिक दल का अपना नाम प्रदान करने के लिए उन्होंने उन विश्व में पलायन नहीं किया था। साथ ही यह भी कहा गया कि 'मावजिनिक जीवन में चर्च व धार्मिक सम्बन्धों का अर्थिक महत्त्वपूर्ण स्थान है परन्तु गिरजाघरों का काम आत्मा व आध्यात्म-सम्बन्धी प्रश्नों का हल करना है बाकी मामलों में पारिवारिक गिरजाघरों की चारनीवारा में ही समाहित रहना चाहिए।

अपनी सांस्कृतिक नीति की शक्या करत हुए दल के नेताओं ने धारणा की कि 'उदात्तानी राज्य सभी धर्मों का धार्मिक उपयोग का स्वतंत्रता सांस्कृतिक एव आध्यात्मिक सम्बन्धों के विकास तथा दान-मुष्य विषयक समस्याओं की स्थाना व संचालन की गारंटी देता। ईसाई धर्म के परम्परागत मुख्य सामाजिक व्यवस्था के लिए मूलभूत महत्त्व रखत है।

शिक्षा-नीति

स्वतंत्रता का दान उचित एव उत्कृष्ट शिक्षा पर आधारित है। श्री डेमोक्रेट नेता इसी विचार का लेकर चलते हैं। महा यह उल्लेखनीय है कि बसिक सा के अन्तर्गत सांस्कृतिक एव शिक्षा राज्य के कानून के विषय हैं लेकिन श्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने उस व्यवस्था का शक्य विरोध किया। उस दल की यह मान्यता है कि सभ के अन्तर्गत विज्ञान राज्य होगा व उतना ही निम्न सांस्कृतिक एव शैक्षणिक नीति अपना सकते हैं। उस अतभाववादी प्रवृत्तियों का प्रास्तावित मिलना। अत दल के हित का

सर्वोपरि मानन हुए शिक्षा व समृद्धि नामक विषय को सघ-सूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि देश की शिक्षा-नीति में एकरूपता स्थापित की जा सके।

फररन जमनी में दो प्रकार के स्कूल हैं - नगरपालिका (म्यूनिसिपल) स्कूल तथा धार्मिक शिक्षा देने वाले स्कूल। फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी की मांग है कि एक ही प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था की जानी चाहिए। हाँ यदि मावाप चाहें तो उसी स्कूल में उनके बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। उच्च शिक्षा के लिए वैज्ञानिक तकनीकी तथा शोध संस्थानों की स्थापना - विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह सब शोध व शिक्षा नीति पर सघ सरकार का नियंत्रण चाहता है।

कला व साहित्य के क्षेत्र में फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी स्वतंत्र चिंतन धारणाओं एवं नवान प्रयोगों की पक्षपाती रही है। कलाकारों एवं भाषिकारों के जादेश के सांस्कृतिक दल एवं प्रचारक हैं जावन स्तर में मुधार की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया। फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी आध्यात्मिक स्वतंत्रता सहिष्णुता विचार स्वातंत्र्य एवं आधुनिक शिक्षा की प्रवर्ता रही है। इस प्रकार वह एक मुक्त समाज (ओपन सामाजटी) की रचना का पक्षधर है।

गतिशील तृतीय शक्ति बनने का प्रयास

फररन जमनी के निर्माण के समय जपनी में अनेक राजनीतिक दल विद्यमान थे। तकि चुनाव कानून के कारण तथा 5 प्रतिशत की बाधक धारा के कारण अमश व्हेस्टाग में दला की सख्या घटती गई और अंत में तीन दल ही रह गए जिमें फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी भी एक है। विभिन्न ग्राम चुनावों में दल की स्थिति में उतार चलाव आता रहा और दल के नेताओं के समक्ष एक मजिब गतिशील एवं सतुनकारी रूप में ग्रपना अस्तित्व बनाए रखने की समस्या थी। प्रथम ग्राम चुनाव (1949) के बाद फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने त्रिचिचयन डेमोक्रेटिक यूनियन व जमन पार्टी के साथ मिल कर सघीय सरकार का निर्माण किया तथा साथ ही कई राज्यों में निर्मित मिली-जली सरकारों में भाग लिया लेकिन 1953 के ग्राम चुनावों में सघीय स्तर पर दल का मन प्रतिशत 11.9 से घटकर 9.5 प्रतिशत रह गया दूसरी और त्रिचिचयन डेमोक्रेटिक यूनियन की आवश्यकता बढ़मत प्राप्त हो गया लेकिन कानराड आडनभावर की मविधान में आवश्यक मशाघन करन तथा विदेश नीति के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण निणय लेन थे। इन वल चाहता था कि फ्री डेमोक्रेटिक दल का सरकार में लिया जाय ताकि इन महत्वपूर्ण निणयों को व्यापक बहुमत का समर्थन प्राप्त हो सकें। यद्यपि दल का सरकार में स्थान मिला तकि कानराड आडनभावर के साथ उसके सम्बन्ध काफी बटु रहे और 1956 में फ्री डेमोक्रेटिक दल 14 दलों में विभाजित हो गया एक दल कानराड आडनभावर का

समयन करते हुए सरकार में रहना चाहता था और दूसरा दल सरकार में रहना चाहता था। प्रथम दल के लोग का नेता डा. क्यूबर या जिसने फ्री पीपल्स पार्टी का निर्माण किया। बाद में यह दल जमन पार्टी में सम्मिलित हो गया। उस वर्ग के लोग सरकार में मंत्री-पद पर बने रहे बाकी फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने विरोधी दल के रूप में स्थान ग्रहण किया। लेकिन फ्री पीपल्स पार्टी के लोग 1957 में आम चुनावों के बाद भी सरकार में शामिल हुए जबकि मूल दल के लोग विरोधी बेंचों पर बैठे।

1956 तक आत-आत फडरल जमनी की जनता के दिमाग में यह धारणा घर कर गई कि फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी वास्तव में त्रिचिचयन डेमोक्रेटिक पार्टी की पिछलग्गू है और त्रिचिचयन डेमोक्रेटिक पार्टी रूपी वटवक्ष की छाया में आराम कर रही है। ऐसी धारणा दल के अस्तित्व के लिए खतरनाक थी क्योंकि यदि जनमानस में ऐसा विचार घर कर जाए तो हो सकता है अगले आम चुनाव में वह पिछलग्गू पार्टी (फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी) को वोट न देकर सीधे ही त्रिचिचयन डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दें क्योंकि दोनों का वोट देना एक ही समान माना जा रहा था। ऐसी स्थिति में दल को अपनी एक नवीन प्रतिमा का निर्माण करना था और यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना था कि वह कानराड आइडनआवर के हाथ की कठपुतली न होकर एक सशक्त रचनात्मक प्रगतिशील एवं सक्रिय दल है जिसका अपना कार्यक्रम है जो न केवल आकर्षक है बल्कि मौलिक भी है।

1961 में जब फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने चुनाव लड़ा तो उसका नारा था आइडनआवर के विना सरकार का निर्माण। इससे जनमानस पर अच्छा प्रभाव पड़ा और दल को पूर्णपणे अविश्वसनीय मत प्राप्त हुए। फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का धारण से यह प्रयास रहा है कि वह त्रिचिचयन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा मौशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच एक सतुलन स्थापित करने वाली पार्टी बनी रह सके। उसने त्रिचिचयन प्रणाली का विंगार किया क्योंकि उसका ध्येय था उस दल के अस्तित्व की समाप्ति जा काइ भी दल नहीं चाहगा। इस प्रकार 1961 के वास्तविकता फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने यह प्रयास किया कि वह जनता को यह समझा सके कि अद्य दो दलों—त्रिचिचयन डेमोक्रेटिक यूनियन व साइन डेमोक्रेटिक पार्टी—में से किसी भी एक दल का पूर्ण बहुमत प्रदान करना जमन मतदाताओं के अपने हित में नहीं होगा। फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी को सदैव समयन देकर ही मतदाता एक पार्टी की तानाशाही—स सदैव सदैव के लिए मुक्ति पा सकते हैं। कहना होगा कि यह दल अपने इस उद्यम में बराबर सफल रहा और इस प्रकार उन मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सका जो अन्य दो दलों का मत देने का तयार न थे। एक सशक्त व स्वतंत्र तृतीय शक्ति के रूप में बन रहना ही फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का लक्ष्य रहा है और समस्त उतार चढ़ाव के बावजूद यह अपने अस्तित्व को बनाए रख सकी है।

सघीय मुख्य समिति

यह समिति दल की सघीय प्रकृति का प्रतीक है। इसके सदस्यों में निम्न लिखित व्यक्ति शामिल होते हैं—

- (1) सघीय कायकारिणी के सदस्य
- (2) राज्य-संगठना के प्रतिनिधि। इसके अनिर्दिष्ट दल द्वारा नियुक्त विशेष समितियों व अध्यक्ष दल के विभिन्न संगठनों—युवक संगठन—के अध्यक्ष तथा दलीय ससद-सदस्य एमकी बैठका में उपस्थित होकर सलाह दे सकते हैं।

इस समिति का महत्त्व उस बात से सिद्ध हो जाता है कि यह उन सब राजनीतिक व संगठन-सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार कर सकती है जिस पर कांग्रेस ने निर्णय न लिए हो।

सघीय कायकारिणी समिति

सघीय कायकारिणी पार्टी काँग्रेस द्वारा निर्धारित व निर्णित सभी राजनीतिक व संगठनात्मक विषयों की देखभाल करती है तथा निर्णयों को कार्यान्वित करती है। कायकारिणी के सदस्यों में निम्नांकित व्यक्ति सम्मिलित होते हैं—

- (1) दल का अध्यक्ष
- (2) तीन उपाध्यक्ष
- (3) कोषाध्यक्ष
- (4) दल की राज्य शाखाओं के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि
- (5) ससदीय दल का अध्यक्ष
- (6) राज्य सरकार व संघ-सरकार में दल के मंत्रिमण्डल तथा
- (7) 13 अन्य सदस्य।

उक्त सदस्यता की व्याख्या करने से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें राज्या की उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसीलिए कई लोग इसे राज्य दलों का गुट (काटोल ग्रुप स्टेट पार्टीज) की संज्ञा देते हैं।

विशेष समितियाँ व अध्ययन दल

1949 में ही फी डमाऊ टिक पार्टी ने विशेष समितियों एवं अध्ययन दलों की आवश्यकता का अनुभव कर लिया था। ये विशेष समितियाँ विषय-विशेष के मामलों में सघीय कायकारिणी तथा ससदीय दल की सहायता करता है। 1962 में इन समितियों ने अपनी 78 बैठका में 200 से अधिक विषयों पर विचार किया। इन समितियों की सत्ता विभिन्न अवसरों पर घटती बढ़ती रहती है। इनके प्रतिनिधित्व 5 अध्ययन दल भी बनाये गये जिनके विषय इस प्रकार हैं—

- (1) विदेश-नीति प्रतिरक्षा तथा समग्र जमनी से सम्बद्ध मामलों।

- (2) आर्थिक प्रश्न
- (3) श्रमिक व सामाजिक नीति
- (4) गृह-नाति
- (5) कृषि नीति

1962 में एक अग्र्य अध्ययन दल बनाया गया जिसका कार्य सांस्कृतिक नीतियों पर विचार करना था। इस प्रकार कुल 6 अध्ययन दल हा गए।

वित्तीय साधन

फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी की आमदनी अपेक्षाकृत कम है। इसकी सन्स्य-सन्ख्या कम हान के कारण तथा नियमित सदस्यता शुल्क प्राप्त न होने की वजह से इसकी आमदनी कम होती है। इसके बावजूद इसका सधीय कार्यलय काफी बड़ा है तथा बड़ मुद्रवस्थित ऋण काय करता है। अपने चुनाव के व्यय के लिए यह दल माव बनिक् चन्दे तथा वू जीर्णतया व उद्योगपतिया की सहायता पर निर्भर करता है। ऐसा कहा जाता है कि 1961 के आम चुनाव में 1 करोड़ माव (जमन सिक्का) खर्च किया। 1963 में इस दल की आमदनी 77 00 000 माव तथा खर्च 69 50 000 माव बताया गया।

अग्र्य दलों से सम्बन्ध

फ्रन्ट जमनी में फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर दो और प्रमुख दल हैं— क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। 1949 में 1966 तक फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी तथा क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सम्बन्ध मोटे तौर पर मधुर थे। हा बीच-बीच में तनाव व विवाद की स्थितिया भी आई। 1969 से 1977 के बीच सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इसके सम्बन्ध प्रयाप्त हो गए। इस प्रकार पिछले 28 वर्षों में फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी लगभग 23 वर्षों तक सरकार में शामिल हुई। पहले क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के साथ मिलकर इसने सरकार बनाई तथा 1969 के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर।

फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का महत्त्व

यद्यपि फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी तीन प्रमुख दलों में से सबसे छोटा दल है लेकिन इसका महत्त्व उसके आकार की तुलना में अपत्याकृत अधिक हो रहा है। इस दल ने फ्रन्ट जमनी को दो राष्ट्रपति प्रथम तथा वर्तमान राष्ट्रपति प्रदान किये। पहले राष्ट्रपति थे थियाडोर होयस (1949-1959) तथा वर्तमान राष्ट्रपति वाटरशील का चुनाव 1974 में सम्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त इस दल ने दश को र्डी वार्डस वासनर (उप प्रधानमंत्री) प्रदान किये जिनमें रूयुधर एरिख मन् वाटरशील तथा हान्स डिप्टरिग गंशर प्रमुख हैं।

फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं का दावा है कि फेडरल जमनी की आर्थिक प्रगति में उमका भारी योगदान है क्योंकि उनके दबाव में आकर ही त्रिनिडियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने सामाजिक-वाजार अर्थ-व्यवस्था या स्वतंत्र वाजार अर्थ-व्यवस्था की नीति को अपनाया। यह इसी दल के जार देने का परिणाम है कि लुन्विग एरहाड को आर्थिक मामलों का सचानक नियुक्त किया गया और इसके सफल एवं सुयोग्य नेतृत्व के कारण बर्मनी आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हो सका।

वेमिक ला के निर्माण एवं वर्तमान स्वरूप में फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का चिन्तन का स्पष्ट अंश है। व्यक्ति की गरिमा सम्बन्धी उसका विचारों को उसमें प्रमुख स्थान दिया गया है।

विदेश नीति के क्षेत्र में भी इस दल की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। एक लम्बी अवधि तक अन्तर जमन सम्बन्धों का संचालन भास्सी दल को दिया गया। कुछ समय तक विकास-मुख्य दलों की सहायता देने वाला मन्त्रालय भी वसा दल के पास रहा और 1965 के आसपास वाल्टरशील ने भारत व अर्थ एगियाई व अफ्रीकी देशों की सहायता देने में काफी रुचि दिखाई। बाद में वाल्टर शील विदेश-मन्त्री बने और उन्होंने इस क्षेत्र में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की। भारत के साथ सम्बन्धों को अधिक सुदृढ़ बनाने में वाल्टरशील का विशेष स्थान रहा है। 1974 में वाल्टर शील पश्चिमी जमनी के राष्ट्रपति बन तथा फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व हास डिष्टरिश गेशर ने सम्हाला। गेशर आजकल पश्चिमी जमनी के विदेश मन्त्री हैं तथा भारत में जनता सरकार (मार्च 1977) के निर्माण के बाद गेशर ने भारत की यात्रा की तथा दोनों देशों के सम्बन्धों को सुदृढ़ आधार प्रदान किया।

□□□

विदेश-नीति

किसा मा २०० का विश्व नीति का उचित मूल्यांकन करने के लिए उस देश की भौगोलिक स्थिति ऐतिहासिक परम्परा आर्थिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी जर्मनी या फ्रांस जर्मनी यूरोप के हृदय में स्थित है। इस केंद्रीय भूमि या मध्य भाग के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दृष्टि से जर्मनी यूरोप के व्यापार वाणिज्य सांस्कृतिक आगता प्रदान का कर्ता रहा है। ऐतिहासिक परम्परा के अंतर्गत जर्मनी एक विशाल साम्राज्य था। 1871 में जर्मनी के एकाकीकरण के पश्चात् उसने न केवल यूरोप के लिए पक्ष का कार्य किया बल्कि विश्व-व्यापी राजनीति पर भी उसका असर रहा। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से जर्मनी जर्मनी के मन में अज्ञात के गौरव की स्मृतियाँ शेष हैं। आर्थिक दृष्टि से जर्मनी यूरोप का सबसे समृद्ध एवं उद्योग प्रधान देश रहा है। आज भी वह विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों में से एक है। अपनी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की दृष्टि से जर्मनी एक जनतांत्रिक देश है अतः यह स्वामतांत्रिक है कि विश्व के अन्य जनतांत्रिक देशों के साथ उसके सुदृढ़ सम्बन्ध हैं। उपरोक्त तथ्यों का ध्यान में रखते हुए ही फ्रांस जर्मनी की विश्व नीति की सम्यक व्याख्या की जा सकता है।

पश्चिमी जर्मनी की विश्व नीति को हृदयगत करने के लिए 1949 से लेकर 1977 तक वहाँ की सरकारों के गठन तथा चांसलरों (प्रधानमंत्रियों) के बारे में परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। हम अद्यतन में वहाँ निम्नांकित लोगों की सरकारें थी तथा चांसलरों के नाम इस प्रकार हैं—

सम	सरकार में दलीय स्थिति	चांसलर का नाम
1949-1963	क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी	कांसलर
1963-1966	—वही—	मुन्चिंग एरहार्ड
1966-1969	क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी	कुन्ड ग्यार्ग किमिगर्
1969-1974	सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तथा फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी	बिली ब्राण्ट
1974-	—वही—	हेनमुठ गिम्बट

उक्त तानिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि 1949 से 1966 तक त्रिपक्षियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने एक प्रमुख दल तथा फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी न एक सहायक दल के रूप में जर्मन विदेश-नीति का संचालन किया। 1966 से 1969 तक त्रिपक्षियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी न मिल कर विदेश नीति को दिशा तथा गति प्रदान की। 1969 से 1977 के बीच सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रमुख भूमिका ग्रहण की जबकि सहायक दल फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी न विदेश मंत्री का पद सम्हालते हुए उभरते सहयोग दिया। यद्यपि वास्तव में चांसलर ही समस्त नीतियों का जिससे विदेश-नीति भी शामिल है—नियामक होता है—निदेशक विदेश-मंत्री विदेश-नीति के निर्माण व संचालन में प्रमुख भूमिका ग्रहण करता है। पश्चिमी जर्मनी के अतः तक के विदेश-मंत्रियों के नाम इस प्रकार हैं —

विदेश मंत्री का नाम	काल
1 कानराड ग्राहेनभावर	1949-1955
2 हार्डिनरिच फान ब्रेटानो	1955-1961
3 गेरहार्ड शोडर	1961-1966
4 विली ब्राण्ट	1966-1969
5 वाल्टरशील	1969-1974
6 हान्स डिप्टरिच गेजर	1974-

इन विदेश मंत्रियों में से प्रथम तीन विदेश मंत्री त्रिपक्षियन डेमोक्रेटिक यूनियन चौथा विदेश-मंत्री सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तथा अन्तिम दो विदेश मंत्री फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य रहे हैं। इस प्रकार फडरल जर्मनी के तीन प्रमुख दलों ने अपने देश को विदेश-मंत्री प्रदान किये हैं। इस आधार पर हम जर्मन विदेश नीति को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं—

(1) 1949-1966—इस युग में विदेश नीति का संचालन त्रिपक्षियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने किया तथा फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी न सहयोग दिया। नीति अधिकांशतः पश्चिमी विश्व व अमेरिका के पक्ष में थी। सैनिकी का मुख्य सवालक ग्राहेनभावर था।

(2) 1966-1977—इस समय विदेश-नीति का मूलतः सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ में रहा तथा 1969 से फ्री डेमोक्रेटिक ने सहायक की भूमिका ग्रहण की। इस अवधि में पूर्वी नीति (ओस्ट पालिटिक) का समारम्भ हुआ तथा सोवियत संघ पौनःपूर्व पूर्वी जर्मनी रूमानिया युगोस्लाविया व चेकोस्लोवाकिया आदि पूर्वी गुट देशों के साथ अच्छे सम्बन्धों की शुरुआत हुई तथा साथ ही पश्चिमी संघे तथा अमेरिका से साथ मुठ सम्बन्ध स्थापित रहे। इस युग की विदेश-नीति का नियंत्रण विली ब्राण्ट वाल्टरशील तथा गेजर रहे हैं।

विदेश-नीति का प्रथम युग [1949-1966]

प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान् अफ्रान् ग्रेसर के अनुसार जो जर्मन मामला के विख्यात विशयज्ञ हैं— शीत युद्ध से नया पुनिया उत्पन्न हुई—एक उत्तर अतलात (अटलांटिक) संधि तथा दूसरी फर्रन जमनी। कहन का तात्पर्य यह है कि शीत युद्ध जब उग्र रूप धारण कर चुका उस समय एक पश्चिमी सनिक सगठन (उत्तर अतलात संधि सगठन या नाटो) तथा पश्चिमा जमनी का एकमात्र उदय हुआ। 1949 म 1966 तक जो त्रिदेश-नीति अपनाई गई उस ब्राडनब्रावर की विदेश नीति को सना गी जा सकता है।

1945 के बाद समस्त विश्व दो विराती खेमा म बट गया। पश्चिमी खेमे का नेता अमरिका था तथा पूर्वी गुट का नेता सोवियत सघ। दोनो न यूरोप को अपने अपने प्रभाव क्षेत्र म रखना चाहा तथा पश्चिमी यूरोप अमरिकी गुट के साथ ही गया तथा पूर्वी यूरोप सोवियत सघ के सम म। 1949 म अतलात मास्को (सावियत सघ) न चकोस्लावाकिया पूर्वी जमनी पोलेण्ड हंगरी बुलगारिया र्मानिया युगोस्लाविया आदि देशो म साम्यवादी शासन की स्थापना करने म सफलता प्राप्त की।

जसा कि पहन ही स्पष्ट किया जा चुका है त्रितीय महायुद्ध म जमनी की पराजय के पश्चात् उस चार क्षेत्रो म बाट कर सोवियत सघ अमरिका ब्रिटेन व फ्रान्स के प्रशासन म सौंप दिया गया था। सावियत सघ ने 1949 म पूर्वी जमनी म अलग से साम्यवादी शासन की स्थापना म सफलता प्राप्त की। पश्चिमी राष्ठा ने अपने अपने अधिष्ठन बाकी के तीन जमन क्षेत्रो को मिलाकर फर्रन जमनी नामक राय की स्थापना की और उस प्रकार जमनी का विभाजन हो गया। वसी प्रकार जमनी की राजधानी बर्लिन न पूर्वी जमनी के बीच म स्थित है मी दो भागा म विभाजित हा गए तथा पूर्वी भाग पूर्वी जमनी तथा पश्चिमी भाग पश्चिमी जमनी के साथ रहा।

पूर्ण साव्यनीमिकता की प्राप्ति की ओर

1949 म यद्यपि फर्रन जमनी का निर्माण सम्पन्न े गया लेकिन वह पूर्ण साव्यनीमिकता सम्पन्न राष्ठा नहीं था। वह मिक आन्तरिक स्वशासन के लिए स्वतंत्र था तथा उसकी विदेश नीति पर अब मा तीन मित्र राष्ठा—अमरिका ब्रिटेन व फ्रांस का नियंत्रण था। 1939 म 1945 तक जमनी इनका शत्रु था जिसके त्रिद्ध उद्दोहन युद्ध लग था। त्रितीय महायुद्ध के बाद प्राज तक समस्त जमन राष्ठा के साथ कोई शांति-संधि नहीं हुई क्योंकि अमरिका व सावियत सघ म मतभेद थे।

युद्ध की स्थिति की समाप्ति

14 सितम्बर 1950 को अमेरिका ब्रिटेन तथा फ्रान्स ने संयुक्त रूप से

जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की स्थिति का अन्त करने का घोषणा की। इस प्रकार अब जर्मनी एक शत्रु राष्ट्र न रहा रह गया था। इससे पूर्व 8 जून का मित्र राष्ट्रों ने फरल जर्मनी को यह अधिकार दिया कि वह विन्शा के साथ आर्थिक संधियां कर सकता है। इस प्रकार अब भी जर्मनी विन्शी मामला में पूर्ण स्वतंत्र न रहा था न जर्मन सरकार को पाम अपना कोई विशेष विभाग हा था। 6 मार्च 1951 को तीन राष्ट्रों ने जर्मनी के सम्बंध में अधिकृत कानून (आकुपेशन स्ट्रुक्चर) में परिवर्तन किया तथा फरल जर्मनी का विदेश मंत्रालय के निर्माण का अधिकार लिया। इससे पूर्व हा 1950 में फरल जर्मनी ने ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका राम अकारा (टर्की) हांग (हालण्ड) ब्रुमल्स (बल्जियम) में अपने वाणिज्य-दूतावास खाने। 1951 के बाद ही विदेशों में राजदूतावासों की स्थापना सम्भव हा सकी। 27 फरवरी 1951 का तीन मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की कि फरल जर्मनी को पूर्ण सामौम सत्ता प्रदान की जानी है। इस प्रकार 1955 में जाकर ही यह राष्ट्र पूर्णतः सावभौम बन सगा। 1951 में वह विन्शन-नाति के क्षेत्र में सक्रिय हुआ और चार वर्ष बाद पूर्ण स्वतंत्रता के साथ उसका संचालन करने लगा।

रास्ते का चुनाव

अपने अस्तित्व के आरम्भ (1949) में फरल जर्मनी के सम्मुख विन्शन-नाति के क्षेत्र में तीन मार्ग थे जिनमें से कोई एक अपनाया जा सकता था। वे रास्ते इन प्रकार थे—

- (1) सोवियत गुट के साथ मैत्री
- (2) अमेरिकी छत्र में मैत्री
- (3) स्वतंत्र विन्शन-नाति अर्थात् भारत जैसी विदेश-नीति।

इसके साथ मैत्री करने से एक स्पष्ट लाभ था और वह यह कि जर्मनी का पुनः एकीकरण हो जाता क्योंकि पूर्वी जर्मनी में भी वही प्रभाव में था। यह एक बहुत बड़ा फायदा था किन्तु इसके साथ ही वहाँ पश्चिमी पद्धति के जनतंत्र का व्यवस्था समाप्त हो जाती।

अमेरिका के साथ मैत्री का यह लाभ था कि सम्पन्न और समृद्ध अमेरिका युद्ध से राहत के डर से पश्चिमी जर्मनी को नारी मात्रा में आर्थिक सहायता दे सकता था तथा साथ ही उस साम्यवादी से बचा सकता था।

तीसरा रास्ता स्वतंत्र या गुट निरपेक्ष नीति का रास्ता था। फरल जर्मनी के लिए यह रास्ता कान्ठे भरा साबित होता क्योंकि जब समय वह नजर आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक निम्न था वरन् सैनिक दृष्टि से भी ना पगु था। ऐसा स्थिति वहाँ जर्मनी भी अर्थव्यवस्था का प्राप्ताहन नहीं सकता था।

फरल जर्मनी ने अमेरिका के साथ मैत्री का रास्ता चुना। बर्लिन के घातक घटनाओं के बाद ही पूर्णतः पूर्ण (सोवियत मध्य) की आरंभ पाठ की तथा वह पश्चिम (अमेरिका ब्रिटेन

व फ्रांस) की ग्रीर अभिमुख हुआ। 1949 से 1963 तक तो वह स्वयं विदेशी-नाति का नियामक था। 1963 में यद्यपि आइज़नहावर ने चांसलर पद से त्यागपत्र दे दिया तबिन फिर भी अगले तीन वर्षों तक विदेश नीति पर उसका काफी प्रभाव रहा।

आइज़नहावर की विदेश नीति 1949-63

फडरन जमनी की विदेश नीति को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का प्रथम चांसलर वानराड आइज़नहावर का है। प्रसिद्ध जमन नलक वाटर हासटार्शन के अनुसार— जमन विदेश नीति के समक्ष जो तीन रास्ते थे उसमें से आइज़नहावर ने अमरिका तथा स्वतंत्र विश्व के साथ रहने का रास्ता चुना। उसकी विदेश-नीति के प्रमुख आधार इस प्रकार थे—

- (1) जमनी का एकीकरण
- (2) साम्यवाद का विरोध तथा शक्ति की राजनीति
- (3) हासटार्शन सिद्धांत
- (4) यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था
- (5) अमेरिका के साथ मुठ सम्बंध
- (6) फ्रांस के साथ मैत्री
- (7) ब्रिटेन के साथ सुमधुर सम्बंध
- (8) भारत के साथ मैत्री व आर्थिक सहायता।

जमनी का एकीकरण

निश्चिन्त डमोक्रैटिक यूनियन तथा चांसलर आइज़नहावर की विदेश नीति में देश के एकीकरण को विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। पितृभूमि की एकता उसका प्रमुख नारा था। लेकिन जमन एकीकरण की समस्या विपन्न थी। क्योंकि देश के एकीकरण की दिशा में प्रयास करने का अर्थ मोरियत सघ पूर्वी जमनी तथा ब्रिटेन फ्रांस तथा अमरिका के साथ सम्बंधों में किसी रूप में नालमेल बिटाना था जो नगमग असम्भव था। आइज़नहावर ने यह दावा प्रस्तुत किया कि पश्चिमी जमनी ही समस्त जमन जनता का अंकुश प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि यहाँ की सरकार स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के आधार पर चुनी गई है जबकि पूर्वी जमनी को स्वतंत्र रूप से चुनाव द्वारा सरकार का निर्वाचन करने से वंचित रखा गया। समुक्त राय अमरिका ब्रिटेन तथा फ्रांस ने यह स्वीकार किया कि पश्चिमी जमनी का नता ही समस्त जमन के एक मात्र प्रतिनिधि है और उह ऐसा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। इस प्रकार एकमात्र प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त की शुरुआत हुई।

10 जून 1953 का आइज़नहावर की सरकार ने अपनी विदेश-नीति के पांच सूत्री सिद्धान्त प्रस्तुत किए जो निम्नलिखित हैं (1) समस्त जमनी में स्वतंत्र तथा

जनतांत्रिक चुनाव (2) तत्पश्चात् समस्त जमन सरकार का निर्माण (3) मित्र राष्ट्रों—अमेरिका सोवियत संघ ब्रिटेन व फ्रांस तथा पुनः एकीकृत जमनी व बांच शांति संधि (4) शांति संधि में जमनी की प्रादेशिक सीमाओं का नियम तथा (5) समस्त जमन सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र के उद्देश्या की भावना के अन्तर्गत सभी राष्ट्रों के साथ संधियों की व्यवस्था ।

यदि इन पांच सिद्धान्तों का गम्भीर अध्ययन किया जाए तो वे विविध चरणों में जमनी के एकीकरण के नश्य की प्राप्ति का प्रयास मात्र है । एल्मर प्लिफे के अनुसार विदेश-नीति का मूलाधार था—(1) फ्रान्स जमनी की सुरक्षा (2) बर्लिन व फडरल जमनी व बीच सम्बंध बनाये रखना तथा (3) देश का एकीकरण करना । लेकिन सोवियत संघ तथा पश्चिमी राष्ट्रों के बीच आपसी मतभेद तथा तनाव के कारण जमनी व पुनः एकीकरण का मपना अधूरा ही रहा ।

साम्यवाद का विरोध तथा “शक्ति की राजनीति”

राजनीतिक विचारधारा की दृष्टि से वानराड आन्दोलनकार साम्यवाद का कट्टर विरोधी था । धार्मिक दृष्टि से वह कट्टर कथोलिक था तथा सोवियत संघ की घम का घोर शत्रु मानता था और एक नास्तिक व तानाशाही व्यवस्था वाले सोवियत संघ के साथ वह मैत्री के लिए हार्जिज तयार न था । मास्को को वह जमन एकीकरण का सबसे बड़ा दुश्मन समझता था अतः एस राष्ट्र के साथ अन्धे सम्बंध स्थापित करना कठिन था ।

आन्दोलनकार के अनुसार सोवियत रूस की नीति विस्तारवादी तथा आक्रामक थी तथा जमनी व साम्यवादियों का भी वह पंच मार्गी (फिफथ कालमिन्स) मानता था जो रूस के व्शारों पर जनतंत्र की जड़ें खालली करने पर तुल हुआ था । उसकी मायता थी—कि रूस की विदेश-नीति का दीक्षकालीन उद्देश्य फ्रान्स जमनी फ्रांस व इटली को साम्यवादी नियंत्रण में लाना था ताकि इन सब राष्ट्रों के आर्थिक साधनों का उपयोग करत हुए वह अधिक आत्म विश्वास व साधना के साथ अमेरिका का मुकाबला कर सके । पूर्वी जमनी की आन्दोलनकार न सोवियत क्षेत्र की सला दी क्योंकि वहाँ सोवियत संघ के प्रभाव व सहयोग से साम्यवादी शासन की स्थापना की गई थी । बर्लिन के प्रश्न को लेकर 1948 में सोवियत संघ ने जो रूस अपनायाउत्तम आन्दोलनकार अत्यधिक दुःख हुआ ।

यह स्मरणीय है कि 1948 तक समस्त जमनी की भांति बर्लिन पर भी मित्र राष्ट्रों का नियंत्रण था तथा दश व राजधानी दोनों का चार भागों में विभाजित कर चार राष्ट्रों के प्रशासन में सौंप कर रखा गया था । यह कार्य प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया गया था लेकिन कानूनी दृष्टि से समस्त जमनी व बर्लिन पर चारों राष्ट्रों का नियंत्रण स्वीकार किया गया था ।

जसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि जमनी की राजधानी बर्लिन (पश्चिमी

फरर जमना का अस्थायी राजधानी बन है) पूर्वी जमनी के बीच स्थित है तथा वह भी पूर्वी तथा पश्चिमी वर्तन में विभाजित है तथा पश्चिमी वर्तन फरर जमनी के साथ है। इसी नतीजा स्वरूप उभे पूर्वी जमना में मिलाना चाहता था। उभे सोचा कि यदि पश्चिमी वर्तन व पश्चिमी जमनी के आपसी सम्बन्ध यानायान अति समाप्त कर दिया जाय तो पश्चिमी वर्तन की जनता भूखी मर जाएगी तथा लाचार नगर वह पूर्वी जमनी में शामिल होना स्वीकार करेगी। इसीलिए उसने 1948 में वर्तन की नाकाबंदी की।

वर्तन की नाकाबन्दी से पहले समस्त जमनी में यातायात खुला था तथा इसी प्रकार वर्तन व निवामी भी एक भाग से दूसरे भाग में जा सकते थे। वैश्विक गतिन व अर्थ पर पहले पूर्वी जमनी ने स्वयं भागों की नाकाबन्दी तथा पूर्वी वर्तन से पश्चिमी वर्तन का मिलन वाली विजयो की लाईन काट दी गई। अमरिका ब्रिटेन व फ्रांस में स्टानिन के सम कर्म का विरोध किया तथा हवाई जहाजों का सहायता से पश्चिमी वर्तन का अनाज व अर्थ सामग्री पहुंचा गई। 26 जून 1948 से 17 मई 1949 के बीच 260000 बार हवाई जहाज वर्तन पहुंच व वापस आए तथा पश्चिमी वर्तन की जनता को हर संभव सहायता प्रदान गई। स्टानिन अमरिका के कुछ रुख से निगल हुआ और उभे लगभग 11 माह बाद नाकाबंदी हटाना पड़ी। इस घटना में फरर जमनी व नाकाबन्दी सघ के बीच अविश्वाम की भावना घर कर गई।

सोवियत सघ का सामना करने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। अर्थ अभाव का विचार था कि स्वयं एक ही भाषा सम्भना है और वही शक्ति की भाषा। अतः उभे शक्ति की राजनीति अपनाई। अपने देश का शक्तिशाली बनाने के लिए उसने यूरोपीय सुरक्षा समुदाय नामक सघ का समयन किया तथा 1955 में उत्तर गतलात मन्त्रिक सघ में प्रवेश किया।

यद्यपि आहनभाव के सम्बन्ध का कट्टर दृष्टमन था लेकिन वह यह भी जानता था कि जमनी के एकीकरण की कुंजी स्वयं के हाथ में है। साथ ही यद्यपि युद्ध 1945 में ही समाप्त हो गया था लेकिन अभी भी एक लाख से अधिक जमन सैनिक व अर्थ योग्य स्वयं में कर्म थे। जमन जनता की मांग थी कि उह शक्ति मिले जाए। ऐसी स्थिति में स्वयं के साथ बातचीत जरूरी हो गई। 9 सितम्बर से 13 सितम्बर 1955 में आहनभाव ने मास्को का यात्रा की तथा एनेथी टासटाय भवन (विदेश मन्त्रालय) में बुगानिन के साथ बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच सितम्बर 1955 में ही राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करना तय हुआ तथा साथ ही यह भी समझौता हो गया कि

- 1 20 सितम्बर 1955 को सोवियत सघ की ओर से बलरिन जोरिन को राजत बनाने का फैसला जमनी भना गया तथा जनवरी 1956 में जमन राजत बिल में हासिल सोवियत सघ में अपना पद सम्भना।

100 000 जमन युद्ध बन्नी रूिहा कर दिए जाएंगे। अक्टूबर 1955 से जनवरी 1956 के बीच इन युद्ध बन्दियों को छोड़ दिया गया। युद्ध बन्दिना की मुक्ति से फररन जमनी में आन्तर्भाव की लोकप्रियता में भारी वृद्धि हुई। यद्यपि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हो गए, लेकिन आपसी तनाव तथा विरोधी प्रचार जारी रहा। रूस ने समय-समय पर पश्चिमी जमन सरकार पर नास्तियों तथा सभ्य बन्दिना को संरक्षण देने का आरोप लगाया तथा सत्र प्रत्यक्ष में फडरल जमनी न कहा कियह गदा प्रचार है तथा रूस उदा देने वाली पुनरावृत्ति का शिकार है यानी बार-बार एक ही रट लगाए हुए है जबकि आरोप निराधार है। रूस के साथ सन्धिय सहयोग का रास्ता काटा से भरा था तथा 1970 के आसपास जाकर ही दोनों दशा के मध्य अन्धे सम्बन्धों की स्थापना का माग अस्त हुआ।

हाल्सटार्न सिद्धान्त

फडरल जमनी की विदेश-नीति की एक विशेषता थी हाल्सटार्न सिद्धान्त। वाल्टर हाल्सटार्न नामक व्यक्ति ने यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया था। जसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि पश्चिमी जमनी के नेता सम्पूर्ण जमनी के एक मात्र प्रतिनिधि होने का दावा करते थे लेकिन जब 1955 में रूस के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हुए तो यह कठिनाई सामने आई। साविदत सभ्य तथा पूर्वी जमनी के बीच पहले ही राजनयिक सम्बन्ध थे इस प्रकार रूस न दाना जमन रायों को मायता दी। आन्तर्भाव को डर था कि रूस के पद चिह्न का अनुसरण करते हुए यदि अन्य विदेशी राष्ट्रों ने भी दोनों जमन रायों को मायता देना आरम्भ कर दिया तो जमनी का विभाजन स्थायी रूप में लेगा। वह ऐसा नहीं चाहता था अतः हाल्सटार्न सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया। रूस के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने के साथ ही कानराड आन्तर्भाव ने इस सिद्धान्त की घोषणा की। हाल्सटार्न सिद्धान्त के अनुसार— यदि कोई राष्ट्र पूर्वी जमन रायों को राजनयिक मायता देगा तो पश्चिमी जमनी उसे मायता देने वाले राष्ट्र के साथ राजनयिक सम्बन्ध तोड़ लगे तथा उसे कोई आर्थिक सहायता नहीं देगा। 1958 में जब युगोस्लाविया ने पूर्वी जमन रायों को राजनयिक मायता दी तो फडरल जमनी ने हाल्सटार्न सिद्धान्त के अन्तर्गत युगोस्लाविया से राजनयिक सम्बन्ध तोड़ लिए। यह सिद्धान्त 1970 तक प्रभावी रहा। धीरे-धीरे उसका प्रभाव खत्म होने लगा और जब 1972 में फडरल जमनी तथा पूर्वी जमनी ने परस्पर मायता दी तो यह सिद्धान्त स्वतः ही समाप्त हो गया।

दूरगम की सुरक्षा

इसी शताब्दी में दो विश्व-युद्ध लड़ गए तथा उसके परिणामस्वरूप यूरोपीय राष्ट्रों को तथा विश्वभर जमनी को भारी नुकसान उठना पड़ा। अन्तिम महायुद्ध के

शांति जमना को विभाजित होने को मजबूर होता था। इन जमाने जमाने के मन में न बबल शक्ति का चाह थी बरन् व एक मयुक्त युगनाय व्यवस्था के अंतर्गत एक मयुक्त जमनी के निर्माण का मयना का दत्तन तम है। उक्ति यह स्पष्ट था कि जब तक पूर्वी तथा पश्चिमी गुट में मतभेद है यथापय मुरता जन्म में रहगा तथा एक सयुक्त यथाप का वात करना बकार है इन पश्चिमी यथाप के नतापान न पहन पश्चिमी यथाप का मुगता के लिए मनिज मति का तथा पश्चिमी यथाप मय के निर्माण की जिज्ञा में प्रयास किया। यथापनप्रावर न पश्चिमी यथाप का मुरथा व पदता का जिज्ञा में निरन्तर अयक प्रयास किया। यूरोप की मुरता व एकता की दृष्टि में ही यूगप कायता व उम्मान मयुनाय यथापय प्रतिरथा-समनाय यथापय विकास-महायता यथापय आर्थिक समनाय (साभा बाजार) यथापय परमाणु ज्ञान समनाय तथा पश्चिमी यथापय मय मय आदि मस्याधा का रचना की गता तथा जमनी न न्तक निर्माण व विकास में महत्त्वपूर्ण यागदान दिया।

अमरिका के साथ मुदद सम्बन्ध

पश्चिम जमना न स्वतंत्र जनताधिकार जमाना का चुना इन यह स्वानाधिकार ही था कि जनताधिकार राष्ट्रों के साथ उगक गुमयुक्त सम्बन्ध हा और अमरिका का इन इन राष्ट्रों का नायक था अतः उमक माय मुगता सम्बन्ध म्थापित करना जरूरी था। यथापनप्रावर के अनुसार सयुक्त-राज्य अमरिका स्वतंत्रता का महानतम रजक एक प्रवत्ता था। साथ ही 1945 के वात बहु दिव का मवाधिक शक्तिशाली राष्ट्र था। उमनी छत्रछाया में पश्चिम जमना अपनी मुरता व अस्मिन्व का प्रमाण रख सकना था कि यूरोप में रुमा खतरे का मकादता करन के लिए अमरिकी मना की उपस्थिति भी आवश्यक था। हाउन्त हाउमर के अनुसार यथापनप्रावर का विना नाति का पूनाधार अमरिका के नतृव का सतत् समदान करना था। पश्चिम जमना न यथापनप्रावर के युग में हमारा तम दान का समयन किया कि अमरिका मनिज यथापय भूमि पर उपस्थित रहे।

साविधत मय की उम्मान शक्ति का मकादता करन के लिए भी अमरिका का समदान व उमम मांय्य महया जरूरी था। द्विचिचयन यथापनप्रावर यानयन के 10 वें वापिन ममदान में बोतन तम यथापनप्रावर न कता ए-पिन मम के सय हिमाय मिताय करना ममभव होता। यह सम्भावना तभी होता जब पश्चिमी यथापनप्रावर अस्मिन्व शक्तिशाली व तत् विचिचयी तथा एकता-मुगता यथापनप्रावर मय यथापनप्रावर कता कि कागान्तर में पश्चिमी यथापनप्रावर नहया रहगा तम यथापनप्रावर है कि स्वतंत्र राष्ट्रों में अमरिका सवाधिक शक्ति-सम्पन्न है तथा उमक माय समान नाति यथापय राष्ट्रों के लिए और सासकर जमनी के लिए उपयाया त। उमनी अयमर पर पश्चिम जमनी के विना मारी हाउन्तरिक फान व यथापनप्रावर न कता जमन स्वतंत्र दिव का

रिखा है तथा आज का जमनी तथा कन का संयुक्त जमनी भी ऐसा ही होना चाहिए ।'

अमरिका के साथ जमनी के सम्बन्ध कितने घनिष्ठ थे इसका अनुमान आइडन आवर की इस बात से लगता है— युद्ध के बाद मंगल योजना अमेरिकी राष्ट्रपति टूमन तथा विदेश मंत्री एचसन के माध्यम से दोनों देशों में स्वागतयोग्य सम्बन्ध स्थापित हुए । राष्ट्रपति आइडन आवर तथा विशेष सचिव डेलम के समर्थन से सम्बन्ध निरन्तर प्रगति करते रहे । लेकिन अमेरिका में कनेट्टी के राष्ट्रपति बनने के बाद आइडन आवर तथा वाशिंगटन के बीच सम्बन्ध उतने मधुर नहीं रहे जैसा कि पहले थे । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि एक दूसरे के सम्बन्ध में कमी आई ।

फ्रांस के साथ मत्री

पिछले तीन सौ वर्षों में जमनी तथा फ्रांस के सम्बन्धों का इतिहास तनाव व युद्धों को समेटे हुए है । 1870 से 1939 के बीच दोनों देशों में तान बढ युद्ध लड़ । अन्त कटुता में बढि शान्ति स्थापित की थी । तीनों युद्धों में जमनी हार में फ्रांस का बुरी तरह पराजित किया तथा फ्रांसीसी भूमि तथा जमनी जमनी मन्त्रिक बूटा के तले कुचनी गई । युद्धोपरांत जमनी को फ्रांस के सहयोग व सक्रिय समर्थन की अत्यधिक आवश्यकता थी लेकिन फ्रांसीसी जनता पुराने अत्याचारा को नहीं भूनी थी ।

कानराड आइडन आवर जानता था कि जमनी की प्राचीन क्रूर छवि तथा व्यक्तित्व को मुत्ताकर एक नवीन जमनी के निर्माण के लिए फ्रांस की सद्भावना आवश्यक थी । यही कारण है कि कई अवसरों पर आइडन आवर ने फ्रांस की सद्भावना को प्राथमिकता दी तथा यूरोपीय समस्याओं की सदस्यता प्राप्त करने के पश्चात् फ्रांस जमनी में विभिन्न अवसरों पर फ्रांस की नीतियों का सक्रिय समर्थन किया । इस प्रकार आइडन आवर दोनों देशों के मध्य सुमधुर सम्बन्ध स्थापित करने में सफल रहा । सफलता का चर्मांकित्व हम 1963 की फ्रांसीसी-जमनी सहयोग संधि में देख सकते हैं ।

फ्रांस के राष्ट्रपति जनरल डीगाल तथा आइडन आवर ने मिलकर 22 जनवरी 1963 को सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए । यह संधि फ्रांस व जमनी के सम्बन्धों में एक मोड़ का पत्थर थी । जनरल डीगाल ने इस अवसर पर कहा 'विश्व का प्रत्येक व्यक्ति इस कार्य के महत्त्व का समझता है न केवल इसलिए कि जमनी यूनी संघ व नडाइयो के पूर्ण बन्धु हैं बल्कि इसलिए भी कि इससे फ्रांस व जमनी तथा यूरोप और इस प्रकार समस्त विश्व के लिए नए भविष्य का नया युग गथा है । आइडन आवर ने प्रत्युत्तर में कहा 'मैं आपकी भावना का समर्थन करता हूँ तथा इससे अधिक इसमें कुछ नहीं जोड़ना चाहता ।

फ्रांस जमनी सहयोग संधि 1963 के अंतर्गत अग्रलिखित व्यवस्थाएँ की गई—

- (1) दोनों देशों के विदेश मंत्री प्रति तीन माह के बात मिलने तथा पारस्परिक हितों के मामलों पर विचार विमर्श करेंगे।
- (2) फ्रांस के फर्ल जमनी के प्रतिरक्षा मंत्री भी प्रति तीन माह बाद मिलने तथा एक दूसरे का संयुक्त गतिविधियों के समस्याओं के संबंध में बतलाएंगे।
- (3) दोनों देशों के प्रमुख सेनापति (चीफ ऑफ स्टाफ) दो माह में एक बार मिल कर विचारों का आदान प्रदान करेंगे।
- (4) दोनों देशों के शिक्षा मंत्री तीन माह में एक बार मिलेंगे।
- (5) दोनों देशों के युवक कल्याण के संबंध में मामलों के मंत्री भी प्रति तीन माह में एक बार मिलकर बातचीत करेंगे।

इस प्रकार अंतर-मंत्रालय-सम्बन्ध की व्यवस्था की गई। दोनों देशों के बीच प्रोफेसरो छात्रों के कलाकारों के आदान प्रदान को स्वाकृति दी गई। इस संबंध में पश्चात् दोनों देशों में निरंतर सद्भावना का विस्तार हुआ।

ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध

यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश सैनिक पलायनकारियों ने दो बार कानाड आडनगावर को पतन्युत किया था। पहली बार प्रथम महायुद्ध के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने जमनी के कोलान नगर में प्रवेश किया तथा वहाँ के मेयर कानराड आडनगावर को पद से हटा दिया। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिकी सैनिकों को वहाँ पर अधिकार दिया गया तथा 15 मार्च 1945 को आडनगावर को वहाँ के नगर निगम के मेयर का पद प्रदान किया। बाद में यह नगर ब्रिटिश प्रशासित प्रदेश बना और 6 अक्टूबर 1945 को ब्रिटिश सैनिक अधिकारी जनरल बाराबनाय ने पुनः आडनगावर का पद से हटा लिया। दो बार बखान्त किए जाने के कारण जमनी चामनर के मन में आशंका थी कि ब्रिटेन देश के हित का सर्वोपरि मानते हुए उनमें प्रथम व्यक्तिगत शोध को देना कर ब्रिटेन के साथ मंत्री का रास्ता अपनाया। इससे कुछ कारण थे—जमनी के ब्रिटेन के मध्य भारी व्यापार था। ब्रिटेन की मंत्री प्राप्त करके हाँ यूरोप में प्राप्त के वस्तु प्रभाव को रोका जा सकता था।

यद्यपि प्रथम इस बात का विरोधी था कि ब्रिटेन का यूरोपीय साम्राज्य का संयोजन बनाया जाए किन्तु आडनगावर ने समय-समय पर ब्रिटेन की सदस्यता का समर्थन किया। इस प्रकार दोनों देशों के बीच सहयोग का नया अध्याय प्रारम्भ हुआ।

भारत के साथ मंत्री

पिछले पाँच-सौ वर्षों में भारत के जमनी के मध्य घटित सामाजिक सम्बन्ध थे। जमनी विधानों ने—इनमें अन्तर्-क्षेत्रिक प्रयोग एवं उच्च प्रयोग विधानों में फल-हृदयों में मन्त्र प्रमुख हैं—भारतीय धर्म-शास्त्रों व मन्त्रों की प्रणाली

की तथा उसे यूरोप में लोकप्रिय बनाया जायाने गांधीजी ने कानिगस की विचारों का अपना अनुभव से माध्यम से भारत का भूमि के प्रति अपना अद्भुत व्यक्त करत हुए कविता लिखा—

यह अनुभव अपने परित्यक्त पुत्र के साथ रहता है

यह दुष्यन्त दक्षताओं से नित नए बदलाने प्राप्त करता है।

पश्चिम भूमि तुम्हें बार-बार प्रणाम है ऐ ध्वनि के शब्दों के हृदय की भावाज तुम्हें प्रार्थना है कि तुम्हें स्वार्थिक अन्तर्निष्ठा का ऊँचाया प्रदान करा।

इस प्रकार विश्व विज्ञान ज्ञान कवि गान्धी ने भी गुरुकुल का प्रशासन की रचना की। आगुन्ड विन्टम इंग्लैण्ड में 1820 में फलान ज्ञानी की वर्तमान राजधानी वान में भारतीय पुस्तकालय का निर्माण सस्कृत भाषा में घन व दान की पुस्तकें साहजिक की गई—स्थापना का इस प्रकार सर्वप्रथम वान में 1818 में विश्वविद्यालय में भारतीय विद्या का अध्ययन आरम्भ हुआ। इंग्लैण्ड में वान को पश्चिम के बनारस तथा राजन नदी का पश्चिम का गंगा की सजा दी। तब से निरंतर दाना देश में सांस्कृतिक विचारों का प्राप्ति प्रदान होता रहा। भारत में ना ग्याय शिन्डर व मन्स मूलर (भारत के सस्कृत के विज्ञान इन मातृमूलर कहना पसंद करते हैं) की रचनाओं का सम्मान का दृष्टि से देना जाता है। साथ में कहा जा सकता है कि कविता व दार्शनिक के दान ज्ञान ने भारत की सस्कृति में प्रथम रवि लिखाई तथा उसने प्रेरणा प्राप्त की। यूरोप में भारतीय सस्कृति के प्रसार के लिए भारत सर्व ज्ञान का श्रेणी रहा।

यद्यपि सांस्कृतिक दृष्टि से दोनों देश एक-दूसरे के बहुत निकट थे तबिन मुताबिक भारत ज्ञान के साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सका। आजादी के बाद ही दाना देश के बीच राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित हो सके। तबिन भाषा की क संघर्ष के दौरान कई भारतीय लिटिगेशन चरण से वचन के लिए ज्ञान की चलाए और वहाँ रहकर उन्होंने यूरोपीय ज्ञान का शिष्टन द्वारा भारत के शोषण से परिचित कराया। 1913 में एक ज्ञान नाम भारतीय नए ज्ञान समाचार-पत्र सम्पादितार नास्रिस्टेन में ज्ञान उद्यापतिदा को भारत में कारखाने ज्ञान का प्रदीप की। 1914 में ए ज्ञान निम्नले ज्ञान भारत का आजादी के पुस्तक लिखी। 16 अगस्त 1915 में ज्ञान समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता-समिति नामक एक मुक्त संस्था का घोषणा-पत्र प्रकाशित किया। बाद में इसका नाम बदल कर भारतीय राष्ट्रीय समिति-यूरोपीय बदल गया।

इससे पूर्व 1915 में अमेरिका में शोषण मोनाना बरकनुन्नाह ज्ञान ने ज्ञान ताकि के यूरोप में भारतीय स्वतंत्रता के लिए चेतना जागृत कर सकें। बाद में राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में जिस संस्थायी भारतीय सरकार की घोषणा की उसमें स्वयं को राष्ट्रपति तथा मोनाना बरकनुन्नाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। भारत

के मुल्तान क्षेत्र के त्रातिकारिया ने अपने की काये जमन या पीन जमन धापित किया । उधर राजा महन् प्रताप 1918 म बर्बन भी गण ताकि भारतीय स्वतन्त्रता के लिए जमन राष्ट्र का सहयाग प्राप्त किया जा सके ।

बाद म एम एन राय ताराचन् राय विनय कुमार सरकार ए मी एन नम्बिधार ए हुमन प्राफ्मर गिरिजा क मुखर्जी आदि न जमनी म भारतीय स्वतन्त्रता के लिए काम किया । पणित मातीनाल नेहरू जवाहरनाल नेहरू व डा राम मनोहर लोहिया ने भी जमनी की यात्रा की ।

भारतीय नेताओं म गुभापचन् वाम वह प्रमुख व्यक्ति थ जिहोने हिटलर की जमनी म सहायता प्राप्त कर भारत को आजाद करान का असफल प्रयास किया । नेताजी सुभाष चन् दास व राय को एम आर आस व प्रा गिरिजा क मुखर्जी ने प्राय जारी रखन का प्रयास किया ।

जब भारत अपने सन्त्रधान के निमाण म रत था तो भारताय विधि विशेषज्ञी न जमन सविधान (वेसिङ्ग टा) का भी गूल् अध्ययन किया । इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र म भारत न जमनी का महयाग व सहानुभति प्राप्त करन का प्रयास किया । तकिन फिर भी भारत आखिर ब्रिटन का दास था अत जब ब्रिटन क विरुद्ध जमनी ने युद्ध छेला तो भारत को उसम सहयोग देना पना । 6 सितम्बर 1939 को भारत ने मित्र राष्ट्र के समथन म हिटलर के जमनी क विरुद्ध घोषणा की और जब विजताओं की सना न जमनी म 1945 म प्रवण किया तो उसम भारत के साथ प्रतिनिधि भी शामिल थ ।

भारत ने जमनी के साथ अपने सुमधुर सांस्कृतिक सम्बन्ध को ध्यान म रखते हुए फडरन जमनी के साथ सम्बन्ध सुधारन की दिशा म भारी रुचि लिखाई । उधर जमनी भी स्वतन्त्र भारत की मदभावना प्राप्त करने का आसुकु था । भारत उस समय अन्तर्राष्ट्रीय जगत् म एक उदायमान तितारा था तथा एशिया व अफ्रीका में वह काफी लोकप्रिय था । फन्ल जमनी एशिया व अफ्रीकी देश म अपने पाष जमाना चान्ता था । यहा भारत की मनी व मायता एक महत्वपूर्ण तथ्य सिद्ध हो सकती थी ।

1 जनवरी 1951 को भारत न जमनी के साथ युद्ध की स्थिति का अन्त बानन की घोषणा की और 11 नवम्बर 1951 को नई दिल्ली तथा वान म एक-साथ यह घोषणा की गई कि दोनों न राजनयिक सम्बन्ध स्थापित कर लिए हैं तथा पीछ ही राजदूता का प्राणन प्रणन किया जाएगा । 22 अगस्त 1952 में नई दिल्ली म जमन राजदूतावास खोला गया । इस प्रकार अफ्रीकी व एशियाई देशों म भारत उन राष्ट्र म स एज था जिनम सबसे पहले फन्ल जमनी क साथ सम्बन्ध स्थापित करन म तयारता दिखाई । भारत और जमन क बीच राजनयिक से अधिक प्राथिक सम्बन्ध रहे ।

दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों का इतिहास 1844 से प्रारम्भ होता है जब हाम्बुर्ग की वाणिज्यिक कम्पनी 'हान्सियाटिक सोसिटी' का प्रथम वाणिज्य-दूत एच. विल्हेम ने बर्म्बर्ग आकर अपना कार्यालय खोला। उसी वर्ष कलकत्ता में टी. एच. ए. वाटेनबाल ने वाणिज्य-दूत का कार्यालय स्थापित किया। द्वितीय महायुद्ध के बाद 12 मई 1951 को बर्म्बर्ग में प्रथम जर्मन महावाणिज्य-दूत का कार्यालय खोला गया। 20 जनवरी 1956 में बर्म्बर्ग में भारत-जर्मन व्यापार-मण्डल (इंडो-जर्मन चेम्बर ऑफ़ कामर्स) की स्थापना की गई। इस दोनों देशों में माल का आयात-निर्यात 1951 में ही प्रारम्भ हो गया था। निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों देशों में मध्य मारी व्यापार था।

जर्मनी द्वारा भारत को भेजा गया माल (लाख माक)

1951	2140	1960	8340
1952	2270	1961	7800
1953	2770	1962	7310
1954	3750	1963	7240
1955	5900	1964	7770
1956	8190	1965	10490
1957	11260	1966	9510
1958	11730	1967	7960
1959	9600	1968	5750
		1969	4980

भारत द्वारा जर्मनी को भेजा गया माल (लाख माक)

1951	1200	1961	2230
1952	1250	1962	2610
1953	1660	1963	2540
1954	1530	1964	2720
1955	2680	1965	2440
1956	1890	1966	2390
1957	2520	1967	1840
1958	1920	1968	2150
1959	1800	1969	2370
1960	1840		

उक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि भारत ने कम माल भेजा तथा जर्मनी से ज्यादा माल आया। इनसे भारत के विदेशी व्यापार में असन्तुलन हुआ और

1969 के बाद भारत ने पूर्वापि ना अधिक मान भेजना आरम्भ किया तथा यापार सतुनन कुदु ठोक हो सका ।

फरन जमनी के विदेश-सहायता कायनम म भारत का मवाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । आज तक पश्चिमी जमनी ने जो सरकारी निधीय ऋण दिए हैं उनका 33 प्रतिशत भाग भारत को दिया तथा तकनीकी सहायता-कायनम के अंतगत जो मदद दी गई उसका 10 प्रतिशत भाग भारत को निस्स म प्राया है । 1957 से नर अप्रल 1973 तक जमनी ने भारत के विकास के लिए 58000 लाख माक प्रदान किए हैं जो 1850 करोड रुपया क बराबर भेत हैं । 1973 में जमनी ने भारत का 3100 लाख माक अथवा 9² करोड रुपए ऋण ने रूप में देना स्वीकार किया है । इस प्रकार भारत का दी जाने वाली द्विपक्षाय सरकारी सहायता की दृष्टि से अमरिका के वा पश्चिमी जमनी का दूसरा स्थान है । 1974 में भारत का 3600 लाख माक यानी 108 करोड रुपए ऋण व सहायता के रूप में प्राप्त हुए । 1973 की तुलना में यह मदद 16 प्रतिशत अधिक है । 1974 में प्राप्त 3600 लाख माक में से 2200 लाख माक (66 करोड रुपए) ऋण के रूप में है तथा 100 लाख माक या 3 करोड रु कृषि विकास कायनम में सहायता के रूप में तथा 1300 लाख माक या 39 करोड रुपए पुरान ऋण में राहत के रूप में है । इस ऋण पर 2 प्रतिशत पाज दिया जाएगा तथा 30 वर्षों में चुकाया जा सकता है । न चुका पान की स्थिति में 10 वर्ष की अवधि और प्रदान की जाएगी । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋण उधार शर्तों पर दिया गया है ।

पारिभाषिक सहायता नियमन के साथ ही नई निनी तथा वान (पश्चिमी जमनी) के आर्थिक सम्बन्ध समा न रही हा जान । फरन जमनी ने भारत की अक्षणिन तकनीकी व कृषि तथा उद्योग विषयक प्रगति में मो मारा मायगा दिया है । कसर रोग निवारण रिमच टनीविजन तकनीक से नर भू-रूपग्रह निर्माण के क्षेत्र में दाना देशा न निकट सहाय्य स्थापित किया है । जिन क्षेत्रा में जमनी ने भारत का तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान की है उनका विवरण इस प्रकार है—

रुस्केला इस्पात कारखाना

भारत की अर्थ-व्यवस्था का सफल आघार प्रदान करने के लिए इस्पात की अत्यधिक आवश्यकता थी । जमनी ने रुस्केला में इस्पात-कारखाना स्थापित करने में सहायता प्रदान कर भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है । यह उल्लेखनीय है कि भारत के मावजनिक क्षेत्र में रुस्केला का इस्पात-कारखाना पहला स्थापित कारखाना है । यह कारखाना प्रति वर्ष लगभग 20 लाख टन स्टीन तयार करता है । पश्चिमी जमन राजदूत ग्लूटर डौहल के अनुसार रुस्केला इस्पात कारखाना अन्तर्राष्ट्रीय संयोग का प्रथम उदा रण है ।

मण्डी व कागडा-कृषि-योजना

हमारा दश एक कृषि प्रधान देश है तथा सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कृषि का वनानिक आधार बनाना करना। हमें जिन म जमना न हम सहायता दी है। हिमाचल प्रदेश क मण्डी व कागडा क्षेत्र म भारत जमन कृषि योजनाए लागू का गई हैं जिसम नेता की पदावार म वृद्धि के लिए वनानिक उपकरणों का प्रयोग सम्भव हुआ। यहा दाना दाना क कृषि विनियमन मित्रकर काय करत है। जमन सरकार ने कृषि समय दुग्ध विज्ञान योजना क लिए आवश्यक मुफ्त सहायता दी है।

नीलगिरी-कृषि योजना

दक्षिण भारत म स्थित नीलगिरी-क्षेत्र म भारत-जमन सहयोग मन्त्रिय दीप्त पटता है। कृषि पन्ति क आपसा सहयोग तथा विचारा क आदान प्रदान क कृषि की उन्नति सम्भव हुआ है। अब यहा क किसान पहल की अपन्या क गुनी अधिक पदावार करत हैं। यहा बीजा की किस्म को समुन्नत बनान तथा कृषि क लिए वनानिक यन्त्रा का अधिकारिक प्रयोग कान का काय हाता है। पिछल पाच वर्षों म हम सहयोग का गहरा प्रभाव पडा है।

मद्रास-तकनीकी सस्था

भारत को इन्जीनियरा व कुशल कारीगरों की आवश्यकता है। ती सस्था को दृष्टिगत करत हुए दश म तकनीकी अध्ययन सस्थान खाल गए। फरल जमी ने इस दिना म भी सहयोग का हाथ बन्धाया। 1969 म मद्रास म जो रियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी खोला गया उसकी स्थापना म जमन सहयोग प्राप्त किया गया। 1959 म यह सस्था आरम्भ हुई। इसन हजारों की सख्या म तकनीकी विद्यार्थी तयार किए।

बंगलोर-फोरमेन-सस्था

औद्योगिक व व्यावसायिक पक्षे म भी प्रशिक्षण जरूरा था और इस लक्ष्य की पूर्ति क लिए बंगलोर म फोरमेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का स्थापना की गई। यह सस्था भी जमन सहयोग के आधार पर खाली गई थी।

हावडा प्रशिक्षण व शोध सस्था

तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए शोध का भारी आवश्यकता महसूस की गई। प्रस्तुत समस्याओं के निवारण के लिए प्रत्येक राष्ट्र को सतत् शोध करनी पडती है। इस काम की पूर्ति के लिए जमनी के सहयोग म हावडा म मद्रास स्टाफ ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई।

टेलीविजन तकनीक मे सहयोग

भारत में टेलीविजन या दूरदर्शन-यंत्र के आगमन की जिना में भी पहल

जमनी का प्रमुख मन्त्राग रहा है। उसने न केवल भारत को सम्पूर्ण टिकाविलेन-समय में किये वरन् भारत में अविज्ञान-मन्त्रा न निमाण में जमने विज्ञापना का सत्राए मा प्रदान का। सम्बन्ध में आपना मह्याग में एक अविज्ञान-मन्त्र खोना गया है।

छापखानों

दश में शिक्षा के प्रसार तथा पुस्तिका को बचना इस मा को अतः एक आयुनिक विस्म के छापखाना का महत्त्व बना। फलतः जमना ने नम शिक्षा में भारत का सहायता करना स्वीकार किया। अन्तः (पत्राव) में जमने सहायग से एक विज्ञान और आयुनिक मगाना बना छापखाना बना गया ता पाठ्य-पुस्तकें छापने का कार्य करता है।

प्रथम युग की समीक्षा

अन्तःप्रवाह का विज्ञान-नाति यद्यपि अपन मूल रूप—दश के एकीकरण का प्राप्ति में असफल रहा तकिन् हमके दाबतू उमने विज्ञान-नाति के क्षेत्र में कई उपरति तथा प्राप्त का है। उसने जमना के लिए सावनीम सत्ता प्राप्त की फास की मुक्त मैत्रा हामिन का रिश्ते का मित्र बनाया तथा अमरिका का सुरक्षा कवच प्राप्त किया। अन्तःप्रवाह का जवा है कि फ्रांसीसी जमने मह्याग-समि उसी महान् सवा है। उसने दृष्टिगत जमने दश का नुमन्य सत्ता का श्रेणा में ता खडा किया तथा प्राणिक दृष्टि से उस एक महान् शक्त बनाया। विज्ञान सहायता के मान्यम से उसने विकासामुक्त शक्तों की मैत्रा तथा सम्मान प्राप्त किया।

विदश-नाति का द्वितीय युग 1966-77

अन्तःप्रवाह के पश्चात् तान वष तक तुर्किग एरहात चांसदर के पक्ष पर रहा। उसने जमने उस विज्ञान-नाति का पानन किया ता उनके पूर्वगामी न आरम्भ का था। तकिन् 1966 में तब त्रिचियन दमात्रिक युनियन तथा माशत दमात्रिक पार्टी की मित्री युवा बहव-सरकार (गान्धिकात्रीगन) बना और हमम पासल दमात्रिक पार्टी के नेता बिना द्राष्ट का वाचम चांसदर (उप प्रधानमन्त्रा) तथा विज्ञान मन्त्रा नियुक्त किया गया ता बिना द्राष्ट ने हम गन पर सरकार में शामिल होना स्वाकार किया कि पूर्वी यूरोप के देश के माय सम्बन्धों का मुबारा जाए तथा उन्हें मुक्त आधार प्रदान किया जाए। उस दृष्टि से 1966 का वष मन्त्राय जमनी को विज्ञान-नाति के इतिहास में एक मीन का पथर है एक निणायक वष है। इस वष में जमने विज्ञान-नीति के अन्तगत एक नया अन्तःप्रवाह आरम्भ होता है जिस द्राष्ट पानितिक बहा जाता है। द्राष्ट पानितिक ग अर्थ होता है पूर्वी गान के अति नाति। महा पूर्वी देश से सात्य पूर्वी यूरोप के दश से है।

अन्तःप्रवाह युग में पूर्वी यूरोपाय देशों में सिर्फ सोवियत संघ का ही महत्त्व दिया गया तकिन् उसने साथ ही अन्य सम्बन्ध नहा रहे। उसका नीति धी शक्ति-

धान्तर विनी घाण्ट न कहा— सोवियत सघ के साथ यन् मधि युद्धोपरात जमनी की नाति की सफरता है। सोवियत सघ तथा हमारे पूर्वी पडामियो के साथ हमार सम्बन्ध सुधारने की दिशा म यह एक निशायक बदल है।

स सधि की प्रमुख धाराए इस प्रकार हैं —

(1) फररन जमनी तथा सोवियत सघ अन्तर्राष्ट्रीय शाति की स्थापना तथा तनाव परिस्थि क नश्य की प्राप्ति का अपनी नीतियो का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य मानत ह।

व स धान की पुष्टि करत है कि अपने प्रयासा द्वारा यूरोप म स्थिति को सामाय बनाने की नीति का बनाव दग तथा समस्त यूरोपीय देशो क मध्य शातिपूर्ण सम्बन्ध म वद्धि करग और एसा करत समय व स क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क आधार पर हा आग बनाव।

(2) फररन जमनी तथा सोवियत सघ अपने आपसी सम्बन्धो मे तथा साथ ही साथ यूरोपीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने क काय म सयुक्त राष्ट्र सघ क चाटर म उल्लिखित उद्देश्यो व सिद्धांतो स सचार्नित हाग। तदनुसार व सयुक्त राष्ट्र सघ क अनुच्छेद 2 क अनुवर्ती अपने आपसी विवादा का समाधान एक मात्र शातिपूर्ण साधनो स करग तथा व यह बचन देत ह कि अपने आपसी मामना क साथ ही साथ यूरोपीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करत वाल मामना म सनिक शक्ति क उपयोग या धमकी स दूर रगे।

(3) उपरिखित उद्देश्यो ए सिद्धांतो क अनुसार फररन जमनी तथा सोवियत सघ समान रूप स अनुभव करत है कि यूरोप म तभी शाति स्थापित रह सकनो है जब कां भा राष्ट्र वर्तमान सीमाओ का अविनाश न करे।

—व दिना किमी आरक्षण क यूरोप के सभी देशो की वर्तमान सीमाओ के अतगत प्रादेशिक अविनाशता का सम्मान करन की प्रतिना करत हैं।

—व यह धारणा करत है कि किमी भी राष्ट्र क विरुद्ध उनका कोई प्रादेशिक दावा नह। हे न भविष्य म भी व एमे दावो पर जा रग।

—वे आज भी मानत हैं तथा भविष्य म भी मानत रहग कि सभी यूरोपीय देशो की सीमाओ को जसी कि वे स सधि पर हस्तापर करने की तिथि के दिन है—अनुवर्तीय मानगे। इन सीमाओ म छोडर नाईसे रेखा भी है जो पान्ण गणराज्य की पश्चिमी सीमा है।

(4) फररन जमना तथा सोवियत सघ के बीच सम्पन्न स सधि से दोनो पगों द्वारा पहन का सर्व स्थितीय या बहुतीय सधिया पर कोई अंतर नह। पढगा।

एन संधि पर जर्मनी का और न किन्ही ब्राण्ड तथा वाटरगान (विन्ग मन्त्री) तथा मावियत सघ को और स प्रधान मन्त्री एलेक्सार्ड एन कामिगन तथा विन्ग मन्त्री एडाई ए ग्रीमिका न हस्ताक्षर किए । 1 मई 1972 को जर्मन मसद् ने इस संधि पर स्वीकृति मंगान की ।

आधुनिक यूरोप क इतिहास म इस संधि का निर्यातक महत्त्व है । इसके साथ ही पूर्वो तथा पश्चिमी यूरोप क बीच तनाव गण्डिय का वातावरण बनता गया और मात्री यूरोप की सुरक्षा का माग प्रशस्त हुआ । सावियन कम्युनिष्ट पार्टी के प्रमुख पत्र प्रावदा न इस सम्बन्ध म लिखा कि यह संधि फडरन जर्मनी का राजनीतिक शक्तिया व शान्तिवादी जनमानस की विजय है । यहा यहस्मरणीय है कि फडरन जर्मनी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह शान्तिपूज नराल म गाना जर्मन राजा के एकीकरण का प्रयास करता रहेगा ।

पोलेण्ड के साथ संधि

पोलण्ड का हिटलर क क्रूर आक्रमण का शिकार होना पडा । अत व । की जनता म जर्मन राष्ट्र क प्रति घणा थी । त्रिली ब्राण्ड का हा इस बात का श्रय दिग जाना चाहिए कि जर्मन पीतण्ड का जनता का विश्वास जीता । यद्यपि पोलण्ड न 18 फरवरी 1955 का जर्मनी क साथ युद्ध की स्थिति का समाप्ति की घोषणा कर दी थी लेकिन गाना दशा क साथ तनाव गण्डिय बना हुआ था । जसाकि पण्ड उल्लेख किया जा चुका है कि जर्मनी क विभाजन क समय कुद्ध जर्मन प्र ग पीतण्ड के प्रशासन म साथ गय थ तथा यह तय किया गया कि वाट म इन प्रणता क साथ का निर्यात किग जाएगा लेकिन पोलण्ड । उम अधिभूत जर्मन प्रणेश का अवन म मिला लिया और उम डर था कि भविष्य म जर्मनी इस प्रणश पर दावा कर मरता है लेकिन पोलण्ड यह प्रदान अथ नहा दना चाहता था । गाना देतो क बीच तनाव का एक कारण यह सीमा समस्या भी थी ।

7 माच 1963 को फडरन जर्मनी तथा पातण्ड न व्यापार-समझौता किया जिसस दाना श्रेणा को आर्थिक नाम हुआ । 1966 (माच 26) को फडरन जर्मनी न शांति स्थापनाय एक पत्र पोनेण्ड भजा । आगामी तीन वर्षों तक गाना दशा के मध्य सहयोग व संधि के सम्बन्ध म पत्राचार होना रहा । 17 मई 1969 का पोनेण्ड क साम्यवादी गन क नना ब्लागाम्नाव गामुक्त न यह प्रस्ताव रखा कि यदि जर्मनी घोन्ड-नार्त्स तदी को पोलण्ड की पश्चिमा सीमा स्वीकार कर लता दानो दशो क मध्य संधि हो सकती है । ब्राण्ड न इस विषय पर वाता करन का कहा । 4 फरवरी 1970 मे 7 फरवरी 1970 क बीच पातण्ड की राजधानी वार्सा म दाना क बीच वाता चनी जिसस सद्भावना व सहयोग का वातावरण बना । 7 दिसम्बर 1970 का दोना पक्षों के बीच सामाय सम्बन्ध निर्माण की संधि हुई । इस संधि की धाराए इस प्रकार थी—

(1) फ्रान्स जर्मनी तथा पोलण्ड न पाटसटम-समझौते (2 अगस्त 1945) के नीचे अध्याय में उल्लिखित वर्तमान सामाजिक वीकरण किया। यह सीमा फ्रान्स-नाटस नलिया द्वारा निर्मित हाती है। उन्हाते बनमान सोमाघ्रा का अनुवधनीयता की पुष्टि का तथा नर्णिय म न्यका सम्मान करन का वचन लिया। उन्हाते घोषणा की कि व एक हमरे क विरुद्ध िसी ना प्रकार क प्राणिक दाव नहा रखन न भविष्य म ही एसा करे।

(2) फ्रान्स जर्मनी व पाण्ड अणत पारम्परिक सम्बन्ध का साथ ही साथ यूरोपीय व अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का सुनिश्चित बनाने में समुक्त राष्ट्रसंघ के चाटर में उल्लिखित उद्देश्य व सिद्धान्तों में संचालित हूंगे। तदनुसार वे समुक्त राष्ट्र-संघ के चार के अनुच्छेद 1 तथा 2 के अनुवर्ती अपने सभी विवाहों का निपटारा एक मात्र शांतिपूर्ण तरीका से करेंगे तथा अपने पारस्परिक सम्बन्धों तथा यूरोपीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रभावित करन वान मामलों में शक्ति के प्रयोग या उसकी धमकी से पर रहेंगे।

(3) फ्रान्स जर्मनी तथा पोलण्ड सम्बन्धों को पूर्णतया सामान्य बनाने तथा अपने पारस्परिक सम्बन्धों का विशद रूप में विकसित करन के लिए आगे कदम उठावेंगे।

व यह स्वीकार करत हैं कि आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक व अन्य सम्बन्धों में सहयोग का विस्तार उनके आपसी हित में है।

(4) वर्तमान संधि सम्बद्ध पक्षा द्वारा पहन किए गए निषेधीय या बन्धनीय समझौतों को प्रभावित नहा करेगा।

फ्रान्स जर्मनी की ओर से इस संधि पर विली ब्रान्ड तथा वाटर ग्रीन न तथा पोलण्ड की ओर से जोन्फ सिराकीविकज तथा स्पीफन जडीकोवस्की न हस्ताक्षर किए।

वासा में संधि पर हस्ताक्षर करन के पश्चात् पोलण्ड के प्रधान मंत्री जाजक सिराकाविकज न उन्हा इस संधि की एक ऐतिहासिक श्रुति है। यह हम दोनों राष्ट्रों तथा समग्र यूरोप के लिए लाभकारी सत्याग का मांग प्रकट करेगा। विली ब्रान्ड ने अनुसर में कहा—यह हम दोनों राष्ट्रों के लिए एक विजय है। इस संधि में एक नवीन युगात होगी। मरी सरकार की नीति तनाव शून्य की नीति है। इस द्वार सामाजिकी कदम उठाने हूंगे। पोलण्ड के साथ संधि सम्बद्ध हान के साथ यूरोप में शक्ति के लिए उपयुक्त वातावरण तयार हूंगा। जर्मन बुद्धि का मे 1972 में इस संधि का भी स्वीकृति प्रदान की।

विली ब्राण्ट को नोबेल पुरस्कार (1971)

सन् 1971 फरवरी जर्मनी के इतिहास में सर्वप्रथम हुआ जाया। नव वर्ष चान्सलर विली ब्राण्ट का विश्व विख्यात नाबेल शांति-पुरस्कार प्राप्त किया गया। यह जर्मनी की शांति-पूर्ण विदेश-नीति का सफलता का उच्चतम प्रतीक था। इस अवसर पर फरवरी जर्मनी के राष्ट्रपति गुन्टफ हाइनमान ने कहा— ब्राण्ट का विश्व के तरह से खतरा मरना है और ना एन दुःखा व स्त्रिया की तलाश है जिनमें विश्वास व्यक्त किया जा सके नाबेल पुरस्कार समिति ने विली ब्राण्ट को नाबेल शांति-पुरस्कार देकर उनमें विश्वास व्यक्त किया है।

नोबेल पुरस्कार-समिति ने विली-ब्राण्ट का नाबेल शांति पुरस्कार देने की कारणा का उल्लेख करते हुए कहा कि फरवरी जर्मनी के नेता के रूप में तथा जर्मन जनता की ओर से विली ब्राण्ट ने उन लोगों के प्रति मन्त्री का हाथ बढ़ाया जा दीघकाल में शत्रु था। उन्होंने यूरोप में शांति के लिए सद्भावना की नीति में पूर्वाभिनत वातावरण तैयार करने में असाधारण सफलता प्राप्त की है। समिति ने आगे कहा— 1966 में विश्व मनों के रूप में तथा 1969 में चान्सलर के रूप में विली ब्राण्ट ने तनाव अधीन के लिए वातावरण तैयार करने की नीति में सुनिश्चित काम उठाया है तथा पाठ्य व साहित्यिक मध्य के साथ बने प्रयाग परिवर्तन में पर हस्ताक्षर किया है।

विली ब्राण्ट ने नाबेल की राजधानी ब्रांला में 10 दिसम्बर 1971 का नाबेल शांति पुरस्कार स्वीकार करने के पश्चात् कहा— मुझे अत्यधिक खुशी है कि मेरे नाम का नाम शांति की इच्छा के साथ जुड़ा जा रहा है। विली ब्राण्ट ने कहा— आपसी विनाश से बचने का एक ही रास्ता है और वह है पारस्परिक मरना। साथ ही आगे कहा— युद्ध राजनीतिक तथा की प्राप्ति का साधन नहीं है। युद्ध को सीमित नहीं करने पूरा समाप्त करना होगा।

जनवादी (पूर्वी) जर्मनी के साथ संधि

हिटलर की पराजय के पश्चात् जर्मनी का 1945 में मुख्यतः चार भागों में बाटा गया। 1949 आत आत रूस प्रसिद्ध पूर्व जर्मन प्रदेशों में साम्यवादी शासन पद्धति के आधार पर जनवादी जर्मन राज्य का निर्माण किया गया तथा अमेरिका ब्रिटेन व फ्रांस के अतिरिक्त क्षेत्रों को मित्र राष्ट्र पश्चिमी जर्मनी या मध्य जर्मन गणराज्य की रचना का गर्जना पश्चिमी जनतंत्रिय पद्धति अपनायी गई। पूर्वी जर्मनी में गणराज्य स्थापित वामा मन्त्रि सभ के सन्देश बना तथा फरवरी (सोवियत) जर्मनी अमेरिका तथा प्रस्तावित उत्तर मन्त्रान संधि-संगठन का सन्देश बना। इस प्रकार विचारधारा तथा संधि संगठन का सम्बन्ध की दृष्टि में दोनों जर्मन राज्य एक-दूसरे के नयन विरोधी हो गए। पश्चिमी जर्मनी ने पूर्वी जर्मन राज्य के अस्तित्व से ही अस्वीकार किया तथा उस सोवियत अतिरिक्त जर्मन प्रदेशों की सत्ता को।

साथ ही यह जवाब भी दिया कि पश्चिमी जर्मन राज्य का समस्त जर्मन जनता का प्रतिनिधित्व करना है। आन्ताराष्ट्र का कहना था कि पूर्वी जर्मनी में निर्णय तथा स्वतंत्र चुनाव नहीं हुए हैं अतः पश्चिमी जर्मनी ही समस्त जर्मन जनता का सही व सच्चा प्रतिनिधि है।

विश्व के अन्तर्गत जहाँ पूर्वी जर्मन राज्य का राजनयनिक मायता न दर्शाया गया है प्रेरित होकर आन्ताराष्ट्र युग के आरम्भ में आन्ताराष्ट्र सिद्धांत का जन्म हुआ। अतः अन्तर्गत विचार से पाठ्य किया जा चुका है। यद्यपि दाना जर्मनी के नेता एक जर्मन का उत्तर दे रहे हैं फिर भी जनता के एकिकरण के पक्ष में था क्योंकि जर्मन नागरिकों के सम्बन्धी व मित्र जना राज्यों में फल हुए थे। दाना राज्यों के नेताओं के एकिकरण का दम भरन रहे लेकिन उनकी शर्त अन्तर्गत प्रयोग था। पश्चिमी जर्मनी समस्त जर्मनी का एक जनतन्त्रीय राष्ट्र के रूप में दखना चाहता था तथा पूर्वी जर्मनी टप गठ साम्यवादी राष्ट्र के रूप में।

बर्लिन की समस्या और भी अधिक विकट था। यह नगर पूर्वी जर्मन राज्य के मध्य में स्थित है और पश्चिमी बर्लिन पश्चिमी जर्मनी के साथ था तथा पूर्वी बर्लिन पूर्वी जर्मन राज्य के अधिकांश में। 1948 में पहली बार अमेरिका ने बर्लिन नगर को नाकाबली कर पश्चिमी बर्लिन की जनता का पूर्वी जर्मन राज्य में मिशन का प्रेरित करना चाहा लेकिन अमेरिका ब्रिटेन व फ्रांस द्वारा बड़ा वायुयानों में रमन व अन्तर्गत सामग्री पहुँचाई। वायुयानों का प्रयोग अन्तर्गत करना पला क्योंकि पूर्व जर्मन सरकार ने स्थान मांग कर कर लिया था। पूर्वी जर्मनी ने पश्चिमी जर्मनी के नागरिकों को स्थान मांग में पश्चिमी बर्लिन में प्रवेश पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया था। वे लोग अमेरिका फ्रांस या ब्रिटेन वायुयानों में अन्तर्गत पश्चिमी बर्लिन पहुँच सके थे।

1961 में पूर्वी जर्मन सरकार ने पूर्वी बर्लिन व पश्चिमी बर्लिन के बीच एक कार्टर लीवार बनाया ताकि पूर्वी बर्लिन से लोग पश्चिमी बर्लिन में न जा सकें। पश्चिमी जर्मनी अमेरिका ब्रिटेन व फ्रांस ने भावियत मध्य में विरोध प्रकट किया लेकिन लीवार बनो रहा।

1966 में अन्तर्गत विचार आन्तर्गत युनियन और मोन्ट आन्तर्गत पार्टी की मिनी तुना वल्ड सरकार बनो तब बिना राष्ट्र उप प्रधानमंत्री (वार्डम चासटर) तथा बिना मंत्री के पक्ष पर आसीन हुए। उन्होंने पूर्वी जर्मनी के साथ सम्बन्ध सुधारन की जिम्मा में पक्ष की। यह अन्तर्गतनीय है कि वल्ड सरकार में प्रवेश करने में पूर्व सामाजिक डमाश्टिक पार्टी ने पूर्वी जर्मनी के प्रति नवान नीति अपनायी की बात का था। मोन्ट डमाश्टिक नेता राष्ट्र की मांगता थी कि चीन युद्ध की नीति में जर्मनी के एकिकरण का अन्तर्गत प्राप्त नहीं हो सका है अतः तनाव घटिये का नीति का अनुसरण करके वह अन्तर्गत प्राप्त किया जाए। राष्ट्र ने अपने

दल के नेता के रूप में पूर्वी जमनी के नेताओं को पत्र लिखे तथा दोनों राज्यों के नेताओं द्वारा एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर भाषण देना प्रस्ताव रखा। साथ ही दल के सभी स्तरों पर आपसी सम्पर्क की बात की गई। लेकिन पूर्वी जमनी के नेताओं ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

फडरल जमनी के 28 वर्ष के इतिहास में 1969 में पहली बार सांख्यिक दमोक्रैटिक पार्टी ने मुख्य पार्टी के रूप में श्री दमोक्रैटिक पार्टी के साथ 'मिनी-जुनी नधु सरकार' (मिनी कोऑर्डिनेशन) बनाई। इस सरकार ने पूर्वी जमनी से सम्बंधित सुधारों का कार्य और तत्पर कर दिया। इसी प्रयासों के फलस्वरूप 1972 में दोनों जमनी राज्यों के बीच सम्बंधों का आधार बनाने के लिए मंच के प्रारूप पर हस्ताक्षर हुए। फडरल जमनी के जनवादी (पूर्वी) जमनी राज्य के बीच पूर्ण संधि की व्यवस्थाएँ इस प्रकार हैं —

- (1) फडरल जमनी के जनवादी जमनी समानता के आधार पर एक दूसरे के साथ अत्यंत पड़ोसी के सामान्य सम्बंध विकसित करेंगे।
- (2) दोनों देश संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में उल्लिखित सिद्धान्तों में संचालित होंगे खासकर सभी राष्ट्रों के मानवमूल समानता स्वतंत्रता के प्रति सम्मान स्वशासन प्रादेशिक अखण्डता तथा आत्मनिर्णय के अधिकार मानव अधिकारों की सुरक्षा तथा भ्रष्टाचार का अंत करने की दिशा में प्रवृत्त होंगे।
- (3) संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुसार दोनों राज्यों एक मात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपने विवादों का समाधान करेंगे तथा शक्ति का प्रयोग या उसकी धमकी का प्रयोग नहीं करेंगे।
वे अस्वीकार्य तथा अविद्यमान एक दूसरे की वर्तमान सीमा की अनुसंधान नीयता को पुष्टि करते हैं तथा उनकी प्रादेशिक अखण्डता के सम्मान का वचन देते हैं।
- (4) दोनों देश इस भावना के साथ कार्य करेंगे कि दोनों राज्यों में संधि भी राज्य अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में दूसरे का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता या उसके नाम पर कार्य नहीं कर सकता।
- (5) दोनों देश यूरोपीय राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सम्बंधों की प्रोत्साहित करेंगे तथा यूरोप में शांति व सहयोग की दिशा में कार्य करेंगे। वे यूरोप में संधि तथा शस्त्रों की संधि में भी अपने सम्बंधों प्रयासों का समर्थन करेंगे।
- (6) दोनों राष्ट्र इस सिद्धान्त को मानकर चलेंगे कि दोनों राज्यों का क्षेत्र अधिकार उनकी सीमा तक सीमित है। वे आंतरिक व विदेशी मामलों में एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे।

- (7) राजा राज्य सम्पत्तियों का समावेश जनता का अधिकार है व्यावहारिक तथा मानविय प्रजा का नियमित राज्य का न्याय है । २ अनुमान यदि क क्षाय पर क्षायता जान क तिर अथ यस्या विनात तस्मात् क्षायता प्रतीय सम्पत्तियों तक व दूर सचार स्वास्थ सम्पत्ति स्वरूप वानासंग की सुरक्षा तथा अत्र क्षयों म समझीत करे ।
- (8) फलतः जमना व जनता जमना शरीर दूतावासों का धारण प्रदान करे ।
- (9) राजा राज्य पर स्वाराज्य कर है कि जनता यदि उनका राजा पर सम्पत्ति विना गण स्थि तिर या वदुःस्थाय समझीता का प्रभावित नर्त करे ।

फलतः जमना का अत्र म सम यदि पर लमान वार २ तथा जनता जमना की वरफ म विचारण वार न स्था तर विना । स्य यदि क मात् या राजा राजा म वर क्षा २ तनासंग सम्पत्ति समाप्त करन का स्थि म वाय धारण दृष्टा । जमना का जनता न स्य त्रि य का यदि स्वागत किया ।

अस्वाभाविकता का समाप्त कर

11 दिसम्बर 1973 का अस्वाभाविकता का समाप्त कर म यदि सम्पत्ति है । फलतः न 1939 म अस्वाभाविकता पर उदर अतिरिक्त कर किया था तत्र म वर का जनता - मन म जमना क प्रति वरता का भावना था । फल राजा राज्य का विना मतिर गत राजा क सम्पत्ति बन गए । अस्वाभाविकता न न वामा मतिर यदि का सम्पत्ति स्थाकार का ता फलतः जमना क अत्र जनता मति-नगरन म प्रदा किया । अस्वाभाविकता का समाप्त कर था कि वर फलतः जमना फलतः का मति सम्पत्ति जमन प्रजा की भाग न कर २ अत्र वर वर वारता था कि जमना म्युनिथ समझीता 1938 क अत्र का धारणा कर । विना वारत क मद् प्रजा न राजा २ क ल स्वर क निवृत्त धार तथा 1973 म यदि सम्पत्ति है । उमका धारण स्य प्रकार है —

- (1) फलतः जमना तथा अस्वाभाविकता अनुमान यदि क अन्तगत वर मानन है कि अत्र धारणा सम्पत्ति क वार म 29 दिसम्बर 1938 म्युनिथ समझीता प्रभावित है ।
- (2) जनता यदि म 30 दिसम्बर 1938 म वर 9 म 1945 तक क वायु वानून प्रभावित था ज्ञाते ।
- (3) राजा २ अत्र धारणा मवर्षों तथा माय २ दुरावीय तथा अन्तगृहीत सुर ता का मुनिग्विन बनान म मनुष्य राज्य म क वार म गन्धित वर श्यों व सिद्धाता म मवाचित हाय ।

मनुक्त राष्ट्र सघ के चार्टर के प्रथम व द्वितीय अनुच्छेद के अनुसार व अनन्य आपस विवादा का समाधान एक मात्र शांतिवक तरा स करेगे तथा यूरोपाय व अन्तराष्ट्रीय सुरक्षा का प्रभावित करत गत मामला तथा अन्तःपारम्परिक संधि स वल स्याय या उका सता नहीं सगे ।

- (4) उपरिलिखित उद्देशा व सिद्धान्ता व अनुकूल गता सग अन्तःपारम्परिक नीमा का अनुसंधनायता का सृष्टि करत है तथा अन्तःपारम्परिक क्षेत्र में विना किसी आरक्षण के एक दूसरे का प्राणिक अनुभवता का सन्तान करत का वचन सत है ।
- (5) दाना दग अन्तःपारम्परिक संधियों के विना विकास के लिए और कष्टम उठाएँ । व स्वीकार करत है कि आर्थिक व धनानिक क्षेत्र में अन्तःपारम्परिक तथा तकनीकी सन्धियों स तथा सन्तान गतावरण के रक्षण अनुकूल यानायान व अन्तःपारम्परिक सन्धियों स पशुमा ससा सहयोग करेगे ता दानों के हित स गता ।

फरल जमनी की आर स सत सति पर त्रिनी ब्राष्ट तथा वालरगान (विश्व-मत्री) तथा चक्रासनावाकिया का आर स नुवामार स्टालगन (संधानमत्री) तथा बाटुस्लाव छनाउपक (विश्व-मत्री) न हस्ताभर किए ।

ओस्ट पोलिटिक की समीक्षा

त्रिनी ब्राष्ट न 1964 स कहा था— आर्थिक दृष्टि स फरल जमना एक नीमकाय व्यक्ति है और राजनातिक दृष्टि स दोना । सत दोन फरल जमना की सतुनित व्यक्तित्व प्रदान करना जरूरी था । आन्तःपारम्परिक युग स पश्चिमी राष्ट्र के साथ नुक्त सवध स्यापित हा चुक व और फरल जमना न आर्थिक ससदिक का साथ प्राप्त कर लिया था । त्रिनि जय तक पूर्वी यूरान के सग फरल जमना का सान्ता नहीं दत तव तक उसना अन्तराष्ट्रीय व्यक्तित्व असतुनित था साथ ही जमना के एकाकरण का सिया स साचा नी नहीं जा सकता था । सत समय की माय था कि पूर्वी यूरोपाय ससा के साथ सन्धिय ससामाय बनाए जाए और विली ब्राष्ट न यह कर सियाया । 1969 स अन्तःपारम्परिक नीति की घोषणा करत हुए त्रिनी ब्राष्ट न कहा— 'पूर्वी यूरोप के प्रति हमारा नीति शान्ति-नीति के अन्तःपारम्परिक नहीं हा सकता ।

स प्रकार ओस्ट पोलिटिक का आविनाव सग और 1970 स सत और पाल्म के साथ वन प्रया-परित्याग सधि पर हस्ताभर सए । उसके साथ ही यूरोप की तनाव पूरा परिसिधति में एक अनुसंधान परिवनन आया । विली ब्राष्ट न सत प्रकार विश्व शानि के लिए माय प्रयत्न किया । मानवता व शानि के प्रति उसकी सवासा को दखन हुए 1971 स नावन-पुरस्कार-समिति न विना ब्राष्ट का शानि-निग नोवन पुरस्कार दकर सम्मानित किया । यह पुरस्कार फरल जमनी व विली ब्राष्ट के

लिए एक अपूव सम्मान था तथा यह जमनी की शांतिवादी नीति का धरम प्रतीक भी था। बाद में जनवादी जमनी तथा चेकोस्लावाकिया के साथ संबध सुधार कर शांति स्थापना का इतिहास में नए अध्याय का नो मुखोश किया गया। ओस्ट पालिटिक विली ब्राण्ट तथा शांति का पर्याय बन गई। जमनी ने इस नीति के माध्यम से पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोप के बीच पुनः काय करन का सफल प्रयास किया। 1972 में प्रधानमंत्री वीदरा गाधी ने विनी ब्राण्ट का पत्र लिख कर आशा व्यक्त की कि 'राष्ट्रो के मध्य सहयोग व सद्भावना का स्थापना नग्य आगे भी सफल होगा। ये वाक्य ओस्ट पोलिटिक के महत्त्व को स्पष्ट करते हैं।

जमनी तथा सयुक्त राष्ट्र सघ

आरम्भ से ही जमनी की यह इच्छा रही कि वह सयुक्त राष्ट्र सघ का सदस्य बने तथा विश्व शांति एवं सहयोग में योगदान दे। सयुक्त राष्ट्र सघ का सदस्य बनने पर जमनी का विभाजन हुआ जाता क्योंकि फ्रान्स जमनी अभी सयुक्त जमनी का प्रतिनिधि नहीं बन सकता था। लेकिन विश्व के विकास में सहायता देने के लिए उसने इसकी कई अंतरराष्ट्रीय सस्थाओं की सदस्यता प्राप्त की तथा उन्हें भारी मात्रा में आर्थिक मदद दी। सयुक्त राष्ट्र सघ के अलग जमनी जिन अंतरराष्ट्रीय सस्थाओं का सदस्य बना उनका नाम इस प्रकार है —

- (1) अन्तर सरकारी जहाजी व्यापार सनाहकार सगठन जमनी 7 जनवरी 1957 को इसका सदस्य बना।
- (2) अंतरराष्ट्रीय परिमाणु ऊर्जा एजेन्सी (1 अक्टूबर 1957 को सन्स्थता प्राप्त)।
- (3) अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सगठन (8 जून 1956)।
- (4) विश्व डाक सघ (1955)।
- (5) सयुक्त राष्ट्र सघ शक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सगठन (21 जून 1952)।
- (6) खाद्य एवं कृषि सगठन (10 नवम्बर 1950)।
- (7) अंतरराष्ट्रीय श्रम सगठन (12 जून 1951)।
- (8) अंतरराष्ट्रीय बक-पुनरचना व विकास (14 अगस्त 1952)।
- (9) अंतरराष्ट्रीय विकास सघ (संस्थापक सदस्य)।
- (10) अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (संस्थापक सदस्य)।
- (11) अंतरराष्ट्रीय दूर संचार सघ (17 अप्रैल 1952)।
- (12) विश्व-स्वास्थ्य सगठन (29 मई 1951)।
- (13) विश्व क्रान्ति विज्ञान सगठन (10 जुलाई 1954)।
- (14) अंतरराष्ट्रीय मुग्ग (मानटेरी) काय (14 अगस्त 1952)।

फंडरन जमनी के संयुक्त राष्ट्र सघ की जिन सहायक अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं की सदस्यता प्राप्त की उनके नाम इस प्रकार हैं—

- (1) संयुक्त राष्ट्र-सघ औद्योगिक विकास सगठन (संस्थापक सदस्य) ।
- (2) संयुक्त राष्ट्र-सघ विकास-कार्यक्रम (संस्थापक सदस्य) ।
- (3) फिलीस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र-सघ राहत-कार्य एजन्सी (1952) ।
- (4) संयुक्त राष्ट्र सघ व्यापार व विकास-सगठन (1964) ।
- (5) यूरोपीय आर्थिक आयोग (21 फरवरी 1956) ।
- (6) संयुक्त राष्ट्र-सघ-बाल-सहायता-कोष ।
- (7) संयुक्त राष्ट्र-सघ शरणार्थी-उच्चायुक्त (आरम्भ से सहायता) ।
- (8) संयुक्त राष्ट्र सघ प्रशिक्षण एवं शोध-संस्था (1963) ।

उपरिलिखित सभी अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं को फंडरन जमनी ने काफी मात्रा में आर्थिक सहायता प्रदान की जिसका विवेचन निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है ।

संयुक्त राष्ट्र सघ की संस्थाओं को फेडरल जमनी द्वारा दा गई आर्थिक सहायता (1960-1971)

संस्था	आर्थिक सहायता (मिलियन डॉलर में)
(1) संयुक्त राष्ट्र सघ व्यापार व विकास-सम्मेलन	12 692
(2) संयुक्त राष्ट्र-सघ विकास-कार्यक्रम	392 320
(3) संयुक्त राष्ट्र बाल सहायता-कोष	73 972
(4) संयुक्त राष्ट्र सघ राहत कार्य सघ	60 384
(5) अन्तराष्ट्रीय धर्म सगठन	56 095
(6) खाद्य व कृषि-सगठन	85 568
(7) शैक्षणिक वन्यायिक व मास्कृतिक सगठन	74 445
(8) विश्व-बँक	172 252
(9) विश्व-स्वास्थ्य सगठन	135 390
(10) अन्तराष्ट्रीय विकास-बँक	1184 629

उक्त संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं को मिलाकर जमनी ने 1960-1971 की अवधि में 26430 208 लाख डॉलर प्रदान किए । इस प्रकार फंडरन जमनी अन्तराष्ट्रीय सहायता सद्भावना व विकास की दिशा में अत्यंत योगदान की धार धरकर हुआ ।

22 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र-सघ की मुख्या-परिषद् ने सर्वसम्मति में महासभा को सिफारिश की कि पूर्व तथा पश्चिमी जमनी को सरल राष्ट्र सघ की

सदस्यता प्रदान का नाए । 18 सितम्बर 1973 का फडरल जमना का बस महान् प्रन्तराष्ट्रीय मण्डन का सदस्यता प्रदान की गन् तथा फडरन जमनी सयुक्न राष्ट्र सघ का 134 वा सदस्य बना । 26 सितम्बर 1973 का सयुक्न राष्ट्र-महासभा म भाषण बन हुए फडरन जमनी क चान्दनर दिनी ब्राण्ड न कहा— हम यहा बसलिए नहीं आए हैं कि सयुक्न राष्ट्र-सघ क मघ का जमन समम्या क लिए आनोचना या माग क लिए प्रयुक्न किया जाए । हम यहा विश्व मामना स सम्बद्ध उत्तरनायित्व में हिस्सा बनन आए हैं । फडरन जमनी यूराप म शाति का स्थिति उत्पन्न करन का प्रयास करगा । वन प्रयाग क परित्याग की नीति हमारी शाति-नीति का प्रथम तत्व है और रहगा । श्री ब्राण्ड न आग कहा— सयुक्न राष्ट्र-सघ-पूण विनाशक युद्ध क चुनौती का उत्तर है—विश्व मानवता क शक्ति प्रयासा क सन्धिया पुरान सपन का दपण है बसक लिए सभी राष्ट्रा को एकतू हाकर काय करना हागा ।

□□□

अनुलेख (पोस्ट-स्क्रिप्ट)

पिछले पृष्ठों में 1975 तक के घटना चक्र का उल्लेख किया गया है। उसके बाद 1976 में पश्चिमी जर्मनी में बुदेसटाग (लोकसभा) के चुनाव हुए लेकिन सरकारी स्तर पर स्थिति वही बनी रही। 3 अक्टूबर 1976 को बुदेसटाग के चुनावों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी तथा त्रिशिचयन डेमोक्रेटिक यूनियन ने (तथा यूनियन की सखी पार्टी त्रिशिचयन सोशल यूनियन जो बवेरिया में सक्रिय है) भाग लिया। 1976 के इन चुनावों से पहले भी पश्चिमी जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी व फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी की मिली जुली सरकार थी और इन चुनावों के बाद भी वही पुनः उही की सरकार बनी। चान्सलर पद के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हेल्मुठ शिमडट पुनः चुने गए। विरोधी पक्ष (त्रिशिचयन डेमोक्रेटिक यूनियन) के नेता हेल्मुठ कोहन भी चान्सलर पद के उम्मीदवार थे। यह संयोग की बात है कि 1976 में चान्सलर पद के दो दावेदारों के नाम हेल्मुठ से आरम्भ होते थे एक हेल्मुठ शिमडट तथा दूसरे हेल्मुठ कोहन। पश्चिमी जर्मनी में 3 अक्टूबर 1976 को आयोजित चुनावों का परिणाम इस प्रकार रहा —

बुदेसटाग के चुनाव

दल का नाम	1976		1972	
	प्राप्त सीटें	प्रतिशत	प्राप्त सीटें	प्रतिशत
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी	214	42.6	230	45.8
त्रिशिचयन डेमोक्रेटिक यूनियन	190	38.0	177	35.2
त्रिशिचयन सोशल यूनियन	53	10.6	48	9.7
फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी	39	7.9	41	8.4
नशनल डेमोक्रेटिक पार्टी	—	0.3	—	—
जर्मन साम्यवादी दल	—	0.3	—	—

उक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि 1972 के चुनावों की तुलना में 1976 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तथा उसकी संयोगी फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी की अपेक्षाकृत कम प्रतिशत मत मिलने के प्रकार उनकी स्थिति कुछ कमजोर हुई। इसके बावजूद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी व फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी मिलकर सरकार का निर्माण करने में सफल रही। उधर त्रिशिचयन डेमोक्रेटिक यूनियन और बवेरिया

स्थित विश्वचयन साशल यूनियन न अपन मता म वट्टि की ये दोना दन बुन्नेमटाग म एक दन क रूप म बठन है और एम दृष्टि से देखा जाए जा 1976 क चुनाव म विश्वचयन डमात्र टिक यूनियन सबसे बड़ दन क रूप म उभरी एक नेता हलमुठ कात्त न पश्चिमी जमन राष्ट्रपति वाल्टर शीन स निवृत्त किया कि बुन्नेमटाग म सबसे बड़ राजनीतिक दन के नेता के रूप म उक्त सरकार बनान का निमित्त किया जाय । हुनमठ काहन न फ्री डमात्र टिक पाटा क नेता हास रिपब्लिक गशर स कहा कि यह विश्वचयन डमात्र टिक यूनियन के साथ मिलकर सरकार बनाए लेकिन गशर ने एम प्रस्ताव का अस्वाकार कर दिया । उधर माशन डमात्र टिक पार्टी क अध्यक्ष विनि ब्राण तथा फ्री डमात्र टिक पार्टी के नेता जॉन्स रिपब्लिक गशर न पश्चिमी जमन राष्ट्रपति वाल्टर शीन स भेट की तथा कहा कि साशन डमात्र ट व फ्री डमात्र ट गण मित्रकर सरकार का निमाण करना चाहन है दोना दनों को मित्रकर बुन्नेमटाग म उनका वामत है अत उनक नेता क रूप म हलमुठ शिमड्ट का चान्बर के रूप म उम्मादवार क रूप म बुन्नेमटाग क सम्मुख प्रस्तुत किया जाए । जमा कि वमिक ला (मूनमून विवि या सविधान क 63 वें अनुच्छेद) म स्पष्ट कहा गया है —राष्ट्रपति बुन्नेमटाग क सदस्या क समक्ष चान्बर पत्र क प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित करता है । वाल्टर शीन न हलमुठ शिमड्ट का नाम चान्बर पत्र क लिए प्रस्तावित किया । 15 दिसम्बर 1976 का बुन्नेमटाग न शिमड्ट का चान्बर क रूप म चुना । फ्री डमात्र टिक पार्टी क नेता हास रिपब्लिक गशर का वाइस चान्बर (उप प्रधान मंत्री) बनाया गया उसके साथ ही गशर न विश्व मन्त्रा पद मा सम्माना ।

माघ 1977 म भारत जय मारारजी दमाई क नेतृत्व म जनता सरकार का गठन हुआ तो शोध ही पश्चिमी जमनी क विश्व मंत्री गशर न भारत की सद्भावना यात्रा का । अपनी भारत यात्रा क दौरान श्री गशर न विश्व मंत्री श्री शेटन विहारी वाजपयी तथा प्रधान मंत्री श्री इमान्त क साथ भेंट की और पहन स चल था रह भारत पश्चिमी जमन सम्बन्ध का और अधिक मुक्त आचार प्रदान किया । पश्चिमी जमनी विश्वने राष्ट्रा को जा आर्थिक विकास महायत्ना देना रहा है उनम भारत प्रथम स्थान पर है ।

पश्चिमी जमनी की आंतरिक स्थिति का दृष्टि स देखा जाय ता 1977 म बहा आतकवादी गतिविधिया म वट्टि देखी गई । अग्रत 1977 म आतकवाधिया न पश्चिमी जमनी क सघीय सरकारी बकीन बूबाक की हुया कर ली । अक्टूबर मास म वहां क एक बक मानिक का अपहरण किया गया तथा उमक बन्द म बन्द आतकवादी कल्पिया को रिहा करन की माग की गई । बाद म बक मानिक का हुया कर दी गइ ।

13 अक्टूबर 1977 का आतकवाधिया न मैजाको म प्राकृत्य धान धान पत्राशिव भीमन विमान लुपनहासा का अपहरण किया तथा पश्चिमी जमन जना

म आतकवादिया क नता बाटर-मायनहाफ तथा उसक अय सहयोगिया को रिहा करने की माग की गऱ । चार दिन तक इन हवाई डाकुआ न विमान के यात्रिया को बाधक बनाय रखा तथा लुप्तहासा विमान का राम दुबाई व मागादिशू के हवाई अड्डा पर न जाया गया बाद म मागादिशू के हवाई अड्डे पर विशप जमन सुरक्षा दल (कमाण्डो) ने मास्क व भुत्पुऱ म हवाई-दस्युआ पर हमला कर उहें मौत के घाट उतार दिया । एक सौ दम घण्ट क इम लाम-हृपक नाटक के बाद विमान यात्रिया न चन की सास ला । हलमुठ शिमडट क नतृत्व म पश्चिमी जमन सरकार की इस साहसिक कायवाही पर भारत अमरिका व फ्रांस तथा अन्य राष्ठा के नेताआ न बघाई न ।

1976-77 म पश्चिमी जमन सरकार न विमानो के अपहरण के विरुद्ध अन्तराष्ठाय स्तर पर अभियान चलाया । पश्चिमी जमनी के विदेश मन्त्री हास डिंटरिश गार न संयुक्त राष्ट्र संघ स माग की कि अन्तराष्ठीय वायु मार्गों की सुरक्षा क लिए इन आतकवादी अपहरण घटनाआ को रोकने के लिए एक अन्तराष्ठीय अभिसमय (कव्बान) स्वीकार किया जाए । पश्चिमी जमनी न सुभाब दिया कि इन हवाई दस्युआ को काइ भी राष्ट्र धरण न दे तथा इन अपराधियो को या तो सम्बद्ध राष्ठा को सौंप दिया जाए या जिम राष्ठा क हवाई अड्डे पर वे मौजूऱ है वहाँ उन पर मुकद्मा चला कर सजा दी जाए । पश्चिमी जमनी क इस सुभाब पर हवाई दस्युआ क विरुद्ध अन्तराष्ठीय अभिसमय की रूप रखा तयार हो चुकी है । इस प्रकार वान सरकार न मानवता की सवा की दिशा म एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है ।

अक्टूबर 1977 म लुप्तहासा विमान के अपहरण तथा पश्चिमी जमन कमाण्डो द्वारा उसकी रिहाई क बाद पश्चिमी जमन सरकार ने भारत सरकार के सामन यह प्रस्ताव रखा कि जमन अपन लुप्तहासा विमाना की सुरक्षा के लिए भारत क हवाई अड्डा पर पश्चिमा जमन विशप प्रशिक्षित सुरक्षा दल के सनिक रखना चाहता है प्रस्ताव म यह भा कहा गया कि यदि भारत चाहे तो वह भी एयर इण्डिया के विमाना की सुरक्षा क लिए पश्चिमा जमनी क हवाई अड्डा पर भारत क विशेष दल तनान कर सकता है । फिनहाल (अक्टूबर 1977) भारत न इम प्रस्ताव को स्वीकार नही किया है ।

आंतरिक स्तर पर आतकवाद का मुकाबला करने म लिए पश्चिमा जमनी की सरकार न अक्टूबर 1977 म विशप कानून पारित किया है हनमुठ शिमडट के नेतृत्व म पश्चिमा जमनी प्रगत का राह पर बऱ रहा है आज पश्चिमी जमनी म सबसे कम बकारी है उसक सिक्क माक का अन्तराष्ठीय मूय ऊंचा है जमन माक मुऱ व
 १०५५ मासक वाला सिक्का है ।

बेसिक लॉ का हिन्दी अनुवाद

मसदीय परिषद (Parliamentary Council) द्वारा घोषणा

संवधानिक परिषद् न रॉन नदी क तट पर स्थित वान नगर म 23 म 1949 का इस तथ्य की पुष्टि की कि जमन सघाय गणराज्य (The Federal Republic of Germany) के लिए आधारभूत विधि (The Basic Law) का जित्त संवधानिक परिषद् न 8 मई 1949 को अंगीकृत किया सघ क सन्स्य रायो (Laender) न दो तिहा स अधिक बहुमत से अमिपुष्ट किया। यह काय 16 म 22 मई 1949 के सप्ताह म सम्पन्न हुआ।

इम तथ्य के आधार पर संवधानिक परिषद् क प्रतिनिधि के रूप म उसक अध्याय न आधारभूत विधि पर हस्ताक्षर कर उस घोषित तथा प्रचारित किया।

बेसिक ला को धारा 145 के तीसरे परिच्छे के अनुसार सघीय राजपत्र (Federal Law Gazette) म प्रकाशित किया जाना है।¹

प्रस्तावना

जमनी के लोग न जा वादन बवेरिया ब्रमन हाम्बुग हस नोअर सक्मनी नाय रॉन-बेस्फालिया रॉनलण्ड-वेनेगीनट श्लसविग-हान्सलान ब्यूरेम-बुग वायेन तथा थूरेटम बुग-होन्डोनजोलन क निवासी हैं एश्वर तथा मानव के प्रति अपने उत्तरगायित्व के कारण सनय हाकर यूराप एक मयुक्त यूराप म नमान मागीणर क रूप म अपनी राष्ट्रीय व राजनीतिक एकता की सुरक्षा तथा विश्वशांति की सवा क मकप से अनुप्राणित होकर सक्रमण-कान क लिए अपने राजनीतिक जीवन को एक नवीन व्यवस्था देने की ष्ट्या से प्रेरित हाकर अपनी निवाचक शक्ति क आधार पर जमन सघीय गणराज्य क लिए अस आधारभूत कादून (The Basic Law) का अधिनियमित (Enact) किया है। उन्हाने उन जमन लोया की धार से नी यह कदम उठाया है जिहें हम काय म हिस्सा लन स वचित किया गया है। समस्त जमन जनता का आह्वान किया जाना है कि स्वतंत्र आत्मनिर्णय गरा जमनी का एकता एव स्वतंत्रता प्राप्त करें।

(1) मूल अधिकार (Basic Rights)

अनुच्छेद 1 मानव गरिमा की सुरक्षा

(1) मानव की गरिमा अवाध्य हागी। अमका सम्मान तथा सुरक्षा राज्य का दायित्व हागी।

1 अस अधिनियमना फररन ला पत्र क पृष्ठ अ क के गिनत 23 म 1949 को छी।

2 अनुच्छेद 23 की धार टिप्पणी। चए

(2) इसलिए जर्मन जनता ग्रहस्तात्तरणीय तथा अनुत्लघनीय मानव अधिकारों को प्रत्येक उमुदाय विश्व शांति एवं ाय का आधार मानती है ।

(3) निम्नलिखित मून अधिकार प्रत्यक्ष प्रवर्तनीय (direct enforceable) कानून होंगे ।¹ विधायिका कार्यकारी एवं ाय-पालिका इनस बाध्य होगी ।

अनुच्छेद 2 स्वतंत्रता का अधिकार

(1) प्रत्येक व्यक्ति का अपन व्यक्तित्व में उमुक्त विकास का अधिकार होगा । यह अधिकार उसी सीमा तक प्राप्त होगा जहां तक वह दूसरे के अधिकारों या सवधानिक व्यवस्था या नतिक सहिता का उल्लंघन न करे ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का अधिकार होगा तथा उसकी देह अबाध्य हागी । व्यक्ति की स्वतंत्रता अलघ्य होगी । किसी विधि के आधार पर ही इन अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकेगा ।

अनुच्छेद 3 विधि के समक्ष समता

(1) सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे ।

(2) पुरुष और स्त्रिया को समान अधिकार प्राप्त होंगे ।

(3) किसी भी व्यक्ति व प्रति उसके लिंग वश प्रजाति भाषा मातृभूमि जन्म स्थान आस्था या धार्मिक अथवा राजनीतिक विचारों के आधार पर कोई विभेद या पक्षपात नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेद 4 धर्म या पंथ की स्वतंत्रता

(1) विश्वास अंतरात्मा पंथ धर्म और विचारधारा सम्बंधी स्वतंत्रता (Weltan chaulich) का उल्लंघन नहीं किया जाएगा ।

(2) धार्मिक कार्यों में बाधा न डालने की गारंटी दी जाती है ।

(3) किसी भी व्यक्ति को उसकी आत्मा क विरुद्ध ऐसी सनिक सेवा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसमें हथियारों का प्रयोग करना पड़ता हो । इस सम्बंध में विस्तृत सघीय कानून बनाया जाएगा ।

अनुच्छेद 5 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

(1) प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति भाषण लेख एवं चित्रों द्वारा अपने विचारों क प्रचार की स्वतंत्रता होगी तथा वह स्वतंत्रतापूर्वक सामाजिकता उपलब्ध साधनों क शरत सूचना प्राप्त कर सकेगा । समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता तथा फिल्मों तथा रेडियो प्रसारण क साधनों से सूचना देने की स्वतंत्रता की गारंटी दी जानी है ।

(2) ये अधिकार व्यापक कानूनों और युवकों की रक्षा तथा व्यक्तिगत सम्मान की अलघ्यता से सम्बद्ध कानूनों से सीमित हैं ।

(3) कला और विज्ञान शोध काय तथा अध्यापन में स्वतंत्रता होगी। अध्यापन की स्वतंत्रता सविधान के प्रति निष्ठा की भावना से मुक्त नहीं होगी।

अनुच्छेद 6 विवाह परिवार अवध बच्चे

(1) विवाह तथा परिवार को राज्य का विशेष संरक्षण प्राप्त होगा।

(2) बच्चा का जन्म-पालन व दलभाल माता पिता का नैतिक अधिकार है और ऐसा करना उनका प्रमुख कर्तव्य है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय समुदाय उनके प्रयासों का निगरानी करेगा।

(3) जो लोग भरण-पोषण के अधिकारी हैं उनकी धन्यता के विरुद्ध बच्चा को उनके परिवारों से अलग न किया जाय। यदि एने व्यक्ति अपने दायित्व में असफल रहते हैं या बच्चे के प्रति उदासीनता का स्वतंत्रता है ना कानून के अनुसार बच्चा को इनके परिवारों से अलग किया जा सकता है।

(4) प्रत्येक माता का अधिकार होगा कि वह समुदाय द्वारा सुरक्षा तथा दलभाल प्राप्त कर सके।

(5) अवध बच्चा को उनके शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास तथा समाज में स्थान के सम्बन्ध में कानून द्वारा वही अवसर प्रदान किये जाएंगे जिनका उपयोग वह बच्चे करते हैं।

अनुच्छेद 7 शिक्षा

(1) समस्त शैक्षणिक व्यवस्था राज्य की देखरेख में रहेगी।

(2) जिन व्यक्तियों का बच्चा के भरण-पोषण का अधिकार होगा उन्हें ही यह अधिकार भी होगा कि वे यह निश्चय कर कि बच्चे का धार्मिक शिक्षा दी जाये अथवा नही।

(3) धर्मनिरपेक्ष स्कूलों को द्वाबकर राज्य तथा नगरपालिका के स्कूलों के सामान्य पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा को स्थान दिया जाएगा। राज्य की देखरेख के अधिकार का क्षति पहुँचाये बिना धार्मिक समुदायों के सिद्धान्तों के अनुसार शिक्षा दी जाएगी। अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी भी अध्यापक को धार्मिक शिक्षा देने का बाध्य नहीं किया जाएगा।

(4) निजी स्कूलों की स्थापना के अधिकार की गारंटी दी जाती है। राज्य या नगरपालिकाओं के स्कूलों के म्यानापत्र रूप में निजी स्कूलों की स्थापना के लिए राज्य की स्वायत्त नहीं होगी तथा वे गणराज्य (Lander) के कानून से संचालित होंगे। एसी स्वायत्त उम समय दी जाय जब निजी स्कूल अपने शैक्षणिक उद्देश्यों को पूर्णतया तथा अध्यापक-वर्ग के प्रशिक्षण की दृष्टि से हीन न हों तथा जहाँ माता पिता के साधनों के अनुसार विद्यार्थियों के बीच पाठ्यक्रम नहीं रखा जाता है। यदि अध्यापक-वर्ग का धार्मिक एवं कानूनी स्थिति का उचित धारणात्मक नहीं किया जाता है तो ऐसे स्कूलों की स्थापना को रोक जा सकता है।

(5) एक निजी प्राथमिक स्कूल का स्थापना का स्वाहृति उमा प्रिति में ली जाएगा जब शिक्षा अधिकारी यह साबत हैं कि उमय एक विद्यार्थी (Pedagogic) हित की पूर्ति होना है या बच्चा का शिक्षा विधान व उत्तरदायी व्यक्तियां तारा एमा आवरण प्रस्तुत किया जाता है कि यह स्कूल एक अन्तर-सम्प्रदाय या धार्मिक या विषय विचारधारा वाला स्कूल होगा तथा एसा अन्त तमा खाना जाएगा जबकि उन क्षेत्र (Commun) न राज्य प्रयत्न नगरपालिका तारा एमा स्कूल स्थापित नहा किया गया हा ।

(6) आरम्भिक स्कूल (Vor schulen) बत कर गिय गए हैं ।

अनुच्छेद 8 सम्मेलन का अधिकार

(1) समा जनम लाग का बिना पूव सूचना या अनुमति व शान्तिपूर्वक एव बिना हथियार निय सम्मेलन करन का अधिकार हाग ।

(2) कानून व अन्तगत खुन तानावरण म सम्मेलन क अधिकार का माणित किया जा सकता है ।

अनुच्छेद 9 सघ बनान का अधिकार

(1) नमी अन्त तारा को सघ या मुनाज बनान का अधिकार हाग ।

(2) एम मण व निमाण का मनाहा है विनक उमय या गतिविधियां फौजदारी कानून व विरुद्ध हैं या सत्ताधिकार व्यवस्था या अन्तरराष्ट्रीय सद्भाव व मिद्वान्त व बिनाफ हैं ।

(3) समा व्यापार व्यवसाय तथा आजादिका व लाग का अपना काय प्रणाली तथा आर्थिक स्थिति म सुधार तथा सुरक्षा क लिए सघ बनान का अधिकार हाग । एम समझौते जा इन अधिकार का सामित कत है या घक्का पत्रेवात है गर-आतना हाग तथा एम अधिकार के विरुद्ध उमय गय कतम अवध हागे । अनुच्छेद 12 A व परिच्छेद (2) व (3) तथा अनुच्छेद 35 व परिच्छेद (4) तथा अनुच्छेद 87 A या अनुच्छेद 91 व अन्तगत औद्योगिक सघप म रत तथा जा एव परिच्छेद क प्रथम वाक्य व अन्तगत अपना काय प्रणाली व आर्थिक सुधार व सुरक्षा क प्रथ म सघप कर रह हैं व विरुद्ध कतम नहा तारा जा मक्को ।

अनुच्छेद 10 डाक व संचार की गोपनीयता

(1) डाक व संचार-संघ की गोपनीयता अलघ्य है ।

(2) एम अधिकार का गि कानून व अन्तगत हा सीमित किया जा मक्ता है । एम कानून तारा यत व्यवस्था की जा सकता है कि यदि यह स्वतंत्रता जनताधिकार आधारभूत व्यवस्था की रक्षा क लिए या सघ या राज्य (Land) व अस्तित्व एव

सुरक्षा व निष्पक्षीयता की जा रही है ता सम्बद्ध व्यक्ति का सम्बन्ध में सूचना न ली जाये तथा गोपनीयता व उत्पन्न व सामान्य आयाज्य में नहीं ल जाय जा सके। उनसे स्थान पर सुरक्षा की सुनिश्चिता का वाय्य सुनिश्चिता निश्चिता निश्चिता या सुनिश्चिता निश्चिता करें।

अनुच्छेद 11 विचरण का स्वतंत्रता

- (1) सभी जन्म जाग मध व शत्रु में विचरण की सुनिश्चिता का उपभाग करे।
- (2) ¹ सिफ कानून व अनुसूची में शत्रु अधिकार पर राज करण जा मरती है और यह ती सिफ उन मामला में जहा सभी राज व निष्पक्षीय आधार हा तथा जहा सम्बन्धित व परिणामस्वरूप समुदाय पर प्रभाव व निष्पक्षीयता हा या सभ प्रथवा राज्य (Land) व शत्रु व स्वतंत्रता या जनताधिकार आधारभूत व्यवस्था को उत्तरा हा या महामारा का उत्तरा ना। प्राकृतिक वाय्य या भारी श्रमण का सुनिश्चिता करन तथा नवसुनिश्चिता का निरस्वार स वचान या श्रमण का राज का हिन्दी स भी सभी राज करण जा मरती है।

अनुच्छेद 12 व्यापार सेवा या व्यवसाय करने का अधिकार

- (1) सभी जन्म जाग का स्वतंत्रतापूर्वक प्रथवा प्रथम व्यवसाय या व्यापार वाय्य का स्थान व प्रथिण का स्थान चुनन का अधिकार हागा। पर या व्यवसाय का वाय्यप्रणाली का कानून द्वारा या कानून के अनुसूची में नियमन किया जा सक्ता है।
- (2) परम्परागत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति भी यदि पर का विधि प्रथम न थावा जाय। यह वाल सभी जाग पर समान रूप स लागू होगी।
- (3) उमा यदि को उत्तरन वाय्य करन व निष्पक्षीय किया जा सकगा जिन्हा स्वतंत्रता आयाज्य न मजा दरर छीन ती हा।

अनुच्छेद 12A मनुष्य व शत्रु मयाओं की जिम्मेवारी³

- (1) जो पु व शत्रुकर हा का ना उता है उस मनुष्य सना सघाय गामा र उक रन (Federal Border Guard) या नागरिक सुरक्षा मण्डल में वाय्य करन का कहा जा सक्ता है।
- (2) यदि एन एन अनुसूचित जाति व आघार पर श्रमण उठा स करण करता है ता उम स्थानापर सेवा व निष्पक्षीय कहा जा मरता है। एम स्थानापर

1 परम मा मरर प्रथम पुठ 709
 2 पूर उरुण (पर म मा मरर प्रथम पुठ 709)
 3 19 माच 1956 (परम मा मरर प्रथम पुठ 11) तथा 24 जून 1968 क सघाय कानून द्वारा मणोपन करण

संघ की अग्रिम सैनिक संघ की अग्रिम सैनिक नहीं होगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत कानून बनाया जाएगा जो अन्तरात्मा की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगा और साथ ही सशस्त्र सेना या मधीय सीमा रक्षक की इत्तार् स अलग स्थानापन्न सेवा की व्यवस्था करेगा।

- (3) जो लोग सैनिक सेवा में योग्य हैं तथा जिन्हें इस अनुच्छेद के (1) तथा (2) परिच्छेद के अन्तर्गत सेवा के लिए नहीं कहा जाएगा उन्हे जब रक्षा की स्थिति (a state of defence) उत्पन्न होनी है तब कानून में अन्तर्गत प्रति रक्षात्मक उद्देश्य वाली नागरिक सेवाओं के लिए कहा जा सकता है। इन सेवाओं में नागरिक जनसंख्या की रक्षा सम्मिलित है। उन्हे सावजनिक कानून के अन्तर्गत आन जाने व्यवसाय जैसे—पुलिस-काय या सावजनिक प्रशासन के काय जिन्हें सिर्फ सावजनिक कानून के अन्तर्गत काय करने वाले अधिकारी ही कर सकते हैं नहीं दिया जा सकेगा। ऐसे व्यक्तियों को प्रथम परिच्छेद में उल्लिखित काय ही सौंप जायगा। सशस्त्र सेना के साथ उन्हे विनरण व सहायता या प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता का काय सौंपा जाएगा। सम्बद्ध प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनकी सुरक्षा की गारंटी के लिए उत्पन्न परिस्थिति में वे सिवाय नागरिक जनसंख्या में विनरण या सहायता से सम्बद्ध काय व व्यवसाय उन्हे नहीं सौंप जायगा।
- (4) जब प्रतिरक्षा की स्थिति बनी हुई है इस समय यदि नागरिक सावजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा या अचल सैनिक अस्पतालों की आवश्यकताएँ स्वच्छिक सेवाओं के आधार पर पूरी नहीं होती हैं तो ऐसा स्थिति में 18 स 55 अब के बोच की महिलाओं का कानून के अन्तर्गत ऐसी सेवाएँ प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है। किसी भी स्थिति में उन्हे ऐसी सेवा नहीं लिया जा सकता जिनमें शस्त्रों का प्रयोग होना है।
- (5) ऐसी प्रतिरक्षा की स्थिति से पूर्व के समय में इस अनुच्छेद के परिच्छेद 3 के अन्तर्गत काय करने को सिर्फ तभी कहा जा सकता है जब अनुच्छेद 80 A के परिच्छेद (1) में दी गई स्थिति उत्पन्न हो गई है। कानून द्वारा या कानून के अनुसार विनाप आन या योग्यता प्राप्त करने के हेतु ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करने को कहा जा सकता है जिसके द्वारा इस अनुच्छेद के परिच्छेद 3 की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस सीमा तक इस परिच्छेद का प्रथम वाक्य लागू नया होगा।
- (6) जब प्रतिरक्षा की स्थिति बनी हुई हो तथा यदि इस अनुच्छेद के परिच्छेद 3 के दूसरे वाक्य में वर्णित इस सम्बन्धी आवश्यकताएँ स्वच्छिक सेवा में पूरी न हो रही हों तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एनी स्थिति में जर्मन व्यक्ति का अपना व्यवसाय या पेशा छाड़न या काय का स्थान छाड़न के अधिकार को सामंजस्य किया जा सकता है। इस अनुच्छेद का परिच्छेद (5)

प्रतिर ता का स्थिति क अस्तित्व म पूव यथोचित् परिवर्तन सहित (Mutatis Mutandis) नामू नहा हागा ।

अनुच्छेद 13 गह की अन्वयनीयता

- (1) घर अन्वयनीय हागा ।
- (2) तनागा मिक यायाधीश क आदेश गरा ही हो सकेगी या यत्ति दर का खतरा हान की स्थिति म कानून द्वारा निर्देशित दमर कायावय (organ) भी आन्वय न सकेग त्रेकिन तनागी का काय कानून द्वारा निर्धारित रूप क अतगत ही हा सकेगा ।
- (3) ग्राम खतरे की या व्यक्तिगता की प्राण हानि की या सावजनिक क्षति को रोकन व प्रवस्था बनाये रखन का या विशेषत घरा की भारी कमी को दूर करने का महामारा का मुकाबला करने की या पागल लोग का प्राण क खतर स बचान की स्थितिया को डाढकर अय मामनो म एम अन्वयनीयता को भीमित नग किया जाएगा और न उसका अनिश्चय किया जाएगा ।

अनुच्छेद 14 सम्पत्ति उत्तराधिकार का अधिकार सम्पत्ति का स्वामित्व हरण

- (1) सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार न अधिकार को गारंटी है । उनकी धारिता तथा सीमा का निश्चय कानून गरा होगा ।
- (2) सम्पत्ति कत्तय आरोपित करती है । उसका उपयोग जन कयाण के लिए भी हाना चाहिए ।
- (3) सिफ ज कयाण क हनु सम्पत्ति-हण की स्वीकृति दी जाएगी । ऐमा कानून क द्वारा या कानून क अन्वयन हा किया जाएगा तथा मुद्रावज का स्वरूप व सीमा कानून गरा तय होगा । एस मुद्रावज का निश्चय करन समय जनहित तथा प्रभावित व्यक्ति के हितो के सतुनन का ध्यान रखा जाएगा । मुद्रावज की रकम के बारे म विवाह व मामन म साधारण यायावया की शरण ली जा सकेगी ।

अनुच्छेद 15 समाजीकरण

भूमि प्राकृतिक सम्पत्ति तथा उत्पादन क साधना को समाजीकरण के उद्देश्य के कानून गरा मावजनिक स्वामित्व म या सावजनिक हण स सवर्गित अक्ष-व्यवस्था के अय स्थो म परिवर्तित किया जा सकेगा है तथा इम सम्पत्ति म स्थि जान वान मुद्रावज का स्वरूप व सीमा कानून गरा निर्धारित किया जायेगे ।

ऐम मुद्रावज व मामन म अनुच्छेद 14 क परिच्छेद 3 के तीसर व चौथ वाक्या को यथोचित् परिवर्तन सहित (Mutatis Mutandis) नामू किया जाएगा ।

अनुच्छेद 16—नागरिकता से वञ्चित करना प्रत्यपण (extradition) तथा हरण देने सम्बन्धी अधिकार (Deprivation of Citizenship Extradition Right of Asylum)

- (1) किसी भी व्यक्ति को जर्मन नागरिकता से वंचित नहा किया जा सकता। सिर्फ कानून के अनुसार ही नागरिकता खाने का प्रश्न उठ सकता है तथा प्रभावित व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध भी तभी प्रश्न उठ सकता है जबकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति राज्य हीन नहीं होता।
- (2) किसी भी जर्मन व्यक्ति को विदेश में निष्कामित या प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता। राजनीतिक आधार पर सताए गए व्यक्ति शरण प्राप्त करने का अधिकारी हाने।

अनुच्छेद 17 याचिका का अधिकार

प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप में उपयुक्त एजेंसिया तथा मसलिय निकायो को लिखित आवेदन या शिकायत पेश करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 17A¹ सशस्त्र सेनाओं इत्यादि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर सीमाएं

- (1) सैनिक सेवाओं और उनकी स्थापनापत्र सेवाओं सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत सैनिक सेवाओं तथा उनकी स्थापनापत्र सेवाओं की अवधि में इन सेवाओं के सदस्यों की अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य भाषण लेखन व चित्रों द्वारा मत व प्रचार (अनुच्छेद 5 के परिच्छेद (1) का आधा वाक्य) सम्मेलन का मूल अधिकार (अनुच्छेद 8) तथा याचिका का अधिकार (अनुच्छेद 17) जहां तक उनमें अन्य लोगों के साथ संयुक्त रूप से आवेदन या शिकायत की व्यवस्था है सम्बन्धी अधिकारों को सीमित किया जा सकेगा।
- (2) प्रतिरक्षात्मक उद्देश्यों से सम्बद्ध कानूनों के अन्तर्गत जिसमें नागरिक जन सहायता की सुरक्षा भी शामिल है विचरण की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 11) तथा घर की अलघनीयता (अनुच्छेद 13) के मूलभूत अधिकार सीमित किये जा सकते हैं।

अनुच्छेद 18 मूल अधिकारों से वंचित करना

- (1) जो कोई व्यक्ति स्वतन्त्र जनतांत्रिक आधारभूत व्यवस्था के विरुद्ध सत्त्व के लिए अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता विशेषण समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 5 का परिच्छेद (1)) मध्यापन की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 5 का परिच्छेद (3)) सम्मेलन की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 8) सभ बनाने की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 9) डाक संचार मन्त्र की गारन्टीयता (अनुच्छेद 10) सम्पत्ति (अनुच्छेद 14) या शरण देने के अधिकार (अनुच्छेद 16 परिच्छेद (2)) का दुरुपयोग करणा उसका मूल अधिकार हीन लिये जायेंगे। अधिकारों से वंचित करने सम्बन्धी सीमा व बार में मधीय संवधानित याचिकाय घोषणा करणा।

1 17 A 19 माघ 1956 के संघीय कानून द्वारा जोड़ा गया (पहलम ता पक्ष I प्रथम पृ 111)

अनुच्छेद 19 मूल अधिकारों पर सीमा या प्रतिबंध

- (1) उस आधारभूत कानून (वैसिक ला) के अंतर्गत किसी मूल अधिकार पर किसी कानून या उमरक अनुवर्ती द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकेगा—
 ऐसा कानून आमन्तर पर लागू होगा न कि किसी व्यक्तिगत मामले में। उसक अनिश्चित ऐसे कानून के अंतर्गत उस मूल अधिकार का नाम व सम्बद्ध अनुच्छेद का उल्लेख करना होगा।
- (2) किसी भी स्थिति में एक मूल अधिकार के अनिवाय सारांश का प्रतिनमण नहीं किया जाय।
- (3) मूल अधिकार आंतरिक नागरिक व्यक्तियों पर उम सीमा तफ लागू होग जहां तक कि इन अधिकारों की प्रवृत्ति अनुमति देती है।
- (4) यदि किसी नागरिक अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति वायालय की शरण में जा सकेगा। यदि भेदाधिकार स्पष्ट नहीं है तो नागरिक वायालय की शरण ली जा सकेगी। अनुच्छेद 10 के परिच्छेद 2 का दूसरा वाक्य उस परिच्छेद की व्यवस्थाओं से प्रभावित नहीं होगा।

II सघ तथा घटक राज्य (लण्डर)¹

अनुच्छेद 20 संविधान के मूल सिद्धांत—प्रतिरोध का अधिकार

- (1) सघीय जमन तगतत्र (फरल रिपब्लिक आफ जमनी) एक जनतांत्रिक तथा सामाजिक सघीय राज्य है।
- (2) समस्त राजकीय सत्ता का स्रोत जनता है। इस सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा चुनाव तथा मतदान के माध्यम से होगा तथा निश्चित विधायिका वाय कारिणों तथा नागरिक सभ में इसका प्रयोग करण।
- (3) विधायिका-सभा सवधानिक व्यवस्था के अधीन हागी कायकारिणों तथा नागरिक कानून व नागरिक स बद्ध होगी।
- (4) यदि कौन उपचार सम्भव न हा तो सभा जमन लोगों को यह अधिकार है कि वे एम व्यक्ति या व्यक्तियों का प्रतिरोध करें जा उस सवधानिक व्यवस्था को समाप्त करन का प्रयास कर रह है।

1 सम्पारकीय रिपब्लिकी जमन भावा में राज्य को लण्ड तथा राज्यों को लण्डर (Laender) कहते हैं।

2 अंतिम वाक्य 24 जन 1968 के सघीय कानून द्वारा जोड़ा गया (फरल ला एक्ट) पृष्ठ 710

अनुच्छेद 21 राजनीतिक दल

- (1) राजनीतिक दल जनता की राजनीतिक इच्छा व निमाण म हिस्सा बढायेगी। इनकी स्थापना स्वतन्त्रतापूर्वक की जा सकती है। इनका आंतरिक साठन जनतात्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। इन्हें अपने धन प्राप्ति व साधनों के बारे में सावजनिक घोषणा करनी होगी।
- (2) जो दल अपने उद्देश्या तथा समयका क व्यवहार से स्वतन्त्र जनतात्रिक आधारभूत व्यवस्था को भ्रति पहुँचाते हैं या सघीय जमन गराय क अस्तित्व का खतरा डालत ह वे असवधानिक हंग। असवधानिकता के प्रश्न पर सघीय सवधानिक न्यायालय निर्णय करेगा।
- (3) इस बारे में विस्तृत धीरा सघीय कानून तारा तय किया जायगा।

अनुच्छेद 22 सघीय ऋण्डा

सघीय ऋण्डे का रग वाला लाल व सुनहरा होगा।

अनुच्छेद 23 बेसिक ला (सविधान) का क्षत्राधिकार

फिलहाल यह आधारभूत कानून (बेसिक ला) बायें बवरिया जमन विशाल (ग्रेटर) बर्लिन हाम्बुग हंस लोअर सक्सनी नाथराइन वस्टफालिया राइनलण्ड पेलटोनट शनेसविग हानस्टाइन यूरम्बुग बादन¹ तथा यूरम्बुग हेहेनत्सोलन क लेण्डर (रायो) म लागू होगा। जमनी व अय भाग म य उनक विलय क समय लागू होगा।

अनुच्छेद 24 सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था में प्रवेश

- (1) सघ शासन कानून द्वारा सावभौम शक्तिया अन्तर सरकारी सस्याओं का हस्तांतरित कर सकता है।
- (2) शांति की स्थापना क लिए सघ शासन पारस्परिक सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था म प्रवेश कर सकता है। एसा करत समय वह अपने सावभौम अधिकारों पर ऐसी सीमाए लगाने की स्वीकृति दगा जिसम युराप म तथा विश्व व राष्ट्रों के मध्य एव शांतिपूर्ण एव स्थायी व्यवस्था लायी जा सक।
- (3) राष्ट्रों के बीच विवादों के समाधान के लिए सघ शासन साधारण सर्वांग तथा बाधकारी अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों का स्वीकार करेगा।

1 4 मई 1951 क सघीय कानून द्वारा (फडरल ला गजट I पृष्ठ 284) बादन न्यूरम्बुग का लण्ड (रायो) मतपव बादन ब्यरेटम्बुग बान्न तथा ब्यरेटम्बुग होहनत्सोलन क रायो (लण्डर) में स भूमि सकर बनाया गया।

2 यह सविधान (बेसिक ला) 23 दिसम्बर 1956 क सघीय कानून पडरल ला गजट I पृष्ठ 188 क परिच्छेद (1) द्वारा सारलण्ड नामक नय राय में सार हुआ।

सामाजिक ढांचे का उचित सम्मान रखत-ए सघीय कानून द्वारा सघीय प्रश्न का पुनर्गठन किया जायगा।

- (2)¹ 8 मई 1945 के प्राथमिक पुनर्गठन के बाद जो क्षेत्र बिना जनमत संग्रह (प्लवामांट) के किसी राज्य लण्ड (राज्य) के अंग बन गये हैं, ऐसे किले के सम्बन्ध में वैश्विक ला के लागू होने की एक वर्ष की अवधि के भीतर निश्चित परिवर्तन सम्बन्धी नियम के अन्त में सावजनिक उपक्रमण (पोपुलर इनीशियेटिव) का माग की जा सकती है। ऐसे सावजनिक उपक्रमण के लिए राज्य विधान सभा (लाण्टाग) के चुनाव में भाग लेने के लिए अधिकारी लोगों के 1/10 व भाग का स्वीकृति आवश्यक होगी।
- (3) यदि सावजनिक उपक्रमण को इस अनुच्छेद के परिच्छेद 2 के अन्तर्गत आवश्यक स्वाकृति प्राप्त हो चुकी है तो सम्बद्ध क्षेत्र में 31 मार्च 1975 के पूर्व या वादेन-व्यूरटनबुर्ग के वादेन क्षेत्र में 30 जून 1970 से पूर्व जनमत संग्रह होगा (जिसे क्या प्रस्तावित हस्तान्तरण किया जाय अथवा नहीं) यदि लण्ड (राज्य) के चुनाव में मतदान के अधिकारी व्यक्तियों का बहुमत जिसमें कम से कम 1/4 भाग समाविष्ट हो हस्तान्तरण के पक्ष में मतदान करता है तो सम्बद्ध क्षेत्र की प्राथमिक स्थिति के बारे में जनमत संग्रह होने के एक वर्ष की अवधि में सघीय कानून बनाया जायगा। जहाँ उसी लण्ड (राज्य) में वर्ष प्रवेशों को दूसरे लण्ड में हस्तान्तरण करना होता है एक ही कानून में आवश्यक नियमों को मम हित किया जायगा।
- (4)³ एसा सघीय कानून जनमत संग्रह के परिणाम पर आधारित होगा तथा उस उतनी ही सीमा तक बनाया जा सकेगा जितना इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) में उल्लिखित विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत पुनर्गठन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक होगा। ऐसे कानून के निर्माण के लिए बुदेस्टाग (लोकसभा) के सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होगी। यदि एक कानून लण्ड (राज्य) के ऐसे क्षेत्र को दूसरे राज्य को हस्तांतरित करने की बात करता है जिसके बारे में जनमत संग्रह द्वारा माग नहीं की गई है तो एसा कानून की स्वीकृति के लिए उक्त समस्त क्षेत्र में जनमत संग्रह कराया जायगा जिसे हस्तान्तरित किया जाना है। यह बात उस स्थिति में लागू नहीं होगी जब एक वर्तमान लण्ड से क्षेत्रों को अलग करना है तथा जब शेष क्षेत्र स्वयं एक लण्ड के रूप में जारी रहता है।

1 [9 अगस्त 1969 के सघीय कानून (एडरन ला एक्ट I पृष्ठ 1241) द्वारा संशोधित रूप।

2 वही

3 वही

- (5)¹ इस अनुच्छेद के परिच्छेद (2) स (4) म उल्लिखित प्रक्रिया के अनिश्चित सघीय प्रश्न व पुनर्गठन के बार मे कोई कानून बनाने पर सम्बद्ध क्षेत्र की कानूनी व्यवस्था के आधार पर उस क्षेत्र मे जनमत संग्रह कराया जायगा जिसे एक वर्ष सत्सरे म हस्तांतरित किया जाता है। यदि एसी व्यवस्था सम्बद्ध क्षेत्र म से कम म कम एक क्षेत्र म प्रस्वीकृत हो जाती है ता वृत्तस्वांग म यत् कानून पुन प्रस्तुत होगा यदि वह पुन कानून बन जाता है ता सम्बद्ध प्रावधानो की स्वीकृति के लिए समग्र सघीय प्रदेश म जनमत संग्रह कराया जायगा।
- (6)² जनमत संग्रह म आले गये मूल मता के वामत से निर्णय दिया जायगा। इस म इस अनुच्छेद व परिच्छेद (3) पर कोई प्रभाव नही पडगा। उपयुक्त प्रक्रिया का निर्माण सघीय कानून द्वारा होगा। यदि किसी व किसी भाग व विलय के कारण पुनर्गठन आवश्यक है ता एसा पुनर्गठन विनय के दोष की अवधि के भीतर होना चाहिए।
- (7) लण्ड (राज्य) का सीमा मे अन्य परिवर्तन की प्रक्रिया का निर्धारण सघीय कानून द्वारा किया जायगा। इसके लिए जुटेस्ट्राट तथा बुदस्वांग व बहुमत की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

अनुच्छेद 30 लेण्डर (राज्यो) के कार्य

जहा तक बेसिक् वा (संविधान) अन्य व्यवस्था नही करता या स्वीकृति नही देता लेण्डर के लिए सरकारी शक्तियां के प्रयोग तथा सरकारी कार्यों का सम्पादन अनिवार्य होगा।

अनुच्छेद 31 सघीय कानून की प्राथमिकता

सघीय कानून व आगे लण्ड का कानून रह माना जायेगा।

अनुच्छेद 32 विदेशी सम्बंध

- (1) विदेशी राज्या व साथ सम्बंधो का संधान सघ शासन करगा।
- (2) एक लण्ड (राज्य) की विशेष स्थिति को प्रभावित करने वाली संधि करने से पूर्व उस राज्य की जनता को पर्याप्त समय प्रदान कर उसकी सलाह ली जानी चाहिए।
- (3) जिस सामा तब लण्डर (राज्यो) का कानून बनाने का अधिकार है व सघीय सरकार का अनुमति मे विदेशी राज्या के साथ संधि कर सकत है।

अनुच्छेद 33 सभी जमन लोगो की समान राजनीतिक स्थिति

- (1) प्रत्येक लण्ड (राज्य) म प्रत्येक जमन के समान अधिकार व कर्तव्य है।

1 वही

2 वही

- (2) प्रत्येक जमन व्यक्ति अपनी अधिकारिता या प्राधिकारिक उपलब्धि के अनुसार समान रूप से किसी भी सावजनिक पद के लिए उपयुक्त व योग्य माना जायगा।
- (3) नागरिक व राजनीतिक अधिकारों के उपयोग सावजनिक पद के लिए योग्यता तथा सावजनिक सेवा में प्राप्त अधिकारों के उपयोग का धार्मिक सम्प्रदाय से कोई सम्बन्ध न होगा। किसी भी व्यक्ति को किसी सम्प्रदाय या विचार धारा में श्रद्धा या अश्रद्धा रखने के कारण कोई हानि न उठानी पड़ेगी।
- (4) राज्य का शक्ति व अधिकारों का एक स्थायी काय व रूप में प्रयोग कानूनी रूप से सावजनिक सेवाओं के सम्मति को सौंपा जाएगा। उनकी पद सेवा तथा निष्ठा सावजनिक कानूनों द्वारा मंचालित होगी।
- (5) सावजनिक सेवा के कानूनों का नियमन करते समय व्यावहारिक (प्राविक) नागरिक सेवाओं के परम्परागत सिद्धांतों का उचित सम्मान दिया जायगा।

अनुच्छेद 34 अन्तःकार की घटनाओं में दायित्व

यदि कोई व्यक्ति सावजनिक सेवा के अन्तर्गत मंत्री या अधिकारों का प्रयोग करते समय अपने पद के दायित्वों का उदाहरण कर सामने पेश कर लेना चाहता है तो उसका दायित्व राज्य या उस सावजनिक सम्मति पर होगा जो उस नौकरी में है। जानबूझ कर दुराचरण या काय की भारी उपेक्षा का रिश्ते में उसके उपचार का अधिकार (राईट ऑफ रिफॉर्म) प्रारम्भित होगा। मुद्रावृद्धि या उपचार के अधिकार के संस्वयं में माथारण प्राधान्यों के क्षेत्राधिकार का बन्धन नहीं दिया जायगा।

अनुच्छेद 35¹ कानूनी प्रशासनिक व पुनित सहायता

- (1) सभी मधीय अधिकारों तथा लण्ड (राय) के अधिकारीगण एक-दूसरे का कानूनी व प्रशासनिक सहायता देंगे।
- (2) सावजनिक सुरक्षा या व्यवस्था की स्थापना या पुनस्थापना के लिए एक लण्ड विशेष मन्त्र के मामले में अपनी पुनित व सहायताय मधीय सीमा रक्षा पत्र (किन्ट्रल बाडर गार्ड) की सुविधाएं तथा सहायता का आह्वान कर सकते हैं। यह सहायता तभी मांगी जायगी जबकि कम रिकेस लण्ड पुनित उस काय की पुनित करने में असमर्थ हो या उन भारी कठिनाई हो रनी हों। किन्तु प्राकृतिक दुर्घटना या विशेष गम्भीर घटना में निपटारा के लिए एक लण्ड दूसरे लण्ड (राय) की पुनित की सहायता या दूसरे प्रशासनिक अधिकारों-वगैरे सेना की सहायता या मधीय सीमा रक्षक दल या सार्वजनिक सेना से मदद या सुविधा मांग सकते हैं।

1 24 जन 1968 के मधीय कानून प्राय संशोधित पद ल गइल । पन्ड 710

2 28 जून 1972 के रल ल गइल । पन्ड 1305 के मधीय कानून प्राय संशोधित रूप

- (3) यदि प्राङ्गिक प्रकाप या प्रय दुघटना स एक लण्ड (राय) से अधिक बड हिस्य का खतरा ेता एम खतरे का मुकाबला करने के लिए जहा जल्दरी हो पा सक र राय (लण्ड) सरकार को कोई निशे से सकती है कि वह अपनी पुलिस को हमरे राया के अतिकार मे दे साथ ही सघ सरकार पुलिस की म अयता व लिए मधाय भीमा सुरभा दन या सशस्त्र सना की टुकडिया सुपुन कर सकती है। एम परिद्वद के पत्र वाक्य के अतगत सघ सरकार द्वारा उठाए गये कम् बुस्ट्रेस्ट (राय ममा) गारा कभी भी अावदन करन पर और खतर की समाप्ति पर हर स्थिति म अविनम्ब समाप्त हा जान चाहिए।

अनुच्छेद 36 सघीय सस्थाओ क कमचारी

- (1) सर्वो च मधाय सस्थाओ म सभी लण्ड (राया) से उपयुक्त अनुपात म नागरिक पदाधिकारिया की नियुक्ति की जायेगी। हर स्थिति मे अय सघीय सस्थाओ म यक्तियो की नियुक्ति उसी राय म स की जायेगी।
- (2) सनिक कानन अय वाता के साथ साथ सघ क लण्ड (रायो) मे विभाजन तथा उनकी जनसख्या क श्तीय सम्बन्धा का भी ध्यान रखेगी।

अनुच्छेद 37 सघीय वाध्यकरण (फडरल ए कोसमट)

- (1) यदि कोई राय एम बेसिक ला (सविधान) या अय सघीय कानूनो के अन्तगत आरोपित सवाय दायित्वा का पालन करने म असफन रहता है तो सघ सरकार बुस्ट्रेस्ट की स्वीट्टि स राय द्वारा ऐस दायित्वा के पालन करने के लिए सघीय वाध्यकरण क अतगत आवश्यक कम् उठा सकती है।
- (2) ऐस सघीय वाध्यकरण का कार्याचित करने क लिए सघ-सरकार या उसके आयुक्त (कमिशनर) को यत् अधिकार होगा कि वह सभी जेण्डर (रायो) तथा उनक अधिकारी गणो को आदेश दे सके।

III सघीय ससत्र (बु-देस्टाग)

अनुच्छेद 38 चुनाव

- (1) जमन बु-देस्टाग (लोकसभा) के डपुटी गण (ससद् सस्य) ग्राम प्रत्यक्ष स्वतन्त्र समान एव गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित होंग। वे समस्त जनता के प्रतिनिधि होंग तथा वे किसी भी आदेश या निशे से वाध्य नहीं होंग तथा मात्र अपनी अनराया के प्रति उत्तरदायी होंग।
- (2) प्रत्येक व्यक्ति जो पट्टारह वष का हो चुका है मतदान का अधिकारी होगा।

प्रत्येक व्यक्ति जिसने पूरा कानूनी उम्र (21 वर्ष) प्राप्त कर ली है चुनाव में खड़ा होने का अधिकारी होगा।

(3) इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण एक सघीय कानून द्वारा नियमित होगा।

अनुच्छेद 39 अधिवेशन तथा विधायिका कायकाल

(1) बुन्देस्टाग 4 वर्ष के लिए निर्वाचित होगी। उसका कायकाल उसकी प्रथम बैठक के चार वर्ष बाद या उसके भंग होने पर समाप्त होगा। अर्थात् क प्रतिम तीन माह में या उसके भंग किये जाने के बाद साठ दिन के भीतर नए चुनाव होंगे।

(2) बुन्देस्टाग चुनाव के बाद तीस दिन के भीतर नकिन पिछरी बुन्देस्टाग की अधिवेश की समाप्ति के बाद एकत्रित होगी।

(3) बुन्देस्टाग अपनी बैठक के समापन तथा पुनराारम्भ के वार में निश्चय करेगी। बुन्देस्टाग अध्यक्ष इससे पहले भी इसकी बैठक बुला सकता है। यदि इसका एक तिहाई सदस्य या सघीय राष्ट्रपति या सघाय चांसलर मांग कर तो उस बैठक बुलानी चाहिए।

अनुच्छेद 40 बुन्देस्टाग-अध्यक्ष काय विधि के नियम

(1) बुन्देस्टाग अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा रक्षियों का चुनाव करेगी। वह अपने काय-संचालन के लिए कायविधि के नियम बनायगी।

(2) अध्यक्ष बुन्देस्टाग भवन में स्वामित्व विषयक तथा पुलिस अधिकारों का प्रयोग करेगा। उसकी अनुमति के बिना बुन्देस्टाग के अहाने में कोई तलाशी या गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी।

अनुच्छेद 41 चुनावों की सवीक्षा (स्कूटिणी)

(1) चुनावों की सवीक्षा (सूत्र परीक्षण) बुन्देस्टाग की जिम्मेदारी होगी। वह यह भी निश्चय करेगी कि क्या एक डपुटी (संसद्-सदस्य) ने बुन्देस्टाग में अपना स्थान खा दिया है।

(2) बुन्देस्टाग के एस निणया के विरुद्ध सघीय संवधानिक न्यायालय (फेडरल कान्स्टीट्यूशनन कोर्ट) में शिकायतें की जा सकेंगी।

(3) विस्तृत विवरण एक सघीय कानून द्वारा नियमित होगा।

अनुच्छेद 42 कायवाही तथा मतदान

(1) बुन्देस्टाग की बैठकें सावजनिक रूप से होंगी। इसके सत्रों के दशाश (दसवें मास) द्वारा प्रस्तावित करने पर या सघ-सरकार द्वारा प्रस्ताव रखने पर दा तिहाई बहुमत से संसद् की कायवाही के समय जनता के प्रवेश को वर्जित किया जा सकेगा। जिस बैठक में इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया जायगा वह सावजनिक नहीं होगी।

- (2) कानून बनाने सघीय चासनर का चुनन या सघीय राष्ट्रपति पर महामियोग लगाने जैसे विशद् अधिकार न सथायी समिति के क्षेत्राधिकार क बाहर हगि ।

अनुच्छेद 45 (a)¹ विदेशी मामलो तथा प्रनिरक्षा विषयक समितिया

- (1) बुन्देस्टाग एक विन्शी मामला की समिति तथा एक प्रनिरक्षा-समिति की नियुक्ति करेगी । दानो समितिया दो ससदा के अरधि के बीच के कान म भी कायरत रहगी ।
- (2) प्रतिरक्षा-समिति को जाच पडताल समिति के अधिकार भी प्राप्त हगे । अपन एक चौथाई सदस्यो द्वारा प्रस्ताव रखन पर इस समिति का यह कत्त य हागा कि वह विशिष्ट विषय की णच-पडताल कर ।
- (3) अनुच्छेद 44 का परिच्छेद (1) प्रतिरक्षा क मामला म लागू नही होगा ।

अनुच्छेद 45 (b)² बुन्देस्टाग का प्रतिरक्षा आयुक्त

बुन्देस्टाग द्वारा एक प्रतिरक्षा आयुक्त नियुक्त किया जायगा जो बुन्देस्टाग के आघारभूत अधिकारो की सुरक्षा तथा समन्वय नियन्त्रण क क्रिया-व्ययन म सहायता देगा । इस सम्बन्ध म विस्तृत विवरण एक सघीय कानून द्वारा नियमित होगा ।

अनुच्छेद 46 डेपुटी का सुरक्षा व निरापदता

- (1) एक डेपुटी (ससद सदस्य) के विरुद्ध बुन्देस्टाग या उसकी समितिया म उसके द्वारा किये गये मतदान या दिये गये भाषण के लिए बुन्देस्टाग के बाहर न तो जाय लय म मुकदमा दायर हो सकना है न अनुशासनात्मक कदम उठाया जा सकता है या न ही अय रूप मे उस जवाबदेही के लिए कहा जा सकता है । बदनामीपूर्ण अपमान की स्थिति पर यह बात लागू नही होगी ।
- (2) यदि किसी डेपुटी को अपराध करत हुए या उसके दूसरे दिन पकडा न गया तो बुन्देस्टाग की अनुमति के बिना उसे न जवाब देने के लिए कहा जा सकता है न गिरफ्तार किया जा सकता है ।
- (3) एक डेपुटी (समद-सदस्य) की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर अय प्रतिबन्ध लगाने या अनुच्छेद 18 क अन्तगत उसके विश्द मुकामा चलाने के लिए भी बुन्देस्टाग की अनुमति आवश्यक होगी ।
- (4) एक डेपुटी के विरुद्ध 18 वें अनुच्छेद क अन्तगत कोई भी फौजदारी मुकामा या अय मुकदमा या उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर अय प्रतिबन्ध बुन्देस्टाग के कहने पर स्थगित कर दिय जायेंगे ।

1 19 मार्च 1956 के सघीय कानून (फ डरन नो गजट । पृ 111) द्वारा जारी गया ।

2 वही

अनुच्छेद 47 डपुटी द्वारा गवाही से इन्कार का अधिकार

डपुटीगण उन वाता के बारे में जिन्होंने उनको डपुटी पत्र के कारण उन्हें गोपनीय बातें कही हैं या डपुटी ने अपनी डपुटी की हैसियत से उन्हें कोई गोपनीय बात कही है या हमको साथ ही सम्बद्ध इन बातों के लिए डपुटी गवाही देने से इन्कार कर सकता है। जिस सीमा तक उनको गवाही न देने का अधिकार प्राप्त रहता है किसी भी दस्तावेज का जलन करने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

अनुच्छेद 48 डपुटी-गणों के अधिकार

- (1) बुद्धिमान चुनाव के लिए किसी भी प्रयाशी को उसके चुनाव अभियान के लिए आवश्यक छुट्टी (अवकाश) प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- (2) किसी भी व्यक्ति का डपुटी का पत्र स्वीकार करने व उसके प्रयोग में नहीं रखा जा सकता। हम आचार पर न उस पद में हटाने की अधिसूचना (नाटिस) दी जा सकती न नौकरी में बर्खास्त किया जा सकता।
- (3) डपुटी-गण को अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित रखने हेतु पर्याप्त पारिश्रमिक (रेम्युनेरेशन) प्राप्त करने का अधिकार होगा। व सभी सरकारी यातायात के साधनों का निःशुल्क प्रयोग करने के अधिकारी होंगे। विस्तृत विवरण एक सहीय कानून द्वारा नियमित किया जायेगा।

अनुच्छेद 49 दो सदस्य के बीच अंतराल

अध्यक्ष मण्डल (प्रसिद्धि) के सदस्य म्यायी समिति विदेशी मामलों की समिति तथा प्रतिरक्षा समिति के साथ ही उनको मुख्य स्थानापन्न सदस्य व सदस्यों के बारे में अनुच्छेद 46, 47 तथा 48 के परिच्छेद 2 व 3 को समझने के बीच के अंतराल में भी लागू होंगे।

IV सघटक राज्यों की परिषद (सुप्रीम कोर्ट)

अनुच्छेद 50 कार्य (फंक्शन)

लेफ्टर (राज्य) सुप्रीम कोर्ट (राज्य मंत्र) के माध्यम से मध्य शासन के कानून निर्माण व प्रशासन में भाग लेंगे।

अनुच्छेद 51 गठन (कम्पोजीशन)

- (1) सुप्रीम कोर्ट (राज्य मंत्र) का गठन लेफ्टर (राज्य) सरकार के सदस्यों से होगा। लेफ्टर सरकार उक्त नियुक्त करगी व वापस चुनायेगी। एसी सरकार के अध्यक्ष मुख्य स्थानापन्न व्यक्ति (सर्वसाइट्यूट) के रूप में कार्य कर सकेंगे।
- (2) प्रत्येक राज्य (राज्य) को कम से कम तीन मन (वाक) प्राप्त होंगे 20 नाम

मे अधिक जनसंख्या वाले लेण्डर को चार मत तथा 60 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्या को पांच मत प्राप्त होंगे।

- (3) प्रत्येक लण्ड उन ही प्रतिनिधि भेज सकेगा जितने मत उस प्राप्त हैं। प्रत्येक लण्ड को अपने मत एक लाख मत के रूप में डालने होंगे और सिर्फ उसके उपस्थित सदस्यो या स्थानापन्न व्यक्तिओ द्वारा डाल जायेंगे।

अनुच्छेद 52 अध्यात्म कार्यविधि के नियम

- (1) बुन्देस्ट्राट (राज्य सभा) एक वर्ष के लिए अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।
- (2) अध्यक्ष बुन्देस्ट्राट का सम्मेलन बुलायगा। यदि कम से कम दो लेण्डर (राज्य सरकार) या संघ शासन ऐसी बैठक बुलाने की मांग करता है तो उस बैठक बुलानी चाहिए।
- (3) बुन्देस्ट्राट बहुमत से अपने नियम तय करेगी। वह अपने कार्य विधि के नियमों का निर्माण करेगी। उसकी बैठक सावजनिक रूप से आयोजित होगा। जनता को इसकी बैठक से अनजान रखा जा सकता है।
- (4) लण्ड (राज्य) सरकारों के अन्य सदस्य या उसके द्वारा नियुक्त सदस्य बुन्देस्ट्राट की समितियों के सदस्य के रूप में कार्य कर सकेंगे।

अनुच्छेद 53 संघीय सरकार द्वारा सहभागिता (हिस्ता लेना)

संघीय सरकार के सदस्यो को अधिकार होगा तथा मांग करने पर उनका कर्तव्य होगा कि वे बुन्देस्ट्राट और उसकी समितियों की बैठक में उपस्थित हों। उन्हें किसी भी समय सुना जाना चाहिए। संघीय सरकार का अपने कार्यों के मंचाने के लिए बुन्देस्ट्राट का बराबर सूचित करने रहना चाहिए।

IV-ए¹ संयुक्त समिति

अनुच्छेद 53 (a) संयुक्त समिति

- (1) संयुक्त समिति के दो तिहाई सदस्य बुन्देस्ट्राट तथा एक तिहाई संघीय बुन्देस्ट्राट के सदस्य होंगे। बुन्देस्ट्राट अपने सदस्यो की नियुक्ति करते समय संघीय दोनों की संख्या के अनुपात का ध्यान रखेगी। ऐसे डेप्युटी-मैंग संघीय सरकार के सदस्य नहीं होने चाहिए। प्रत्येक लण्ड का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा मनोनीत बुन्देस्ट्राट के सदस्य द्वारा किया जायेगा। ये सदस्य निर्देश से बाध्य नहीं होंगे। संयुक्त समिति की स्थापना व उसकी प्रक्रिया का संचालन बुन्देस्ट्राट द्वारा स्वीकृत कार्य विधि के नियमों द्वारा होगा। इसके लिए बुन्देस्ट्राट की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
- (2) संघीय सरकार को प्रतिरक्षा की स्थिति (स्टेट ऑफ डिफेंस) विषयक अपनी योजना के सम्बन्ध में संयुक्त समिति का सूचना देनी चाहिए। अनुच्छेद

43 क परिच्छेद (1) क अनगत बुद्धमताग क अधिकार एस परिच्छेद की व्यवस्था म प्रभावित नहीं हा ।

1 सघ का राष्ट्रपति

अनुच्छेद 54 सघीय सम्मेलन (फरवरी क ब्रह्म) का चुनाव

- (1) सघ का राष्ट्रपति सघात नमनन (फरवरी क ब्रह्म) द्वारा बिना विवाद क बहुसंख्यक चुनाव आयगा । प्रत्येक जमान का बुद्धमताग क चुनाव म बाट दन का अधिकार हा है तथा 40 वष का हो चुका है । म पत्र का प्रयोग हा सकत ।
- (2) सघ क राष्ट्रपति 5 पत्र का कार्यकाल पत्र वष हागा । पुन निर्वाचन क लिए व्यक्ति त्रमागत अवधि (कानाकृतिव टम) क लिए सिर्फ एक बार नडा हा सकत ।
- (3) सघीय सम्मेलन (फरवरी क ब्रह्म) म बुद्धमताग के अध्यक्ष तथा उहा क सहायक सभ्य म राज्य (उत्तर) की विधानसभा (लासगा) क चुन गए सभ्य जिनका चुनाव आनुमानिक अनिनिधिद्वि विधान पर हागा सम्मिलित हागा ।
- (4) सघीय सम्मेलन मत्र क राष्ट्रपति का कार्यविधि का समिति म 30 दिन पहल या असामयिक मृत्यु का स्थिति म उन विधि क 30 दिन बाद अपनी बरक करेगा । बुद्धमताग का अध्यक्ष तथा बरक का आवाहन करेगा ।
- (5) सघ के कार्यकाल का समिति क मत्र म अनुच्छेद क परिच्छेद 4 क प्रथम वाक्य द्वारा निश्चित समय बुद्धमताग की प्रथम बरक क साथ आरम्भ हागा ।
- (6) बहुलकति का सघीय सम्मेलन का वचन प्राप्त करेगा निश्चित हागा । यदि का मतदान हान तक का मत सम्मेलनार एका वचन प्राप्त नहीं करेगा है ता आगामा मतदान म जा व्यक्ति अधिकतम मत प्राप्त करेगा । उम निर्वाचित किया जायगा ।
- (7) म सम्मेलन म विस्तृत विवरण एका सघीय कानून द्वारा नियमित किया जायगा ।

अनुच्छेद 55 अनुसूचित व्यवस्था नहीं (ता सङ्घट्टरी प्रारम्भ)

- (1) सघ का राष्ट्रपति सघीय मत या किया सङ्घ (सभा) की सरकार या विधानिका सभा का अध्यक्ष न रह सकत ।
- (2) सघ का राष्ट्रपति का सघीय सचिवानिक पत्र का उपयोग न कर सकत न वह कितना व्यापार नौकरी या व्यवसाय म हा सकत नागा । कितना मान पाये अध्यक्ष क प्रवचन-सम्बन्ध या सचिवानिक-सम्बन्ध म का वर सम्बन्ध नहीं हा सकत ।

अनुच्छेद 56 पद की शपथ

पद धारण करते समय सच का राष्ट्रपति बुन्देसराट व बुन्देसराट के एकत्रित सदस्यों के सम्मुख निम्नलिखित शपथ लगा—

म शपथ लता हू कि म निष्ठापूर्वक जमन जनता के कल्याण के लिए प्रयास करूंगा उन्हें हानि स बचाऊंगा वसिक ना (सविधान) तथा सच शासन के कानून का सरक्षण और प्रतिरक्षा करूंगा अन्त करण स अपने दायित्वा का पालन करूंगा तथा समा को ऱ्याय प्रदान करूंगा । ईश्वर मेरा सहायक हो ।

यह शपथ धार्मिक प्रतिनापन के बिना भी ली जा सकती है ।

अनुच्छेद 57 प्रतिनिधित्व

यदि सच का राष्ट्रपति काय करन म अक्षम हो जाता है या अवधिपूर्व उसका पद रिक्त हाना है तो बुन्देसराट (राज्य समा) का अध्यक्ष राष्ट्रपति क अधिकार का प्रयोग करेगा ।

अनुच्छेद 58 प्रतिहस्ताक्षर (काउंटर सिग्नेचर)

राष्ट्रपति क आदेशो तथा आज्ञप्तियो (डिक्रीन) की वधता के लिए यह आवश्यक होगा कि उन पर चान्सलर या उपयुक्त मंत्री क प्रतिहस्ताक्षर हा । लेकिन चान्सलर की नियुक्ति और बलास्तगो पर व अनुच्छेद 63 क अतगत बुन्देसराट को मग करन तथा अनुच्छेद 69 क परिच्छेद 3 क अन्तगत को जान वाली प्राथता पर यह लागू नही होगा ।

अनुच्छेद 59 अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सच शासन क प्रतिनिधित्व करने का अधिकार

(1) राष्ट्रपति अन्तर्राष्ट्रीय मामला म सच शासन का प्रतिनिधित्व करेगा । सच शासन की ओर स वह विदेशो म संधिया करेगा । वह राजदूता की नियुक्ति तथा विदेशी राजदूता का स्वागत करेगा ।

(2) जो संधिया सच शासन क राजनीतिक सम्बन्धो को नियमित करती हैं या संधीय कानूनो स सम्बन्धित हैं उनम सम्बद्ध ऐस संधीय कानूनो के निर्माण के लिए किसी सुनिश्चित मामल म कानून बनाने समय सभम निवाया का योगदान व स्वीकृति आवश्यक होगी । जहा तक प्रशासनिक समझौते का प्रश्न है इस सम्बन्ध म संधीय प्रशासन स सम्बद्ध व्यवस्थाए यथाचित् परिवर्तन महित (मुटाटिस मुटाटिस) लागू हाणी ।

अनुच्छेद 59 (a)¹ रद्द कर दिया गया (रिपोल्ड)

अनुच्छेद 60 सघाय नागरिक कर्मचारियों व पदाधिकारियों की नियुक्ति

19 मार्च 1956 क सघाय कानून (क डरल ला गबट I प 8 III) द्वारा शोश गया तथा 24 जन 1968 क सघाय कानून (क डरल ला गबट I प 8 III) द्वारा रद्द किया गया ।

- (1)¹ यदि कानून द्वारा अथवा को-पवस्था न की गई हो तो राष्ट्रपति सघीय यायागोशा सघीय नागरिक कमचारिया पदाधिकारियो तथा भ्रराजादिष् (नान कमीशण्ड) पदाधिकारियो को नियुक्त तथा पद-युत करेगा ।
- (2) सघ शासन की ओर स वह वयक्तिक मामला म क्षमा दान के अधिकार का प्रयोग करेगा ।
- (3) वह य अधिकार अथ अधिकारिया को प्रदत्त कर सकगा ।
- (4) अनु-छद 46 का परिच्छद (2) स (4) सघीय राष्ट्रपति पर यथोचित् परिवर्तन सहित (मुटाटिस मुटाटिस) लागू होगा ।

अनु-छद 61 सघीय सबधानिक यायालय के सम्मुख महाभियोग

- (1) राष्ट्रपति द्वारा इस बेसिक ना (सविधान) या क्ति भी सघीय कानून का जानबूझ कर उन्धन करने पर बुन्देसटाग (लाज सभा) या बुन्देसराट (राय सभा) द्वारा सघाय सबधानिक यायालय स उसक विरुद्ध महाभियोग उभाया जा सकेगा । महाभियाग बुन्देसटाग क कम स कम एक चौथाई सन्स्था द्वारा या बुन्देसराट क एक चौथाई सभा द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए । महाभियाग लगाने के सम्बन्ध म निरणय न के लिए बुन्देसटाग के दो तिहाई सदस्या या बुन्देसराट क दो तिहाई सत्ते की आवश्यकता हागी । महाभियोग उभाय वाय निकाय (वायी) द्वारा निर्णित व्यक्ति महाभियाग को सम्पुष्ट करेगा ।
- (2) यदि सघीय सबधानिक यायालय को यह पता चलता है कि राष्ट्रपति न जानबूझ कर उस बेसिक ना (सविधान) या अथ सघीय कानून का उन्धन किया स ता वह यह घोषणा कर सकता है कि राष्ट्रपति न अपने पद पर बन रहने का अधिकार खा दिया है । महाभियोग सिद्ध होने पर वह एक अतरिम आदेश द्वारा राष्ट्रपति को उसके अधिकार क प्रयोग स बचिन कर सता है ।

VI सघीय सरकार

अनु-छद 62 गठन

सघाय चासनर (प्रधानमन्त्री) तथा सघाय मन्त्रिमण मिनकर सघ सरकार का निर्माण करेगे ।

अनु-छद 63 सघीय चासनर का चनाव व बुन्देसटाग को भग करना

- (1) सघीय चासनर सघीय राष्ट्रपति क प्रस्ताव पर शिना क्तिा वरम क बुन्देसटाग द्वारा निर्वाचित किया जायेगा ।

(1) 19 माच 1956 क सघीय कानून (फररन ला गवट I पन् 111) द्व रा साक्षाधिन

- (2) जा यत्कि बुन्देस्टाग क सदस्यो क बहुमत का समयन प्राप्त करगा वह निर्वाचित हागा । निर्वाचित व्यक्ति को सघ क राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए ।
- (3) यदि प्रस्ताविन व्यक्ति निर्वाचित नहीं हाता है तो बुन्देस्टाग 14 दिन की अवधि म मतदान द्वारा अपन सदस्यो के आध से अधिक मत से सघीय चांसलर को चुन सकंगा ।
- (4) यदि इस अवधि क भीतर कोई उम्मीदवार नहीं चुना जाता है तो बिना देर किए नवीन मतदान हागा जिमम जो व्यक्ति सबसे अधिक मत प्राप्त करता है वह निर्वाचित हागा । यदि निर्वाचित व्यक्ति को बुन्देस्टाग के सदस्यो का बहुमत प्राप्त हुआ है तो राष्ट्रपति को सात दिन म उसे नियुक्त करना चाहिए । यदि निर्वाचित व्यक्ति का ऐसा बहुमत नहीं मिला है तो राष्ट्रपति का या ता सात दिन क भीतर उसे नियुक्त करना चाहिए या बुन्देस्टाग को भंग कर देना चाहिए ।

अनुच्छेद 64¹ सघीय मंत्रिया की नियुक्ति

- (1) सघीय चांसलर के प्रस्ताव पर सघीय राष्ट्रपति सघीय मंत्रियो को नियुक्त तथा पदच्युत करगा ।
- (2) पद ग्रहण करने पर सघीय चांसलर तथा मंत्रिगण बुन्देस्टाग के सम्मुख अनुच्छेद 56 म उल्लिखित शपथ देंगे ।

अनुच्छेद 65 उत्तरदायित्व का विभाजन

सघीय चांसलर आम नीतियो सबधी निर्देश निश्चित करेगा तथा उनके लिए उत्तरदायी हागा । इन निर्देशो की निश्चित सीमाओ म रहकर प्रत्येक सघीय मंत्री अपन विभाग का निजी उत्तरदायित्व सहित स्वायत्ततापूर्वक संचालन करेगा । सघ-सरकार सघीय मंत्रिया के बीच मतभेद के सम्बन्ध म निर्णय लेगी । सघ सरकार क कार्यों का संचालन करत समय सघीय चांसलर उसके द्वारा स्वीकृत कायविधि क नियमो के अनुसार काय करेगा और इन नियमो के लिए सघीय राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी ।

अनुच्छेद 65 (a)¹ सनास्त्र सनास्रो पर नियंत्रण सम्बन्धी अधिकार

सनास्त्र सनास्रो पर नियंत्रण सम्बन्धी शक्तिया सघीय प्रतिरक्षा मंत्री म निहित हागी ।

अनुच्छेद 66 अनुपगो (सहायक) व्यवसाय बजन

फरल चांसलर और सघीय मंत्रिगण कोई अन्य सवतनिक पद व्यापार

19 मार्च 1956 क राष्ट्रीय कानून (फरल का गजट 19 111) द्वारा जोड़ा गया तथा 24 जुन 1968 क सघीय कानून (फरल का गजट 19 711 (नया मसौदा))

व्यवसाय पशा नहीं अपना सकेंगे न किसी प्रकार मण्डल से सम्बन्ध रहे सकें या बुदेस्टाग की अनुमति के बिना किसी नाम कमाने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठान के संचालक मण्डल में भाग भी नहीं ले सकेंगे।

अनुच्छेद 67 विश्वास का प्रस्ताव

- (1) बुदेस्टाग अपने सदस्यों के बहुमत से सघीय चामर का उत्तराधिकारी चुनकर तथा राष्ट्रपति से चामर का पदभूत कर का निवृत्त करके ही उसके विरुद्ध विश्वास प्रकट कर सकता है। सघीय राष्ट्रपति का इस निवृत्त का पालन करना चाहिए तथा नव निवाचित व्यक्ति का नियुक्त करना चाहिए।
- (2) प्रस्ताव तथा निवाचन के बीच 48 घट का अंतराल होना चाहिए।

अनुच्छेद 68 विश्वास प्रस्ताव बुदेस्टाग को भंग करना

- (1) यदि सघीय चामर द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव का बुदेस्टाग के सदस्यों का बहुमत अनुमोदन नहीं देता तो राष्ट्रपति सघीय चामर के प्रस्ताव पर 21 दिनों के भीतर बुदेस्टाग को भंग कर सकता है। उस ही बुदेस्टाग अपने सदस्यों के बहुमत से अन्य सघीय चामर का चुनाव करती है उस भंग करने का अधिकार समाप्त हो जायगा।
- (2) प्रस्ताव रखने तथा उस पर वोट डालने के बीच 48 घट का अंतराल होना चाहिए।

अनुच्छेद 69 सघीय चामर का प्रतिनिधि (डपुटी आफ़् दी चामर)

- (1) सघीय चामर एक सघीय मंत्री का अपना न्यु। नियुक्त करेगा।
- (2) सघीय चामर के सघीय मंत्री का कार्यकाल हर स्थिति में उस दिन समाप्त हो जायगा जब नए बुदेस्टाग अपनी प्रथम बैठक करेगा। किसी सघीय मंत्री का कार्यकाल उस समय भी समाप्त होगा जब किसी अन्य कारण से सघीय चामर का कार्यकाल समाप्त होगा।
- (3) सघीय राष्ट्रपति के निवृत्त पर सघीय चामर या सघीय चामर का प्रायना या सघीय राष्ट्रपति के निवृत्त पर सघीय मंत्री उस समय तक अपने कार्य के लिए बाध्य है जब तक नया उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता।

VII सघ शासन की विधायिका शक्तियां

अनुच्छेद 70 सघ तथा लेण्डर (राज्य) के कानून

- (1) जिस सीमा तक यह वेसिक ला (विधान) सघ शासन का कानून बनाने का अधिकार नहीं देता उस सीमा तक लेण्डर (राज्य) का कानून बनाने का अधिकार है।

- (2) सघ शासन तथा लण्डर (राज्या) के बीच कानून निर्माण की क्षमता सम्बन्धी विभाजन का निश्चय इन बेसिक ला द्वारा निर्धारित एकमात्र (एक्सक्लुजिव) अधिकार तथा समवर्ती (कानक्ट) अधिकारों द्वारा होगा।

अनुच्छेद 71 सघ शासन द्वारा कानून निर्माण का एकमात्र अधिकार परिभाषा

- (1) जिन मामलों में कानून बनाने का एकमात्र अधिकार सघ शासन को है उस क्षेत्र में लण्डर (राज्या) सिर्फ तभी कानून बना सकेगा और उसी सीमा तक बना सकेगा जितना अधिकार एक संघीय कानून स्पष्टतः उन्हें देता है।

अनुच्छेद 72 सघ का समवर्ती कानून परिभाषा

- (1) समवर्ती कानूनी शक्तियों के क्षेत्र में लण्डर (राज्या) को उसी सीमा तक कानून निर्माण का अधिकार होगा जिस सीमा तक सघ शासन कानून निर्माण के अधिकार का प्रयोग नहीं करता।

- (2) सघ शासन उस सीमा तक कानून निर्माण का अधिकारी होगा जिस सीमा तक इन मामलों में संघीय कानून द्वारा नियमन की आवश्यकता होगी क्योंकि—

1 किसी एक लण्डर (राज्य) द्वारा एक मामले पर प्रभावशाली कानून का नियमन संभव नहीं है या

2 किसी एक लण्डर (राज्य) के कानून द्वारा व्यवस्था करने में अन्य राज्या (लण्डर) या समस्त जनता के हितों को क्षति पहुँच सकती है।

3 कानूनी या आर्थिक एकता की स्थापना के लिए विशेषतः किसी भी लण्डर (राज्य) की सीमा से परे जीवन-स्तर की एकरूपता की स्थापना के लिए, ऐसे कानून की आवश्यकता होती है।

अनुच्छेद 73 कानून निर्माण का एकमात्र अधिकार

निम्नलिखित मामलों में एकमात्र सघ शासन को नियमन का अधिकार होगा—

- (1)¹ विदेशी मामलों के साथ ही साथ प्रविरक्षा जिसमें नागरिक जनसंख्या की सुरक्षा सम्मिलित है।

(2) सघ राज्य के अन्तर्गत नागरिकता

(3) विचरण पार पत्र (Passport) के मामले आप्रवास (Immigration) उत्प्रवास (Emigration) तथा प्रत्यपण (Extradition)

(4) मुद्रा धन मिकक तान माप के साथ ही साथ काल घड़ा क्षणा का स्तर निर्धारण (determination of standard of time)

(5) चुगी शुक्र तथा वापारिक क्षेत्रों की एकता व्यापार तथा जहाजरानी संबंधी

1 संघीय कानून 26 मार्च 1954 (फंडरम लॉ गजट 1 पृ 45 तथा 24 जून 1968 फंडरम ला गजट 1 पृ 711) द्वारा संशोधित रूप।

भविष्य में मानक ज्ञान व ज्ञान की स्वतंत्रता विन्यास के साथ माल तथा भुगतान का विनियम इसमें चुगा तथा सीमा सुरक्षा भी सम्मिलित हैं ।

- (6) मधाय रल माग तथा हवा परिबहन
- (7) डाक तथा दर मचार-मवाण
- (8) मधीय पासन तथा मधीय निगम (Corp rate) निकायो गारा नियुक्त व्यक्तियों की सावधानिक कानून व अतगत कानूनी स्थिति
- (9) औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार रचना-स्वत्व (Copyrights) तथा प्रकाशक व अधिकार
- (10)¹ सघ राज्य तथा लण - (रायो) क बीच महयोग क क्षेत्र
 - a अपराध गान्वा म सम्बद्ध पुलिस की सुरक्षा
 - b स्वतंत्र जननातिक आचारमून अवस्था को सुरक्षा सघ राज्य या लण्ड (राय) क अस्तित्व की सुरक्षा (पविधान की सुरक्षा) तथा
 - c मात्र म एम प्रयासा क विरुद्ध वन प्रयास गारा प्रयवा बल प्रयास की तयारी सम्बन्धी व काय जिनम जमन मधीय गणतंत्र (दी फंडरन रिपब्लिक आफ जमनी) क विशेषी हिला का खतरा हो तो एम प्रयासो क विरुद्ध सघीय क्षेत्र म सुरक्षा सम्बन्धी प्रयास के मामल
 - d एक साथ ही सघीय अपराध-मुक्ति शाखा का कार्यालय तथा अपराध के अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण की स्थापना
- (11) मधीय उद्देश्य स आहवा का आकलन

अनुच्छेद 74 समवर्ती कानून-तालिका (Concurrent legislation table)

निम्नलिखित म समवर्ती कानून लागू हाण—

- (1) लेवानी कानून फौजदारी कानून तथा फयदा का क्रिया-बयन न्यायालय का कर्तव्य तथा प्रक्रिया कानून अवसाय नर प्रमाणक (Notary) तथा कानूनी सलाह (Rechtsberatung)
- (2) जम मृत्यु तथा विवाह का पञायन
- (3) राघ तथा सम्मलन सम्बन्धी कानून
- (4) निवास तथा विशेषियों क निवास सम्बन्धी कानून
- (4 ए)¹ हयियारा सम्बन्धी कानून
 - (5) जमन ससृति क मद्रदा का विदेश भजन क विरुद्ध कानून
 - (6) शरणार्थिया व निष्कामिता क मामल
 - (7) जन-क्याण
 - (8) लण्डर (रायो) म नागरिकता

1 2 अर्थात् 1972 राष्ट्रीय कानून (कानून नं. 53 1 5 1305) द्वारा संशोधित है।

- (9) युद्ध-भूति तथा मुघावज
- (10)¹ युद्ध में अथवा व्यक्तिगत तथा युद्ध में मार गये लोगों के आश्रितों के साथ भूतपूर्व युद्ध बन्धियों का सहायता व लाभ
- (10 ए) सैनिकों की कब्रगाहों युद्ध के शिकार लोगों की कब्रगाहों तथा निरन्तर के शिकार लोगों के कब्रगाह
- (11) आर्थिक मामलों से सम्बद्ध कानून सार्वजनिक उद्योग विद्युत् वितरण क्राफ्ट्स (Crafts) व्यवसाय वारिष्ठ वृद्धि श्रम बाजार तथा निजी बाल कम्पनियाँ
- (11 ए)³ शांतिपूर्ण उत्पत्तियों के लिए परमाणु ऊर्जा का उत्पादन तथा उपयोग ऐसे उद्देश्यों के लिए प्रतिष्ठानों की स्थापना तथा उनका संचालन परमाणु ऊर्जा के विकीरितकरण में आयनीकरण (Ionizing) तथा रेडियोधर्मियों तत्वों का समापन
- (12) प्रतिष्ठानों के कानूनी गठन सहित श्रमिक कानून श्रमिकों की सुरक्षा रोजगार कार्यालय तथा अधिकरण साथ ही मातृ बराबरी बीमा सहित सामाजिक बीमा
- (13)⁴ शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण अनुदान का नियमन तथा वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहन
- (14) अनुच्छेद 73 तथा 74 में प्रदत्त सीमा तक स्वामित्व हारण (Expropriation) सम्बन्धी कानून
- (15) भूमि प्राकृतिक सम्पत्ति तथा उत्पादन के साधनों का सावजनिक स्वामित्व में या अन्य सावजनिक नियंत्रित अथवा व्यवस्था में हस्तांतरण
- (16) आर्थिक सत्ता के दुरुपयोग पर रोक
- (17) वृष्टि तथा वन से उत्पादन को प्रोत्साहन सार्वजनिक वितरण की सुरक्षा वृष्टि तथा वन-सम्पदा का आयात व निर्यात गृह समुदाय तथा तटाय समुदाय में मछली पकड़ना तथा तटों की सुरक्षा
- (18) वास्तविक भू सम्पत्ति सम्बन्धी सौंसे भूमि-कानून तथा वृष्टि सम्बन्धी पट्टे साथ ही मकानों के आवाम सम्बन्धी मामलों
- (19) मानव तथा पशुओं की उन बीमारियों के विरुद्ध कर्म जा उन फलानी हैं या जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं चिकित्सा अथवा अन्य

1 16 जून 1965 के संघीय कानून (फरल सा गजट 1 प 513) द्वारा संशोधित

2 की

3 13 दिसम्बर 1959 के संघीय कानून (फरल सा गजट प 813) द्वारा जोड़ा गया

4 12 मई 1969

1 369) द्वारा संशोधित

अनुच्छेद का परिच्छेद (3) अनुच्छेद 98 के परिच्छेद (1) व अनुवर्ती बनाय जाने वाले कानूनों पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होगा।

अनुच्छेद 75 सघ शासन की आम व्यवस्थाएँ तानिका

अनुच्छेद 75¹ की शर्तों के अंतर्गत सघ शासन को अधिकार होगा कि वह इन विषयों सम्बन्धी व्यवस्थाओं की रूपरेखा तैयार कर सक

(1) यदि अनुच्छेद 74 ए अर्थ व्यवस्था नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में कानून के अंतर्गत लेण्डर (रायों) कम्पुना समुदाय या अर्थ निगमित निकाशों (Corporate bodies) की सावजनिक सवाभ्रा का कानूनी स्थिति

(1)ए¹ उच्च शिक्षा संचालन व सामान्य सिद्धांत

(2) समाचार पत्रों तथा फिल्म उद्योग की सामान्य कानूनी स्थिति

(3) शिकार प्राकृतिक सम्पदा की सुरक्षा तथा ग्राम्य क्षेत्र की देवमान

(4) भूमि वितरण क्षेत्रीय आयाजना पानी का प्रबंध

(5) आवास के पतो में परिवर्तन का पत्रायन या निवास-स्थान (domicile) तथा परिचय पत्र (Identity card) से सम्बन्धित मामल ।

अनुच्छेद 76 विधायक

(1) सघीय सरकार या बुदेसराट के सदस्य बुदेसटाग में विधायक पेश करेंगे।

(2)⁴ सघीय सरकार व विधायक पहले बुदेसराट में प्रस्तुत किये जायेंगे। बुदेसराट को अधिकार होगा कि ऐसे विधेयकों पर वह 6 सप्ताह में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। बुदेसराट के सम्मुख प्रस्तुत सघ सरकार का विधेयक अत्यन्त आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में सघीय सरकार तीन सप्ताह के भीतर चाहे अभी बुदेसराट ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की हो उस विधेयक का बुदेसटाग में प्रस्तुत कर सकती है। जब सघीय सरकार को बुदेसराट की राय मालूम हो तो वह बिना देर किये उस स्थिति से बुदेसटाग को सूचित करेगी।

(3)⁵ सघीय सरकार द्वारा तीन माह की अवधि के भीतर बुदेसराट के विधायक बुदेसटाग में पेश किये जायेंगे। एसा करत समय सघ-सरकार को उस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने चाहिए।

अनुच्छेद 77 स्वीकृत विधेयकों से सम्बन्ध प्रक्रिया—बुदेसराट द्वारा आपत्ति

(1) सघीय कानून बनने वाले विधेयकों के लिए बुदेसटाग की स्वीकृति आवश्यक

1 12 मई 1969 के सघीय कानून (फडरल ला गजट 1 पृष्ठ 363) द्वारा सगो धरा रूप

2 18 मार्च 1971 के सघीय कानून (फडरल ला गजट 1 पृष्ठ 2 6) द्वारा सगोधित

12 मई 1969 के सघीय कानून (फडरल ला गजट 1 पृष्ठ 363) द्वारा जोडा गया

15 नवम्बर 1968 के सघीय कानून (फडरल ला गजट 1 पृष्ठ 1977) द्वारा सगोधित

5 17 जुलाई 1969 के सघीय कानून (फडरल ला गजट 1 पृष्ठ 816) द्वारा सगोधित

होगी। उनकी स्वीकृति के बाद बु म ग का प्रथम उहे तत्काल बु सराट को भेजग।

(2)¹ स्वीकृत विधेयक की प्राप्ति के बाद बु सराट तान सप्ताह की अवधि में यह माग कर सकती है कि उस विधेयक पर संयुक्त रूप से बु सटाग तथा बु सराट के सदस्यों की एक समिति का आयोजन किया जाय। इस संयुक्त समिति का गठन तथा प्रक्रिया बु सटाग द्वारा स्वीकृत काय विधि के नियमों द्वारा संचालित होगी जिनके लिए बु सराट की स्वीकृति आवश्यक होगी। इस समिति में भाग लेने वाले सदस्य अपनी सरकार के निर्देशों से बाध्य नहीं होंगे। यदि कानून बनने हेतु एक विधेयक के लिए बु सटाग या राष्ट्रीय सरकार भी इस समिति की वरत वा माग कर सकती है। यदि यह समिति उस विधेयक में किसी संशोधन का प्रस्ताव रखती है तो बु सटाग को उस पर पुनर् विचार करवाना होगा।

(3) यदि किसी जिले के लिए कानून बनने में बु सराट की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है तो बु सराट इस अनुच्छेद के परिच्छेद (2) के अंतर्गत प्रक्रिया पूरी होने पर बु सटाग द्वारा पुनः स्वीकृत विधेयक के बारे में 71 सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकती है और अन्य मामलों में इस अनुच्छेद के परिच्छेद (3) के अंतर्गत समिति के अध्यक्ष द्वारा यह सूचना देने पर कि कमी ने इस संस्वोधन में अपनी कार्यवाही पूरी कर ली है बु सराट अपनी राय प्रकट करगी।

(4) यदि बु सराट बहुमत से आपत्ति करती है तो बु सटाग के बहुमत से उस रद्द किया जा सकता है। यदि बु सराट अपने कम से कम दो तिहाई बहुमत में आपत्ति उठाती है तो उसको रद्द करने के लिए बु सटाग के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी।

अनुच्छेद 78 राष्ट्रीय कानून के पारित होने की शर्तें

बु सटाग द्वारा स्वीकृत विधेयक कानून बन जायगा यदि बु सराट उसके प्रति सहसंमति व्यक्त करती है या अनुच्छेद 77 के परिच्छेद (2) के अनुबन्धी माग करने में असफल रहता है या अनुच्छेद के परिच्छेद (3) के अंतर्गत निर्धारित अवधि के बीच आपत्ति करने में असफल रहती है या सभी आपत्ति वापिस ले लेती है या सभी आपत्ति का बु सटाग प्रस्वीकार कर देती है।

अनुच्छेद 79 वैसिक ला (संविधान) में संशोधन (Amendment of the Basic Law)

(1) इस वैसिक ला (संविधान) का उन्नी कानून के अनुसार संशोधित किया जा

1 नवम्बर 1968 के राष्ट्रीय कानून (फररल ला नंबर 1, द्वारा संशोधित

2. 15 नवम्बर 1968 के राष्ट्रीय कानून (फररल ला नंबर 1 पृष्ठ 177), द्वारा संशोधित

सकता है जिनके अन्तर्गत मूल पाठ (Text) में स्पष्टतः शोधन या संपूरण (Supplement) की बात कहा गई है। अंतराष्ट्रीय संधि या जिनके विषय शांति संधि (Peace settlement) है शांति संधि की तयारी या प्राविपत्य शासन का विनाश (Occupation Regime) या फ़रज़ रिपब्लिक की प्रतिस्था के हित हैं कि सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना पर्याप्त होगा कि बसिक ला की धाराएँ एसी संधियों का करण व उनका प्रभावी होना में बाधक नहीं होगी तथा ऐसे स्पष्टीकरण के लिए एम बसिक ला के मूल पाठ (Text) का सम्पूरण (Supplementation) किया जा सकता है।¹

- (2) इस विषय में कानून के लिए बुद्धिसंगत के दो तिहाई स्वीकृति मूवमेंट में तथा बुद्धिसंगत के दो तिहाई मता की आवश्यकता होगी।
- (3) मध्य राय को लण्डन (राय) में विभाजित करने लण्डन (राय) द्वारा कानून निर्माण में भाग लेने सम्बन्धी सिद्धान्त या 1 और 20 वें अनुच्छेद के मूलभूत सिद्धान्तों के सम्बन्ध में एम बसिक ला में संशोधन प्रभाव होगा।

अनुच्छेद 80 प्रख्यातियों का प्रकाशन जो कानून की भांति मान्य होंगे

- (1) मध्य-सरकार एक मध्य मंत्री या लण्डन (राय)-सरकार को एक कानून द्वारा अध्यादेशों के प्रकाशन का अधिकार दिया जा सकता है जो कानून की भांति मान्य होंगे। एम अधिकार प्रदान करने समय कथित कानून के अन्तर्गत एम अधिकार का माराने उद्देश्य तथा क्षेत्राधिकार स्पष्ट होना चाहिए। एम अध्यादेशों में इस कानूनी अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए कि यदि एक कानून यह व्यवस्था करता है कि अधिकार का प्रत्येक देन (delegated) किया जा सकता है तो एम अध्यादेशों के लिए अध्यादेशों की आवश्यकता है जो कानून की भांति मान्य होंगे।
- (2) यदि मध्य कानून द्वारा कोई अध्यादेश न हो तो मध्य रज-भाग हाक व संचार-संवाहक या उनका मुक्त या रज-भाग का निर्माण एवं संचालन मान्य ही इस अध्यादेशों का किन्हीं मधीय कानून के अनुबन्धी जागी किय गये हैं और जो कानून की भांति मान्य होने हैं और उनका विना बुद्धिसंगत की स्वीकृति अतिवाप हो या जो कानून लण्डन (राय) द्वारा मध्य के अधिकारता (Agent) के रूप में क्रियान्वित किय जाते हैं या अपन स्वयं में सम्बन्धित मामलों के कानून के अन्तर्गत के लिए बुद्धिसंगत की स्वीकृति या आवश्यकता होगी।

1 इंग्लिश वारर 26 मार्च 1954 के मध्य कानून (पुनर्गठन ला गवर्नमेंट | पृष्ठ 45) द्वारा मध्य मध्य।

अनुच्छेद 80 ए¹ तनाव की स्थिति (State of Tension)

- (1) जहां यह वसिक ना या प्रतिरक्षा सम्बन्धी एक सघीय कानून (जिसमें असैनिक जनसंख्या का सुरक्षा भी सम्मिलित है) यह मांग करता है कि सिर्फ इस अनुच्छेद के अनुसार ही कानून प्रवर्धन की जाय उनका प्रयोग जब प्रतिरक्षा की स्थिति विद्यमान हो उस छाड़कर तभी किया जा सकता है जब बुद्धिमत्ता विशेष रूप से यह घोषणा करे कि तनाव की स्थिति विद्यमान है। अनुच्छेद 12 ए के परिच्छेद (5) के प्रथम वाक्य तथा परिच्छेद (6) के दूसरे वाक्य में उल्लिखित मामलों के सम्बन्ध में तनाव की स्थिति का निर्णय तथा उसकी सुनिश्चित स्वीकृति के लिए दिया गया मता का दो तिहाई बहुमत आवश्यक होगा।
- (2) बुद्धिमत्ता जब कमी निवेदन करे तो इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के अंतर्गत अतिनियमित कानूनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत उठाया गया कोई भी कर्म रद्द कर दिया जायेगा।
- (3) मंत्री मधियों के अंतर्गत कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन सघ सरकार की स्वीकृति तथा इच्छानुसार इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) की कानूनी व्यवस्थाओं का अना र या उसमें कमी कर सकेगा। इस परिच्छेद के अनुवर्ती उठाया गया कर्म बुद्धिमत्ता के संस्थों के बहुमत के निवेदन पर हटाया जायेगा।

अनुच्छेद 81 विधायी सत्र की स्थिति

- (1) यदि अनुच्छेद 68 की परिस्थितियों में बुद्धिमत्ता भंग नहीं होती है और सघ सरकार द्वारा किसी विधेयक का अत्यावश्यक घोषित करने पर भी यदि बुद्धिमत्ता उस विधेयक को अस्वीकृत करती है तो सघीय राष्ट्रपति बुद्धिमत्ता की स्वीकृति सहित सघ सरकार की प्रार्थना पर इस विधेयक के सम्बन्ध में विधायी सत्र की स्थिति की घोषणा कर सकता है। यहां बात उस विधेयक के बारे में नागू होगी जिस अस्वीकृत कर दिया गया है यद्यपि सघीय चांसलर न उसे अनुच्छेद 68 के अंतर्गत प्रस्ताव के साथ पेश किया है।
- (2) यदि विधायी सत्र की स्थिति की घोषणा कर लिया जान के बाद बुद्धिमत्ता पुनः उस विधेयक को अस्वीकार कर देता है या उसे उस रूप में स्वीकार करती है जो सघ सरकार का मांग नहीं है तो वह विधेयक बुद्धिमत्ता द्वारा अस्वीकृत किया जाने की स्थिति में कानून समझा जाएगा।
- (3) एक सघीय चांसलर के कार्य-काल में बुद्धिमत्ता द्वारा अस्वीकृत का¹ विधेयक विधायी सत्र की स्थिति की पहली घोषणा के 6 माह की अवधि के भीतर

1 24 जन 1968 के सघीय कानून (फररल ला गनर 1 पृ 711) गल गोल म्वा ।

इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) तथा (2) के अन्तर्गत कानून बन सकेगा। इस प्रविधि की समाप्ति के बाद उसी सघीय चान्सलर के कार्यालय में विधायी सचिव की स्थिति की दूसरी धारणा अस्वाभाव्य होगी।

- (4) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (2) के अन्तर्गत कानून द्वारा इस विधिक तन्त्र को पूर्ण या आंशिक रूप में न तो सशान्ति किया जा सकता है न ही निरस्त (रद्द) किया जा सकता है।

अनुच्छेद 82 कानून का प्रचलित करने तथा उनका प्रभावी होना की तिथि

- (1) इस विधिक तन्त्र की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निर्मित कानून प्रतिहस्ताक्षरित (Countersignature) और सघीय राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद सघीय विधि राज-पत्र (फेडरल गजट) में जारी किया जाएगा। अन्तर्गत जो कानूनी शक्ति से मुक्त होगा वह उस अधिकार (Agency) द्वारा हस्ताक्षरित होगा जो उक्त जारी करता है यदि कानून द्वारा अथवा व्यवस्था नहीं की गई हो तो वह फेडरल गजट में प्रचारित किया जाएगा।
- (2) प्रत्येक कानून या प्रत्येक अध्यादेश का जो कानूनी शक्ति से युक्त है अथवा प्रभावी होने की तिथि का उल्लेख करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था के अभाव में फेडरल गजट में प्रकाशित होने के 14 दिन की समाप्ति पर वह प्रभावी माना जाएगा।

VIII सघीय कानूनों तथा सघ प्रशासन का कार्यावयन (The Execution of Federal Laws of the Federal Administration)

अनुच्छेद 83 सघीय कानूनों का लेण्डर (राज्य) द्वारा कार्यावयन

जहां तक यह विधिक तन्त्र कोई अथ व्यवस्था नहीं करता या अनुदेश नहीं देता उस सीमा तक लेण्डर (राज्य) सघीय कानून का उसी प्रकार कार्यावयन करेगा जैसे वह उनका अपना मामला है।

अनुच्छेद 84 राज्य प्रशासन तथा सघ सरकार का निरीक्षण

- (1) जहाँ लेण्डर (राज्य) सघीय कानूनों को अपना मामला समझकर उनका कार्यावयन करत है वहां वे उस सीमा तक आवश्यक अधिकांशिक कार्यालयों की व्यवस्था करेंगे तथा प्रशासनिक प्रक्रिया को नियमित करेंगे जिस सीमा तक बुद्धिमत्ता द्वारा स्वीकृति प्राप्त सघीय कानून दूसरी व्यवस्था नहीं करत।
- (2) सघ-सरकार बुद्धिमत्ता की स्वीकृति से उपयुक्त न्याय प्रशासनिक नियम जारी कर सकती है।
- (3) सघ-सरकार इस बात की निगरानी रखेगी कि राज्य (राज्य) सुनिश्चित रूप में प्रयास सघीय कानून का कार्यावयन करत है। इस उद्देश्य के लिए सघ

सरकार (राज्य) के सर्वोच्च अधिकारियों तथा सहायक अधिकारियों के पास भी आयुक्तों का भ्रम हो सकता है। एक ही वह उनका स्वीकृति मांगी यदि ऐसा स्वीकृति नहीं मिलता है तो बुद्धिमत्ता की स्वीकृति में यह भ्रम हो सकता है।

- (4) यदि सघ-सरकार का पता चलता है कि राज्य (राज्य) में सघाय कानून के कार्यालय में त्रुटियाँ हैं और वे उन्हें नहीं सुधारते हैं तो सघ-सरकार या सम्बद्ध राज्य (राज्य) के आदेश पर बुद्धिमत्ता लिए यही कि क्या उस राज्य में प्रचलित कानून का अर्थ है। बुद्धिमत्ता के लिए का सघाय सवधानिक कार्यालय में चुनौती का हो सकती है।
- (5) सघाय कानून के कार्यालय की त्रुटि में सघीय सरकार का बुद्धिमत्ता की स्वीकृति पर एक सघाय कानून द्वारा यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह विधि मामला में अन्तर्गत निर्णय हो सकता है। यदि सघीय सरकार मामले का अत्यावश्यक मानती है तो वह निर्णय राज्य (राज्य) के सर्वोच्च अधिकारियों का हो जायेगा।

अनुच्छेद 85 राज्य (राज्यों) द्वारा सघ शासन के ऐजेंट के रूप में कार्यालय

- (1) जब राज्य (राज्य) सघ शासन के ऐजेंट के रूप में सघाय कानून का कार्यालय बनाने के लिए निर्णय लेता है तो वह निर्णय मीमा तक बुद्धिमत्ता की स्वीकृति सहित सघाय कानून अथवा व्यवस्था नहीं करके आवश्यक कार्यालय का स्थापना करना राज्य (राज्य) का कार्य होगा।
- (2) सघाय-सरकार बुद्धिमत्ता की स्वीकृति में उपयुक्त सामाय प्रशासनिक नियम जारी कर सकती है वह नागरिक अधिकारियों तथा अन्य वनन भागी नागरिक कर्मचारियों के समान प्रशिक्षण का नियमन कर सकता है। सघाय-सरकार पर मुख्य अधिकारियों (Head of authority) को नियुक्ति देनेकी महामति में होगी।
- (3) राज्य (राज्य) पदाधिकारी उपयुक्त सर्वोच्च सघीय पदाधिकारियों के निर्णय के अधीन कार्य करेंगे। सघाय में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णय राज्य (राज्य) के सर्वोच्च अधिकारियों के पास हो सकता है। राज्य (राज्य) के सर्वोच्च अधिकारियों उनका नियन्त्रण का मुनिर्दिष्ट करेंगे।
- (4) सघीय निगरानी कानून के अन्तर्गत नियन्त्रण की उपयुक्तता के आधार पर होगा। यह उद्देश्य के लिए सघ-सरकार प्रतिवन्ता तथा दस्तावेजों की प्राप्ति का अनुवाद कर सकती तथा सभी अधिकारियों के पास आयुक्तों का भ्रम हो सकता है।

अनुच्छेद 86 प्रत्यक्ष सघ प्रशासन

जहाँ सघ शासन प्रत्यक्ष सघाय प्रशासन या सघाय निगरानी कार्यालय या सघाय कानून का कार्यालय बनाने के लिए सघ सरकार जब तक सम्बद्ध

कानून काई और विशय यवस्या नहीं करता उपयुक्त सामाय प्रशासनिक नियम जारा करेगी । जिस सीमा तक सम्बद्ध कानून अय व्यवस्था नया करता उस सीमा तक सघ-मरकार आवश्यक कार्यालयो की स्थापना की यवस्या करेगी ।

अनच्छेद 87¹ प्रत्यक्ष सघ प्रशासन के विषय

- (1) विदेशी-सेनाएं सघीय वित्तीय प्रशासन सघीय रेल सडक माग सघीय डाक सेवाएं तथा अनुच्छेद 89 की व्यवस्थाओं के अनुसार सघीय जल-मार्गों तथा जहाजरानी का प्रशासन सीधे सघीय प्रशासन का विषय समझा जाकर उसका निया-बयन होगा उसका अपना सहायक प्रशासनिक ढांचा भी होगा सघीय सीमा सुरक्षा प्राधिकरण पुलिस सूचना व संचार का केन्द्रीय कार्यालय अपराध शाखा-पुलिस का कार्यालय और शक्ति के प्रयोग या उसकी तयारी जिससे जमन सघीय गणराज्य (फडरल रिपब्लिक आफ जमनी) के विदेशी हितो का तथा सविधान की सुरक्षा तथा सघीय क्षेत्रो को खतरा हो उसे सुरक्षा के लिए आकडे सफलित करने का कार्यालय सघीय कानून के द्वारा स्थापित किय जा सकत है ।
- (2) सामाजिक बीमा सस्थाएं जिनका क्षेत्राधिकार एक लण्ड (राज्य) के भू-प्रदेश मे अधिक विस्तृत हो सावजनिक कानूनों के अन्तगत सघीय निगम निकाय के रूप मे प्रशासित होगी ।
- (3) इसके अतिरिक्त सावजनिक कानून के अन्तगत स्वासन सघीय उच्चतर सस्थाएं तथा उनके साथ ही साथ सघीय निगम निकाय तथा सस्थाएं सघीय कानून के अन्तगत उन मामला मे स्थापित की जा सकेंगी जिनके निर्माण का सघ प्रशासन को अधिकार है बु-देसटाग को स्वीकृति सहित तथा बु-देसटाग के सदस्यो के बहमत से अत्यावश्यक होने पर मध्यवर्ती तथा निम्न वर्ती सघीय कार्यालयो की स्थापना की जा सकनी है ।

अनुच्छेद 86 प³ सीय सचय सहाय सशस्त्र सेनाओं का उपयोग व काय

- (1) साथ शासन प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सशस्त्र सेना का निमाण करेगा । उसकी सहाय तथा सामाय सगठन ढांचा बजट मे प्रदर्शित किया जायेगा ।
- (2) प्रतिरक्षा उद्देश्य के अतिरिक्त सशस्त्र सेनाओं का उपयोग सिफ उसी सीमा व क्षेत्रो तक किया जा सवेगा जिनकी वैसिक ला सविधान स्पष्ट यवस्या करता है ।

1 19 मार्च 1956 के सघीय कानून (फ डरल ला गजट 1 पृष्ठ 111) द्वारा जोड़ा गया तथा 24 जून 1968 के सघीय कानून (फडरल ला गजट 1 पृष्ठ 71) द्वारा संशोधित
 2 28 जुलाई 1972 के सघीय कानून (फडरल ला गजट 1 पृष्ठ 1305) द्वारा संशोधित रूप ।
 3 19 मार्च 1956 के सघीय कानून (फडरल ला गजट 1 पृष्ठ 111) द्वारा जोड़ा गया ।

अनुच्छेद 85 (1) व अंतगत यह व्यवस्था की जा सकती है कि जो अधिकार सघ शासन के पास हैं व अधिकार पूरा या प्रांशिक रूप से उपयुक्त सर्वोच्च सघीय अधिकारिया को सौंप जा सकत हैं एमी स्थिति म इन अधिकारो-गण को अनुच्छेद 85 के परिच्छेद (2) व अंतगत सामाय निर्देश जारा करते समय बुन्सराट की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं हागा ।

अनुच्छेद 87-सी¹ परमाणु ऊर्जा का उत्पादन व उपयोग

बुन्सराट की स्वीकृति से अनुच्छेद 78 व 11ए व अंतगत निर्मित कानून म यह व्यवस्था की जा सकती है कि तण्डर (राय) द्वारा सघ शासन के एजेंट के रूप म उनका कार्यावयन किया जा सकता है ।

अनुच्छेद 87-डी उड्डयन प्रशासन

- (1) उड्डयन प्रशासन सीधे सघ शासन द्वारा क्रियावित हागा ।
- (2) बुन्सराट की स्वीकृति से सघीय कानून द्वारा उड्डयन प्रशासन के काय लण्डर (राज्यो) को सौंप जा सकेंगे जो सघ शासन के एजेंट के रूप म व्हें क्रियावित करेंगे ।

अनुच्छेद 88 सघाय बक

सघ शासन एक कागजी मुद्रा तथा मुद्रा जारी करन वाला बक स्थापित करेगा जा सघीय बक के रूप म काय करेगा ।

अनुच्छेद 89 सघीय जल भाग

- (1) सघ शासन भूतपूर्व राइश (साम्राज्य) जल मार्गों का स्वामी होगा ।
- (2) सघ शासन स्वयं अपने अधिकारिया के माध्यम से सघीय जल-मार्गों का प्रशासन चलायगा । यह उन सरकारी दायित्वो का भी निर्वाह करेगा जो अन्तर्राष्ट्रीय जल-भाग म सम्बद्ध हैं तथा जिनका क्षेत्र एक तण्डर (राय) के क्षेत्र म प्राग तक विस्तृत है तथा व सरकारी शाय भी करेगा जो वापारिक जहाजरानी म सम्बद्ध हैं तथा उन कानून द्वारा दिय गये हैं । एक लण्डर (राय) के निवदन करन पर सघ शासन उन सघीय जल मार्गों का प्रशासन एक लण्डर (राय) का सौंप मकेगा जा एक तण्डर (राय) के प्रदेश म निहित हैं । तण्डर (राय) सघ शासन के एजेंट के रूप म काय करेगा । यदि एक जलमार्ग के लण्डर (राय) की सीमा का छूता है और यदि सम्बद्ध तण्डर (रायो) प्राथना करत हैं ता सघ शासन एक विशेष तण्डर (राय) को अपना एजेंट नियुक्त कर सकेगा ।

1 23 दिसम्बर 1959 के सघीय कानून (फररल सों गजट । पृ 813) द्वारा घोषा गया

2 6 फरवरी 1961 के सघीय कानून (फररल सों गजट । पृ 65) द्वारा घोषा गया ।

- (3) जनमार्गों के प्रशासन विक्रम तथा नवीन निर्माण-कार्यों के समय भू मबधन व परिष्कार की आवश्यकता तथा जल प्रव ध को नेण्टर (राज्यो) व साथ समझौते द्वारा सुरक्षित किया जायेगा ।

अनच्छद 90 सघीय राज माग

- (1) सघ शासन भूतपूर्व राईश (साम्राज्य) के मोटर मार्गों (Reich Sauto bahnen) तथा राईश राजमार्गों का स्वामी होगा ।
- (2) नण्ट (राज्य) कानून के अतगत लेण्डर (राज्यो) या एसी स्व शामी निगम निकाय सघ शासन क एजेंट के रूप मे सघीय मोटर मार्गों तथा अय सघीय राज मार्गों जो दूरवर्ती यातायात व लिए प्रयुक्त होत हैं का प्रशासन करेगे ।
- (3) एक नण्ट (राज्य) की प्राथना पर सघ शासन उस नण्ट (राज्य) के प्रदेश मे आने वान मान्टर मार्गों तथा अ य सघीय राज मार्गों को जो दूरवर्ती यातायात क लिए प्रयुक्त होत हैं सीध सघीय प्रशासन मे ले लगा ।

अनच्छद 91¹ सघ शासन या एक लण्ड (राज्य) के अस्तित्व को उपन्न खतरों को दूर करना

- (1) सघ शासन या एक लण्ट (राज्य) के अस्तित्व या स्वतंत्र जनतांत्रिक आगार भूत यवस्था को उत्पन्न किसी आसन्न खतर को दूर करने के लिए एक नण्ट अय नण्डर (राज्यो) की पुलिस सवाभो या अय दस्ता की सवाए तथा अय प्रशासनिक कार्यालयो तथा सघीय मीमा रक्षक दल मे सुविधाए माग सकता है ।
- (2) यदि एक नण्ट (राज्य) जहा ऐसा आसन्न खतरा है स्वय खतरे क मुकाबल का अनिच्छुक या अयाय है तो सघ सरकार इस लण्ट मे पुलिस रख सकती है तथा अय नेण्टर (राज्यो) को पुलिस दस्तो का तथा सघीय रभव टन का अपने स्वय के निर्देशन मे रख सकती है इसके लिए दिया गया आदेश खतरा टल जाने पर या बुदेसराट के अयथा निवेदन पर किसी भा समय निरस्त किया जा सकता है । यदि एक लण्ड से अधिक विस्तृत प्रण्य मे खतरा फनना है ता सघ शासन ऐमे खतरे का प्रभावशाली ढग से मुकाबला करने के लिए जिस सीमा तक आवश्यक हो नण्ट (राज्य) सरकार का निर्देश द सकती है । इस परिच्छद के प्रथम तथा न्तीय वाक्य उस यवस्था से प्रभावित नही होग ।

1 24 जन 1968 क सघीय कानून (फडरल लॉ गडट 1 § 711) अरा मजोहित रूप उपाहरणाय — नागरिक सुरक्षा दल आपातकालीन नागरिक इन्वोनियरिंग एन अगिन शासन दल इयादि इयादि ।

अनुच्छेद 91 ए¹ संयुक्त कृत्य की परिभाषा

(1) सघ शासन निम्नांकित मामला में त्ण्डर (राज्या) के साथ दायित्वों का निवाह करगा बतने कि ऐसा दायित्व समग्र समाज के लिए महत्त्वपूर्ण है तथा जीवन स्थितिया में सुधार लान के लिए सघ का सहयोगी होना आवश्यक है—

(i) विश्वविद्यालय निदान गृह सहित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं का विस्तार व निमाण

(ii) क्षेत्रीय ग्रामिक ढांचे में सुधार

(iii) कृषि-संरचना तथा तटीय संरक्षण में सुधार

(1) बुन्सराट की स्वीकृति के साथ संयुक्त कृत्य को एक संघीय कानून द्वारा परिभाषित किया जायगा। इस कानून में संयुक्त कृत्य के निर्वाह के लिए सामान्य संचालन नियम सम्मिलित होने चाहिए।

(3) इस कानून में व्यापक संयुक्त योजना के लिए आवश्यक प्रक्रिया व संस्थाओं की व्यवस्था होगी। व्यापक परियोजना में एक योजना को सम्मिलित करने के लिए उस त्ण्डर की स्वीकृति आवश्यक होगी जिसमें उस त्रिगान्वित किया जाता है।

(4) उन मामला में जिनमें इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के विषय 1 तथा 2 लागू हात हैं सघ शासन कम से कम आधा व्यय भार व्णन करगा तथा यह अनुपात सभी त्ण्डर (राज्या) के लिए समान होगा। विस्तृत विवरण कानून द्वारा नियमित किया जायगा। धन की व्यवस्था सघ तथा त्ण्डर (राज्या) के बजट में विनियोग पर आधारित होगी।

(5) यदि सघ सरकार तथा बुन्सराट ऐसी भाग करे तो उन्हें संयुक्त कृत्यों के कार्यावयन के बारे में सूचना दी जायेगी।

अनुच्छेद 91 बी शैक्षणिक योजना तथा शोध-कार्यों में सघ शासन तथा त्ण्डर (राज्यों) का सहयोग

समझौता के अनुवर्ती सघ शासन तथा त्ण्डर (राज्य) शैक्षणिक योजना तथा अधिभेरीय (Supra regional) महत्त्व की बतानिक शोध की परियोजनाओं एवं संस्थाओं को प्रोत्साहन देन में सहयोग करेंगे। उपयुक्त समझौता स व्यय भार का विभाजन नियमित किया जायगा।

1 12 मई 1969 के संघीय कानून (गेडरल लो गवर्नट 1 9 359) द्वारा जोड़ा गया।

2 वही

यायिक प्रशासन

अनुच्छेद 92¹ यायानयों का संगठन

यायिक शक्तियां यायाधीशों में निहित होंगी। उनका निष्पादन वैसिक न्याय (सर्विधान) में दी गई व्यवस्था के अनुसार सघीय संवैधानिक यायानय सहाय याया न्याय तथा लेण्टर (राय) के यायानयों द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 93 सघीय संवैधानिक यायालय संरचना

(1) सघीय संवैधानिक यायानय निम्नान्वित स्थितियों में निर्णय करेगा—

- (i) एक सर्वोच्च सघीय निकाय या अन्य दला जिन्हें वैसिक ला (सर्विधान) या एक सर्वोच्च सघीय निकाय की कार्य विधि नियम द्वारा अधिकार दिये गये हैं के बीच अधिकारों या कृत्यों को लेकर विवाद उठ खड़ा होना है तो वैसिक न्याय (सर्विधान) की याय्या करना
- (ii) सघीय सरकार उच्च (राय) सरकार के निवदन पर या एक तिहाई बुद्धिमत्ता के सदस्यों के निवदन पर इस वैसिक न्याय (सर्विधान) के अन्तर्गत सघीय तथा उच्च (राय) के कानून के बीच औपचारिक या वास्तविक संगति के सम्बन्ध में मतभेद या सहानुभूति होने की या लण्टर (राय) के कानून व अन्य सघीय कानून के बीच असंगति हान की स्थिति में
- (iii) संघ शासन व उच्च (राय) के अधिकारों और कृत्यों तथा विशेषतः लण्टर (राय) द्वारा सघीय कानूनों के क्रियान्वयन तथा सघीय पर्यवेक्षण के निष्पादन में मतभेद हान पर
- (iv) यदि अन्य यायालयों में न्याय का माग खुला नही है तो विभिन्न उच्च (राय) के बीच या एक लण्टर (राय) में या संघ शासन तथा लण्टर (राय) के मध्य सांख्यिक कानूनों में सम्बद्ध अन्य मतभेदों पर
- (iv) ए संवैधानिकता की शिकायत पर जिसकी शिकायत को मा व्यक्ति कर सकता है जिसका यह दावा है कि अनुच्छेद 20 के परिच्छेद (4) अनुच्छेद 33 38 101 103 या 104 में प्रस्तुत उत्तक मूलभूत अधिकारों में एक का या अन्य अधिकारों में से किसी एक का माव जनिक प्राधिकरण द्वारा हनन किया गया है।
- (vi) वी³ कम्प्यूना या कम्प्यूना के संघ द्वारा उस आधार पर संवैधानिकता की शिकायत कि अनुच्छेद 28 के अन्तर्गत उनके स्व शासन के अधिकारों

1 18 जून 1968 के संघीय कानून (के डरल ला गजट 1 पृ 657) द्वारा संशोधित रूप।
 2 12 मई 1969 के संघीय कानून (के डरल ला गजट 1 पृ 354) के द्वारा जोड़ा गया।
 3 29 जनवरी 1969 के संघीय कानून (के डरल ला गजट 1 पृ 97) द्वारा जोड़ा गया।

कारो का हनन एक कानून द्वारा किया गया है। इस लण्ड (राय) कानून शामिल नहीं है क्योंकि उसका लिए सम्बद्ध लण्ड संवधानिक न्यायालय में शिकायत की जा सकती है।

(१) अन्य मामलों में जिनकी व्यवस्था बसिक् या (संविधान) में है।

- (2) संघीय संवधानिक न्यायालय ऐसे अन्य मामलों में भी कार्यवाही करेगा जो उस संघीय कानून द्वारा सौंपे गए हैं।

अनुच्छेद 94 संघीय संवधानिक न्यायालय गठन

- (1) संघीय संवधानिक न्यायालय संघीय न्यायाधीशों व अन्य सदस्यों से निर्मित होगा। संघीय संवधानिक न्यायालय के अध्यक्ष सदस्य बुद्धसटाग और बुद्धसटाग द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। व बुद्धसटाग बुद्धसटाग संघ सरकार और लण्ड व किसी विधायक सदस्य नहीं हो सकते।
- (2) संघीय संवधानिक न्यायालय की रचना तथा प्रक्रिया एक संघीय कानून द्वारा नियमित होगी जो यह स्पष्ट करेगा कि किन मामलों में उसके लिए कानून की शक्ति सम्पन्न होगी।¹ ऐसे कानून के लिए यह अनिवार्य किया जा सकता है कि असंवधानिकता की एसी शिकायत करने से पूर्व सभी अन्य कानूनी उपचार पूरे कर लिए गए हैं। साथ ही इस कानून में शिकायत की स्वीकृति से सम्बद्ध विशेष व्यवस्था की जा सकती है।

अनुच्छेद 95 संघ-शासन के सर्वोच्च न्यायालय—संयुक्त नामावलि

- (1) सामान्य प्रशासनिक वित्तीय श्रम तथा सामाजिक क्षेत्राधिकार व उद्देश्यों के लिए संघ शासन संघीय न्यायालय संघीय प्रशासनिक न्यायालय संघीय राजकापीय (Fiscal) न्यायालय संघीय श्रम-न्यायालय तथा संघीय सामाजिक न्यायालय ऐसे सर्वोच्च न्यायालयों की स्थापना करेगा।
- (2) इसमें से प्रत्येक न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से तम संघीय मंत्री तथा न्यायाधीशों के चयन के लिए गठित एक समिति जिसमें लण्ड (राय) के सभ्य मंत्री तथा उतनी ही संख्या में बुद्धसटाग के सदस्य होंगे के द्वारा संयुक्त रूप से की जायगी।
- (3) क्षेत्राधिकार की एकहपता की सुरक्षा के लिए इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) में उल्लिखित न्यायालयों की एक संयुक्त नामावलि (सीनट) निर्वाचित की जायगी। विस्तृत विवरण एक संघीय कानून द्वारा नियमित किया जायेगा।

1 29 जनवरी 1969 के संघीय कानून (फडरल ऑर्गेन 1 व 97) द्वारा ठोड़ा गया।

2 18 जन 1968 के संघीय कानून (फडरल ऑर्गेन 1 व 657) द्वारा संशोधित रूप।

अनुच्छेद 96¹ राष्ट्रीय 'यायालय

- (1) सच शासन औद्योगिक सम्पत्ति अधिकारो म सम्बद्ध मामलो के लिए एक सघीय यायालय स्थापित कर सकता है ।
- (2) सच शासन सशस्त्र सेनाप्रा के लिए सनिक अपराध 'यायालयो की मन्वय 'यायालयो क रूप म स्थापना कर सकता है । के अपराध मन्वय अधिकार का निष्पादन उम समय करेगे जब प्रतिरक्षा की स्थिति मौजूद है अन्यथा वे सिप विज्ञा म स्थित या युद्धपोता पर तनात सशस्त्र सेनाप्रा क कमचारियो पर क्षत्राधिकार का उपयोग करेगे । विन्तृत विवरण एक सघीय कानून द्वारा नियमित किया जायगा । य 'यायालय सघीय 'याय मन्त्री के मन्वय अधिकार म रण्य । उनके लिए नियुक्त 'यायाधीशा म पूर्णकालिक 'यायाधीशा क कत्तय निम्नान की योग्यता होनी चाहिए ।
- (3) एस अनुच्छेद क परिच्छेद (1) तथा (2) म उल्लिखित 'यायालयो द्वारा अधीन क लिए सघीय 'यायालय ही सर्वोच्च 'यायालय होगा ।
- (4)² सच शासन सघीय लोकसवा कमचारियो क विरुद्ध अनुज्ञामनात्मक कायवाही तथा उनकी शिकायता क निपटारे क लिए सघ य 'यायालयो को स्थापना कर सकता ।
- (5)³ अनुच्छेद 26 क परिच्छेद (1) क अंतगत फौजदारी कायवाही या राय की रक्षा के सम्बध म एक सघाय कानून तसक लिए बुदेसराट की स्वीकृति अनिवार्य है द्वारा यत् व्यवस्था की जा सकती है कि सण्ड (राय) क 'यायालय सघीय क्षत्राधिकार का निष्पादन कर सकें ।

अनुच्छेद 96 ए¹

अनुच्छेद 97 'यायाधीशों की स्वतंत्रता

(1) 'यायाधीश स्वतंत्र हांग तथा सिप कानून क अधीन हांगे ।

- 1 कल 96 अनुच्छेद 18 जन 1968 क सघीय कानून द्वारा रद्द कर दिया गया (फररन ना गजट] प 658) वतमान 96 अनुच्छेद मूलसूत्र 96 ए अनुच्छेद है जो 19 माच 1966 क सघीय कानून (फररन ना गजट] प 111) द्वारा जोड़ा गया तथा—
6 माच 1961 क सघीय कानून (फररन ना गजट [प 141) वारा ।
18 जन 1968 क सघीय कानून 1 प 658
12 म¹ 1969 1 प 363
26 अगत 1969 1 प 1357
द्वारा सगोधित किया गया ।
- 2 12 म¹ 1969 1 प 363
द्वारा सगोधित
- 3 26 अगत 1969 [प 1357
द्वारा जोड़ा ग ।
- 4 मूल 96 अनुच्छेद को रद्द कर दिया गया ।

- (2) स्थापित पदा पर स्थायी तथा पूराकालिक रूप से नियुक्त न्यायाधीशों को सिवाय एक या अधिक नियम या सिफ उही आधारों पर जिनकी कानून द्वारा व्यवस्था है उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उनकी इच्छा के विरुद्ध न पदच्युत किया जा सकता न पद से स्थायी या अस्थायी तौर पर निलंबित किया जा सकेगा या भिन्न पद दिया जा सकता अथवा अवकाश प्राप्त करने का कहा जा सकेगा। जीवन भर के लिए नियुक्त न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्ति के सम्बन्ध में कानून द्वारा आयु की सीमा निर्धारित की जा सकेगी। न्यायालयों की संरचना या क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में परिवर्तन की स्थिति में न्यायाधीशों को अन्य न्यायालयों में स्थानान्तरित किया जा सकेगा या पद से हटाया जा सकता बशर्ते उन्हें पूरी तनखाह दी जाय।

अनुच्छेद¹ 98 न्यायाधीशों की कानूनी स्थिति

- (1) एक विशेष सघीय कानून द्वारा न्यायाधीशों की कानूनी स्थिति नियमित की जायेगी।
- (2) यदि एक न्यायाधीश अपनी शासकीय (आफिशियल) या अशासकीय (नॉन आफिशियल) हैसियत में इस वेसिक ला (संविधान) या एक लण्ड (राज्य) की संवधानिक व्यवस्था के सिद्धांतों का अतिव्रतन करता है तो बुदेसटाग के निवेदन पर सघीय संवधानिक न्यायालय अपने दा-तिहाई बहुमत से नियम दे सकता है कि ऐसे न्यायाधीश को अन्य कार्य सौंपा जाये या अवकाश प्राप्त करने को कहा जाये। जानबूझ कर उल्लंघन किये जाने के मामले में उसको पदच्युत करने का आदेश दिया जा सकता है।
- (3) लण्डर (राज्य) में न्यायाधीशों की कानूनी स्थिति का नियमन लण्ड के विशेष कानून द्वारा होगा। जहां तक अनुच्छेद 74 ए का परिच्छेद (4) अन्य व्यवस्था नहीं करता सघ शासन सामान्य व्यवस्थाएं अधिनियमित कर सकता है।
- (4) लण्डर (राज्य) यह व्यवस्था कर सकते हैं कि लण्ड का न्यायमंत्री न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए गठित समिति के साथ लण्डर (राज्य) के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में नियम ले सकेगा।
- (5) लण्डर (राज्य) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (2) के अनुरूप लण्ड के न्यायाधीशों के बारे में व्यवस्था कर सकता है। वर्तमान लण्ड (राज्य) के संवधानिक कानून अप्रभावित रहेंगे। एक न्यायाधीश पर महाभियोग के मामले में सघीय न्यायालय का नियम देना अधिकार होगा।

1 18 मार्च 1971 के संघीय कानून (फेडरल ला गैज़ट | पृ. 206) द्वारा संशोधित रूप।

अनुच्छेद 991 लण्ड (राज्य) के कानून के सम्बन्ध में सघीय संवधानिक न्यायालय तथा सर्वोच्च सघीय न्यायालय की सक्षमता का निर्धारण

एक लण्ड के भीतर संवधानिक विवादों पर निम्नलिखित लण्ड के कानून द्वारा मामला सघीय संवधानिक न्यायालय को हस्तांतरित किया जा सकता है लण्ड कानून के लागू करने सम्बन्धी मामले में लण्ड में अंतिम अपील के बाद मामला अनुच्छेद 95 के परिच्छेद (1) में उल्लिखित प्रवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में लाना जा सकता है।

अनुच्छेद 100 बेसिक ला (संविधान) के साथ संवधानिक कानून की अखंडता

(1) यदि न्यायालय एक कानून को अपनाने के लिए द्वारा असंवधानिक मानता है तो उस कानून के निराकरण की कार्यवाही रोक दी जायेगी तथा लण्ड के न्यायालय जो संवधानिक विवादों के सम्बन्ध में फसला देने में सक्षम हैं वे यह निराकरण प्राप्त किया जायेगा कि क्या लण्ड के संविधान का उल्लंघन हो रहा है। यह बात इस बेसिक ला (संविधान) पर भी लागू होगी कि क्या लण्ड के कानून से उनका उल्लंघन हो रहा है या एक लण्ड कानून सघीय कानून के अनुरूप है या नहीं।

(2) यदि एक मुकदमे (लिटिगेशन) के दौरान यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या संवधानिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक नियम सघीय कानून का अविभाज्य अंग है तथा क्या ऐसा नियम व्यक्ति के लिए सीधे अधिकार तथा कर्तव्य (अनुच्छेद 25) का निर्माण करता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय सघीय संवधानिक न्यायालय से निराकरण प्राप्त करेगा।

(3) यदि एक लण्ड का संवधानिक न्यायालय इस बेसिक ला की व्याख्या करते समय सघीय संवधानिक न्यायालय या अन्य लण्ड के संवधानिक न्यायालय के निराकरण से हटने का इरादा करता है तो उसे सघीय संवधानिक न्यायालय से निराकरण प्राप्त करना चाहिए।

अनुच्छेद 101 असाधारण न्यायालयों पर प्रतिबंध

(1) असाधारण न्यायालय अस्वीकार्य होंगे। किसी भी व्यक्ति को उनमें सम्बद्ध न्यायाधीश के कानूनी क्षेत्राधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा।

(2) सिर्फ कानून द्वारा विशेष क्षेत्र के लिए न्यायालयों की स्थापना की जा सकेगी।

अनुच्छेद 102 मृत्यु दण्ड का अंत

मृत्यु-दण्ड का अंत कर दिया जायेगा।

1 18 जन 1968 के सघीय कानून (कानून ला नंबर 1 व 658) द्वारा संशोधित रूप।
2 वही

अनुच्छेद 103 'यायालयों में मूलभूत अधिकार

- (1) प्रत्येक व्यक्ति को कानून के अनुसार यायालयों में निवेदन करने व सुने जाने का अधिकार है।
- (2) किसी कार्य के लिए निफ लमी सजा दी जा सकती है जबकि वह कार्य किये जाने से पट्टन बसा कोर्र कानून था।
- (3) सामान्य अपराध-कानून के अन्तगत किसी को उमी अपराध क लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती।

अनुच्छेद 104 स्वतंत्रता से वंचित करने की स्थिति में कानूनी गारंटी

- (1) सिफ एक औपचारिक कानून के अंतगत उसकी निर्धारित सीमा का उचित विचार करत हुए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। हवालत में रखे व्यक्ति के साथ मानसिक व शारीरिक दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है।
- (2) सिफ यायाधीश हा किसी को निरन्तर स्वतंत्रता से वंचित करने की स्वीकृति (एडमिसिविनिटी) पर नियंत्रण कर सकते हैं। जहा एसा वचन (डिप्राइवेशन) किसी यायाधीश के आदेश पर आधारित नहीं है वहा बिना दर किये एक यायिक निराय प्राप्त किया जाना चाहिए। पुलिस अपने स्व क अधिकार व अन्तगत किसी व्यक्ति का अपनी हिरासत में उस दिन से अधिक नहीं रख सकती जिस दिन उस गिरफ्तार किया गया है। विस्तृत विवरण कानून द्वारा नियमित हागा।
- (3) कोई भी व्यक्ति जो एक अपराध करने के सदह में अस्थायी तौर से हिरासत में लिया गया है उस गिरफ्तारी के टमरे दिन यायाधीश के सम्मुख लाया जाना चाहिए। यायाधीश उस व्यक्ति को हिरासत के कारण की सूचना देगा उसके बयान देगा तथा उस आपत्ति उठाने का अवसर देगा। यायाधीश को बिना दर किये या ता कारणों सहित गिरफ्तारी का वारंट जारी करना चाहिए या उस हिरासत से मुक्त करना चाहिए।
- (4) हिरासत में लिये गये व्यक्ति के किसी सम्बन्ध या विश्वमनीय किसी यायिक निर्णय की सूचना व्यक्ति को बिना देर किये देनी चाहिए जिसमें उसको स्वतंत्रता से निरन्तर वंचित करने का आदेश हो।

X वित्त**अनुच्छेद 104 ए¹** 'धन का विभाजन—वित्तीय सहायता

- (1) जिस सीमा तक यह बेमिक ला (सविधान) धन व्यवस्था नहीं करता सध शासन तथा लेण्डर (राज्य) धन धन कार्यो क सम्पादन के लिए होने वाले व्यय भार का अलग अलग वहन करेंगे।

- (2) जगत्तर मध शासन क एन्ट के रूप म काय करन है वहा उनके परिणाम स्वरूप होन वात व्यय भार का वहन सध शासन करगा ।
- (3) जगत्तर क माध्यम म घन-काय क वितरण विभाजन म सम्बन्धन मधाय कानून क कायान्वयन क बारे म यह व्यवस्था की जा सकना है कि एसा निधि पूणरूप स या आधिक रूप म मध शासन तारा एन्ट प्रदान की जायगी । जहा काइ कानून यन् व्यवस्था करना है कि मध शासन आधा या उमम अधिक व्यय भार उठावगा वहा जगत्तर सध शासन क एन्ट क रूप म उमका कायावयन करगा । जहा का कानून एसा व्यवस्था करना है कि जगत्तर एक-बीया या उमम अधिक व्यय भार वहन करगा उमक निग बन्सगट की स्वाकृति अनिवाय हागी ।
- (4) मध शासन जगत्तर को या कम्पूना या कम्पूना क सध का उनक तारा विाप मन्त्र क पूजी विनियानन में द्वितीय महापता दगा वाने एसा पूजी विनि यानन समग्र आर्थिक मानुनन म जगत्तर मन्त्र का र्ग करन या मधाय मन्त्र म आर्थिक विपमता को मिटाकर ममरूपता जन या आर्थिक विकास का प्रासादन दन क लिए आवश्यक हा । विम्नृत व्योरा विापत पूजा विनि यानन क विविध प्रकार जिसे प्राप्ताहित करना हा का नियमन एक सधाय कानून तारा जागा । बन्सगट की स्वाकृति या मधाय जगत्तर पर आधारित प्रासनिक व्यवस्था तारा उनका नियमन हागा ।
- (5) सध शासन तथा जगत्तर अपन अपन अधिकारिया तारा क्रिय मरु रूप का नार उठावगे तथा प्रासन का अचित सन्धान करन क लिए एक्-डूमर क प्रति उत्तरदाया हागे । विम्नृत विवरण एक सधाय कानून तारा नियमित हागा उमक लिए बन्सगट का स्वीकृति अनिवाय जागा ।

धनद्व 10 > चुगा तुक एकाधिकार कर-कानन

- (1) सध शासन का चुगी क मामना तथा वित्तीय एकाधिकार क बार म कानून बनान का एकमात्र अधिकार जागा ।
- (2)¹ सध शासन का अन्त्र मत्र करा क बार म निमम उम पूण या आधिक रूप म राउम्व प्राप्त होता है या जिन पर अनुच्छेद 72 (2) म प्रस्त शर्ते तारु हाता है कानून बनान का समवर्ती अधिकार हागा ।
- (2)^घ जगत्तर का स्थानीय आरकारा करा क बार म उम सीमा तक कानून बनाने का अधिकार हागा जिसे सामा तक व सधाय कानून तारा लगाय गय करों क समान नहा है ।

1 12 म^१ 1969 क सधाय कानन (उदरम ना मन्त्र । पृ 3५9) तस मन्तवित रूप जोरा हा ।

- (3) उन करो में सम्बद्ध सघीय कानून के लिए जो पूर्णतः या आंशिक रूप से लेण्डर या कम्प्यूना या कम्प्यूतो के साथ सम्बद्ध होते हैं बुन्देसराट की स्वीकृति का आवश्यकता होगी।

अनुच्छेद 106¹ के आय का विभाजन

- (1) वित्तीय एकाधिकार की आमदनी की प्राप्ति तथा निम्नांकित करा से प्राप्त राजस्व सघ शासन को मिलेगा
- (i) चूगी शुल्क
 - (ii) आवकारी-कर जहां तक वह इस अनुच्छेद के परिच्छेद (2) के अनुवर्ती लेण्डर को प्राप्त नहीं होता है या इस अनुच्छेद के परिच्छेद (3) के अनुसार सघ शासन व लेण्डर दोनों को या इस अनुच्छेद के परिच्छेद (6) के अनुसार कम्प्यूतो या कम्प्यूतो के साथ को प्राप्त नहीं होना है।
 - (iii) माग-दुलाई कर
 - (iv) पजी हस्तांतरित कर बीमा-कर तथा विनियम के विपन (Bills) तथा डाफटस
 - (v) सम्पत्ति पर अनावर्ती उगाही (Non recurrent levy) बोझ का समकरण (equalization of burden) सम्बन्धी कानून के कार्यावयन के उद्देश्य से लागू अशदान (Contribution)
 - (vi) आय तथा नगम अधिकार
 - (vii) यूरोपीय समुदाय के ढांचे के अंतर्गत परियय
- (2) लेण्डर को निम्नलिखित करो से राजस्व प्राप्त होगा —
- (i) सम्पत्ति शुद्ध मूल्य (net worth) कर
 - (ii) उत्तराधिकार कर
 - (iii) मोटरवाहन-कर
 - (iv) सौदो पर ऐसे कर जो इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के अनुवर्ती सघ शासन को प्राप्त नहीं होते या इस अनुच्छेद के परिच्छेद (3) के अनुवर्ती सामुक्त रूप से सघ शासन व लेण्डर को प्राप्त नहीं होते
 - (v) बीयर पर कर
 - (vi) जम्माघरा पर कर

1 23 दिसम्बर 1955 के सघीय कानून (ए डरन ला गजट 1 पृष्ठ 817)

24 दिसम्बर 1956

1077) तथा

12 मई 1969

359) द्वारा सन्निहित रूप

2 उदाहरण - उन व्यक्तियों पर लागू अशदान जिन्हें युद्ध से क्षति न हो वे उक्त अशदान दिया जायेगा जिन्हें युद्ध से क्षति हो। इस प्रकार बोझ का समकरण (equalization) हो सकेगा।

- (3) आयकर से प्राप्त राजस्व नगम तथा पण्णावतकर (Turnover Tax) मयुक्त रूप से सघ शासन व लेण्डर का प्राप्त हूणि उस सीमा तक जहा तक इस अनुच्छेद के परिच्छेद (5) के अनुवर्ती आयकर से प्राप्त राजस्व बम्पूनी का भावदित नही किया गया है। सघ शासन तथा लेण्डर आयकरा तथा नगम करा का समान रूप से आपस में बाटण। पण्णावतकर (Turnover Tax) से प्राप्त आय का सघ शासन तथा लेण्डर का अपना अपना अंश एक सघीय कानून द्वारा निर्धारित होगा जिसके लिए बुदेसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी। एसा निर्धारण निम्नांकित सिद्धांतों पर आधारित होगा —
- (i) सघ शासन तथा लेण्डर को अपने अपने आवश्यक व्यय के लिए वर्तमान राजस्व से प्राप्त राशि पर समान लावा होगा। ऐसे व्यय की सीमा एक बहुवार्षिक वित्तीय योजना (Pluri annual Financial Planning) की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित की जायगी।
 - (ii) सघ शासन तथा लेण्डर के लिए आवश्यक राशि का इस प्रकार समवित्त किया जाय कि एक उचित अनुदान स्थापित हो सके। करदाता पर अधिक कर भार का निवारण किया जाय तथा सघीय क्षेत्र में जीवन स्तर की एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।
- (4) पण्णावत कर (Turnover Tax) से प्राप्त आय में सघ शासन व लेण्डर के अपने अपने अंश का उस समय नये प्रकार में विभाजित किया जायगा जब राजस्व तथा खर्च का आपसी सम्बन्ध सघ शासन में लेण्डर से तबत भिन्न विकसित होता है। जहा सघीय कानून अतिरिक्त खर्च घोषता है या लेण्डर में राजस्व वापस लाना है वहा अतिरिक्त भार को सघीय कानून के अंतर्गत सघीय अनुदान द्वारा पूरा किया जायेगा जिसके लिए बुदेसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी बशर्ते कि एसा अतिरिक्त भार थोड़े समय तक सामित रहता है। एसे कानूनों द्वारा व सिद्धांत सामान रख जायेंगे जिनके द्वारा एम अनुदान का परिकलन (Calculation) तथा लेण्डर (राज्य) में वितरण किया जा सके।
- (5) आयकर से प्राप्त आमदनी का एक हिस्सा बम्पूनी का लेण्डर द्वारा लिया जायगा यह लेण्डर के निवासियों से प्राप्त आयकर व आधार पर लिया जायेगा। एमका विस्तृत व्यौरा एक सघीय कानून द्वारा नियमित किया जायेगा जिसके लिए बुदेसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी। एसे कानून द्वारा यह व्यवस्था की जा सकती है कि बम्पूनी अपने ममुताय के हिस्से का निर्धारण स्वयं करेगा।
- (6) वास्तविक सम्पत्ति तथा व्यापार करा से प्राप्त आय बम्पूनी का प्राप्त होगी स्थानीय प्राधिकारी को से प्राप्त आय बम्पूनी का मिलनी या लेण्डर (राज्य)

कानून द्वारा व्यवस्थित होने पर कम्प्यूना के सघ का प्राप्त होगा। कम्प्यून वर्तमान कानूनी ढांचे के अन्तर्गत वास्तविक सम्पत्ति व व्यापार पर लगाये गए करा के बारे में निर्धारण करने व अधिकारी होगी। जहाँ एक तन्त्र में ऐसे कम्प्यून नहीं हैं वास्तविक सम्पत्ति तथा व्यापार-कारो व भाय ही साथ स्थानीय आबकारी करों से प्राप्त आय लण्ड का मिलेगी। सघ शासन तथा लण्डर एक महसूल (Impost) के निर्धारण द्वारा व्यापार-कर से होने वाली आय में हिस्सेदारी ल सकेंगे। ऐम महसूल के बारे में विस्तृत विवरण एक सघीय कानून द्वारा नियमित होगा जिसके लिए बुन्डेसराट की स्वीकृति जरूरी होगी। तन्त्र-कानून के ढांचे व अन्तर्गत वास्तविक सम्पत्ति तथा व्यापार पर करों तथा भाय ही आयकर में कम्प्यून के हिस्से का आधार मानकर ऐसे महसूल का हिसाब किया जायगा।

(7) लण्ड के हिस्से में आने वाली समस्त आय तथा समग्र (Over all) सयुक्त करा का विषय प्रतिशत जो तन्त्र कानून द्वारा निर्धारित किया जायगा कम्प्यून तथा कम्प्यूनो के सघ को प्राप्त होगा। आय सब मामला में लण्ड कानून यह निश्चय करेगा कि क्या और किस सीमा तक लण्ड करा से प्राप्त आय कम्प्यून तथा कम्प्यूनो के सघ को मिलेगी।

(8) यदि कि-ही लण्डर (राज्य) या कम्प्यूनो या कम्प्यून के सघ में सघ शासन विशेष सुविधा की स्थापना करता है जिससे सीधे इन तन्त्र या कम्प्यूनो या कम्प्यूनो के सघों के खर्च में वृद्धि होती है या उन्हें धाय (विशेष भार) में मुक्त माना जाता है तो सघ शासन आवश्यक मुआवजे की स्वीकृति तभी देगी जब ऐसे लण्डर या कम्प्यून और कम्प्यून के सघ से तबसम्मत ढग से ऐसे विशेष भार (आय) का उठाने की आशा नहीं की जा सकती। इस मुआवजे की स्वीकृति देते समय तृतीय-पक्ष की क्षतिपूर्ति (Third Party Indemmitty) तथा लण्डर या कम्प्यूनो या कम्प्यूनो के सघ को एसी सस्याओं की स्थापना में होने वाले वित्तीय नाना की सुविधा का उचित हिसाब रखा जायगा।

(9) इस अनुच्छेद के प्रयोजन हेतु कम्प्यूनो तथा कम्प्यूनो के सघों की आय तथा व्यय के तन्त्र की आय या व्यय आने, जायेगा।

अनुच्छेद 107¹ वित्तीय समन्वय

(1) जिस सीमा तक तन्त्र कर तथा आय तथा नगम कर राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने अपने प्रदेशों (स्थानीय आय) से वसूल किया जाना है उस सीमा तक वे कर उस विशिष्ट तन्त्र को प्राप्त हंगे। नगम कर तथा बेतन

1 23 दिसम्बर 1955 के सघीय कानून (बुन्डेस गैसट्ट I पृष्ठ 817) तथा

(Wags) का स प्राप्त स्थानीय आय के आवंटन तथा परिसीमन का वांछे म विस्तृत ध्यौरे की व्यवस्था एक सघीय कानून द्वारा की जा सकती है जिसके लिए बुट्टेसराट की स्वीकृति जरूरी होगी। एस कानून द्वारा आय करा से प्राप्त स्थानीय आय का परिसीमन तथा आवंटन भी हो सकता है। पण्यावत कर (Turnover Tax) से होने वाली आय के हिस्से में दण्ड व हिस्से का निर्धारण प्रति व्यक्ति औसत (Per Capita) के आधार पर होगा।

लण्ड करो तथा आय तथा नगम करा की दृष्टि से जिन नण र (रायों) की प्रति यक्ति औसत आय सभी लेण्डर की समुक्त आय व औसत स कम है उह एक सघीय कानून द्वारा जिसके लिए बुट्टेसराट की स्वीकृति जरूरी है पूरक हिस्सा (Supplemental Share) दिया जा सकेगा जा उम लण्ड की आय के एक चौथा हिस्से से अधिक नहीं होगा।

- (2) सघीय कानून वित्तीय दृष्टि से असमृद्ध तथा समृद्ध नेण्डर (रायों) के मध्य तकमम्मत वित्तीय समकरण का सुनिश्चित करेगा ऐसा करत समय कम्पूना तथा कम्पूनों व सधा की वित्तीय क्षमता तथा आवश्यकताओं का उचित हिसाब रखा जायेगा। ऐसे कानून में नेण्डर के समकरण सम्बन्धी दाव किस नण्डर को वित्तीय समकरण व अतगत भुगतान किया जायेगा किन नेण्डर को वित्तीय समकरण की स्थापना के लिए समकरण भुगतान देना होगा उनके सचालन सम्बन्धी शर्तों का विशय रूप में उल्लेख हागा व्मके साथ ही समकरण भुगतान की राशि व लिए मानदण्ड निर्धारित किया जायगा। ऐसे कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की जा सकती है कि सघीय कोष से सघ शासन असमृद्ध लेण्डर को उनकी आम वित्तीय जरूरत की पूर्ति व लिए अनुदान देगा जो कोटि पूरक अनुदान (Complemental grant) होगा।

अनुच्छेद 108¹ कर सम्बन्धी प्रशासन (Fiscal Administration)

- (1) चुगी शुल्क वित्तीय एकाधिकार आवकारी कर सघीय कानून क विभाग होगा इसमें आयत पर आवकारी कर भी शामिल है साथ ही यूरापीय ममुदाय के ढांचे व अतगत लगाये गये शुल्क भी सघीय राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रशासित हगे। इन अधिकारियों का गठन सघीय कानून द्वारा नियमित हागा। मध्यवर्ती प्रशासनिक स्तर पर जो मुख्य अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे उनक सम्बन्ध में उससे सम्बन्धित लेण्डर से सनाह ले जायगी।
- (2) आय सभी कर लण्ड राजस्व अधिकारिया द्वारा प्रशासित हाग। इन कार्यालयों का गठन तथा उनके कर्मचारियों व प्रशिक्षण को एकरूपता के लिए सघीय कानून बनाया जा सकता है जिमके लिए बुट्टेसराट की स्वीकृति आवश्यक

1 12 मई 1969 क सघीय कानून (फंडरल ऑ गवट 1 पृष्ठ 359) द्वारा मीकोधिन रूप

गा। मन्त्रों के स्तर पर मुख्य अधिकारियों का नियुक्ति समाय सरकार को सम्मति का प्राप्ति।

- (3) जिस सीमा तक कर पूरा या आर्थिक एवं सश्रम शासन का प्राप्त हान है तथा उनका प्रशासन एवं राजस्व प्राप्ति करता है उस सीमा तक व अधिकारों का प्राप्ति का एकात्मक रूप में कार्य करें। अनुच्छेद 85 के परिच्छेद (3) तथा (4) एवं सम्बंध में लागू होने वाले संसदीय प्रशासन के अन्तर्गत एवं मन्त्रीय विनियमों का कार्य करें।
- (4) का क प्रशासन के सम्बंध में संसदीय कानून द्वारा जिसके लिए बुल्मरान का स्वायत्ति आवश्यक होगी साधन तथा राज्य राजस्व-अधिकारियों के मन्त्र महयोग का सम्बन्ध का साधन है या इन अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के अन्तर्गत कार्य करें का प्रशासन एवं राजस्व अधिकारियों का सीमा का सक्ता है या अन्य करों के दार में यदि ऐसा करने में किना सीमा तक कर कानूनों के दायित्व में मुविधा हाता प्रशासन संसदीय राजस्व अधिकारियों का दिया जा सकता है। जहां तक उन करों तथा आय का प्राप्ति के आर्थिक कानूनों या कानूनों के संघों का प्राप्त हाता है उनका प्राप्ति लक्ष्य द्वारा पूरा या आर्थिक तौर पर एवं राजस्व अधिकारियों से लेकर कानूनों या कानूनों के संघों का प्राप्ति जा सकता है।
- (5) राज्य राजस्व अधिकारियों का प्रक्रिया प्रशासनिक वही साधन कानून द्वारा प्रस्तुत की जायगी। राज्य राजस्व अधिकारियों का जहां कि यह अनुच्छेद के परिच्छेद (4) में विचार प्रस्तुत किया है उनसे अनुसर कानूनों तथा कानूनों के अधि द्वारा वह प्रक्रिया लागू की जा सकती है इसके लिए साधन कानून बनाया जा सकता जिसके लिए बुल्मरान का स्वायत्ति जरूरत होगी।
- (6) कर प्राप्ति (Fiscal) सम्बन्धी दायित्वों का प्रशासनिक साधन कानून द्वारा एकसमान नियमित होगा।
- (7) साधन सरकार एवं सीमा तक राज्य राजस्व-अधिकारियों का सक्ता है जिस सीमा तक एवं राजस्व अधिकारियों या कानूनों या कानूनों के साथ प्राप्ति प्रशासन आवश्यक है उस लिए बुल्मरान की स्वायत्ति आवश्यक होगा।

अनुच्छेद 109¹ का प्राप्ति तथा संसदीय कानून के लिए अलग प्रस्ताव बनना

- (1) कर प्राप्ति के सम्बंध में प्राप्ति व प्राप्ति कानूनों के अन्तर्गत तथा सम्बंधित होंगे।
- (2) प्राप्ति तथा प्राप्ति अन्तर्गत कर प्राप्ति में मन्त्र आर्थिक मन्त्रों की आवश्यकता का अनुचित ध्यान रखेंगे।

(3)¹ बजट सम्बन्धी कानून वर प्रशासन का आर्थिक प्रवृत्तियों से जाटत तथा आगामी कई वर्षों के लिए वित्तीय योजना व संचालन के लिए सघीय कानून द्वारा मिद्धात निधारित किये जा सकते हैं जा सघ शासन व ंण्डर बोना पर लागू हाव वम कानून के लिए बुँदसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

(4) समग्र आर्थिक सतुनन म उत्पन्न गन्बडी को दर करने की ंष्टि से सघीय कानून जिमके लिए बुँद सराट का स्वीकृति आवश्यक है का निमाण किंगा जा सकता है जिसम निम्नांकित वर प्रावधान किया जा सकता है —

(i) अधिक्तम राशि सावजनिक अधिवृत्त सस्थाना चान व ंत्रीय हो या त्रियाशील द्वारा ंस उगाहने की शर्तें व समय तथा

ii) जमन फडरन (सघीय) दक म सघ शासन तथा लेण्डर ंरा ब्याज मुक्त राशि (आर्थिक प्रवृत्तिया व मुकाबन के लिए जमा पजी) जमा करन का दायित्व

अपयुक्त अध्याशा जो कानून के समान शक्ति से युक्त होंगे के निमाण तथा घोषणा का अधिकार सिफ सघीय सरकार को होगा । एस अध्याशा के लिए बुँद सराट की स्वीकृति अनिवार्य होगी । यदि बुँदसराट माग नरती हा तो उह निरस्त किया जायगा विस्तृत विवरण सघीय कानून ंरा नियमित ंगा ।

अनुच्छेद 110 सघ शासन का बजट

(1) सघ शासन की समस्त आय तथा ंयप बजट म सम्मिलित होगी सघीय उद्यमा (enterpris s) तथा त्रिशप निधि (special fund) व सवघ मे सिफ विनिधान (allocation) तथा उनमे निकारी गन् वकम का बजट म शामिल करना आवश्यक होगा । आँ तथा ंय ंी ंष्टि मे बजट सतुनित होना चाहिए ।

(2) बजट की स्थापना एक कानून द्वारा होगा जिसम एक वष या कई वित्तीय वर्षों के लिए अलग अलग बजट का ंयव या हागी यह व्यवस्था उन वित्तीय वर्षों म स प्रथम वष के आरम से पूव की जायगी । बजट व कुछ हिस्ता के लिए एमी व्यवस्था की जा सकती है कि वे अलग अलग अवधि म लागू होंगे तकिन उनको वित्तीय वर्षों म विभाजित किया जायगा ।

(3) ंस अनुच्छेद व परिच्छेद () के प्रथम वाक्य के अर्थों म निर्मित विधयका माय ही बजट कानून तथा बजट मे सगोचन सगधी विधयको का एक माय बुँदसराट व बुँदसराट म पेश किया जायेगा बुँदसराट का अधिकार हागा कि

1 12 मई 1969 के सघाव कानून (क वरस ला गजट 1 पृष्ठ 357) दास स ंषन वर

2 वही

वह छ सप्ताह की अवधि में और यदि वह विधेयका में सशोधन चाहती है तो तान सप्ताहों के भीतर अपनी राय व्यक्त करे।

- (4) बजट कानून में सिर्फ सध शासन के आय तथा व्यय तथा उसकी अवधि जिसके लिए बजट कानून बनाया गया है सम्बन्धी व्यवस्था ही हो सकती है। बजट कानून यह अनुभव कर सकता है कि उसकी कुछ निश्चित व्यवस्थाएँ सिर्फ उन्ही समय समाप्त हागी जब आगामी बजट की घोषणा होगी अनुच्छेद 115 के अनुवर्ती प्राप्त अधिकार की स्थिति में वे निश्चित व्यवस्थाएँ बाद की तिथि तक भी जारी रह सकती हैं।

अनुच्छेद 111 बजट की स्वीकृति से पूर्व भगतान

- (1) यदि वित्तीय (Fiscal) वर्ष के अन्त तक आगामी वर्ष के लिए कानून द्वारा बजट की व्यवस्था नहीं हुई है तो जब तक ऐसा कानून नहीं बन जाता सध-सरकार वे सभी मुगतान कर सकती है जो जरूरी हैं। ये मुगतान निम्न विषयों से सम्बद्ध हागे —
- (अ) कानून द्वारा निर्मित संस्थाओं के गोपण तथा कानून द्वारा अधिकृत कार्यों के पानन हेतु
 - (ब) सध शासन के साविधिक (Statutory) अनुबन्धात्मक तथा सध्यात्मक दायित्वों के पानन करने के लिए
 - (स) निर्माण-कार्य योजनाओं कानूनी तथा अन्य सवागों का चाल रखने के उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुदान स्वीकृति जारी रखने बशर्ते कि पिछले वर्ष के बजट में उनक लिए अनुयुक्त व्यवस्था की गई हो
- (2) जिस सीमा तक विशिष्ट कानून द्वारा आय की व्यवस्था है तथा उस पर या शुल्क या अन्य अधिभार अधिगत माधना या कार्याकारी पूंजी निधि (Working Capital Reserve) द्वारा प्राप्त किया जा सकता है (इसमें एच अनुच्छेद के परिच्छेद (1) में वर्णित व्यय शामिल नहा हाना चाहिए) उस सीमा तक एसी स्थिति में वर्तमान कार्य-संचालन के लिए सरकार उन मन्त्रों में से आवश्यक राशि उधार ले सकती है। इस राशि की अधिकतम सीमा पिछले बजट की समस्त राशि की एक चौथाई हागी।

अनुच्छेद 112¹ बजट अनुमानों से अधिक व्यय

बजट विनियोग से अधिक व्यय तथा बजट के अतिरिक्त व्यय के लिए सपीय वित्त मन्त्री का स्वीकृति आवश्यक हागी। ऐसी स्वीकृति तभी दी जा सकती है जब

कोई अत्यावश्यक या अभूतपूर्व आवश्यकता उठ खड़ी हुई हो। विस्तृत विवरण सघीय कानून द्वारा नियमित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 113¹ -यय मे वद्धि

- (1) उन कानूनों के लिए सघीय-सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी जिसमें सघीय सरकार द्वारा बजट के यय में वद्धि का प्रस्ताव है या भविष्य में नय खच की सम्भावना है। यह बात उन कानूनों पर भी लागू होगी जो प्राय में कमी या भविष्य में कमी की सम्भावना से सम्बद्ध होंगे। सघीय सरकार बुट्टेसटाग से कह सकती है कि ऐसे विधेयको पर मतदान स्वगित कर दिया जाय। ऐसी स्थिति में सघीय सरकार छ सप्ताह के भीतर अपनी राय बुट्टेसटाग के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।
- (2) बुट्टेसटाग द्वारा एस विधेयक पर मतदान के चार सप्ताह की अवधि के भीतर सघीय सरकार पुन उस विधेयक पर मतदान के लिए कह सकती है।
- (3) यदि अनुच्छेद 78 के अनुवर्ती कोई विधेयक कानून बन गया है तो सघीय सरकार सिफ छ सप्ताह के भीतर उस पर अपनी स्वीकृति राख सकती है। यह वह तमी कर सकती है जब इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) तथा (2) के अंतर्गत दी गई प्रक्रिया को पूरा कर ले। इस अवधि की समाप्ति पर यह माना जायगा कि स्वीकृति दे दी गई है।

अनुच्छेद 114 हिमाव देना ग्राडिट ग्राफिस (लेखा परीक्षा कार्यालय)

- (1) सघीय सरकार की ओर से सघीय वित्त मंत्री प्रतिवष बुट्टेसटाग तथा बुट्टेसटाग की स्वीकृति के लिए उनका सम्मुख पिछले वर्ष का प्राय यय और सम्पत्ति करण का हिसाब प्रस्तुत करेगा।
- (2) सघीय लेखा परीक्षा-कार्यालय (ग्राडिट ग्राफिस) जिसके में स्या को वार्षिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी मिनव्यमिता तथा बजट के सही-मही खच की दृष्टि से बजट के प्रावधानों की परीक्षा करेगा। सघीय लेखा परीक्षा कार्यालय प्रति वर्ष सघीय लेखा परीक्षा-कार्यालय के साथ ही सघीय बुट्टेसटाग तथा बुट्टेसटाग के भी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अथ सभी मामलों में सघीय लेखा परीक्षा कार्यालय की शक्तियों का नियमन एक सघीय कानून द्वारा होगा।

अनुच्छेद 115² ऋण की प्राप्ति (Procurement of Credit)

- (1) आगामी वित्तीय वर्षों में से होने वाले व्यय के परिणामस्वरूप राशि

1 12 मई 1969 के संघीय कानून (फंडरल ला गवर्न | पृष्ठ 357) द्वारा संशोधित रूप।

2 12 मई 1969 के संघीय कानून (फंडरल ला गवर्न | पृष्ठ 357) द्वारा संशोधित रूप।

3 12 मई 1969 के संघीय कानून (फंडरल ला गवर्न | पृष्ठ 357) द्वारा संशोधित रूप।

उधार बना बचन-पत्र वितरित करना गारण्टी देना या अग्र्य प्रतिष्ठा करना आदि क लिए एक सत्रीय विभागकी प्राधिकरण की आवश्यकता हागा जा यह अधिकार देगा कि अधिकतम कितनी राशि ऋण क रूप म ली जा सकता है । उधार स प्राप्त आय बजट म समस्त व्यय क लिए की गई व्यवस्था म अधिक नती होगी सिफ समग्र आर्थिक मत्तुनन म होन वानी गढबडी का दूर करन क लिए अपवात्-रूप म अन्य व्यवस्था की स्वीकृति दी जा सकती । विस्तृत विवरण एक सधीय कानून द्वारा नियमित किया जायगा ।

- (2) सध ासन की विशेष निधि (Special Fund) क मामल म इम् अनुच्छेद के परिच्छेद (1) म उल्लिखित अपवाद व्यवस्था क लिए सधीय कानून द्वारा अधिकार दिया जा सकता है ।

बसवा ए प्रतिरक्षा की स्थिति

अनुच्छेद 115 ए प्रतिरक्षा की स्थिति का निर्धारण

- (1) बुन्देसटाग बुन्देसराट की स्थाकृति स यह निश्चय करगी कि सधीय प्रश्न पर सशस्त्र सना स हमना हा रहा है या एस आक्रमण की सीधी आगवा (प्रतिरक्षा की स्थिति) है या नहा । एस निश्चय सधीय सरकार की प्रायना पर किया जायगा और इमके लिए कुन डाने गय मत का दा तिहाई बहुमत जरूरी हागा जा कम म कम बुन्देसटाग की कुल सदस्य-सख्या का बन्मत भी होगा ।
- (2) यदि स्थिति अनिवायत तत्काल कर्म उठाने की माग करती है या बुन्देसटाग की बैठक का समय पर आयोजित करन म अनध्य बाधाए हैं या बुन्देसटाग म गण-पूनि (क्वोरम) नहा है तो सयुक्त समिति अपन कुन डाल गय मत का तिहाई बहुमत स जा कम स कम कुन मतियों का बहुमत मा हागा इसका निश्चय करगी ।
- (3) अनुच्छेद 82 क अनुसार राष्ट्रपति ारा इम निश्चय का फडरल सा गजट (सधीय कानून राजपत्र) म घोषित किया जायगा यदि समय पर यह सम्भव नहीं है ता अग्र्य विधि स घोषणा की जा सकती जिसे वा म जिनना जती सम्भव हो सधीय राज-पत्र म प्रकाशित किया जायगा ।
- (4) यदि सधीय प्रश्न पर मास्त्र मनाफों द्वारा हमना हाता है और यदि सध शासन क सशम अग्र क्म अनुच्छेद क परिच्छेद (1) क प्रथम वाक्य में की गई व्यवस्था क अनुसार तत्काल निगय उन की स्थिति म न हा ता जिन समय

हमला आरम्भ होता है उसी समय यह मान लिया जायेगा कि ऐसा निश्चय हो चुका है ।

- (5) जब प्रतिरक्षा का स्थिति क अस्तित्व का निर्धारण हो जाता है तथा उस घोषित कर लिया जाता है और यदि सधीय प्रदेश पर सशस्त्र सना द्वारा आक्रमण होता है तो राष्ट्रपति बुन्सेराट का महमति से ऐसा प्रतिरक्षा की स्थिति क अस्तित्व के वार में अतंगतीय हृत्ति में वध घोषणा जारी करेगा । तब इस अनुच्छेद क परिच्छेद (2) क प्रधीन सयुक्त समिति बुन्सेराट का प्रतिनिधित्व करेगी ।

115 बा-प्रतिरक्षा की स्थिति में नियंत्रण की शक्ति

प्रतिरक्षा की स्थिति का घोषणा क उपरांत सशस्त्र सनाओं पर समानता की शक्ति चामलर के हाथ में आ जायेगी ।

116 सी-प्रतिरक्षा की स्थिति की अवधि में मध्य शासन की विधायी क्षमता

- (1) मध्य शासन का कानून निमाण द्वारा यहा तक अधिकार होगा कि वह राष्ट्र की विधायी क्षमता से सम्बद्ध विषयों पर भी समवर्ती कानून बना सके । ये कानून प्रतिरक्षा की स्थिति आरम्भ होने पर लागू होंगे । ऐसे कानूनों क निर्णय बुन्सेराट की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

- (2) जब प्रतिरक्षा की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस सीमा तक जब तक प्रतिरक्षा की स्थिति विद्यमान रहती है । तब आवश्यक मामलों पर सधीय-सरकार का कानून बनाना तथा लागू करने का अधिकार होगा व इस प्रकार है—

(i) सम्पत्ति हारण की स्थिति में न्यूनतम प्रारम्भिक मुआवज देन क सम्बन्ध में और इस प्रकार अनुच्छेद 14 के परिच्छेद (3) क तृतीय वाक्य से विचलित होगा ।

(ii) अनुच्छेद 104 के परिच्छेद (2) क तीसरे वाक्य व परिच्छेद (3) क प्रथम वाक्य से विचलित या विरोधी हान की स्थिति में यदि कांड याथावधि सामान्य समय में लागू नियम क आधार पर कार्य नही कर पाता है तो किसी व्यक्ति का स्वतंत्रता से वंचित रखा जा सकता है वह अवधि 4 महीने से अधिक नहीं होगी ।

- (3) प्रतिरक्षा की स्थिति उत्पन्न होने पर प्रत्यक्ष छतर या आसन छतर का प्रयोग करने क लिए एक आवश्यक सहाय कानून द्वारा जिसके लिए बुन्सेराट का स्वीकृति आवश्यक है मध्य शासन द्वारा प्रेषित तथा मध्य क कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत मध्य शासन तथा लेण्डर की प्रशासन-व्यवस्था का विचलित कर ली जायेगी । उक्त व्यवस्था व प्रशासन नियमित किया जा सकता है बशर्ते कि उसमें लेण्डर तथा कम्प्यूना

और कम्प्यूना के सघ की जीवन-क्षमता विशेषतः कर प्रशासन के मामलों की सुरक्षा हा सके ।

- (4) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के उप परिच्छेद (1) तथा परिच्छेद (2) के अनुसार निर्मित कार्यान्वयन के उद्देश्य से तयार किये गये सघीय कानूनों की प्रतिरक्षा की स्थिति उत्पन्न होने से पूर्व भी लागू किया जा सकता है ।

अनुच्छेद 115 डा- प्रतिरक्षा की स्थिति की अवधि में अत्यावश्यक विधायकों के लिए सक्षिप्त प्रक्रिया

- (1) जब प्रतिरक्षा की स्थिति मौजूद हा तब अनुच्छेद 7 के परिच्छेद (2) अनुच्छेद 77 के परिच्छेद (1) तथा (2) से (4) अनुच्छेद 78 तथा अनुच्छेद 82 के परिच्छेद (1) की व्यवस्थामा के बावजूद सघीय कानूनों के मामले में इस अनुच्छेद के परिच्छेद (2) तथा (3) की व्यवस्थाएँ लागू हानगी ।
- (2) जिन विधायकों को अत्यावश्यक रूप से सघ सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है व बुन्डेसटाग को भेजे जायेंगे तथा उसी समय बुन्डेसराट में भी प्रस्तुत किये जायेंगे । बुन्डेसटाग तथा बुन्डेसराट बिना देर किये समान रूप से ऐसे विधायकों पर बहस करेगी । ऐसे विधायकों के कानून बनने के लिए बुन्डेसराट की बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है । विस्तृत विवरण बुन्डेसटाग द्वारा स्वीकृत काय विधि के नियमों द्वारा नियमित होगा जिनके लिए बुन्डेसराट की सहमति भी आवश्यक होगी ।
- (3) ऐसे कानूनों का जारी करन के सम्बन्ध में अनुच्छेद 115 ए के परिच्छेद (3) का दूसरा वाक्य यथाचिन् परिवर्तन सहित (Mutatis Mutandis) लागू होगा ।

अनुच्छेद 115 इ-सयुक्त समिति का पद तथा काय

- (1) जब प्रतिरक्षा की स्थिति मौजूद रहती है और यदि सयुक्त समिति कुल डाने गये मतों के दो तिहाई मतों में (इसमें कम से कम सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है) तय करती है कि बुन्डेसटाग के समय पर बन्क बुज़ान में अलघ्य बाधाएँ हैं या कि बुन्डेसटाग में कोरम (गण पूर्ति) नहीं है तो सयुक्त समिति को बुन्डेसटाग व बुन्डेसराट दोनों का पद प्राप्त होगा तथा वह उनके अधिकारों का प्रयोग करेगी ।
- (2) सयुक्त समिति इस बमिक ला के सशोधन सम्बन्धी कानून नहीं बना सकती या पूरा अथवा आंशिक रूप में एक प्रयोग या प्रभाव से वंचित नहीं कर सकती । सयुक्त समिति अनुच्छेद 24 के परिच्छेद (1) या अनुच्छेद 29 के अनुसार कानून बनाने की अधिकारी नहीं होगी ।

अनुच्छेद 115 एफ-प्रतिरक्षा की प्रवधि में सघ्न शासन के असाधारण अधिकार

(1) जब वह प्रतिरक्षा की स्थिति मौजूद रहती है तब सरकार निम्नांकित विषयों पर उस सीमा तक कानून बना सकती है जिस सीमा तक वे आवश्यक हों —

(i) समस्त मधीय प्रशासकीय सीमा रखक दल का सुगुन कर सकती है ।

(ii) यदि मधीय प्रशासनिक अधिकारियों का ही नहीं बरन् उच्च (राज्य) सरकारों को भी यदि आवश्यक समझता तब उच्च अधिकारियों को भी नियंत्रित कर सकता है तथा प्रतिरक्षा काल द्वारा नियुक्त उच्च सरकार के सहायकों का प्रवृत्त कर सकती है ।

(2) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के अनुसूचित उपाय काल के अंत में असाधारण काल तथा मधुक्त समिति को तत्काल सूचना दी जायगा ।

अनुच्छेद 115 जी-प्रतिरक्षा की स्थिति का अवधि में मधीय सवधानिक विधायक का पद तथा कार्य

मधीय सवधानिक विधायक तथा उनके विधायकी के सवधानिक कार्य तथा सवधानिक पद का परिचालन (impair) तथा किया जाना चाहिए । मधीय सवधानिक विधायक में सम्बन्धित कानून को मधुक्त समिति द्वारा मनाशित नहीं किया जा सकता है किन्तु यदि मध्य मधीय सवधानिक विधायक का मत है कि विधायक की कार्य-क्षमता का अभाव रहने के लिए ऐसा मनाशित आवश्यक है तो ऐसा किया जा सकता है । जब तक ऐसा कानून नहीं बनता मधीय सवधानिक विधायक ऐसे काल में कार्य कर सकता है जो उसके कार्यों को जारी रखने के लिए अनिवार्य है । इस अनुच्छेद के अन्तर्गत व तृतीय वाक्या के अंतर्गत मधीय सवधानिक विधायक द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों के लिए उपस्थित विधायकों का एक तिहाई बहुमत आवश्यक होगा ।

अनुच्छेद 115 एच-प्रतिरक्षा की स्थिति की अवधि में पदों की अवधि तथा विधायिका का कार्यकाल

(1) यदि असाधारण या किसी उच्च की विधान मन्त्रालय (Diets) का कार्यकाल उस समय समाप्त होने का है जब प्रतिरक्षा की स्थिति वर्तमान है तो उनका कार्यकाल प्रतिरक्षा की स्थिति समाप्त होने के 6 माह बाद समाप्त होगा । जब तक प्रतिरक्षा की स्थिति वर्तमान है और ऐसा बीच राष्ट्रपति का पद समाप्त होने को है तथा यदि राष्ट्रपति का पद अनन्त में रिक्त हो गया है और उसका स्थान असाधारण के अध्यक्ष ने मन्त्रालय है तो प्रतिरक्षा की स्थिति समाप्त होने के 9 माह बाद उसका कार्यकाल समाप्त होगा । इसी प्रकार मधीय सवधानिक के एक विधायक का कार्यकाल उस समय समाप्त होने का है जब प्रतिरक्षा की स्थिति वर्तमान है तो प्रतिरक्षा की स्थिति की समाप्ति के 6 माह बाद उसका कार्यकाल समाप्त होगा ।

(2) यदि मधुक्त समिति के सामने एक नये मधीय विधायक का चुनाव की

आवश्यकता उत्पन्न हानी है ता समिति अपने मन्त्रियों के बहुमत से चुनाव करगी सघीय राष्ट्रपति संयुक्त समिति के सम्मुख उम्मादवार का नाम प्रस्तावित करेगा। संयुक्त समिति सघीय चान्सलर के विरुद्ध अविश्वाम का प्रस्ताव तमा कर सकती है जब वह अपने संस्था के ना निगाह बहुमत में उसका उत्तराधिकारी चुन ले।

- (3) जब तक प्रतिकक्षा की स्थिति विद्यमान है बुन्दसटा को भग नहा किया जाएगा।

अनुच्छेद 110 - लण्ड सरकारों के असाधारण अधिकार

- (1) यदि सघीय-सरकार के अधिकृत अंग स्वतंत्र को दूर करने के लिए आवश्यक काम उठान में असमर्थ है तथा यदि स्थिति अत्यावश्यक रूप से मांग करती है कि सघीय प्रयोग के अंग हिस्सों में तत्काल मन्त्रों के रूप में काम उठाया जाना चाहिए ता एसी स्थिति में लण्ड-सरकारों द्वारा नियुक्त अधिकारियों या आयुक्तों का अधिकार दिया जायगा कि अपने अपने अधिकृत क्षेत्रों में अनुच्छेद 115 एफ के परिच्छेद (1) के अनुसार वे काम उठावें।

- (2) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के अनुसार उठाया गया कोई भी काम सघीय सरकार द्वारा तथा यदि मामला लण्ड अधिकारियों या सहायक सघीय अधिकारियों से सम्बद्ध है ता लण्ड के मुख्य मंत्रियों द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद 115 - कानूनों असाधारण कानूनों तथा अध्यादेशों को बधना की शक्ति तथा अदधि

- (1) अनुच्छेद 115 भा 115 इ तथा 115 जी के अनुसार निर्मित कानूनों तथा साथ ही साथ एमे कानूनों के अंतर्गत जारी किय गये अध्यादेश जो कानूनी शक्ति में युक्त हैं अपने तामू रहने का अदधि में उन सब कानूनों या अध्यादेशों का निलम्बित कर देंगे जो उनके विपरान्त हैं। यह बात उन कानूनों पर तामू नहा होगी जो अनुच्छेद 115 भा 115 ई 115 जी के अन्तर्गत अधिनियमित किये जा चुके हैं।

- (2) संयुक्त समिति द्वारा स्वीकृत कानून तथा एसे कानूनों के अन्तर्गत जारी किय गये अध्यादेश जो कानूनी शक्ति में युक्त होंगे प्रतिकक्षा की स्थिति की समाप्ति के 6 माह बाद प्रभावहीन हो जायेंगे।

- (3)¹ अनुच्छेद 91-ए 91-बी 104-ए 106 तथा 107 के विपरीत व्यवस्थाओं के तामू कानून प्रतिकक्षा की स्थिति की समाप्ति के बाद दूसरे वित्तिय वर्ष के

1 12 मई 1969 के सघीय कानून (के इरल सा परट 1 पृ 359) द्वारा सुशोधित रूप।

समाप्ति के वात लागू नहीं होये। एसी समाप्ति के वात बुल्गेरिया की महामति से एक सघीय कानून द्वारा सम्बोधित किया जा सकता है ताकि वर्ष 1937 (VIII) ए तथा दसव (X) ए म दी गये व्यवस्था का पुन प्राप्त किया जा सके।

अनुच्छेद 115 क-असाधारण कानून का निरन्तरकरण प्रतिरक्षा की स्थिति की समाप्ति पालि-स्थापना

- (1) बुल्गेरिया बुल्गेरिया की स्थिति में किमा भी समय मयुक्त समिति द्वारा निर्मित कानून का अन्वयण कर सकती है। बुल्गेरिया बुल्गेरिया से एक किमी भी मानव म निरापन्न का आवदन कर सकती है। यदि बुल्गेरिया तथा बुल्गेरिया एसा निश्चय कर देता मयुक्त समिति तथा मध्य सरकार द्वारा खतर को दूर करने के लिए उठाये गये किमा भी कानून का अन्वयण किया जा सकता है।
- (2) बुल्गेरिया बुल्गेरिया की स्थिति से अपने निश्चय लागू किमी भी समय प्रतिरक्षा की स्थिति की समाप्ति की घोषणा कर सकता है। यह घोषणा राष्ट्रपति द्वारा जारी की जानी चाहिए। बुल्गेरिया बुल्गेरिया से एक किमी भी मानव म निरापन्न करने का आवदन कर सकती है। जब प्रतिरक्षा की स्थिति के लिए आवश्यक कारण समाप्त हो जाते हैं तो प्रतिरक्षा की स्थिति तत्काल समाप्त कर लेनी चाहिए।
- (3) शांति स्थापना का कार्य सघीय कानून का विषय होगा।

XI धारणा सक्रमणकारी तथा समापन व्यवस्थाए

अनुच्छेद 116 जमन चर्चित का परिभाषा नागरिकता पुन प्रदान करना

- (1) यदि कानून द्वारा अथवा व्यवस्था न है तो एक व्यक्ति को कानून में अर्थों में जमन के चर्चित है जिसे जमन नागरिकता प्राप्त है या जिसे 31 दिसम्बर 1937 से पूर्व एक शरणार्थी व्यक्ति या जमन जानि (Stock) के निष्कासित व्यक्ति की पत्नी या पति या एक व्यक्ति के वंशज के रूप में जमन राष्ट्र (Reich) का सीमाग्रा में प्रवेश की अनुमति दी गयी थी।
- (2) पूर्व जमन नागरिकता दि 30 जनवरी 1933 तथा 8 म 1945 के मध्य राजनीतिक प्रजातीय (racial) या धार्मिक कारणों से नागरिकता से वंचित किया गया उनका वंशजों के आवदन प्रस्तुत करने पर पुन जमन नागरिकता प्रदान की जायेगी। यदि उन 8 म 1945 के वात जमनी में अपना म्याने निवास घान (domicile) बना लिया है और एक विपरीत प्रमाण प्रकृत नहीं किया है तो यह माना जायेगा कि वह जमन नागरिकता से वंचित नहीं किया गया है।

अनुच्छेद 117 अनुच्छेद 3 तथा 11 के लिए अस्थायी आदेश

- (1) अनुच्छेद 3 के परिच्छेद (2) के विपरीत बना कानून उस समय तक जारी रहगा जब तक इस दसिक का की व्यवस्था के अनुरूप उस नहीं बना जाता लेकिन 31 मार्च 1953 के बाद वह कानून नहीं बना रह सकेगा।
- (2) वे कानून जो निवास स्थानों की वर्तमान कमी के कारण विचार की स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करते हैं उस समय तक लागू रहेंगे जब तक सघीय कानून द्वारा उन्हें रद्द नहीं किया जाता।

अनुच्छेद 118 बादेन-यूरटेमबर्ग बादेन तथा यूरटेमबर्ग होहेनत्सोलन के लण्डर (राज्य) का पुनर्गठन

अनुच्छेद 29 की व्यवस्थाओं के बावजूद सम्बद्ध लण्डर (राज्य) के मध्य समझौते द्वारा बादेन-यूरटेमबर्ग बादेन तथा यूरटेमबर्ग होहेनत्सोलन के लण्डर (राज्य) के भू प्रदेशों का पुनर्गठन किया जा सकता है। यदि कोई समझौता नहीं होता है तो सघीय कानून द्वारा पुनर्गठन किया जायेगा जिसे लिए लोकमत सप्रश्न (referendum) की व्यवस्था होनी चाहिए।¹

अनुच्छेद 119 शरणार्थियों के निष्कासित व्यक्ति

जब तक सघीय-कानून नहीं बन जाता शरणार्थियों के निष्कासित व्यक्तियों से सम्बंधित मामलों में विशेषकर लण्डर (राज्य) में उनकी जनसंख्या के विभाजन सम्बंधी मामलों में सघीय सरकार बुल्डेस्टाग की सन्मति से नियम जारी कर सकती है जो कानूनी शक्ति से युक्त होंगे। इस विषय में सघीय सरकार विशिष्ट मामलों में प्रत्येक प्रत्येक निर्देश देने की अधिकार होगी। देर होने से उत्पन्न खतरे की स्थिति के अलावा ऐसे निर्देश लण्डर (राज्य) के सर्वोच्च अधिकारियों के नाम प्रेषित किये जायेंगे।

अनुच्छेद 120² युद्ध के परिणामस्वरूप आधिपत्य का अन्त्य तथा भारत

- (1)³ सघीय कानून द्वारा की गई विस्तृत व्यवस्था के अनुसार सघ शासन युद्ध के परिणामस्वरूप आधिपत्य का अन्त्य अन्तरिक तथा बाह्य भारत का खूब उठायेगा। 1 अक्टूबर 1969 तक या उससे पूर्व सघीय कानून द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार सघ शासन तथा लण्डर आपस में मिलकर इस व्यवस्था तथा भारत के खूब को वहन करेगा। एम. भारत तथा अन्त्य का जिनके बारे में न

1 देखिए अनुच्छेद 23 की पाठ्य टिप्पणी

2 30 जुलाई 1965 के सघीय कानून (फेडरल ला गैज़ट] पृष्ठ 649) तथा

28 जुलाई 1969 के सघीय कानून (फेडरल ला गैज़ट] पृ 985) द्वारा स्थापित है।

3 28 जुलाई 1969 के सघीय कानून (फेडरल ला गैज़ट] पृ 985) द्वारा स्थापित है।

तो सघीय कानून में व्यवस्था का गई है और न व्यवस्था की जायेगी । प्रक्टूबर 1965 तक या उससे पूर्व जेण्डर कम्यूनो या कम्यूनो के सघ या अग्र इकाया ने जो जेण्डर या कम्यूनो के काय का निष्पादन करनी है वहन किया गया है तो सघ शासन पर उस तारीख के बाद भी ऐसे यय भार उठान का दायित्व नहीं होगा । सघ शासन सामाजिक सुरक्षा बीमा सस्थाओ इनमें बराजगारी बीमा तथा बराजगारी के सावजनिक सहायता भी शामिल है के लिए आर्थिक महायता देगा । इस परिच्छेद में की गई व्यवस्था के अनुसार युद्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न भार तथा अग्र यय का सघ शासन तथा जेण्डर न बीच वितरण सं युद्ध के मुभावज के दावा सम्बन्धी विधायी यय तथा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) इस अनुच्छेद में उल्लिखित खन की जिम्मेदारी उठान पर सघ शासन का उसके अनुरूप राजस्व उसी समय प्रदान किया जायेगा ।

अनुच्छेद 120-0¹ भार के समकरण सम्बन्धी कानून को कार्यान्वित करना

(1) बुन्डसराट की सहमति में भार के समकरण सम्बन्धी कानून के अंतर्गत सम्बद्ध कानूनों द्वारा यह व्यवस्था का जा सकती है कि नाम के समकरण के सम्बन्ध में उन कानूनों का कार्यान्वयन आंशिक रूप में सघ शासन तथा आंशिक रूप में जेण्डर जो सघ शासन के एजेंट के रूप में कार्य करेगा द्वारा किया जायेगा तथा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत सम्बद्ध शक्तियाँ सघ शासन तथा सभ सर्वोच्च सघीय समकरण कार्यालय (Federal Equalization Office) को प्रदान की जायेगी । इन अधिकारों का प्रयोग करते समय सघाय समकरण कार्यालय का बुन्डसराट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी अन्तर्गत मामलों को छोड़कर सर्वोच्च जेण्डर अधिकारियाँ (जेण्डर समकरण कार्यालय) को इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जायेंगे ।

(2) अनुच्छेद 87 के परिच्छेद (3) की व्यवस्थाओं पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद 121-बहुमत की परिभाषा

इस बसिक् जा के अर्थों के अनुसार बुन्डसराट के सन्स्थो का बहुमत तथा सघीय सम्मेलन (Bundeversammlung) का बहुमत अपने कानूनों द्वारा निश्चित सस्था का बहुमत होगा ।

अनुच्छेद 122 अब तक बतमान विधायी क्षमताएं

(1) बन्दसराट की प्रथम बैठक की तारीख में कानून का निमाण निम्न बसिक् जा में भाग्यता प्राप्त विधायी अर्थों द्वारा ही होगा ।

1 14 अगस्त 1952 के संघीय कानून (फेडरल लॉ गेट I 445) द्वारा जाया गया ।

- (2) विधायिका सस्थाए तथा व मस्थाए जा मनाहवार के रूप म विधि निमाण में भाग लेती हैं और जिनकी कायमना इम अनुच्छेद के परिच्छेद (1) द्वारा समाप्त हाती है व उस तिथि म मग की जाता है ।

अनुच्छेद 123-प्राचीन कानूनों व सधिया की बधता का जारा रहना

- (1) बुन्टमणग का प्रथम बठक म पूव जो कानून लागू थ व उम मामा तक लागू रहेंग निम मोभा तक व उस बसिक ला क विपरीत नहा है ।
- (2) सम्बद्ध पभा क सभी अधिकारा व प्रापतिया का ध्यान म रखत हुए जर्मन राइश (Reich) जारा उन मामला म जा सधिया की गई हैं जा उन बसिक ला क अन्तगत नए कानूना व क्षत्राधिकार म हैं व सधिया कानून क मामा म निद्धाता के अनुसार उम समय तक बध रहगी जब तक उन बसिक ला क अन्तगत मन्म एर्जासिया जारा न सधिया नही की जाता या जब तक व अपना व्यवस्थाप्री के अनुसार या अय तरीका न समाप्त नहा हा जाता ।

अनुच्छेद 124 प्राचीन कानून जो अनस्य विधायी कानून क मामलों को प्रभावित करते हैं

मिफ मथ प्रामन की विधायी शक्ति से सम्बद्ध विधायी कानून जहा कहा ना लागू हो¹ मधीय कानून होगा ।

अनुच्छेद 125 प्राचीन कानून जो समवर्ती कानून क मामलों को प्रभावित करते हैं सज शासन की समवर्ती कानूनी शक्ति का प्रभावित करने वाला कानून कहा कहीं ना लागू हा मधीय कानून हागा —

- (i) जहा तक वर एक म अधिक अधिपत मत्रा (Zone of Occupation) म समान रूप म लागू हाता है ।
- (ii) 8 म 1945 क बाद जहा तक उम कानून म भूतपूर्व राजा क द्वारा सञ्चालन किया गया है ।

अनुच्छेद 126 प्राचीन कानूनों की सतत बधता क सम्बन्ध म विवाह

मधीय मवधानिक यायावय द्वारा मधीय कानून क रूप म एक कानून क जारा रहन क बार म विवाह का स्थिति म निगमय किया जायगा ।

अनुच्छेद 127 द्वि-मत्राय अधिक प्रशासन क कानून

उन बसिक ला का प्रापणा का एक बप की अवधि म मधीय सरकार सम्बद्ध नेप्पर (रायों) की सरकार का महमति म बादन अटर बसिक रासनलण-सवटाव

नया दूरसंचार-हस्तान्तरण के तहत (रा-या) में द्वि-पक्षीय आर्थिक प्रशासन के कानून जिम सीमा तक वे अनुच्छेद 124 या 125 के अंतर्गत संधीय कानून के रूप में जारी रहते हैं लागू कर सकती है।

अनुच्छेद 128 निर्देश देने के अधिकार का जारी रहना

अनुच्छेद 84 के परिच्छेद (5) के अर्थ के अंतर्गत जो कानून लागू रहते हैं तथा निर्देश देने का अधिकार प्रदान करते हैं वे अधिकार उम्र समय तक बने रहेंगे जब तक कानून द्वारा अथवा व्यवस्था नहीं की जाती।

अनुच्छेद 129 प्राधिकरण की वधता का जारी रहना

(1) जिम सीमा तक कानूनी व्यवस्थाओं के जा संधीय कानून के रूप में लागू रहती हैं अंतर्गत कानूनी शक्ति से युक्त अध्यादेश जारी करने या सामान्य प्रशासनिक नियम जारी करने या प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करने के प्राधिकार का प्रश्न है ऐसा प्राधिकार सम्बद्ध भागला में मन्त्र एजेंसियों के हाथों में दिया जायगा। मन्त्र का स्थिति में संधीय सरकार बुद्धिमत्ता की गन्तवि में मामल पर निर्णय करेगी एम निर्णय प्रकाशित किये जाने का होगा।

(2) जिम सीमा तक तब कानून के रूप में लागू कानूनी प्रावधान के अंतर्गत एम प्राधिकार का व्यवस्था है उनका काया-वपन तब-कानून के अंतर्गत नए म अधिकारियां द्वारा किया जायगा।

(3) एम अनुच्छेद के परिच्छेद (1) तथा (2) के अंतर्गत जिम सीमा तक कानूनी प्रावधान मशासन या परिवर्द्धन या कानून के स्थानापन्न कानूनी प्रावधान जारी करने का प्राधिकार प्रदान करती हैं उसी सीमा तक एसे प्राधिकार समाप्त होंगे।

(4) एम अनुच्छेद के परिच्छेद (1) तथा (2) की व्यवस्थाएं उन मामला में यथा चिद् परिवर्तन सहित लागू होंगी जहां कानूनी व्यवस्था उन नियमों या उन मस्याओं की धार मकून करती है जिनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है।

अनुच्छेद 130-सांख्यिक कानून के अंतर्गत नियम

(1) प्रशासनिक एजेंसियां (agencies) तथा अन्य मन्त्रालयों की सरकारी प्रशासन या याव प्रशासन की सेवा करती हैं और जो तब कानून या तहत (रा-या) के बाव मधियां पर आधारित नहीं हैं साथ ही निर्णय-व्यवस्था जमन रव मात प्रबंधक मण (Association of Management of South & West German Railroads) तथा फ्रीडोमी अधिपत्य क्षेत्र (Zone of Occupation) की प्रशासनिक मंडल सेवा तथा दूर-संचार परिपद् संधीय सरकार के

में रखी गई थी या आज प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त हो रही है और मात्र अस्थायी रूप में ही नहीं तो वह सम्पत्ति उस लण्ड या निगम अथवा सस्था को मिलेगी जो अब उन कार्यों का सम्पादन करती है।

- (3) जिस सीमा तक इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के अन्तर्गत अर्थों में सम्पत्ति शामिल नहीं होती उस सीमा तक जिस लण्ड का अब अस्तित्व नहीं है उसकी उपकरणों सहित वास्तविक सम्पदा (Real Estate) उस लण्ड को मिलगी जिसमें वह सम्पत्ति स्थित है।
- (4) यदि सघ शासन के अभिभावी (over riding) क्षेत्र के विशिष्ट हित के लिए आवश्यक हैं तो सघीय कानून द्वारा इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) से (3) तक में वर्णित नियमों के विपरीत व्यवस्था की जा सकती है।
- (5) सम्बद्ध सरकारी कानून के अन्तर्गत 1 जनवरी 1952 से पूर्व जिस सीमा तक लण्डर या निगमों या सस्थाओं के बीच समझौते द्वारा कोई निणय नहीं हुआ है तो सम्पत्ति का उत्तराधिकार अधिकार तथा व्यवस्था सघीय कानून द्वारा नियमित होगी। इसके लिए बुदेमगट की स्वीकृति आवश्यक होगी।
- (6) निजी कानून के अन्तर्गत भूतपूर्व प्रशासन लण्ड (राज्य) के उद्योग सम्बन्धी हित सघ शासन को मिलेंगे। एक सघीय कानून जो इन व्यवस्था से निम्न भी हो सकता है इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण तयार करेगा।
- (7) इस बिल के लागू होने पर इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) से (3) पर आधारित सावजनिक कानून द्वारा जिस सीमा तक सम्पत्ति एक लण्ड या निगम या सस्था को मिलने वाली थी और जिसे एक लण्ड-कानून के अन्तर्गत या अन्य प्रकार में अधिभूत पत्र ने देव दी है तो उसके विपरीत से पूर्व उस सम्पत्ति का हस्तान्तरण हो गया माना जायेगा।

अनुच्छेद 135 ए१ अर्थ वस्तुओं के साथ-साथ राईश तथा भूतपूर्व प्रशासन लण्ड (राज्य) के निश्चित दायित्वों का पूरा या आंशिक निर्वाह

अनुच्छेद 134 के परिच्छेद (4) तथा अनुच्छेद 135 के परिच्छेद (5) द्वारा सघ शासन के लिए आरक्षित कानून यह भी व्यवस्था कर सकता है कि निम्नांकित का दायित्व निर्वाह नहीं किया जायेगा या पूरा नहीं किया जायेगा

- (1) राईश या भूतपूर्व लण्ड (राज्य) प्रशासन के दायित्व या ऐसे निगमों या सस्थाओं के दायित्व जो अब कानून के अनुसार वास्तव में नहीं हैं
- (ii) सघ शासन या निगमों तथा सस्थाओं के ऐसे दायित्व जो सावजनिक कानून के अन्तर्गत अनुच्छेद 89 90 134 या 135 के अनुसार

सम्पत्ति क अस्तान्तरण म सम्बद्ध है तथा इन सम्थापना के ऐम शक्तिव जो एका मस्था (1) म उचितवित्त कल्प उठाने स उपपन्न होत हैं

- (iii) उष्ण या कम्पूना या कम्पूना क मथा नारा 1 अगस्त 1945 स पूव प्रामाणिक शक्त क अनगन राजिमी तौर पर उठाव गय कदमों या राष्ण नारा विंशो अधिपत्य क नियमा क पानन हतु या युद्ध स उत्पन्न मकत-कान का न्यान सम्बन्धी कायों म उत्पन्न गेमे शक्तिव ।

अनुच्छेद 136 बुल्गेरिया क प्रथम अधिवेशन

- (1) प्रथम बार बुल्गेरिया की बन्धन उम तिन हाया जब बुल्गेरिया की प्रथम बंधक गयी ।
- (2) जब तक प्रथम मधीय राष्ट्रपति का चुनाव नया हा जाता उमकी शक्तिया का प्रयोग बुल्गेरिया क अख्यत शक्त किया जायगा । उम बुल्गेरिया का भग करन का अधिकार हागा ।

अनुच्छेद 137- सरकारी कर्मचारियों का चुनाव म लभ होने का अधिकार

- (1)¹ सरकारी नौकरा अथ सवन्तिक सरकारी कर्मचारिया पंचवत् सनिका अन्धापी मध्यसवी-सनिका या आयापीशा क मध शासन या उष्णर में या कम्पूना म चुनाव उष्णर के अधिकार का कानून न्यान मीमित किया जाता है ।
- (2) मन्त्रीय परिषद् (Parliamentary Council) नारा स्वीकृत चुनाव-कानून प्रथम बुल्गेरिया प्रथम मन्त्रीय सम्मेलन तथा कन्सल रिपब्लिक आक जमनी क प्रथम सहाय राष्ट्रपति क चुनाव पर लागू हागा ।
- (3) अनुच्छेद 42 के परिच्छेद (2) क अनुसार सहाय सवधानिक आयापनय क काय उम समय तक मनुक्त आर्थिक क्षेत्र क निष्प जमन उष्णर आयालय नारा किय जायेंगे जब तक मधीय मन्त्रीय आयापनय की स्थापना नहीं हो जाती उष्णर आयापनय काय विधि क नियम क अनुसार निष्प दगा ।

अनुच्छेद 138 लक्ष्य प्रमाणक

बानन बर्बरिया अूरुमत्रग बानन तथा अूरुमत्रग हाननगोमन म लक्ष्य प्रमाणक स सम्बन्धित मीत्रुता कानून म परिवर्तन क लिए इन उष्णर (राया) की मन्मति आवश्यक ना ती । अेधिए अनुच्छेद 23 की पाठ लिखणी ।

अनुच्छेद 139 मुक्ति-कानन

राष्ट्रीय समाजवाक तथा मनिक्वाद म जमन जवना की मुक्ति क सम्बन्ध म निर्मित कानून इस बसिक् ना की अ्यकस्थापना म प्रमावित नहीं गये ।

1 19 मार्च 1956 क मधीय कानून (कएएन ना मन्त्र 1 व 111) द्वारा सशक्ति क

2 लिप परिशिष्ट

अनुच्छेद 140 वाईमार सवधान के अनुच्छेदों की ववता

11 अगस्त 1919 म निर्मित जमन सवधान क अनुच्छेद 136 137 138 139 तथा 141 की व्यवस्थाए इम वेसिक ला की अविभाय अग होगी ।

अनुच्छेद 141 अमेन धारा

अनुच्छेद 7 क परिच्छेद (3) का प्रथम वाक्य उस लण म नागू नही होगा जहा 1 जनवरी 1949 म लण्ड कानून म मित्र प्रकार की व्यवस्था थी ।

अनुच्छेद 142 लण्ड सवधानों म मूल अधिकार

अनुच्छेद 31 की व्यवस्थाओं क वावजूत लण्ड-सवधाना के अतगत एसी व्यवस्थाए लागू रहगी जा वेसिक ला के अनुच्छेद 1 स 18 क अनुच्छेद हैं तथा मून अधिकारों की गारण्टी देती हैं ।

अनुच्छेद 142 ए¹ निरस्त किया गया

अनुच्छेद 143 निरस्त किया गया

अनुच्छेद 144 वेसिक ला की अधिपुष्टि-बुदसरात तथा बुदसटाग में बर्लिन के प्रतिनिधि

- (1) इस वेसिक ला की अधिपुष्टि क लिर् उन जमन लण्डर (राज्या) की प्रतिनिधि सभाओं के दा तिहाई मन की आवश्यकता हागी जहां यह फिलहाल लागू होगा ।
- (2) जिस सीमा तक अनुच्छेद 23 के अतगत ती गई सूची म किसी मी लण या उसक किसी हिस्स म इस वेसिक ला के लागू होने पर राक है ऐसे लण या उसक किसी हिस्स को अनुच्छेद 38 क अनुमार बुदसटाग म तथा अनुच्छेद 50 के अनुसार बुदसराट मे प्रतिनिधि भेजन का अधिकार होगा ।

अनुच्छेद 145 वेसिक ला की घोषणा

- (1) सवधानिक परिपद् अटल बर्लिन क प्रतिनिधियों सहित सावजनिक अधिवसन मे इस वेसिक ला की अधिपुष्टि को प्रमाणित करेगी तथा हुम्नाार करगी और उसको घोषणा करेगी ।
- (2) घोषणा के लिन क अन्त स यह वमिक ला लागू होगा ।
- (3) यह फडरन ना गजट म प्रकाशित हागा ।

1 (ब) 26 माच 1954 क मधोय कानून (फडरन ला गजट 1 पृष्ठ 45) द्वारा जाडा गया तथा (ब) 24 जून 1968 क मधोय कानून (फडरन ला गजट 1 पृष्ठ 714) द्वारा निरस्त किया गया ।

2 (ज) 19 माच 1956 क सधाय कानून ((फडरन ला गजट 1 पृष्ठ 111) द्वारा सशोडित तथा (ब) 24 जून 1968 क सधाय कानून (फडरन ला गजट 1 पृष्ठ 714) द्वारा निरस्त किया गया ।

अनुच्छेद 146 बैसिक ला की बधना की अवधि

यह बैसिक ला उस दिन समाप्त हो जायेगी जिस दिन समस्त ब्रह्म जनता स्वतंत्र नियुक्त द्वारा एक सविधान स्वीकृत कर लेगी ।

बैसिक ला का परिशिष्ट

अनुच्छेद 136 (11 अगस्त 1919 का वाईमार सविधान)

- (1) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार तथा कर्तव्य तथा धार्मिक स्वतंत्रता पर आधारित होंगे न उनका पालन या उन पर रोक लगाई जायेगी ।
- (2) नागरिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभाग तथा सरकारी पदों के लिए पात्रता धार्मिक मायता से स्वतंत्र होगी ।
- (3) कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक मायता बताने के लिए बाध्य नहीं होगा । कानून द्वारा आक्रान्तों के सर्वेक्षण के अंतगत अधिकारों के कर्तव्यों को छोड़कर सरकारी अधिकारों का किमा व्यक्ति के किमा धार्मिक मस्या की सम्पत्तियों के बारे में जाच का अधिकार नहीं होगा ।
- (4) किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक कृत्य से सम्मान या सम्बन्धों में भाग देने या धार्मिक कार्य में भाग लेने या धार्मिक शपथ लेने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा ।

अनुच्छेद 137 (11 अगस्त 1919 का वाईमार सविधान)

- (1) कोई राजकीय चर्चा नहीं होगी ।
- (2) धार्मिक सस्या बनाने सम्बन्धी सध निर्माण की स्वतंत्रता की गारण्टी है । राष्ट्र के प्रश्नों के अंतगत धार्मिक सस्याओं का संयोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।
- (3) सभी के लिए बध कानून की सीमाओं के अंतगत प्रत्येक धार्मिक मस्या का स्वतंत्रतापूर्वक नियम बनाने तथा प्रशासन का अधिकार होगा । वे राष्ट्र या नागरिक समुदाय की हिम्मतारी के बिना पदों में दखल करेगी ।
- (4) नागरिक कानून (Civil Law) की सामान्य व्यवस्थाओं के अनुसार धार्मिक सस्याओं का कानूनी रूप प्राप्त करेगी ।
- (5) धार्मिक सस्याएँ मात्रजनिक कानून के अंतर्गत सम सीमा तक समष्टि सस्याओं के रूप में रहेंगी तब सीमा तक वे श्रवण तक ऐसे रूप में रहेंगी । यदि धार्मिक मस्याओं की सविधान तथा उसके सम्पत्तियों प्राप्तिगत हत हैं कि वे स्थायी सस्या रहेंगी तो उन्हें आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर बस अधिकार प्रदान किये जायेंगे । यदि कोई धार्मिक मस्याएँ एक संगठन में एकत्रित होती हैं तो मात्रजनिक कानून के अंतगत एका संगठन या एक समष्टि सस्या होगा ।

- (6) जो धार्मिक सस्थाएँ सावजनिक कानून के अन्तर्गत समष्टि सस्थाएँ हैं उन्हें लण्ड-कानून क अनुसार नागरिक-कर सूची के आधार पर कर लगाने का अधिकार होगा ।
- (7) जिस मध का उद्देश्य दार्शनिक विचारधारा का संवर्द्धन करना है उसका वही पद होगा जो एक समष्टि सस्था का है ।
- (8) इन व्यवस्थाओं के कार्यावयन के लिए आवश्यक ऐसे अन्य नियम लण्ड कानूनों पर आधारित होंगे ।

अनुच्छेद 138 (वाईमार सविधान)

- (1) धार्मिक सस्थाओं को कानून या सविदा (Contract) या कानूनी अधिकार पर आधारित राय का अंशदान लण्ड-कानून द्वारा चुकाया जायेगा । राईश ऐसे चुकारे के लिए सिद्धान्ता की स्थापना करेगा ।
- (2) उपासना शिक्षा या दान के उद्देश्य के लिए धार्मिक सस्थाओं या सभों द्वारा सम्पत्ति क स्वामित्व के अधिकार तथा उनकी सस्थाओं प्रतिष्ठानों आदि की अन्य सम्पदा क अधिकार की गारण्टी दी जाती है ।

अनुच्छेद 139 (वाईमार सविधान)

रविवार तथा राय द्वारा मान्य छुट्टियाँ कानूनी रूप से आराम तथा आध्यात्मिक उत्थति के दिन के रूप में सुरक्षित रखी जायेंगी ।

अनुच्छेद 141 (वाईमार सविधान)

जिस सीमा तक सना अस्पतालों जेलों या अन्य सरकारी सस्थाओं में धार्मिक उपासना तथा आध्यात्मिक देख रेख की आवश्यकता विद्यमान है उस सीमा तक धार्मिक सस्थाओं को धार्मिक वृत्त्य पूरा करने की स्वीकृति दी जायेगी । इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की बाधता नहीं होगी ।

Reichstag Elections 1871-1912

1878

1877

1874

1871

No Deputies
No Votes
No Deputies
No Votes
No Deputies

बोटी की सख्या प्रतिनिधि

बोटी की सख्या प्रतिनिधि

बोटी की सख्या प्रतिनिधि

बोटी की सख्या प्रतिनिधि

बोटी की सख्या प्रतिनिधि

बोटी की सख्या प्रतिनिधि

बोटी की सख्या प्रतिनिधि

बोटी की सख्या प्रतिनिधि

बोटी की सख्या प्रतिनिधि

बोटी की सख्या प्रतिनिधि

बोटी की सख्या प्रतिनिधि

बोटी की सख्या प्रतिनिधि

बोटी की सख्या प्रतिनिधि

बोटी की सख्या प्रतिनिधि

बोटी की सख्या प्रतिनिधि

बोटी की सख्या प्रतिनिधि

बोटी की सख्या प्रतिनिधि

बोटी की सख्या प्रतिनिधि

बोटी की सख्या प्रतिनिधि

बोटी की सख्या प्रतिनिधि

बोटी की सख्या प्रतिनिधि

PARTY

दा या नाम

No eligible voters

मतदाताओं की सख्या

कुल वष मत पड़े

Conservatives

कांजर्वेटिव पार्टी

Reichspartei

राईस पार्टी

National Liberals

नेशनल लिबरल

Progressives

प्रोग्रेसिव

Center

सेंटर

9 124 311

5 811 159

7 49 494

7 85 855

1 330 643

6 07 339

1 328 073

93

94

99

99

99

99

99

99

99

Reichstag Elections 1871-1912 (Contd.)

PARTY	1881		1884		1887		1890	
	No Votes	No Deputies	No Votes	No Deputies	No Votes	No Deputies	No Votes	No Deputies
No eligible voters	9 088 792		9 383 074		9 769 802		10 145 877	397
No valid votes cast	5 101 242	397	5 811 973	397	7 527 601	397	7 298 010	73
Conservatives	830 807	50	861 063	78	1 147 200	80	895 103	20
Reichspartei	379 347	28	387 687	28	736 389	41	482 314	42
National Liberals	746 575	47	997 033	51	1 677 979	99	1 177 807	76
Progressives	1 181 865	115	1 09 895	74	1 061 922	32	1 307 485	106
Center	1 182 873	100	1 282 006	99	1 516 222	98	1 342 113	16
Poles	194 894	18	206 346	16	221 825	13	246 800	35
Social Democrats	311 961	12	549 990	21	763 128	11	1 427 298	11
Guelphs	86 704	10	96 400	11	112,800	4	112 100	1
Dines	14 398	2	14 400	1	12 360	1	13 700	10
Alsace Lorraine	152 991	15	165 600	15	233 685	15	101 156	5
Antisemites					11 496	1	47 500	2
Other parties	13 010		12 700		47 600	2	74 600	

Continue

Notes

- 1 The number of valid votes for the Reich in the first two elections includes also the votes for the Reich in the first two elections and which were eventually included in the Reich in the first two elections.
- 2 Under the heading are included the several Reich in the first two elections which were eventually included in the Reich in the first two elections.
- 3 The sources for the returns are the Statistisches Jahrbuch für Deutschland und Reichsstatistik für Statistik des Reichs.

परिशिष्ट-III

Reichstag Elections 1919-1933

PARTY	राष्ट्रीय संविधान सभा जनवरी 1919			जून 6 1920			मार्च 4 1924		
	Total Votes	प्रतिशत	No Dep- utes	Total Votes	प्रतिशत	No Dep- utes	Total Votes	प्रतिशत	No Dep- utes
No eligible voters कुल मत No valid votes cast	36 766 500		423	35 949 800		459	38 375 000		472
कुल मत पर Majority Socialists	30 400,300	82.7		28 196 300	78.4		29,281 800	76.30	
सेक्रेटरी सोशलिस्ट Independent Socialists	11 509 100	37.9	165	6 104 400	21.6	102	6 008 900	20.5	100
रुइन्वेडे ट सोशलिस्ट Communist party साम्यवादी बल Center	2 317 300	7.6	22	5 046 800	17.9	84	3 693 300	12.6	62
Bavarian People's Party बवेरियन जनता पार्टी	5 980 200	19.7	91	3 845 000	13.6	64	3 914 400	13.4	65
Democrats डेमोक्रेट People's party जनता पार्टी Wirtschaftspartei	5 641 800	18.6	75	2 333,700	8.3	39	1,655 100	5.7	28
कार्यक पार्टी	1,345,600	4.4	19	3,919,400	13.9	65	2 694 400	9.2	45
	275 100	0.9	4	218 600	0.8	4	693 600	2.4	10

Contd

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3 121 500	10 3	44	4 249 100	14 9	71	5 696 500	19 5	95
Nationalists राष्ट्रवादी										
Christlich soz Volksdienst										
ईसाई सेवा सम										
Land bund राज्य-संघ								574 900	1 9	10
Christlich natl Bauern u										
Landvolk ईसाई राष्ट्रवादी										
किसान सम										
Deutsch Hannov Partei		77 200	0 2	1	319 100	0 9	5	319 800	1 0	5
जर्मन हानोवर पार्टी										
Deutsche Bauernpartei										
जर्मन कृषक दल										
National Socialists नात्सी										
Other parties अन्य दल		132 500	0 4	2	332 100	1 6		1 918 300	6 5	32
								1 165 900	4 0	4

Contd

December 7 1924 May 20 1925 September 14 1930

PARTY	December 7 1924		May 20 1925		September 14 1930	
	Total Votes	No deputies	Total Votes	No deputies	Total Votes	No deputies
No eligible voters	38 987 300	493	41 224 700	491	42 957 700	577
No valid votes cast	30 290 100	77 69	30 753 300	74 60	34 970 900	81 41
Majority Socialists	7 881 000	260	9 153 000	298	8,577 700	245
Independent Socialists						
Communist party	2 709 100	90	3 264 800	106	4 592 100	131
Center	1 118 900	136	3 712 200	121	4 127,900	118
Bavarian People's Party	1 134 000	37	945 600	30	1 059 100	30
Democrats	1,919 800	63	1 505 700	49	1 322 400	38
People's party	3 049 100	101	2 679,700	87	1 578 200	45
Wirtschaftspartei	1 005 400	33	1 397,100	45	1 362 400	39
Nationalists	6 205,800	205	4,381 600	142	7,458,300	70
Christlich soz. Volksdienst						
Landbund	499 400	16	199 500	6	868 200	25
Christlich natl. Bauern u. Landvolk					194 000	3
Deutsches Hannover Partei	262 700	08	581 800	18	1 108 700	30
Deutsche Bauern Partei			195 600	05	144,300	04
National Socialists	907 300	30	481 300	15	339 600	10
Other parties	597 600	20	810 100	26	6 409 600	183
			1 445 300	48	1 073 500	31

Contd

July 31 1932

November 6 1932

PART 1

	Total Vote	No deputies	Total Votes	No deputies
No eligible voters	44226500	(05)	41373700	581
No valid votes cast	36887400	8339	7993	
Majority Socialists	7259700	13	7218000	171
Independent Socialist	587600	147	590200	100
Communist party	4589300	125	4230000	70
Center	1192700	32	1091600	20
Bavarian People Party	371800	10	336500	2
Democrats	436000	17	661800	11
People's Party	146900	04	110300	1
Wirtschaftspartei	2177400	59	2252000	52
Nationalists	405300	11	412500	12
Christlich soz. Volk dienst	96900	02	105200	2
Land und	90600	02	4000	01
Christlich natl. Bauern u. Handlungs	4200	01	64000	1
Deutsch Hannover Partei	137100	03	149000	01
Deutsche Bauern Partei	13715800	374	11737000	190
National Socialist	112500	09	71100	22
Other parties				

March 5, 1933
November 12, 1933

PARTY	March 5, 1933		November 12, 1933	
	Total Votes	No deputies	Total Votes	No deputies
No eligible voters	44,685 800	647	45 141,900	661
No valid votes cast	88 04		95 2	
Majority Socialists	7 181 600	120		
Independent Socialists	4 848 100	81		
Communist party	4 424 900	74		
Center	1 073 600	18		
Bavarian People's party	334,200	5		
Democrats	432,300	2		
People's party				
Wirtschaftsparty				
Nationalists	3 136 800	52		
Christlich soz. Volksdienst	384 000	4		
Landbund	83 800	1		
Christlich natl. Bauern u. Landvolk				
Deutsche Hannover Partei	47 700	0 1		
Deutsche Bauernpartei	114 000	0 3		
National Socialists	17 277 200	43 9	39 638 800	92 2
Other parties	136 646	0 3		661

No invalid votes 3 349 363

सदर्भ ग्रन्थ-सूची

- Ad nauer Konrad World Indivisible (NewYork 1955)
- Alexander Edgar Adenauer and New Germany (NewYork 1957)
- Almond Gabriel A (ed) The Struggle for Democracy in Germany Chapel Hill Univ of North Carolina Press 1949
- Allemann F R Bonn ist nicht Weimar (Koeln 1956)
- Andrews William G (ed) European Political Institutions (NewYork 1966)
- Asopa D N Political System of West Germany (Meerut 1973)
- B entano Heinrich von Germany and Europe Reflections on German Foreign Policy Trans by Andre Deut ch New York Praeger (1964)
- Butler Ewan City Divided Berlin—1955 NewYork Praeger 1955
- Brandt Willy A Peace Policy for Europe (London 1969)
- Brandt Willy Peace (Bonn Badgodesbeg 1971)
- Chalmers Douglas A The Social Democratic Party of Germany (New Haven Yale Univ Press 1964)
- Chamberlin William Henry The German Phoenix (New York Duell Sloan and Pearce 1963)
- Clay Lucius D Decision in Germany (Carden City Double day 1950)
- Clay Lucius D Germany and the Fight for Freedom (Cambridge Harvard Univ Press 1950)
- Conant James Bryant Germany and Freedom A Personal Appraisal (Cambridge Harvard Univ Press 1958)
- Connor Sidney and Carl J Friedrich (eds) Military Govern ment January 1950 Issue of Annals of the American Academy of Political and Social Science Deals chiefly with Germany
- Davison W Phillips The Berlin Blockade : A Study in Cold War Politics (Princeton Princeton Univ Press 1958)

- Deutsch Karl W and Lewis J Edinger *Germany Rejoins the Powers* (Stanford Stanford Univ Press 1959)
- Documents on the Status of Berlin 1943-1963 Ed by Guentner Hindrichs and Wolfgang Heidelberg (Munich Oldenbourg 1964)
- Dornberg John *The Other Germany* (Garden City N Y Doubleday 1968)
- Dulles Eleanor Lansing *Berlin The Wall Is Not Forever* (Chapel Hill Univ of North Carolina Press 1967)
- Edinger Lewis J *Politics in Germany Attitudes and Processes* (Boston Little Brown 1968)
- Federal Republic of Germany *The German Bundesrat* By Albert Pfitzer Bonn Press and Information Office 1966
- Feld Werner *Reunification and West German Soviet Relations* (The Hague Nijhoff 1963)
- Frederiksen Oliver J *The American Military Occupation of Germany 1945-1953* (Washington Historical Division of the Army 1953)
- Freund Gerald *Germany Between Two Worlds* (New York Harcourt Brace 1961)
- Freymond Jacques *The Saar Conflict 1945-1955* (New York Praeger 1960)
- Friedrich Carl J *The Soviet Zone of Germany* (New Haven Human Relations Area Files Inc 1956)
- Friedrich Carl J et al *American Experiences in Military Government in World War II* (New York Rinehart 1948 Chapters 9-13)
- Gillen J F J *State and Local Government in West Germany 1945-1953 With Special Reference to the U S Zone and Bremen* (Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOJ 1953)
- Golay John F rd *The founding of the Federal Republic of Germany* (Chicago Univ of Chicago Press 1958)
- Great Britain Central Office of Information *The Reunification of Germany : Attempts to Reach a Settlement 1945-1960* (London Swindon Press 1960)
- Grosser Alfred *The Colossus Again Western Germany from Defeat to Rearmament* Trans by Richard Rees (New York Praeger 1955)

- Grosser Alfred *The Federal Republic of Germany A Concise History* Trans by Nelson Aldrich (New York Praeger 1964)
- Grotkopp Wilhelm et al (eds) *Germany 1945/1954* (Schaan Liechtenstein Boas International Publishing Co (1954))
- Handbook of Statistics for the Federal Republic of Germany* (Wiesbaden Fed Statistical Office 1957)
- Germany Reports Ed by Helmut Arntz (Wiesbaden Franz Steiner Verlag 4th ed 1966)
- Hansen Welles *The Mixed Revolution East Germany Challenge to Russia and the West* (New York Knopf 1966)
- Hanreider Wolfram F *West German Foreign Policy 1949-1963 International Pressure and Domestic Response* (Stanford Stanford Univ Press 1967)
- Hanhardt Arthur M Jr *German Democratic Republic* (Baltimore Johns Hopkins Press 1968)
- Hartmann Frederick H *Germany Between East and West The Reunification Problem* (Englewood Cliff Prentice Hall 1965)
- Heidenheimer Arnold J *Adenauer and the CDU* (The Hague Nijhoff 1960)
- Heidenheimer Arnold J *The Government of Germany* (New York Crowell 2nd ed 1966)
- Herz John H *The Government of Germany* (New York Harcourt Brace and World 1967)
- Hiscocks Richard *Democracy in Western Germany* (New York Oxford Univ Press 1957)
- Howley Frank L *Berlin Command* (New York Putnam 1960)
- Hughes B Walter (ed) *The German Question (A Documentary)* Trans by Salvatore Attanasio (New York Herder Book Center 1967)
- Keller John W *Germany the Wall and Berlin International Politics During An International Crisis* (New York Vantage 1964)
- King Hall Stephen and Richard K Ullmann *German Parliaments A Study of the Development of Representative Institutions in Germany* (New York Praeger 1954)

- Kitzinger Uwe W *German Electoral Politics—A Study of the 1957 Campaign* (Oxford Clarendon Press 1960)
- Lane John C and James K. Pollock *Source Materials on the Government and Politics of Germany* (Ann Arbor : Wahrs Pub Co 1964)
- Leifer Walter *India and the Germans 500 Years of Indo-German Contact* (Bombay (1971))
- Legien Rudolf Roman *The Four Power Agreements on Berlin Alternative Solutions to the Status Quo ?* Trans. by Trevor Davies (Berlin Carl Heymarms (1960))
- Lewis Harold O *New Constitutions in Occupied Germany* (Washington Foundation for Foreign Affairs Pamphlet No 6 1948)
- Litchfield Edward H and Associates *Governing Postwar Germany* (Ithaca Cornell Univ Press 1953)
- McClellan Grant S (ed) *The Two Germanies* (London Wilson 1959)
- McInnis Edgar et al *The Shaping of Postwar Germany* (New York Praeger 1960)
- McWhinney Edward *Constitutionalism in Germany and the Federal Constitutional Court* (Leyden Sythoff 1967)
- Merkatz Hans Joachim von and Wolfgang Metzner *Germany Today Facts and Figures* (Frankfurt (Main) Alfred Metzner Verlag 1954)
- Merkel Peter H *Germany Yesterday and Tomorrow* (New York Oxford Univ Press 1965)
- Merkel Peter H *The Origin of the West German Republic* (New York Oxford Univ Press 1963)
- Meyer Ernest Wilhelm *Political Parties in Western Germany* (Washington European Affairs Division Library of Congress 1951)
- Montgomery John D *Forced to be Free The Artificial Revolution in Germany and Japan* (Chicago Univ of Chicago Press 1957)
- Morgenthau Hans J (ed) *Germany and the Future of Europe* (Chicago Univ of Chicago Press 1951)
- Nettl J P *The Eastern Zone and Soviet Policy in Germany 1945-1950* (New York Oxford Univ Press 1951)

- Neumann Franz L *German Democracy 1950* (New York :
Carnegie Endowment International Conciliation No 461
May 1950)
- Neumann Robert G *The Government of the German Federal
Republic* (New York Harper and Row 1966)
- Noelle Elisabeth and Frich Peter Neumann (eds) *The
Germans Public Opinion Polls 1947-1966* Allensbach
and Bonn Verlag fur Demoskopie 1967)
- Office of Military Government (U S) *Documents on the
Creation of the German Federal Constitution* (Berlin
OMGUS 1949)
- *Land and Local Government in the United
States Zone in Germany* (Frankfurt (Main) OMGUS
1947)
- *Statistical Handbook on Potsdam Germany*
(Berlin OMGUS 1947)
- Office of the U S High Commissioner for Germany *Elections
and Political Parties in Germany 1945-1952* (Frankfurt
(Main) HICOG 1952)
- *Germany's Parliament in Action* (Frankfurt
(Main) HICOG 1950)
- *Quarterly Report on Germany Ten Reports
September 21 1949 March 31 1952* (Bad Godesberg/
Mehlem Germany HICOG 1949-1952)
- *Report on Germany Sept 21 1949 July 31
1952* (Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1952)
- Oppen Beate Ruhm von (ed) *Documents on Germany Under
Occupation 1945-1954* (New York Oxford Univ Press
1955)
- Pinney Edward L *Federalism Bureaucracy and Party Politics
in Western Germany The Role of the Bundesrat* (Chapel
Hill : Univ of North Carolina Press 1967)
- Planck Charles R *The Changing Status of German Reunifi-
cation in Western Diplomacy 1955-1966* Baltimore John
Hopkins Press 1967)
- Pischke Elmer *The Allied High Commission for Germany*
(Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1953)

- Plischke Elmer Berlin Development of Its Government and Administration (Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1952)
- Plischke Elmer Allied High Commission Relations with the West German Government (Bad Godesberg/Mehlem Germany HOCOG 1952)
- Plischke Elmer Government and Politics of Contemporary Berlin (The Hague Nijhoff 1963)
- Plischke Elmer History of the Allied High Commission for Germany Its Establishment Structure and Procedures (Bad Godesberg/Mehlem Germany HOCOG 1951)
- Plischke Elmer Konrad Aderauer Legator of the West German Governmental System pp 155-202 State-men and Statecraft of the Modern West ed by Gerald N Grob (Barre Mass Barre Pub 1967)
- Plischke Elmer Revision of the Occupation Statute for Germany (Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1952)
- Plischke Elmer The West German Federal Government (Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1952)
- Pollock James K et al German Democracy at Work : (A Selective Study Ann Arbor Univ of Michigan Press 1955)
- Pollock James K and Homer Thomas Germany in Power and Eclipse The Background of German Development (New York Van Nostrand 1952)
- Pollock James K Jame H Meisel and Henry L Bretton (eds) Germany Under Occupation Illustrative Materials and Documents rev ed Ann Arbor Wahr Pub Co 1949 (earlier ed 1947)
- Postwar Reconstruction in Western Germany November 1948 Issue of Annals of the American Academy of Political and Social Science Includes articles by German writers
- Pounds Norman J G Divided Germany and Berlin (Princeton Van Nostrand 1962)
- Pruitt Terence C F Germany Divided The Legacy of the Nazi Era (Boston Little Brown 1960)
- Ritter Gerhard The German Problem Basic Questions of German Political Life Past and Present Trans by Sgurd Burckhardt (Columbus Ohio State Univ Press 1965)

- Robson Charles B (trans and ed) *Berlin Pivot of German Destiny* (Chapel Hill Univ of North Carolina Press 1960)
- Russell Frank M *The Saar Battleground and Pawn* (Stanford Stanford Univ Press 1951)
- Schmertzing Wolfgang P von (trans and ed) *Outlawing the Communist Party A Case Hisotry* (New York The Bookmailer 1957)
- Schroder Gerhard *Decision for Europe* (London Thames and Hudson 1964)
- Smith Bruce L R *The Governan e of Berlin* (New York *Carnegie Endowment International Conc 131 ON* No 525 November 1959)
- Speier Hans *Divided Berlin The Anatomy of Soviet Political Blackmail* (New York Praeger 1961)
- Speier Hans and W Phillip Divison (eds) *West German Leadership and Foreign Policy* (bvanston Row Peterson 1957)
- Stahl Walter (ed) *The Politics of Iostwar Germany* (New York Praeger 1963)
- Stanger Roland J (ed) *West Berlin The Legal Context* (Columbus Ohio State Univ Press 1966)
- Sziz Zoltan Michael *Germany's Eastern Frontiers (The Problem of the Oder Neisse Line* Chicago Regnery 1960)
- Trossmann Hans *The German Bundestag : Organization and Operation* (Darmstadt and Bad Homburg Neue Darms tädter Verlagsanstalt 1965)
- United States Department of State Confuse and Control Soviet Techniques in Germany* Department of State Publication 4107 Washington Government Printing Office 1951
- *East Germany Under Soviet Control* Department of State Publication 4596 Washington Government Printing Office 1952
- *Germany 1947-1949 The Story in Documents* Department of State Publication n 3556 Washington Government Printing Office 1950

- The United States and Germany 1945-1955 Department of State Publication 5877 Washington Government Printing Office 1955
- United States Senate Documents on Germany (1944-1961 87th Cong 1st Sess 1961)
- Tension Within the Soviet Captive Countries Soviet Zone of Germany 83rd Cong 1st Sess Sen Document No 70 Part 3 1954
- Yali Ferenc A The Quest for a United Germany (Baltimore Johns Hopkins Press 1967)
- Waldman Eric The Goose Step Is Verboten The German Army Today (New York Free Press 1964)
- Wallenberg Hans Report on Democratic Institutions in Germany New York American Council on Germany 1956
- Wallich Henry C Mainsprings of the German Revival New Haven Yale Univ Press 1955
- Well Roger H The States in West German Federalism A Study of Federal-State Relations 1949-1960 (New York Bookman 1961)
- Wolfe James H Indivisible Germany Illusion or Reality? (The Hague Nijhoff 1963)
- Zink Harold The United States in Germany 1944-1955 (Princeton Van Nostrand 1957)

□□□